(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृतान्त

अंक 4] सप्तम् विधान सभा के चतुर्थ सत्र का 22 वां दिवस [संख्या : 15

शनिवार,

दिनांक 13 मार्च, 1982

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री **पूनमचन्द विश्नोई**, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्री गुलाबचन्द कटारिया।

उदयपुर में सीमेंट के फर्जी परमिट जारी करने के प्रकरण में कार्यवाही

380. **श्री गुलाबचन्द कटारिया** (उदयपुर) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि जिला रसद अधिकारी, उदयपुर के कार्यालय से सीमेन्ट के फर्जी परमिट जारी किये गये हैं ? यदि हां, तो इसकी जानकारी कैसे व किसने दी तथा उक्त परमिट किस-किस व्यक्तियों को दिये गये तथा परमिट कितने सीमेन्ट के थे व किसके हस्ताक्षर से दिये गये थे तथा सीमेन्ट वितरण का कार्य कौन अधिकारी एवं कर्मचारी कर रहे थे ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) विभाग ने पुलिस को यह मामला कब सुपुर्द किया तथा इसके पूर्व विभागीय स्तर पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री अध्यक्ष : पहले इस प्रश्न में जो विषय है उस पर चर्चा हुई है इसलिए मेरे खयाल से इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिये। हाउस में दो बार एक विषय नहीं आ सकता, इस विषय पर आज वक्तव्य है सरकार से।

प्रश्न संख्या 381

श्री घनश्याम जैन :

कृपया आगे देखें।

(अनुपस्थित)

श्री राजबहादुर।

परिवहन सेवा के राष्ट्रीयकरण की नीति में परिवर्तन

382. **श्री राजबहादुर** (भरतपुर) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री राजबहादुर)

(1) क्या राज्य सरकार की नगर परिवहन के लिये सम्पूर्ण राष्ट्रीयकरण की नीति रही है ? यदि हां, तो इस नीति का उल्लंघन करके निजी बसों आदि को अनेक मार्गों पर समानान्तर निजी बस मालिकों को चलाने की अनुमति क्यों और किन शर्तों के आधार पर दी गई है ? क्या इन मार्गों पर राज्य पथ परिवहन निगम की गाडियां नहीं चलाई जा सकती थीं ?

(2) क्या सरकार परिवहन सेवाओं के लिये राष्ट्रीयकरण करने की नीति में कोई आमूलचूल परिवर्तन करने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्या ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मन्त्री, परिवहन (श्री जयकृष्ण शर्मा) : (1) नगर परिवहन सेवा का राष्ट्रीयकरण नहीं किया हुआ है। जयपुर नगर में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम राज्य सरकार के निर्देशानुसार यह सेवा संचालित कर रहा है।

(2) जी नहीं।

श्री राजबहादुर : मैं यह जानना चाहता हूं जबकि विभिन्न राज्यों में नीति यह है बल्कि जो केपीटल टाउन्स, मैट्रोपोलिटन टाउन्स हैं उनमें परिवहन सेवा राष्ट्रीयकृत है, यहां अपवाद का कोई विशेष कारण है ? दूसरा, मेरा प्रश्न यह है कि कितनी बसेज लगा रहे हैं और कितनी प्राइवेट सेक्टर में हैं ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : जयपुर शहर में 106 प्राइवेट बसेज और 100 के करीबन रोडवेज की हैं।

श्री राजबहादुर : पहले सवाल का जवाब नहीं आया नीति के बारे में। सारे भारत में मैट्रोपोलिटन टाउन्स है जहां परिवहन सेवा राष्ट्रीयकृत है, जयपुर में ही अपवाद क्यों ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य, जैसा मैंने कहा कि जयपुर शहर का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ है ?

श्री राजबहादुर : नीति क्या है ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : राष्ट्रीयकरण की जो नीति है वह आपको भी मालूम है। जो नेशनलाइजेशन स्कीम है उसके अनुसार जयपुर का अभी नेशनलाइजेशन नहीं हुआ है। स्कीम के तहत राज्य सरकार ने आदेश दिये थे उस आदेश के नाते राजस्थान स्टेट रोडवेज की बसेज जयपुर के अन्दर चलती हैं, यातायात की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने की दृष्टि से।

श्री राजबहादुर : क्या यह सच नहीं है कि पिछले वर्ष अनगिनत मिनी बसेज को परमिशन दी गई और स्केण्डल की शिकायतें थीं ?

श्री जयकृष्ण : ऐसी कोई शिकायत मेरे पास स्केण्डल की नहीं है। मेरी दृष्टि में एक ही बात है कि यातायात की सुविधा प्राप्त हो सके इसको दृष्टिगत रखते हुए यह निर्णय दिनांक 2.1.81 को लिया गया था और उसके तहत जैसा मैंने आपको बताया

(श्री जयकृष्ण शर्मा)
126 मिनी बसेज़ को परमिट दिये गये हैं। आपको यह भी बतला दूं कि ज्यादातर मिनी बसेज के परमिट ग्रेजुएट अनएम्प्लायड लोगों को दिये गये हैं। यह इस नीति को ध्यान में रखकर किया गया है इसलिए इसमें किसी प्रकार का स्केण्डल नहीं है, आपके पास कोई जानकारी हो तो बतावें, मेरे पास इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है।

श्री राजबहादुर : मुझे कोई चार्ज लगाना होगा तो नोटिस के साथ लगाऊंगा। मैंने आम चर्चा के बारे में कहा। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि अनएम्प्लायड और एम्प्लायड ग्रेजुएट्स ग्रेजुएट्स को दिये गये हैं क्या आप उनकी सूची रखने को तैयार हैं ? कौन-कौन थे और उनका आर्थिक स्तर परिवार का क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : The reply is there, Sir.

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। श्री रामसिंह।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जयपुर में परिवहन की जो व्यवस्था है उसमें प्रतिवर्ष परिवहन निगम को कितना घाटा है ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : करीब एक करोड़ का घाटा प्रति वर्ष होता है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

श्री विष्णु प्रकाश बजारी (ब्यावर) : एक करोड़ का घाटा....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : दुबारा पूछिये।

श्री विष्णु प्रकाश बजारी : एक करोड़ का घाटा होने के पश्चात्, राजस्थान की वित्तीय स्थिति बहुत खराब है, बसें चलाना क्या राज्य सरकार उचित समझती है ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : कभी-कभी जनता के हित में घाटे में भी ऐसी व्यवस्था करनी पड़ती है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री नाथूसिंह।

राजस्थान नहर के लिये अर्थ मूविंग मशीनरी का क्रय

383. **श्री नाथूसिंह** (बांदीकुई) : क्या राजस्थान नहर मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान नहर के लिये लगभग 6 करोड़ रुपये की लागत की मूविंग मशीनरी का क्रय किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि नहर के निर्माण कार्य में बैलगाडियां, गधों व

(5)

(श्री नाथूसिंह)

मजदूरों से कार्य कराने पर काम अर्थ मूविंग मशीनरी से 80% से 90% बचत से होता है ?

राज्य मन्त्री, राजस्थान नहर (श्री नरेन्द्रसिंह भाटी) : (1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। सम्बन्धित निर्माण स्थल व अन्य उपलब्ध साधनों के पूर्ण विवरण के अभाव में यह बताना संभव नहीं होगा।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, पहले प्रश्न का जवाब दिया है "नहीं"। क्या यह सही है कि दस करोड़ की अर्थ मूविंग मशीन जो है वह 6 करोड़ और दस करोड़ के बीच में कितनी है ? इस तरह की कोई मशीन ओपन नहीं खरीदी जा रही हैं। क्या रामसिंह कमेटी जो गठित की गई उसने जो रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट के आधार पर उसमें बताया है कि करोड़ों रुपये की, 30 करोड़ रुपये की मशीनरी बेकार पड़ी हुई है, टीले से दबी है ? क्या इसका फिजिकल वेरीफिकेशन करवाया था ? यदि हां, तो कब करवाया ? दूसरा प्रश्न....

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न है, माननीय सदस्य, इस प्रश्न की परिधि में नहीं आता।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : रामसिंह कमीशन का आप फर्मा रहे हैं। उसका कोई उत्तर नहीं दूंगा वह लागू नहीं होता। अगर आप, अध्यक्ष महोदय, प्रश्न पढ़ें....

श्री अध्यक्ष : मैंने पढ़ लिया और व्यवस्था दे दी।

(व्यवधान)

प्रश्नकर्ता।

श्री नाथूसिंह : क्या कोई मशीनरी खरीदी नहीं गई, जैसा आपने कहा 'नहीं' ?

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, आपने पूछा है राजस्थान नहर के लिये 6 करोड़ रुपये की लागत की अर्थ मूविंग मशीनरी का क्रय किया जा रहा है ? उसका मेरा उत्तर है, अध्यक्ष महोदय, नहीं की जा रही है। आप जो मेन्शन कर रहे हैं, वह मशीनरी 80 करोड़ में खरीदी गई थी। आगे हमारा खरीदने का इन्टेन्शन नहीं है।

(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : I object to it.

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अब नहीं खरीदी जा रही है।

श्री नाथूसिंह : कितने में खरीदी ?

श्री अध्यक्ष : 5 करोड़ और कुछ।

(व्यवधान)

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, अन्दाज से 5 करोड़ 64 लाख।

श्री अध्यक्ष : मेरा अनुमान ठीक निकला।

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, जो मशीनरी खरीदवाई इसकी लागत में और

(श्री नाथूसिंह)

दूसरे साधन ऊंट, घोड़ों और गधों से, क्या यह सही है, ओरिजिनल प्रोजक्ट था वह लेबर इन्टेन्सिव है ?

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानता हूं कि मेनुअली मिट्टी को इकट्ठा करना चीपर है। लेकिन माननीय सदस्य को दावे से अर्ज करता हूं कि हमारी जो अवेलेबल लेबर है उससे ज्यादा ला सकते हैं तो लगाने को तैयार हूं।

श्री नाथूसिंह : मैंने प्रश्न किया कि क्या यह ओरिजिनल प्रोजेक्ट था ? यदि हां तो फिर इस मशीनरी के अलावा जो लेबर इंटेंसिव काम करते हैं उससे आप 80–90 प्रतिशत बचा सकते हैं, आप अगर रामसिंह कमेटी की रिपोर्ट पढ़ेंगे तो। क्या यह सही है कि 80–90 पर्सेन्ट बचत होती है ?

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें। क्या यह सही है कि लेबर अर्थ मूविंग मशीनरी है वह उसमें नाकामयाब रही है और बैलगाड़ियों और दूसरे तरीकों से इसकी खुदाई की गई ? फिर अब मशीनीकरण हो रहा है, इसका औचित्य क्या है ?

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, यह सही नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हो सकता है।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस पूरे अर्थ मूविंग वर्क का टार्गेट हमारी मुख्य नहर की शाखाओं में करीब 600 करोड़ क्यूबिक फीट का था। 600 करोड़ क्यूबिक फीट में से 200 करोड़ क्यूबिक फीट मार्च, 1980 में पूरा हो गया था....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सुनने दीजिए, कृपया बातें न करें।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, अब हमारा 376 करोड़ क्यूबिक फीट का लक्ष्य था, जिसको हमें 1986 तक पूरा कर देना था अगर नहीं करना चाहते तो, अध्यक्ष महोदय, यह अर्थ वर्क 84–85 तक पूरा होना चाहिये। आज हमारे पास टार्गेट है वह करीब 75 करोड़ क्यूबिक फीट का है। हर साल का मेनुअल लेबर का पोटेंशियल पिछले 10–15 साल से हमारा अनुभव रहा है कि जितना हमारा लक्ष्य है उठाने का उससे ज्यादा हम नहीं उठा सकते। बाकी जो 40–45 करोड़ क्यूबिक फीट अर्थ मूविंग वर्क है वह मशीनरी के अलावा नहीं हो सकता।

श्री अध्यक्ष : आप कामयाब हुए क्या, मशीनरी में ?

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : जी, हां।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री देवीसिंह भाटी, केवल एक प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री देवीसिंह भाटी : क्या यह सही है....

Page No 6

6

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : क्या यह सही है कि आपने जो पहले मशीनरी खरीदी है वह लाखों करोड़ों रुपये की मशीनरी पहले से ही पड़ी है और आप खरीदने जा रहे हैं ?

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, अर्थ मूविंग मशीनरी का जो हर साल अर्थ वर्क होता है, वह हार्ड वर्क होता है। इसलिये हमारा अन्दाजा मशीनरी रिप्लेसमेंट का 5–6 साल का है और यह मापदण्ड है कि जो 80–81 में खरीदी गई थी आगे जो रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार और खरीदें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री देवीसिंह।

श्री नाथूसिंह : आपने क्या इन मशीनों जो खराब हो गयी हैं, का कभी फिजिकल वेरीफिकेशन करवाया है ?

श्री अध्यक्ष : यह मूल प्रश्न की परिधि में नहीं आता इसलिये मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

(व्यवधान)

वह राजस्थान कैनाल एरिया से है।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, इसमें वास्तविक बात यह है कि आपने जो मशीनें खरीदी हैं आप कह रहे हैं कि 5–6 साल तक उनका पीरियड है इसलिये उनका रिप्लेसमेंट करवाया जा रहा है. क्या आपने उनका फिजिकल वेरीफिकेशन करवाया है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। आप काफी विस्तार में जा रहे हैं।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, 10 करोड़ की मशीनें खराब पड़ी हैं।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय ने कहा कि उनकी जांच हो रही है। आप इसके बारे में अलग से प्रश्न पूछ लें।

श्री नाथूसिंह : मैं मशीनों के बारे में....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आपका सीमित प्रश्न है, आप कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री नाथूसिंह : जो अधिकारी वहां आपने भेजा है उसमें उनकी योग्यता केवल यह थी कि वह माथुर हैं....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, स्थान ग्रहण करें।

श्री नाथूसिंह : उन्होंने अपनी × × × ली हैं....

श्री अध्यक्ष : एक्सपंज किया जाय। श्री देवीसिंह भाटी।

श्री देवीसिंह भाटी : क्या यह सही है कि राजस्थान कैनाल में आर. डी. 1075 चुन्नू और नाचना ग्राम के पास में आने के कारण वहां अर्थ मूविंग मशीनरी फेल हो गयी है ?

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, यह बिलकुल सही है। आगे जो नहर खोदने जा रहे हैं उसमें यह मशीनरी फेल हो रही है इसलिये माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा था कि जिस प्रकार से जियोलाजिकल सर्वे होना चाहिये था वह नहीं हुआ। जो अर्थ मूविंग मशीन है वह फेल हो रही है और अन्य प्रकार की मशीनरी खरीदने के लिये योजना बनाई जा रही है।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : माननीय सदस्य आपकी मार्फत सबको गुमराह करना चाहते हैं। आप देखिये। अध्यक्ष महोदय, श्रीमान् को यह पता होना चाहिये मैं मानता हूं कि हार्ड वेन एरिया है और अर्थ मूविंग मशीनरी अगर वहां काम नहीं आ रही है तो आप मुझे बतायें मैं उस इंजीनियर को सस्पेंड करवा दूंगा। वहां पर, अध्यक्ष महोदय, क्या हो रहा है कि उस हार्ड वेन एरिया में हम कम्प्रेशर काम में ला रहे हैं, एक्सप्लोजिव काम में ला रहे है। उसके बाद वहां से जो मिट्टी निकली हैं उसको श्री क्रेन्स से निकाल कर हम नहर के एक स्थान पर पटक रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री देवीसिंह भाटी : क्या 5 करोड़ रुपये की मशीनरी खरीदी जा रही हैं? इसी प्रकार से वहां सेंडी एरिया में काम हो रहा है, अध्यक्ष महोदय....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इस प्रश्न के लिये मैंने आपको काफी अवसर दे दिया, माननीय सदस्य....

(व्यवधान)

अन्य किसी माध्यम को अपनायें।

श्री नाथूसिंह : क्या जो मशीनरी बेकार पड़ी है उसके लिये जुडिशियल इन्क्वायरी करवायेंगे?

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। अगला प्रश्न। श्री कैलाश मेघवाल। 384।

अजमेर नगर की बस्तियों के लिये जल प्रदाय योजना

384. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अजमेर नगर की किन-किन बस्तियों में जल वितरण हेतु नई पाइप लाइन बिछवाने की कार्यवाही की जा रही है?

(2) यह पाइप लाइन्स कब तक बिछा दी जायेंगी और इन पर कुल कितना खर्च आयेगा? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

राज्य मंत्री, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (श्री जयकृष्ण शर्मा) : (1) अजमेर नगर में केवल हरिजन बस्तियों में ही जल वितरण हेतु पाइप लाइन डालने की कार्यवाही की जा रही हैं।

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

(2) यह पाइप लाइन्स इसी माह में बिछाने की योजना है। समाज कल्याण विभाग द्वारा 44,000 रु. की राशि दी गई है उनका अनुमोदन आने पर शीघ्र ही कार्यवाही की जा सकेगी।

श्री कैलाश मेघवाल : ये कौन-कौन सी हरिजन बस्तियां हैं जिनमें आप यह पाइप लाइन बिछाने जा रहे हैं? मैंने यह स्पेसिफिक प्रश्न पूछा है।

श्री जयकृष्ण शर्मा : मैंने आपको बताया कि हरिजन बस्तियों में पाइप लाइन बिछाने के लिए समाज कल्याण विभाग से प्राप्त 44 हजार रुपये पड़े हुए हैं। समाज कल्याण विभाग से यह अनुमति आने पर कि किन बस्तियों में यह पाइप लाइन बिछाई जानी चाहिये, तभी यह कार्यवाही प्रारम्भ की जा सकेगी और शीघ्र ही वह कर दी जायगी। यह मैंने आश्वासन आपके प्रश्न के उत्तर में दिया है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

44 हजार रुपये की राशि हैं....

श्री कैलाश मेघवाल : मैं इसलिये पूछ रहा हूं कि हरिजन बस्तियों के नाम पर पैसा आया है। किसी प्रश्न पूछने का उद्देश्य होता है। मेरा प्रश्न था कि अजमेर नगर की किन-किन बस्तियों में जल वितरण हेतु नई पाइप लाइन बिछाने की कार्यवाही की जा रही है, वह बता दें? उद्देश्य यही था और क्या था? इन बस्तियों को आइडेंटिफाई करा देना चाहता था और निश्चित है या नहीं। इसलिये मैंने प्रश्न पूछा है। नहीं तो प्रश्न पूछने का फायदा नहीं होता।

श्री जयकृष्ण शर्मा : मैंने जैसा आपको बतलाया केवल 44 हजार रुपये प्राप्त हुए हैं और 44 हजार रुपये के लिये जो भी अनुमोदन समाज कल्याण विभाग कर देगा कि किस हरिजन बस्ती में पाइप लाइन बिछानी चाहिये, क्योंकि इस विभाग का काम है, जल प्रदाय विभाग का, जिस हरिजन बस्ती में वह चाहता है उसमें बिछा देंगे। उनके तय करने का काम है वह तय होकर आते ही हम वहां बिछा देंगे। क्योंकि अजमेर बड़ा शहर है उसमें बहुत हरिजन बस्तियां हैं, किस बस्ती में चाहते हैं?

श्री कैलाश मेघवाल : समाज कल्याण विभाग ने 44 हजार रुपये दिये कि हरिजन बस्तियों में पाइप लाइन बिछायेंगे, इसका एस्टीमेट कौन बनायेगा, काम जन स्वास्थ्य विभाग करेगा वह तैयार नहीं है और दिये हैं तो किन बस्तियों के लिये?

श्री अध्यक्ष : वह समाज कल्याण विभाग इसकी सूची देगा।

श्री कैलाश मेघवाल : अभी भी नहीं हुआ है।

सिंचाई मन्त्री (श्री परसराम मदेरणा) : अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य जिस प्रश्न का उत्तर चाहते हैं, वह बिलकुल ही इंसिस्ट कर रहे हैं और आपके प्रश्न का हमारे पास उत्तर है वह सरकार दे रही है। आप हरिजन बस्तियां बता दें, हम कह रहे हैं कि समाज कल्याण विभाग ने नहीं बताया, हम कैसे बता दें? इसलिये मैं निवेदन कर रहा था 44 हजार रुपये जो

(श्री परसराम मदेरणा)

हमारे पास डिपाजिट स्कीम्स होती है, समाज कल्याण विभाग की ही नहीं और भी जैसे हाउसिंग बोर्ड और जितने भी सरकारी और गैर सरकारी संस्थान हमारे पास पैसा डिपाजिट करते हैं "डिपाजिट स्कीम्स" के नाम से पैसे के अनुसार काम करते हैं। आप कहते हैं बस्तियां बता दी जायं। कम से कम एक हजार मीटर के आसपास लाइन डालेंगे जहां ऐसी बस्ती है। एक बिल्डिंग नल के पास में है और मैन पाइप लाइन के पास में बस्ती आई है वहां 200 मीटर की लाइन है तो दो बस्तियों में जा सकती है। यह चयन करने का काम समाज कल्याण विभाग का है, हम पर नहीं छोड़ा है। इसलिये समाज कल्याण विभाग से हमने पूछा है कि कौनसी बस्तियों में काम करवाना चाहते हैं, 44 हजार रुपये दिये हैं उसके अनुसार हम पाइप लाइन डालकर ज्यों ही इन्डीकेट करेंगे कि बस्ती में डाली जाय तो हम कोशिश करेंगे कि मार्च के अन्त तक पड़ जानी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री देवी सिंह भाटी।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा मूलभूत प्रश्न है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं कि क्या समाज कल्याण विभाग हरिजन बस्तियों के लिए पैसा देता है, क्या वही स्कीम्स अप्रूव करता है, क्या वही गलियां, नालियां, पानी कहां दिया जाय, वही स्पेसिफाइ भी करता है ?

श्री अध्यक्ष : हरिजन बस्तियों के लिए करता है।

श्रीमती विद्या पाठक : यह बिलकुल गलत है, जवाब गलत है। न समाज कल्याण विभाग पैसा देता है....

श्री अध्यक्ष : अगर गलत है तो नियमों में प्रावधान है उसके अन्दर कार्यवाही....

श्रीमती विद्या पाठक : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिये, न समाज कल्याण विभाग पैसा देता है, न वह प्लान अप्रूव करता है, न नल लगाता है तो फिर यह जवाब क्या दिया है ? अधिकारियों का लिखा गलत जवाब यहां पढ़ लिया।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें, मन्त्री महोदय इसका स्पष्टीकरण दे दें।

श्री परसराम मदेरणा : जो हमको सूचना मिली है, समाज कल्याण विभाग ने 44 हजार रुपये की धनराशि हमारे पास में डिपाजिट करवाई है। अब माननीय सदस्या कह रही हैं कि समाज कल्याण विभाग के पास में किसी भी मद के अन्तर्गत पाइप लाइन बिछाने के लिए पैसा नहीं होता। इसकी जानकारी दे दूंगा। जो सूचना विभाग के पास में है और विभाग ने जो सूचना दी है उसके आधार पर सरकार ने उत्तर दिया है, अगर आप कान्टेस्ट करती हैं कि उन्होंने जमा नहीं करवाया है, तो कौनसे हैड से पैसा दिया गया है, कब जमा हुआ है, इसका आफ हैण्ड उत्तर नहीं दे सकता। जांच करके सदन को सूचित करूंगा।

श्रीमती विद्या पाठक : जवाब भी देंगे और गलत जवाब देने वाले अधिकारियों पर कार्यवाही भी करेंगे।

Page No 10

(ठ)

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न ।

राजस्थान नहर के बी. एस. आर. पर भट्टों हेतु निविदायें

385. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : क्या राजस्थान नहर मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि दिसम्बर, 1980 में बी. एस. आर. पर 15 वें डिवीजन व अन्य में भट्टों की टेंडर रेट्स आमन्त्रित की गई थीं ? यदि हां, तो जनवरी, 1981 में यही 22 प्रतिशत अधिक रेट्स पर कैसे मंजूर कर दी गई ?

राज्य मन्त्री, राजस्थान नहर परियोजना (श्री नरेन्द्र सिंह भाटी) : जी नहीं ।

श्री देवीसिंह भाटी : मैंने साफ प्रश्न पूछा है कि दिसम्बर, 1980 में राजस्थान नहर के 15 वें डिवीजन में बी. एस. आर. पर भट्टों के टेंडर रेट्स काल किये गये थे ।

श्री अध्यक्ष : नवम्बर होगा ।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : दिसम्बर में एक भी टेंडर काल नहीं किया गया ।

श्री अध्यक्ष : अक्टूबर और नवम्बर में ?

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : आपके मार्फत सदन को बताना चाहता हूं, माननीय सदस्य, जो कोलायत से पधारते हैं, ने शायद इस सवाल को जानकर दिसम्बर पूछा है और आपने फर्माया अक्टूबर-नवम्बर हो सकता है या नहीं। अध्यक्ष महोदय, बी. एस. आर. के रेट्स से ये परिचित हैं, सितम्बर में काल किये गये थे टेंडर्स और वापस जनवरी में बी. एस. आर. रिवाइज किया गया था । इन्होंने जानकर दिसम्बर पूछा है उसी का मैंने जवाब दिया है । दिसम्बर में एक भी टेंडर काल किया गया हो तो उस आदमी को हम चार्ज शीट करने को तैयार हैं ।

श्री देवीसिंह भाटी : जब मन्त्री महोदय ने मान लिया है कि ऐसे टेंडर्स काल किये गये । मेरा प्रश्न पूछने का मतलब है कि बी. एस. आर. रेट मात्र तीन महीने के अन्दर 22 पर्सेंट अबॉव कैसे दी, इसके क्या कारण हैं ?

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : बी. एस. आर. रेट्स रिवाइज होती हैं और जनवरी में रिवाइज हुई और यह जो सितम्बर की थीं उसके लिए कह रहे हैं दिसम्बर में रेट्स लेकर जनवरी में 20 पर्सेंट रिवाइज हुई । 20 प्रतिशत दिसम्बर महीने में बिलकुल रिवाइज नहीं की ।

श्री देवीसिंह भाटी : प्रश्न यह है कि मन्त्री महोदय ने मान लिया कि सितम्बर में टेंडर्स काल हुये बी. एस. आर. रेट्स पर, तो जनवरी में 22 प्रतिशत अबॉव रेट्स, ठेकेदार को देने के क्या कारण थे ? इसका उत्तर फर्मा दें ।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : आपको सिर्फ एक ही अर्ज कर सकता हूं । अगर इसमें पड़ते हैं, तो स्टेज वन और स्टेज टू के बीच में बी. एस. आर. रेट्स में फर्क है । कहां-कहां का मैं उत्तर दूं ? मैन कैनाल के रेट्स और इन्टीरियर की जो ब्रांचेज हैं उनमें बी. एस. आर रेट्स में अन्तर है । या तो माननीय सदस्य हमसे स्पेसिफिक जानकारी चाहते हैं ।

श्री देवीसिंह भाटी : 15 वां डिवीजन ।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : मेरे पास एनसाइकलोपेडियक नॉलेज नहीं है। या तो बाद में पूछ लें या डाइरेक्ट क्वेश्चन पूछ लें, डाइरेक्ट उत्तर मांग लें।

श्री देवीसिंह भाटी : मैंने साफ पूछा है 15 वीं डिवीजन की बात है।

श्री अध्यक्ष : लेकिन आपने दिसम्बर पर जोर दे दिया।

श्री देवीसिंह भाटी : हो सकता है।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय ने कह दिया कि टेण्डर्स आमंत्रित ही नहीं किये दिसम्बर में।

श्री देवीसिंह भाटी : जनहित का प्रश्न है, जनता का पैसा है, जैसी मुझे सूचना मिली है. I was not there. I was not a contractor.

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, जैसी सूचना मिली है वह दे रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इनके पास जो सूचना है उसी के अनुसार तो उत्तर दिया है।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने स्वयं ने एक्सेप्ट किया है कि सितम्बर, 80 में टेण्डर काल हुए और मैंने पूछा कि 15 वे डिवीजन में बी. एस. आर. की जो रेट्स थी वह जनवरी, 81 में सिर्फ दो चार महीनों में ही 22 प्रतिशत कैसे बढ़ गयी। इसके क्या कारण थे ? टेण्डर रेट जो सितम्बर, 80 में आयी उससे 22 प्रतिशत ज्यादा में उसको बाद में मन्जूर किया। इसके लिये ऐसे कौनसे कारण हो गये।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इसका जवाब नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : तो कारण बता दीजिये।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, जनवरी, 81 में आकर हमने....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सूचना उपलब्ध नहीं है क्या ?

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : सितम्बर, 80 में जो टेण्डर मांगे गये वह 78 की बी. एस. आर. से....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर माननीय सदस्य उत्तर आने दीजिये।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्यों ने जो पूछा उसके लिये मैं इतना ही पूछना चाहता हूं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर। उत्तर आने दीजिये, माननीय सदस्य। कृपया धैर्य रखें।

(व्यवधान)

(ट)

(श्री अध्यक्ष)

आर्डर आर्डर। मन्त्री महोदय उत्तर दे रहे हैं।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : इसमें 78 की बी. एस. आर. से मेरी सूचना के अनुसार 13 प्रतिशत से ऊपर नहीं है।

(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : माननीय मन्त्री महोदय, इतना बता दें कि इसके कारण क्या थे ? आप दो चार मोटे-मोटे कारण दीजिये।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : प्रश्न को टाला जा रहा है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री महावीरप्रसाद जैन (टोंक) : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने यह बताया कि टेण्डर जो थे वह सितम्बर में काल किये गये और जो रेट थी वह बी. एस. आर. की रेट जनवरी, 81 में बढ़ गये तो मेरा सवाल यही है कि इतने थोड़े समय में यह 22 प्रतिशत टेण्डर रेट से अधाव आर्डर देने की क्या जरूरत थी ?

श्री देवीसिंह भाटी : सितम्बर में टेण्डर काल किये गये और बाद में उसको जनवरी में 22 प्रतिशत ज्यादा रेट पर किन कारणों से दिया गया, अध्यक्ष महोदय,

श्री महावीरप्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैंने तो सिर्फ दो चार कारण जो मोटे-मोटे थे उनको ही बताने को कहा है पर इन्होंने जवाब नहीं दिया और इससे हाउस सन्तुष्ट नहीं है। फिर, अध्यक्ष महोदय, जब सितम्बर में ही टेण्डर काल हो गये और बाद बी. एस. आर. रेट से अधिक दो तीन महीनों में ही 22 प्रतिशत से अधिक रेट पर कैसे आर्डर दे दिये गये ? इसके पीछे के क्या कारण थे ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह तो कोई बात नहीं हो गई आप एक आदमी को एक महीने एक तनख्वाह देते हो और दूसरे महीने में उसकी तनख्वाह बढ़ा सकते हो। इन्होंने बी. एस. आर. की रेट को रिवाइज कर दिया होगा यह कोई बड़ी बात नहीं है।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, बात यह नहीं है, बात यह है कि वहां पर जो अधिकारी लगे हुए हैं सुपरिन्टेन्डिंग इन्जीनियर और एक्स. ईएन. वगैरह, वह अधिकारी ठेकेदारों से मिलकर, पैसा खाकर उन टेण्डर्स की रेट्स को रिवाइज करते हैं और इस तरह इस मामले में भी 22 प्रतिशत रेट अधिक रिवाइज की गई है। हमें इसी बात का एतराज है क्योंकि यह जनता का पैसा है इसमें इस तरह का घोटाला नहीं होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : अगर एतराज है तो स्पष्ट रूप से रखिये ना।

(व्यवधान)

(श्री अध्यक्ष)

आर्डर आर्डर।

श्री देवीसिंह भाटी : तभी तो मैंने पूछा अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय को कि जो मोटे–मोटे दो चार कारण जो भी हैं इस 22 प्रतिशत टेण्डर रेट से अधिक देने के क्या कारण थे। इसमें बहुत बड़ा घपला है। अध्यक्ष महोदय, पूरे आर. सी. पी. में बहुत बड़े घपले यह अधिकारी ठेकेदारों से मिलकर वहां करते रहते हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। श्री रामसिंह विश्नोई।

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, यह सितम्बर सन् 80 में जिस पार्टी को टेण्डर दिये गये थे क्या जनवरी, 81 में टेण्डर 22 प्रतिशत रिवाइज करके उसी पार्टी को दिये गये या किसी दूसरी पार्टी को, यह बतावें ?

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, जो सितम्बर, 1980 में टेण्डर काल किये गये थे ....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, माननीय सदस्य, बातें नहीं करें।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : यह जो इन्फार्मेशन मेरे पास आई है....

श्री भंवरलाल शर्मा : हां, जल्दी जल्दी बोलें।

(व्यवधान)

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : कल को आप कह देंगे कि मारवाड़ी में बोलें।

एक माननीय सदस्य : अंग्रेजी में बोल लें।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, Tenders were called in September 1980 I seek your permission to speak in English, Other tenders were called in May and June, 1981.

श्री यदुनाथसिंह भा : अध्यक्ष महोदय, हमारे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है।

श्री अध्यक्ष : सितम्बर, 80 में जो टेण्डर मांगे गये उसके पश्चात् 1981 में मई में टेन्डर आमन्त्रित किये गये।

श्री भंवरलाल शर्मा : आप चाहें तो हिन्दी में बोल कर बताइये कि क्या कारण हो गये। हिन्दी में ही बोलें

श्री अध्यक्ष : कभी कभी, माननीय सदस्य, अंग्रेजी में बोल लेते हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, राज्य सभा में और लोक सभा में यह सुविधा है कि जो जिस भाषा में बोलता है उसका ट्रान्सलेशन हो जाता है उसी वक्त।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य बीच में व्यवधान नहीं करें।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को कहना चाहूंगा कि अनेक सदस्यों में ही आपस में काफी मतभेद है कुछ तो कहते हैं कि अंग्रेजी में बोलें और कुछ कहते हैं कि आप हिन्दी में बोलें।

Page No 14

(5)

श्री यदुनाथ सिंह : आप तो मिली-जुली बोलो। हिन्दी अंग्रेजी में।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका एक उदाहरण देना चाहूंगा। अभी, माननीय सदस्य, श्री रामसिंहजी विश्नोई ने पूछा है उसमें वैसे मुझे तो कोई दिक्कत नहीं हैं। 15 वें डिवीजन में मैन्यूफैक्चरिंग and supplying of Pucca Tiles and Bricks at klin, R. D. 1072:–

Tenders, date of receipt 9.6.80

Due on 21.7.80.

Date of receipt of teneders 18. 9.80

Percentage rates on which sanctioned with reference to B. S. R. 20% above 1978,

अध्यक्ष महोदय, अभी जो यह फर्मा रहे हैं उसमें अगर आप आब्जरवेशन से देखें तो कैनाल में चार कम्पोनेन्ट्स होते हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : इसमें करेज, मिक्सिंग अब आप कहेंगे कि मिक्सिंग में कितना पर्सेन्ट होता है इसमें 70 प्रतिशत और 30 प्रतिशत होता है। अब मैन्यूफैक्चरिंग आफ कच्चा टाइल्स है और अब आप देखिये कि कोल है जैसे तो काल कम्पोनेन्ट के प्राइसेज कितने बढ़े, इनकी रेट्स बढ़ी हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री सुनील विश्नोई(सूरतगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं बहुत ही इम्पार्टेन्ट प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जवाब दिया है मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं तो सदन की कार्यवाही से पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं।

श्री सुनील विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, बहुत ही इम्पार्टेन्ट प्रश्न है। मैं यह पूछना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, वहां पर कैनाल एरिया में बहुत गड़बड़ी है वहां पर एक-एक एकस. ईएन. के पास दो दो डिवीजन्स के चार्ज होते हैं और वे लोग गड़बड़ी करते हैं....

(व्यवधान)

श्री राम कंवार बैरवा (फागी) : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि इन्होंने जो टेण्डर की बात बताई तो इसमें क्या लास्ट रेट जिस टेण्डर वाले की थी उसने काम करने से इन्कार कर दिया था जो शिड्यूल रेट थी उससे अबव रेट पर देने में क्या कारण थे ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपने उत्तर नहीं सुना मई और जुलाई में टेण्डर आये थे वह 20 प्रतिशत आबव आये थे।

(व्यवधान)

(श्री अध्यक्ष)

आर्डर, आर्डर।

श्री सुनील विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, वहां पर काम करने वालों की कोई कमी नहीं है, पर चूंकि एक-एक एक्स. ईएन. के पास दो-दो तीन-तीन जगह का काम होता है इसलिये वहां पर ऐसा हो रहा है। बहुत बड़े घपले हो रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है, माननीय सदस्य।

अगला प्रश्न। श्री मेघराज तावड़।

भरतपुर जिले में महिला आश्रम सदन से फरार आवासनियां

386. **श्री मेघराज तावड़** (गोगुन्दा) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला भरतपुर में महिला आश्रम सदन से गत दो वर्षों में कितनी आवासनियां फरार हुईं ?

(2) क्या भरतपुर के जिलाधीश ने इस सम्बन्ध में जांच कर लिखित रिपोर्ट निदेशक, समाज कल्याण को भेजी है ? यदि हां, तो रिपोर्ट कृपया सदन की मेज पर रखें।

(3) विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

राज्य मंत्री, समाज कल्याण विभाग (श्री चेतराम मीणा) : (1) भरतपुर स्थित जिला आश्रम गृह से दो वर्षों में तीन महिलायें पलायन कर गयीं।

श्री यदुनाथ सिंह : पलायन कर गयीं या निकाल दी गयीं, साहब ?

श्री चेतराम मीणा : (2) जिलाधीश, भरतपुर द्वारा सिर्फ श्रीमती पुष्पा के पलायन के बारे में प्राथमिक जांच करायी गयी थी। अभी जांच पूर्ण नहीं हुई है अतः प्राथमिक जांच प्रतिवेदन की प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखना तथ्यात्मक जांच के हित में नहीं होगा।

(3) विभाग द्वारा इसकी प्रारम्भिक जांच करली गयी है और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सी० सी० ए० नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है।

श्री मेघराज तावड़ : अध्यक्ष महोदय, ये तीन महिलायें जो पलायन कर गयीं वह किस कारण से पलायन कर गयीं ? इसका उत्तर दें।

श्री चेतराम मीणा : अध्यक्ष महोदय, तीन महिलायें, श्रीमती फरीदा 6–7–80 को रात को पलायन कर गयी थी और आश्रम गृह का कुछ सामान लेकर चली गयी, दुबारा पकड़ ली गयी और पुलिस की कस्टडी में है। दूसरी, श्रीमती नगीना, वह तारीख की पेशी पर बयाना जा रही थी तब अज्ञात व्यक्तियों द्वारा जबर्दस्ती ले जायी गयी और वह अब तक नहीं मिल पायी है।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : यह कब की बात है ?

Page No 16

श्री चेतराम मीणा : यह 14–1–81 की बात है और उसकी एफ०आई०आर० दर्ज करा दी गयी। तीसरी श्रीमती पुष्पा 8–5–81 की रात्रि को सुबह 4–5 बजे के लगभग....

एक माननीय सदस्य : क्या नाम लिया ?

श्री चेतराम मीणा : श्रीमती पुष्पा और वह अभी तक नहीं मिल पायी है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता।

श्री यदुनाथ सिंह : मुझे पता है, अध्यक्ष महोदय, क्या इन आवासनियों की ओर से इस सम्बन्ध में कोई शिकायत हुई है कि उनके साथ मिस बिहेव किया जाता है और उनकी हालत खराब की जाती है ?

श्री चेतराम मीणा : अध्यक्ष महोदय, ये सिर्फ महिलाओं के पलायन के बारे में प्रश्न था।

श्री यदुनाथ सिंह : कारण तो उसी से जुड़ा हुआ है। भरतपुर में आप पधारे थे, क्या हुआ था उसमें ? आपने क्या तथ्य पाये, आप स्वयं जांच करने गये थे ?

श्री चेतराम मीणा : अध्यक्ष महोदय, इन 3 महिलाओं के बारे में मैंने निवेदन कर दिया, वहां जो प्रबन्धक है, उसके बारे में कुछ समाचार मिले थे इसलिए वहां जांच करायी गयी, तो वहां पर खाने-पीने की व्यवस्था अव्यवस्थित मिली और वहां के इंचार्ज के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है।

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, वहां पर जिलाधीश....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : एक साथ नहीं, माननीय सदस्य। श्री यदुनाथ सिंह।

श्री यदुनाथ सिंह : को विरुद्ध शिकायत की थी। जिलाधीश के विरुद्ध इस तरह की शिकायत की और आप कह रहे हैं कार्यवाही की जा रही है। डेढ़ साल से ऊपर हो गया, वहां इसको लेकर बड़ा असंतोष है।

श्री चेतराम मीणा : अध्यक्ष महोदय. किसी जिलाधीश के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिसिंह कुम्हेर।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या यह सही है कि आवासनियों के साथ दुर्व्यवहार होता है, वह इतना बुरा व्यवहार है जो रेप की संज्ञा में आता है ? क्या यह सही कि मंत्री महोदय के पास शिकायत आयी है ? और क्या यह भी सही है कि आश्रम गृह का इंचार्ज पुरुष है ?

श्री चेतराम मीणा : भरतपुर आश्रम गृह का इंचार्ज श्री रोहित कुमार था, उसके खिलाफ शिकायत आयी थी, उसकी जांच की गयी और आवासनियों का मौके पर जाकर जब मेडिकल कराया गया तो कुछ इस तरह के तथ्य सामने आये कि उन्होंने आवासनियों के साथ दुर्व्यवहार किया है कानून की दृष्टि से....

श्री यदुनाथ सिंह : दुर्व्यवहार किया या रेप किया ?

श्री चेतराम मीणा : इस तरह की शिकायतें आयीं, आवासनियों का मेडिकल कराया और उनकी एफ०आई०आर० दर्ज करायी, उस व्यक्ति को कस्टडी में लिया गया है और कोर्ट से उसकी जमानत हो गयी है।

श्री मेघराज तावड़ : अध्यक्ष महोदय, बाहर के व्यक्ति भी वहां आते थे और....

श्री अध्यक्ष : शान्त रहें, आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

मैं इस पर इजाजत नहीं दूंगा। अंकित न हो।

श्री महावीर प्रसाद जैन : ××××

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है, बैठ जायं। मैं इजाजत नहीं दे रहा। अंकित न हो।

श्री महावीर प्रसाद जैन : ×××

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य, विराज जायें। अंकित नहीं हो रहा है, माननीय सदस्य। श्री यदुनाथ सिंह, यह अन्तिम पूरक प्रश्न होगा।

श्री यदुनाथ सिंह :भरतपुर का मामला नेशनल प्रेस में भी आया था और यह दो साल की सूचना मांगी है। इससे पहले भी एक घटना हुई है और एक टूरिस्ट ने नेशनल प्रेस में बदनामी की थी, उसको निकालकर धौलपुर तक ले जाया गया था, यह नेशनल प्रेस में खबर भी आयी।

(व्यवधान)

आपके यहां की थोड़े ही कह रहा है। आपके यहां तो इस प्रकार की वारदात होती रहती हैं, इसके लिए आप क्या कर हैं? और नेशनल प्रेस की बात की है, तो दूसरे देशों में भी इससे हमारी बदनामी होती है। आप इसके लिए क्या करने जा रहे हैं कि ऐसी घटना दुबारा न घटे?

श्री चेतराम मीणा : इस आवास गृह के लिए मैनेजमेन्ट कमेटी बनी हुई और सुपरिन्टेन्डेन्ट के खिलाफ शिकायत आयी थी, उसको सस्पेण्ड कर दिया गया है। अब वहां महिला अधीक्षिका काम कर रही हैं, उसके बाद कोई शिकायत नहीं है। दो साल पहले की बात कही, यह 2 साल के अन्दर का पूछा गया है, इससे पहले क्या हुआ, यह सूचना मेरे पास नहीं है।

श्रीमती विद्या पाठक : अध्यक्ष महोदय, महिलाओं से संबंधित सवाल है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। अगला प्रश्न। कृपया स्थान ग्रहण कीजिए।

श्रीमती विद्या पाठक : एक मिनट बोलने की इजाजत दें। मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहती हूं इस तरह की वारदातें बार-बार हो रही हैं, पिछले सदन में भी यहां इस तरह की काफी बातें बतायी गयीं। अब यह बताया गया कि इस हाउस की एक कमेटी है, आपने इस कमेटी को अब भी कान्स्टीट्यूट नहीं किया जिससे दूसरों से शिकायत मिलने से बचें। सदन

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्रीमती विद्या पाठक)
के सदस्य शिकायत करें और उनके कहने के उपरान्त भी आप कोई कार्यवाही नहीं करें और कहें कि ऐसा हुआ, यह तो एक बड़ी विचित्र बात है और सदन में महिलाएं बहुत कम बोलती हैं और बैठी रहती हैं लेकिन....

(व्यवधान)

श्री चेतराम मीणा : माननीय सदस्या को मालूम होना चाहिए, इस कमेटी का गठन मेरे कार्यभार संभालने के पश्चात् कर दिया गया है।

(अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री हीरा लाल आर्य। श्री दाऊदयाल जोशी।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : आप मुझे इजाजत दें।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर तैयार है मेरे पास। क्योंकि रेलेवेन्ट प्रश्न कोटा से है और दोनों सदस्य आज पधारे हुए हैं, अडवाणी के विजिट पर।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आप तो जवाब दीजिए, हम आपको उतना ही....

कोटा जिले में उपनिवेशन क्षेत्र में आवंटित भूमि

387. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** (उदयपुर) [**श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) व **श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद) की अनुपस्थिति में] : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला कोटा में दिनांक 28 जनवरी, 1981 से 16 सितम्बर, 1981 तक कुल कितनी जमीन किस कीमत पर आवंटित की गयी ? क्या यह सही है कि नगरपालिका क्षेत्र के आस-पास के गांवों में चौगुनी रकम पर जमीन आवंटित की गयी ? यदि हां, तो क्यों ? यह बढ़ी कीमत कब तक जारी रही ?

(2) मांगरोल तहसील के अन्तर्गत किस व्यक्ति के नाम, किस खसरा नम्बर की कितनी जमीन, किस दर से, कुल कितनी रकम बनी और उक्त समय में अलाट की गयी ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या सरकार उपरोक्त समय में चौगुनी कीमत पर अलाट की गयी जमीन की कीमत को निरस्त कर अब उन किसानों से वाजिब रेट ही वसूल करेगी ?

राज्य मंत्री उपनिवेशन (श्री नरेन्द्र सिंह भाटी) : (1) चम्बल सिंचाई परियोजना क्षेत्र में दिनांक 18–1–81 से 16–9–81 तक 978 व्यक्तियों को कुल 4828 बीघा भूमि 23,76,296 रुपये की कीमत पर आवंटन की गयी। नगरपालिका क्षेत्र बढ़ी हुई दर का आधार नहीं था। नियमानुसार 11–3–81 तक 10000 या उससे अधिक आबादी वाले नगरों/कस्बों की परिधि में स्थित भूमि की कीमत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से आरक्षित मूल्यों का दुगुना और अन्य व्यक्तियों से आरक्षित मूल्यों का चौगुना वसूल करने का प्रावधान था। दिनांक 11–3–81 को सम्बन्धित नियम में संशो-

(श्री नरेन्द्रसिंह भाटी)
धनानुसार केवल कोटा नगर की 12 किलोमीटर की परिधि में स्थित भूमि पर ही उपरोक्त बढ़ी हुई दरें लागू रहीं।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(3) जी नहीं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, सूची तो सदन के पटल पर रख दी, ठीक है लेकिन मैं पूछना चाहता हूं मांगरोल तहसील के जो 85 गांव चम्बल कमाण्ड एरिया में आये हैं उनमें से कितने गांव ऐसे हैं जिनमें रिजर्व प्राइस से दुगुनी और चौगुनी कीमत वसूल की जा रही है। इसका आधार क्या है डिफरेन्स का ?

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मांगरोल तहसील की जनसंख्या 25 हजार है और एग्जेक्ट फिगर आप कहें तो मैं गिनकरवा दूं लेकिन अब वहां 11-3-81 से भूमि आवंटन किया जा रहा है। रिविजन के आधार पर यह तय किया गया है जो बड़े बड़े शहरों के पास है, क्योंकि कोटा शहर का अब एक्सपेन्शन इतना हो गया है कि एग्रीकल्चर लैण्ड की कीमत बढ़ गई है लेकिन शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिये जो डेफिनेशन थी कि डबल से ज्यादा नहीं किया जाय वह तो वैसे के वैसे ही रखा है और मांगरोल तहसील को तो इस संशोधन के बाद वहां के लोगों को उल्टा ज्यादा फायदा होगा।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न स्पष्ट है मांगरोल तहसील कोई कोटा में नहीं आती है। बहुत दूर है। मांगरोल तहसील के जो 85 गांव हैं उनमें 36 गांवों में रिजर्व प्राइस का दुगुना और और चौगुना वसूल किया जा रहा है। अन्ता में भी पहले आपने चार गुना लगाया है लेकिन बाद में घटाकर वसूल किया गया है लेकिन मांगरोल के जो 36 गांव हैं उनसे चार गुना वसूल क्यों किया जा रहा है ?

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अगर कोई स्पेसिफिक केसेज हों तो फर्मा दें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, बता रहा हूं 85 गांवों में से 36 से रिजर्व प्राइस से चार गुना पैसा लिया है।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : चार गुना किससे ?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : रिजर्व प्राइस का चार गुना अनुसूचित जाति और जनजाति के अलावा नहीं, सभी लोगों से लिया गया है। वह मैं कह रहा हूं। 36 गांवों के सभी लोग उसमें आ गये।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : कौनसे वर्ष का फर्मा रहे हैं ?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : प्रश्न में जो तारीख है 16 सितम्बर, 1981 तक। इस लिस्ट में भी हैं। उस गांव के सभी लोगों से है।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, 12 किलोमीटर कोटा की परिधि के अन्दर...

(20)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : 85 किलोमीटर कोटा से है मांगरोल। कहां कोटा की परिधि में आता है ?

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, अगर इस तहसील के कुछ गांव कोटा के 12 किलोमीटर की परिधि में आ जाते हैं, तो फोर टाइम्स लिया होगा और नहीं आते हैं, तो किसी से ले लिया है तो हम कार्यवाही करवा लेंगे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपसे बहुत दूर पड़ता है। स्थगित प्रश्न, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर। स्थान ग्रहण कीजिये। स्थगित प्रश्न।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, दुगुना और चौगुना पैसा वसूल कर रहे हैं।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : यह प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, आप इस प्रश्न की गहनता को समझ रहे हैं 36 गांवों के सभी लोगों से वसूल किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सदन का समय जा रहा है। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से जवाब तो दिलवायें....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : × × ×

श्री अध्यक्ष : अब इस पर टीका टिप्पणी नहीं होगी, आर्डर प्लीज।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : इन 36 गांवों के सभी लोगों से चार गुना पैसे वसूल किये गये हैं।

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न।

(व्यवधान)

मेरी सहानुभूति है आपके साथ लेकिन माननीय सदस्य समय का ध्यान नहीं रखते हैं; मेरी मजबूरी हैं।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, नियमों में संशोधन 12–1–82 के बाद कर दिया गया गया है। जिस जमीन का अलाटमेंट पहले हुआ था वसूली चाहे बाद में हुई है इसलिये दुगुना और चौगुना ही वसूल होगा–नियमों के अन्तर्गत। यह उत्तर दिया है मंत्री जी ने।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न। श्री देवीसिंह भाटी।

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 24 फरवरी व 5 मार्च, 1982)

तहसील कोलायत में किसानों से अवाप्त असिंचित भूमि की वापसी

36. **श्री देवीसिंह भाटी** (कोलायत) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि उपनिवेशन तहसील कोलायत नं० 1 से 4 में चक प्लान आ जाने के बाद भूमिहीन काश्तकारों को आवंटित 50 बीघा भूमि में से 25 बीघा भूमि अवाप्त की गई है जबकि मौके पर ऐसी भूमि में पानी नहीं लगता है ? यदि हां, तो ऐसे कितने काश्तकारों की कितनी कितनी भूमि अवाप्त की गई है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि कृषि विशेषज्ञों की राय के अनुसार 50 बीघा से कम असिंचित भूमि काश्तकार के लिये अलाभकार है ? यदि हां, तो उपरोक्त क्षेत्र में जहां मौके पर सिचाई नहीं होती, भूमि क्यों अवाप्त की जा रही है ?

(3) क्या सरकार द्वारा ऐसे मौके की असिंचित भूमि, जो कि अवाप्त कर ली गई है, काश्तकारों को वापस सिंचित होने तक दे दी जावेगी व भविष्य में सिंचित नहीं होने तक अवाप्त नहीं की जावेगी ?

राज्य मंत्री, उपनिवेशन (श्री नरेन्द्र सिंह भाटी) : (1) जी नहीं। कोई भूमि अवाप्त नहीं की गई है। वर्तमान नियमों के अनुसार किसी भी भूमिहीन काश्तकार को, उसकी स्वयं की यदि कोई भूमि हो को मिलाकर कुल 25 बीघा सिंचित भूमि आवंटित की जा सकती है। उपनिवेशन तहसील कोलायत नं० 1 से 4 के क्षेत्र में चक प्लान प्राप्त हो जाने के पश्चात् पूर्व में अस्थाई रूप से आवंटित 25 बीघा कमाण्ड से ऊपर की भूमि में से केवल 25 बीघा तक कमाण्ड भूमि का ही नवीनीकरण किया गया है। कोलायत तहसील 1 व 2 में कुल 314 काश्तकारों की 5844 बीघा भूमि उपरोक्त आधार पर कम की गई। सूची सदन की मेज पर दी गयी है।

(2) राजस्थान कालोनाइजेशन / राजस्थान नहर उपनिवेशन क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 की धारा 5 (2) और 15 (3) के अनुसार भूमिहीन काश्तकार को अधिक से अधिक 25 बीघा सिंचित अथवा 50 बीघा असिंचित भूमि आवंटन करने का प्रावधान है। ऐसा ही प्रावधान राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टे) शर्तें 4 (पी) और 8 में है। ये प्रावधान राजस्थान की कृषि भूमि समस्या और भूमिहीन काश्तकारों की संख्या को ध्यान में रखते हुए किया गया। 25 बीघा सिंचित भूमि अथवा 50 बीघा असंचित लाभकारी जोत मानी जानी उचित रहेगी।

(3) अस्थाई असिंचित भूमि के आवंटन को सिंचित भूमि के स्थायी आवंटन करते समय नियमित किया गया है अतः भूमि अवाप्त करने का प्रश्न नहीं उठता। विशिष्ट मामले अगर सरकार के ध्यान में लाये जावें तो उन पर उचित कार्यवाही की जा सकती है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने प्रश्न के उत्तर में

(श्री देवीसिंह भाटी)

बताया कि इस प्रकार से कोई भूमि ग्रवाप्त नहीं की जा रही है । ग्रध्यक्ष महोदय, मेरा पहला प्रश्न यह था कि जो ग्रस्थायी भूमिहीन काश्तकार को जो ग्रावंटन किया जाता है, तो क्या जिनकी भूमि ग्रवाप्त की गई है वह मौके पर ग्राज भी सिंचित है ?

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : ग्रध्यक्ष महोदय, उपनिवेशन विभाग इरिगेशन डिपार्टमेंट को जब चक प्लान भेज देता है ग्रौर जब उसमें कमाण्ड ग्रौर उन क्लासीफाई कर देते हैं तो जो कमाण्ड एरिया हो जाता है वह हमारे हिसाब से सिंचित है । मैं मान सकता हूं किसी काश्तकार को तकलीफ होगी इसलिये मैंने जानकर कहा है कोई स्पेसिफिक केस हो तो देख सकते हैं ग्रौर दूसरी जमीन दे सकते हैं लेकिन यह कहना समान लैण्ड टी. सी. में मानकर पूरा एरिया सिंचित हो जाय, उसमें मैं कमिटमेंट देने को तैयार नहीं हूं ।

श्री देवीसिंह भाटी : ग्रध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जिस प्रकार से विभाग ने सूची दी है क्या इन 314 काश्तकारों की किसी भी भूमि में ग्राज के दिन मौके पर पानी लग रहा है, इसका उत्तर दे दीजिए, एक भी काश्तकार का ? ग्रध्यक्ष महोदय, इन्होंने फर्माया है कि ऐसा ग्राप स्पेसिफिक केस बता दें कि जिसके ऊपर हम विचार कर लेंगे ग्रौर देखेंगे । मैं कहता हूं कि तहसील कोलायत नम्बर 1 ग्रौर 2 में जिस प्रकार 314 काश्तकारों को भूमि ग्रवाप्त की गयी है उनके एक भी खेत के ऊपर पानी नहीं लग रहा है । जब हम यह मानते हैं कि कृषि विशेषज्ञ की राय के ग्रनुसार 50 बीघा से कम ग्रसिंचित भूमि ग्रलाभकारी मानी गयी है । जिस प्रकार से यह सैद्धांतिक रूप से मान लिया गया है ग्रौर जैसे ही हमें इरिगेशन डिपार्टमेन्ट की ग्रोर से प्लान प्राप्त हो जाता है कमाण्ड भूमि के, ग्रध्यक्ष महोदय, यह बहुत लम्बी राजस्थान कैनाल का ग्राखिर छोर तक का मसला है, यह नीति का मामला है तो जिस प्रकार से मौके पर पानी नहीं लगता तो क्या ऐसे काश्तकारों से भूमि ग्रवाप्त कर ली जाती है ?

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रापने जवाब दिया ना कि जमीन ऊंची नीची होती है इसलिए कई स्थान पर नहीं पहुंचता होगा लेकिन सिंचाई विभाग का ग्रन्दाजा यह है कि उसमें भूमि विकसित करो तो पानी पहुंच जायेगा ।

श्री देवीसिंह भाटी : ग्रध्यक्ष महोदय, मुझे कोई भी एक ऐसा ग्राउटलेट का उदाहरण दें । कोई भी एक ऐसे मोगे का, किसी भी ब्रान्च का तहसील नम्बर 1 ग्रौर 2 में जहां काश्तकारों को ग्राउटलेट लगा दिया हो । किसी भी काश्तकार के खेत में हमने ग्राउटलेट दे दिया हो तहसील नम्बर 1 ग्रौर 2 में जिसके बारे में जमीन ग्रवाप्त की है ।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : ग्रध्यक्ष महोदय, मेरी इन्फार्मेशन के हिसाब से जब यह एरिया कमाण्ड डिक्लेयर हुग्रा तो वहां के लोगों को यह जो सदस्य फर्मा रहे हैं, ग्रध्यक्ष महोदय, यह सब जमीनें—मैं एक सैकेण्ड में ग्रापको ग्रर्ज कर दूं, ग्रध्यक्ष महोदय, यह सब जमीनें टेम्प्रेरी ग्रलाटमेन्ट के हिसाब से ग्रलाट की गयी थीं । ग्रब इसमें

(श्री नरेन्द्रसिंह भाटी)
क्या कारण हैं ? हमारे सामने कुछ तथ्य आये थे उनकी हम इन्क्वायरी करवा रहे हैं लेकिन जहां तक इरिगेशन का पानी वहां तक पहुंचता है या नहीं पहुंचता या पहुंच सकता है या नहीं पहुंच सकता है आप कहें तो जांच करवा लेता हूं, अध्यक्ष महोदय....

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, जानकारी के लिए ही तो मैंने पूछा था....

श्री अध्यक्ष : जानकारी बता दी ना।

श्री देवीसिंह भाटी : फिर दुबारा पूछ लूंगा अभी जानकारी नहीं है तो। मेरे क्षेत्र में किसानों की मूल समस्या यही है। अस्थाई भूमि आवंटन जिस प्रकार से लैण्डलैस काश्तकार को दी जाती है, तो जब तक भूमि के अन्दर पानी नहीं लग जाय, अध्यक्ष महोदय, तब तक वह असिंचित भूमि को 50 बीघा तक काश्त करेगा और जिस प्रकार की यह शर्तें इस विभाग की हैं जब भूमि में पानी लग जाय तभी वह 25 बीघा भूमि अवाप्त करेगा। अध्यक्ष महोदय, मौके पर पानी नहीं लगता और कागजों में चक प्लान घोषित हो जाय और इरिगेटेड लैण्ड घोषित हो जाय तो मेरे पूछने का प्रश्न फिर क्या रह जाता है ?

श्री अध्यक्ष : बड़ी रात का बड़ा सवेरा होता है तो थोड़ा टाइम लगेगा। बड़ा प्रोजेक्ट है, भूमि को विकसित करना पड़ेगा, नालियां पहुंचानी पड़ेंगी।

श्री देवीसिंह भाटी ; अध्यक्ष महोदय, मैंने 11 माह पूर्व प्रश्न दिया। पूर्व में भी मंत्री महोदय और सरकार के ध्यान में लाया....

श्री अध्यक्ष : किसी और तरीके से उठायें, माननीय सदस्य।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, काश्तकार मर रहे हैं। उनकी भूमि अवाप्त कर ली। उनको सन् 1974–75 में भूमि अलाट हुई और उसके अन्दर उन्होंने झोंपड़ी और कुण्ड बनाकर जमीन को लेवल किया....

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी को मौके पर ले जाकर बताओ।

श्री देवीसिंह भाटी : हमने बताया, अध्यक्ष महोदय, मैंने बच्चू कालोनी के अन्दर माननीय मंत्री महोदय को निवेदन किया कि आप चलिये मौके पर मैं बताता हूं कि कौन काश्तकार मेहनत करता है और कौन जमीन लेवल करता है। यह तो यों ही चलता रहेगा यह उत्तर दिया, अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने, अध्यक्ष महोदय, उस क्षेत्र के काश्तकारों की तकलीफ को कोई भी देखने के लिए तैयार नहीं है....

श्री अध्यक्ष : अब ठीक करेंगे ऐसी आशा लेकर चलते हैं।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, बच्चू का जो विवरण दिलवा रहे हैं सफाचट है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री सुनील कुमार।

श्री सुनील बिश्नोई : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो समस्या देवीसिंह जी ने उठाई है यह कालोनाइजेशन एरिया की बहुत बड़ी

Page No 24

(५)

(श्री सुनील विश्नोई)

समस्या है। ऐसे कितने काश्तकार हैं जिन को जमीन अलाट हुई है ? मौके पर अनकमाण्ड से कमाण्ड की किश्तें ली जा रही हैं तो जब उसके यहां पानी नहीं लगता, पैदा नहीं होगी तो कहां से किश्त देगा ? इसके बारे में क्या आपने विचार किया ?

श्री अध्यक्ष : इसके बारे में मंत्री महोदय विचार कीजिए। दोनों कैनाल प्रोजेक्ट के एम० एल० ए० साहबान यह शिकायत कर रहे हैं, तो कृपया इसका गहराई से अध्ययन करें आप। प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

श्री देवीसिंह भाटी : मंत्री महोदय कतई ध्यान देने के लिए तैयार नहीं हैं, अध्यक्ष महोदय। काश्तकारों को मारना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, उनकी समस्या की तरफ कोई भी ध्यान देने के लिए तैयार नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, स्थगित प्रश्न है। बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष : हां, स्थगित प्रश्न भी अवशेष हैं

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप देखें तो सही। प्रश्न को तो पढ़िये आप।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। मेरे लिए सम्भव नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप देखें तो सहीं। नजर तो डालें आप। नहीं तो स्थगित कर दीजिए।

श्री अध्यक्ष : स्थगित अब नहीं हो सकता।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : स्थगित किया है।

श्री अध्यक्ष : नियम यही है कि सबके बाद में लिया जाता है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, आप देखिये तो राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम वाले टायरों के संबंध में है।

श्री अध्यक्ष : पूरक प्रश्न नहीं होंगे। इसका उत्तर दे दिया जाय।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट में निवेदन कर दूं। यह प्रश्न इसलिए स्थगित किया गया था। फर्द मैंने मांगी थी तो मंत्री महोदय ने यह कहकर कि जनहित में नहीं है, पेश नहीं की। इसलिए स्थगित किया था, उपाध्यक्ष महोदय, ने....

श्री अध्यक्ष : अगर पेश नहीं करनी है जनहित में तो आज भी वही जवाब आयेगा। राज्य सरकार को ऐसा अधिकार है....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : पूरक प्रश्न तो पूछने ही पड़ेंगे दो-तीन इसमें।

श्री अध्यक्ष : पूरक प्रश्न अलाऊ नहीं होंगे। आप चाहें तो उत्तर दिलवा सकता हूं। पूरक प्रश्न की इजाजत नहीं दूंगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उत्तर तो दिलाग्रो साहब ।

श्री ग्रध्यक्ष : इसमें व्यवस्था यह दी गयी थी कि पीठासीन व्यक्ति फर्द बरामद को मंगाकर देख लेंगे। मैं देख लूंगा । यदि उसके बाद में ग्रापको कोई शंका हो तो मुझसे बात कर लें, सुझाव दे दें । ग्रोरिजिनल है वह मैं देख सकता हूं क्योंकि इन्होंने प्रिविलेज क्लेम किया है इसलिए....

(व्यवधान)

ग्राप चाहें तो मैं उत्तर दिला सकता हूं....

श्री यदुनाथ सिंह : ग्रध्यक्ष महोदय, फर्द की तो कापी दी जाती है। सीक्रेट डाकूमेन्ट तो है नहीं।

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रब इसमें वाद विवाद नहीं होगा। यदि, माननीय सदस्य, चाहें तो उत्तर दिला सकता हूं ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : ग्रध्यक्ष महोदय, यह तो बहुत बड़ा ग्रन्याय है ।

श्री यदुनाथ सिंह : ग्रध्यक्ष महोदय, यह प्रिविलेज्ड डाकूमेन्ट नहीं है । फर्द की तो कापी दी जाती है ।

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रार्डर प्लीज । इसीलिए मैं माननीय सदस्यों को बार बार निवेदन करता रहता हूं कि समय का कृपया ध्यान रखें । इसका ग्रब कोई इलाज नहीं है । ग्रार्डर, ग्रार्डर । ग्राप यदि चाहें तो मैं उत्तर लिखित में पढ़कर सुना देता हूं ग्रौर उसके पश्चात् जो फर्द है, जिसके ऊपर स्टेट गवर्नमेन्ट ने प्रिविलेज क्लेम किया है उसको में देख लूंगा । उसके बाद ग्राप मुझे बता देंगे कि यह इनमें गलतियां हो सकती हैं । उसके बारे में मैं उस दृष्टि से उन फर्दों को देख सकता हूं । ग्रार्डर प्लीज, माननीय सदस्य ग्रौर टाइम जा रहा है । इसमें मैं इजाजत नहीं दूंगा । ग्राप चाहें तो मैं प्रश्न का उत्तर दिला सकता हूं ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : ग्रध्यक्ष महोदय, इतना बड़ा ग्रन्याय मत करो । 20 लाख रुपये का घोटाला हो गया....

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रार्डर, माननीय सदस्य । लाखों ग्रौर करोड़ों का होगा लेकिन समयावधि का सवाल है ।....ग्रार्डर प्लीज । मैं प्रश्न का उत्तर पढ़वा देता हूं....ग्रार्डर, ग्रार्डर....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : फिर स्थगित कर दें ।

श्री ग्रध्यक्ष : दुबारा स्थगित नही होगा । इस तरह से सब वही प्रश्न दुबारा ग्राते रहेंगे । यह मेरे विवेक पर छोड़िये । ग्रार्डर प्लीज । यदि ग्राप चाहें तो मैं उत्तर दिला सकता हूं ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : एक पूरक प्रश्न पूछूंगा, साहब ।

श्री ग्रध्यक्ष : नहीं । ग्राप समय का ध्यान रखिये । उत्तर पढ़ दीजिए उसके बाद में ग्राप मुझसे मिल लें । ग्रापको कोई एतराज है सेटिस्फाई कर लूंगा ग्रपने ग्रापको फर्द हमारे पास पहुंच....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : एक प्रश्न पूछूंगा ।

श्री अध्यक्ष : नहीं ।

(दिनांक 23 फरवरी, 1982)

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा टायरों के बेचान से संबंधित प्रकरण

5. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य पथ परिवहन निगम में टायरों को रद्दी बताकर बेचने में घोटाले का मामला प्रकाश में आया है ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

(2) इस घोटाले में कितने टायर जब्त किये गये हैं तथा वे कितने मूल्य के हैं ? इनको पहले रद्दी बता कर कितने रुपयों में नीलाम किया गया था तथा इनकी वास्तविक कीमत क्या आंकी गयी है ?

(3) निगम द्वारा पिछले दो साल में कितने टायर खरीदे गये हैं ? निगम द्वारा पिछले तीन वर्षों में खरीदे गये तथा रद्दी में बेचे गये टायरों का मूल्य क्या है ? सूची वर्षवार सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(4) भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा इस संबंध में दर्ज किए गए मुकदमे की प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति तथा फर्द जब्ती की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

राज्य मंत्री, यातायात (श्री जयकृष्ण शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, 23 फरवरी को मैंने विधान सभा में उत्तर दिया था वही उत्तर है ।

(1) जी हां । इस मामले पर भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा जांच की जा रही है ।

(2) 2999 टायर भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा जब्त किये गये हैं । निगम द्वारा प्रति नाकारा टायर चालीस रुपये में नीलाम किया गया है । इन टायरों की वास्तविक कीमत निर्धारण समिति द्वारा 38) रुपये प्रति टायर आंकी गई है । वर्तमान में अन्वेषण चल रहा है ।

(3) वांछित सूचना सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी गई है ।

(4) भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में दर्ज किये गये मुकदमे की प्रथम सूचना की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है । फर्द जब्ती एक महत्वपूर्ण अभिलेख है । प्रकरण के अन्वेषण की समाप्ति तक इस अभिलेख को जनहित में प्रस्तुत करना उचित नहीं है ।

(सूचना के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, केवल एक पूरक प्रश्न ।

श्री अध्यक्ष : मैं इजाजत नहीं दूंगा ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मंत्री महोदय....

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो ।

Page No 27

श्री घनश्याम तिवाड़ी : × × ×

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं होगा, माननीय सदस्य।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : × × ×

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर, माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : × × ×

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

प्रश्नकाल समाप्त हुआ। स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं एक मिनट लूंगा, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : अब इजाजत नहीं दूंगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इन नाकारा टायरों की जांच....

श्री अध्यक्ष अंकित न हो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य....माननीय सदस्य....कृपया नियमों का ध्यान रखें....आसन के आदेशों का पालन करें। आप डिमाण्ड पर बोल लीजिए, कृपया....

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह सदस्यों का अधिकार है, अध्यक्ष महोदय, कि वह सप्लीमेंट्री कर सकते हैं। हर सदस्य का अधिकार है....

श्री अध्यक्ष : नियमों के अन्तर्गत अधिकार है। मैं नियमों से अच्छी तरह से परिचित हूं।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। आप इसको अपनी डिमाण्ड के द्वारा या अन्य किसी तरीके से उठा सकते हैं। बहुत से तरीके हैं। इस तरह से नहीं आएगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : एक प्रश्न भी हीं पूछने देंगे ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : + + + अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : गलत आप कह रहे हैं। कृपया स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

चेयर इज आन लेग, माननीय सदस्य।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा महत्वपूर्ण मामला है।

श्री अध्यक्ष : यहां पर बड़े मामले ही आते हैं। छोटे मामले कौन से आते हैं। बहुत से अन्य माध्यम हैं जिनसे उठा सकते हैं। आर्डर आर्डर, माननीय सदस्य। आप समय ले रहे हैं, माननीय सदस्य....आसन पैरों पर है, मैं इजाजत नहीं दूंगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : एक प्रश्न की भी इजाजत नहीं देंगे ? इतने बड़े घपले में....

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

Page No 28

(50)

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : × × ×

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जावें....कृपया बिराज जावें ।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है, माननीय सदस्य, बिराज जावें ।

श्री भंवरलाल शर्मा : एक सैकेण्ड में निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है इसलिए मैं इजाजत नहीं दूंगा । कृपया शांति से व्यवस्था सुनिए ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, सुनें तो सहीं ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर, आसन व्यवस्था दे रहा है ।

श्री भंवरलाल शर्मा : स्थगित प्रश्नों के लिए 15 मिनट का समय होता है ।

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्नों के लिए कोई समय निर्धारित नहीं है । अंत में रखे जाते हैं । यह मैं देखता हूं । समय तो मैं देता हूं । दस मिनट लिए जाते हैं आज छ: मिनिट हो गए ।

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट में निवेदन कर दूंगा ।

श्री अध्यक्ष : बैठ जावें, माननीय सदस्य, कृपया ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, + + +

श्री अध्यक्ष : + + + काट दिया जावे, अध्यक्ष के प्रति जो कहा है ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : काटेंगे क्या जब रिकार्ड नहीं हो रहा है ?

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

बेगूं पंचायत की नगरपालिका में क्रमोन्नति

381. **श्री घनश्याम जैन** (बेगूं) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) चित्तौड़गढ़ जिले की बेगूं पंचायत को नगरपालिका का क्षेत्र बनाये जाने हेतु दिनांक 28 फरवरी, 1975 को कोई उद्-घोषणा की गई थी ?

(2) यदि हां, तो उस उद्‌घोषणा के बाद क्या प्रक्रिया काम में ली गई एवं अब यह प्रकरण किस स्थिति में है ?

(3) क्या अब भी राज्य सरकार बेगूं पंचायत को नगरपालिका में क्रमोन्नत करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) नियमानुसार कार्यवाही की जाकर अब ग्राम पंचायत बेगू को नगरपालिका घोषित किये जाने के लिए अन्तिम विज्ञप्ति जारी किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

(3) जी हां। यथाशीघ्र कार्यवाही पूर्ण कर ली जायेगी।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जैसलमेर जिले के घास वितरण केन्द्र

313. श्री चन्द्रवीरसिंह (जैसलमेर): क्या अकाल राहत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला जैसलमेर में गत वर्ष कितने घास विक्रय केन्द्र खोले गये एवं उन पर कितना घास विक्रय किया गया एवं किस दर पर ?

(2) क्या यह सही है कि जिला प्रशासन ने स्वयं चारा विक्रय केन्द्र न खोलकर सरपंचों पर दवाव डाला कि वे घास ले जाकर वितरण करने की व्यवस्था करें? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि इस व्यवस्था के अन्तर्गत जिले के दूर-दराज गांव में घास की कीमत 50/–रुपये से 60/–रुपये प्रति क्विन्टल पड़ी जिसके कारण जिले की अकाल पीड़ित जनता यह महंगा घास नहीं खरीद सकी, फलस्वरूप जिले में भारी पशुधन की क्षति हुई ?

उत्तर

(1) जिला जैसलमेर में गत अभाव वर्ष में 36 चारा विक्रय केन्द्र खोले गये थे जिनके द्वारा निम्नांकित मात्रा में चारा बिना लाभ-हानि के आधार पर बेचा गया था :—

क्र. सं.	किस्म चारा	मात्रा क्वि. में	दर रु०
1.	घास	10,686.64	खुला घास प्रथम 15/–रु० बाद में 20/–रु० व 25/–रु० प्रति क्विटंल घास के गट्ठे प्रथम 25/–रु० बाद में 30/–रु० प्रति क्विन्टल
2.	कुतर	321.95	प्रथम 36/–रु० बाद में 40/–रु० प्रति क्विन्टल
3.	खाखला	82.30	50/–रु०

योग :—11090.89

(2) जी नहीं। प्रश्न के भाग संख्या 1 में वर्णित मात्रा में चारा विक्रय डिपो खोले जाकर उपरोक्त अंकित मात्रा में चारे का विक्रय किया गया था। जिला जैसलमेर के सरपंचों द्वारा बिना लाभ बिना हानि के आधार पर चारा वितरण किये जाने की इच्छा प्रकट की गई थी और उनकी मांग के अनुसार उन्हें रु० 3000 से 5000 तक का ब्याज मुक्त ऋण इस हेतु जिलाधीश ने उपलब्ध कराया था। चूंकि सरपंचों द्वारा बिना लाभ बिना हानि चारा विक्रय किया जाता था अतः ग्रामों की दूरी के परिप्रेक्ष

(अकाल राहत मन्त्री)
में उनके द्वारा विक्रय किये गये चारे की दर को महंगा होना नहीं कहा जा सकता।

राज्य सरकार के पास इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है कि जिला जैसलमेर में सरपंचों द्वारा महंगी दर से चारा बेचा गया है और अकाल से प्रभावित पशुपालक उसे क्रय करने में असमर्थ रहे हों और इस कारण उन्हें पशुधन की क्षति हुई हो।

कस्बा सांगानेर के बाढ़ग्रस्त नाले का पुनर्निर्माण

314. श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर): क्या अकाल राहत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कस्बा सांगानेर के बाढ़ग्रस्त नाले के पुन: निर्माण की क्या योजना है ?

(2) इस योजना के अन्तर्गत क्या-क्या काम किये जायेंगे व इसके निमित्त कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

(3) यह कार्य किस विभाग द्वारा आरंभ कर कब पूरा कर दिया जायेगा ?

(4) जुलाई, 1981 से अक्टूबर, 1981 तक इस नाले पर कितनी धनराशि व्यय की गयी ?

(5) उक्त अवधि में यह नाला कितनी बार टूटा ?

उत्तर

(1) कस्बा सांगानेर के बाढ़ग्रस्त नाले पर पुल बनाने का कार्य स्वीकृत किया जा चुका है और पुल एवं निर्माण निगम द्वारा यह कार्य शुरू भी किया जा चुका है।

(2) इस योजना के अन्तर्गत पुल निर्माण किया जाना है जिसके लिए 40.00 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है।

(3) यह कार्य पुल एवं निर्माण निगम द्वारा प्रारम्भ कर दिया गया है। यह कार्य दिसम्बर, 1982 तक पूर्ण होने की सम्भावना है।

(4) जुलाई, 1981 से अक्टूबर, 1981 तक इस नाले पर मार्ग बनाने एवं उसके रख रखाव पर 4,58,441/– रुपये व्यय हुए हैं।

(5) उक्त अवधि में ऊपर वर्णित उपमार्ग को दो बार आंशिक रूप से क्षति पहुंची थी।

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र कठूमर के ग्रामों का विद्युतीकरण

315. श्री बाबूलाल बैरवा (कठूमर): क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) विधान सभा क्षेत्र कठूमर में कितने ग्राम विद्युतीकरण के लिए स्वीकृत किये जा चुके हैं ? कृपया इनकी सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) स्वीकृत ग्रामों में से कितने ग्रामों में बिजली दी जा चुकी है तथा कितने ग्राम शेष हैं ? कृपया इनकी सूची अलग सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या विधान सभा क्षेत्र कठूमर में और भी ऐसे ग्राम है जिन्हें विद्युतीकृत किया जावेगा ? यदि हां, तो ग्रामों की सूची कृपया सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र कठूमर के एक कस्बा सहित कुल 80 ग्राम विद्युतीकरण के लिए स्वीकृत किये जा चुके हैं जिनकी सूचियां "अ" व "ब" सदन के पटल पर रख दी गई हैं।

(2) उक्त स्वीकृत ग्रामों में से माह फरवरी, 82 तक 48 ग्राम व एक कस्बे का विद्युतीकरण किया जा चुका है तथा 31 ग्रामों का विद्युतीकरण करना शेष है। अलग-अलग सूचियां "अ" व "ब" सदन के पटल पर रख दी गई हैं।

(3) जी हां। योजना का प्रारूप विचाराधीन है। स्वीकृति से पूर्व गांवों की सूची बताना संभव नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 4 देखें।)

गंगानगर तहसील के कोनीराणूका, श्रोड़की ग्राम का विद्युतीकरण

316. **श्री मनफूल राम** (केसरीसिंहपुर): क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

गंगानगर तहसील के गांव कोनी राणुका, श्रोडकी में जहां कि 90 प्रतिशत हरिजन रहते हैं, कब तक बिजली उपलब्ध करवा दी जावेगी?

उत्तर

श्री गंगानगर तहसील के गांव राणुका (चक 7 डी) (कोड नं. 1/2/10) तथा श्रोडकी (कोड नं. 1/2/44) क्रमश: दिनांक 27-9-81 व दिनांक 21-2-74 को बिजली उपलब्ध करा दी गई है। ग्राम कोनी (5पी) (कोड नं. 1/2/70) विद्युतीकरण हेतु स्वीकृत नहीं है। अत: अभी इसमें बिजली उपलब्ध कराने के संबंध में निश्चित रूप से कुछ कहना सम्भव नहीं है।

कोटा थर्मल प्लान्ट यूनिट 2 के लिए योजना में प्रावधान

317. **श्री रामकिशोर मीणा** (सिकराय): क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) कोटा थर्मल प्लान्ट यूनिट (2) के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है?

(2) इस प्लान्ट के लिए आवश्यक मशीनरी के क्रय के लिए क्या-क्या कार्यवाही की गई है?

(3) यह प्लान्ट कब तक बिजली का उत्पादन प्रारम्भ कर सकेगा?

उत्तर

(1) कोटा थर्मल प्लांट यूनिट 2 से सम्भवत: अभिप्राय: कोटा थर्मल परियोजना के द्वितीय चरण से है। कोटा थर्मल परियोजना के द्वितीय चरण के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में 160 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

(2) द्वितीय चरण के प्रथम यूनिट के लिये बायलर व टरबो जनरेटिंग सैट्स के क्रय आदेश तथा वांछित अग्रिम राशि मैसर्स भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को दिये जा चुके हैं।

(3) वर्तमान लक्ष्यों के आधार पर द्वितीय चरण के प्लांट से बिजली का उत्पादन सातवीं पंचवर्षीय योजना में प्रारम्भ होने की संभावना है।

Page No 32

(32)

भीलवाड़ा नगर में कृषि भूमि में काटे गये भूखण्ड

318. श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

भीलवाड़ा नगर में सन् 1980–81 व 1981–82 में किन व्यक्तियों को कृषि भूमि के टुकड़े कर भू-खण्ड काटे और ये भू-खण्ड किनको कितने में रजिस्ट्री कर बेचे गये ? इन बेची गई भूमियों में से ऐसी कितनी व कौन-कौनसे रकबे की किस-किस की भूमि है जिसे नगर परिषद् व नगर विकास विन्यास ने अवाप्त करली या कार्यवाही जारी है ?

उत्तर

भीलवाड़ा नगर में सन् 1980–81 में कुल 19 व्यक्तियों को कृषि भूमि के टुकड़े कर भू-खण्ड काटे गये और तहसीलदार द्वारा अन्य निजी व्यक्तियों को रजिस्ट्री कर विक्रय किया गया (सूची संलग्न है)। वर्ष 1981–82 में कृषि भूमि को टुकड़ों में विक्रय की रजिस्ट्री नहीं की गई। वर्ष 1980–81 में रजिस्ट्री किये गये 19 व्यक्तियों के मामलों में से कोई भी भूमि नगर परिषद् अथवा नगर विकास न्यास द्वारा न तो अवाप्त ही की गई है एवं न ही भूमि के सम्बन्ध में अवाप्ति की अधिसूचना अभी तक जारी की गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

राज्य की मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिए यू. एस. ऐड.

320. श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य की मध्यम सिंचाई योजनाओं के लिये इस वर्ष कितनी और कब कब यू. एस. ऐड. सहायता प्राप्त की गई ?

(2) इस सहायता का कितना और किस प्रकार उपयोग हुआ है ?

उत्तर

(1) राज्य की मध्यम सिंचाई परियोजनाओं हेतु इस वर्ष कोई पुनर्भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है।

(2) प्रश्न नहीं उठता है।

नागौर एवं मूण्डवा पंचायत समितियों के लिए पेयजल योजनाएं

321. श्री महाराम चौधरी (नागौर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति नागौर एवं पंचायत समिति, मूण्डवा जिला नागौर कस्बों में पिछले दो वर्षों में कितनी पेयजल योजनाएं स्वीकृत हुई हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) पंचायत समिति नागौर एवं मूण्डवा के ऐसे कितने ग्राम हैं जिनमें 10 से 20 किलोमीटर तक पीने का पानी नहीं है ? ऐसे ग्रामों में सरकार कब तक पीने का पानी उपलब्ध कराने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) नागौर जिले की पंचायत समिति नागौर एवं मूण्डवा में वर्ष 1980-81 में क्रमश: 16 एवं 40 ग्रामों के लिये विभिन्न प्रकार की पेयजल योजना स्वीकृत की गई

(श्री महाराम चौधरी)
थी एवं वर्ष 1981–82 में पंचायत समिति नागौर एवं मूण्डवा में क्रमशः 41 एवं 21 ग्रामों के लिए विभिन्न प्रकार की जल योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। सूची संलग्न है।

(2) जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार पंचायत समिति नागौर एवं मूडण्वा में 129 गांव ऐसे है जिनमें पानी 1.6 किलोमीटर से अधिक दूर है या 15 मीटर से अधिक गहरा है। सभी गांवों को छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक आवश्यक धनराशि उपलब्ध होने पर पेयजल योजनाओं से लाभान्वित करने का प्रयास है। ऐसे ग्रामों का अलग से सर्वेक्षण नहीं किया गया है जिनमें पानी 10 से 20 किलोमीटर दूर हो।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

सांचौर तहसील के गांवों में लगे हैण्ड पम्प

322 श्री कनक राज मेहता (सांचौर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) सांचौर तहसील में किन किन गांवों में कितने हैन्ड पम्प लगे हुए हैं? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इन हैन्ड पम्प में कितने खारे पानी में लगाए गए हैं? प्रत्येक हैण्ड पम्प पर कितना व्यय हुआ है?

(3) इनमें से कितने हैन्ड पम्प कार्य नहीं कर रहे हैं?

उत्तर

1– साचौर तहसील के 47 गांवों में 120 हैण्ड पम्प माह फरवरी, 1982 के अन्त तक लगाये जा चुके हैं। सूची सदन के मेज पर रखी गई है।

(2) जो भी हैण्ड पम्प लगाये गये हैं उनका पानी पीने योग्य है। प्रत्येक हैण्ड पम्प पर 7000 रुपये व्यय हुए हैं।

(3) इस समय लगभग 15 हैण्ड पम्प कार्य नहीं कर रहे हैं। इनको ठीक करने की कार्यवाही की जा रही है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

अजमेर नगर में जल सम्बन्ध देने के संदर्भ में सड़कों की खुदाई

323 श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अजमेर नगर में नल के कनेक्शन देने के लिये पाइप लाइन बिछाने हेतु एवं पाइप लाइन की मरम्मत हेतु जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा नगर की सड़कों व गलियों को जगह-जगह से खोदा जाता है?

(2) क्या यह भी सही है कि इन खोदी हुई सड़कों और गलियों को बिना पूरी तरह ठीक किये ही छोड़ दिया जाता है तथा खोदी हुई सड़क या गली से सम्बन्धित नगर परिषद सार्वजनिक निर्माण विभाग अथवा नगर विकास न्यास को भी कोई सूचना नहीं दी जाती है?

(3) क्या राज्य सरकार सभी संबंधित विभागों के समन्वय से सड़कों व गलियों के

(३)

(श्री कैलाश मेघवाल)

रख रखाव को व्यवस्थित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) यह सही है कि नल कनेक्शन देने के लिये सड़कें व गलियां जगह-जगह से खोदी जाती हैं।

(2) यह सही नहीं है कि खोदी गई सड़कें व गलियां बिना पूरी तरह भरे वैसे ही छोड़ दी जाती हैं। जहां तक नगर परिषद, सार्वजनिक निर्माण विभाग अथवा नगर विकास न्यास को सूचित करने का प्रश्न है इसके लिये निवेदन है कि खुदाई के पहले सम्बन्धित विभाग में सड़क को वापस ठीक करने की रकम सम्बन्धित उपभोक्ता द्वारा जमा होने के बाद व सम्बन्धित विभाग संस्था से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के बाद ही जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा जल सम्बन्ध दिया जाता है।

(3) इस बारे में राज्य सरकार द्वारा व्यवस्था कर दी गई है कि सड़क के संधारण के लिए सम्बन्धित विभाग संस्था द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी किये बिना किसी भी उपभोक्ता को जल सम्बन्ध नहीं दिया जावे।

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सादुलपुर के खारे पानी वाले गांवों को पेय जल

324. श्री दीपचन्द (सादुलपुर) : क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर के खारे पानी के गांव में पेयजल वितरण सुविधा हेतु विगत दो वर्षों में क्या कार्यवाही की गई है ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें ?

(2) क्या आगामी चार वर्षों में विभिन्न गांवों में पेयजल सुविधा उपलब्ध करा दी जावेगी ?

(3) इस क्षेत्र के किन–किन गांवों में पेयजल योजनाओं का कार्य चालू है ? उसकी क्रियान्विति कब तक हो जावेगी ?

उत्तर

(1) सादुलपुर विधान सभा क्षेत्र में 175 ग्रामों में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार खारा पानी है। इन गांवों में से 33 गांवों के लिये मार्च, 80 तक जल योजनाए स्वीकृत की जा चुकी हैं। वर्ष 1980–81 में 24 ग्रामों के लिये स्वीकृति दी गई तथा 6 गांव व तारानगर से राजगढ़ (सादुलपुर) तक के लिये ट्रंक मेन वर्ष 1980–81 में पेयजल योजना हेतु स्वीकृत की गई है। मार्च, 1980 तक 33 गांवों में पेयजल योजनाएं चालू थीं। वर्ष 1980–81 में 25 अतिरिक्त गांवों में योजनाएं चालू की गई व दिसम्बर, 1981 तक 2 और गांवों को पेयजल योजनाओं से लाभान्वित किया गया है।

(2) समुचित धन राशि की उपलब्धि होने पर छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक समस्त बचे हुए समस्याग्रस्त गांवों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराये जाने की सम्भावना है।

(3) सादुलपुर विधान सभा क्षेत्र के गांव जिनमें पेयजल योजनाएं स्वीकृत की

(जन स्वास्थ्य मन्त्री)
जा चुकी हैं एवं कार्य चालू है अथवा धन उपलब्धि पर चालू किया जायेगा। उनकी सूची संलग्न है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

कृषि कार्य में आने वाली वस्तुओं से बिक्री कर हटाना

325 श्री तेजपाल यादव (चौमू) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कृषि यंत्र, रासायनिक खाद, बीज तथा कृषि क्षेत्र में काम आने वाली अन्य वस्तुओं पर बिक्री कर लागू है ?

(2) क्या यह सही है कि पंजाब, हरियाणा, यू. पी. में उक्त वस्तुओं पर बिक्री कर नहीं है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार राजस्थान में भी बिक्री कर समाप्त करने पर विचार करेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं, विभिन्न प्रकार के कृषि उपकरण, सब्जी के बीज तथा फूलों के बीज विक्रय कर से मुक्त हैं, लेकिन मतीरा एवं तुम्बा के बीज पर 4 प्रतिशत की दर से तथा अन्य प्रकार के बीजों पर, जैसी भी परिस्थिति हो, विक्रय-कर देय है। रासायनिक खाद पर कर की दर 5 प्रतिशत है लेकिन अन्य खादें कर-मुक्त हैं। कृषि के काम आने वाली वस्तुओं से क्या आशय है जब तक यह स्पष्ट नहीं किया जावे यह बताना कठिन है कि वे कर मुक्त हैं अथवा कर देय।

(2) जी हां। पंजाब व हरियाणा में सभी भांति के कृषि उपकरण कर मुक्त हैं। किन्तु उत्तर प्रदेश में पशुओं व मानव शक्ति द्वारा चालित कृषि उपकरण ही कर मुक्त हैं। अन्य उपकरण जो विद्युत या ट्रेक्टर द्वारा चालित हैं वे कर योग्य हैं। उत्तर प्रदेश में रासायनिक खाद को छोड़कर अन्य खादें राजस्थान की भांति कर मुक्त हैं। पंजाब तथा हरियाणा में बीज कर मुक्त नही है। पंजाब में सब्जी के बीज ही कर मुक्त हैं अन्य बीज नहीं। उत्तर प्रदेश में सब्जी के बीज, खीरा, तरबूज, ककड़ी और खरबूजा के बीज को छोड़कर कर मुक्त हैं। राज्य सरकार अभी बिक्री कर समाप्त करने पर कोई विचार नहीं कर रही है।

राष्ट्रीयकृत पुस्तकों का प्रकाशन

326 श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि राष्ट्रीयकरण की नीति लागू करने के बाद राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा राष्ट्रीयकृत पुस्तकों के प्रकाशन हेतु प्रकाशकों से सावधि अनुबन्ध किये गये थे ?

(2) यदि हां, तो किस-किस राष्ट्रीयकृत पुस्तक के प्रकाशन का किस किस प्रकाशक से किस किस कालावधि हेतु अनुबन्ध हुआ था ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि अनुबन्ध की अवधि समाप्त हो जाने के बावजूद भी नई निविदायें आमन्त्रित करने के बजाय पुस्तकों का मूल्य बढ़ा कर पुराने प्रकाशकों को ही प्रकाशन कार्य दिया जा रहा है ?

Page No 36

(श्री कैलाश मेघवाल)

(4) यदि हां, तो मूल निविदा की अवधि समाप्त होने के बाद किस-किस पुस्तक का प्रकाशन कितने-कितने मूल्य की बढ़ोतरी पर कब-कब उन्हीं प्रकाशकों को दिया गया ? कृपया सूची सदन के मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) राष्ट्रीयकृत पुस्तकों के प्रकाशकों तथा अनुबन्ध को कालावधि का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) जी हां।

(4) निविदा की अवधि समाप्त होने पर जिन पुस्तकों के मूल्य की बढ़ोतरी कर जिन वर्षों में उन्होंने प्रकाशकों को प्रकाशन कार्य दिया उसकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

राजकीय केन्द्रीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, अजमेर के सभागार का निर्माण

327 श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजकीय केन्द्रीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, अजमेर के सभागार निर्माण में काम लेने हेतु सामग्री क्रय करने के लिये स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन को रु. 16,000/- अग्रिम चुकाया गया था ?

(2) यदि हां, तो यह रुपया कब चुकाया गया और इससे खरीदी जाने वाली सामग्री कब प्राप्त करनी थी और क्या वह अब तक प्राप्त कर ली गई है ?

(3) क्या जिस सामग्री के क्रय हेतु यह राशि अग्रिम दी गई, वह सामग्री स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन अब भी पूर्व निर्धारित भावों से देने को तत्पर है ? यदि नहीं, तो बढ़े हुये भावों से खरीदने की स्थिति क्यों कर पैदा हुई ? इसके लिये कौन दोषी है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

जिला शिक्षा अधिकारी (महिला) अजमेर एवं जयपुर के कार्यालयों में अनिर्णीत प्रकरण

328. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला शिक्षा अधिकारी (महिला), अजमेर व जयपुर एवं उनके अधीनस्थ कार्यरत कार्यालयों में अध्यापक, अध्यापिकाओं एवं कर्मचारियों के कितने प्रकरण छुट्टियों के टी. ए. डी. ए. के, स्थिरीकरण के, चिकित्सा पुनर्भरण आदि के कब कब से विचाराधीन पड़े हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री कैलाश मेघवाल)

(2) इनका यथासमय निस्तारण नहीं होने के क्या कारण हैं और अब इनका कब तक निस्तारण कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जिला शिक्षा अधिकारी (महिला) अजमेर एवं जयपुर एवं उनके अधीन कार्यरत कार्यालयों में अध्यापक, अध्यापिकाओं एवं कर्मचारियों के छुट्टियों के, टी. ए. डी. ए. के, स्थिरीकरण के एवं चिकित्सा पुनर्भरण के निम्न प्रकरण विचाराधीन हैं :—

प्रकरण	अजमेर	जयपुर
1– अवकाश	31	63
2– टी. ए.	221	56
3– डी. ए.	–	–
4– स्थिरीकरण	5	–
5– चिकित्सा पुनर्भरण	238	59

जिला शिक्षा अधिकारी (महिला) अजमेर के अधीनस्थ प्रकरण अधिकतर चालू वर्ष के विचाराधीन हैं तथा जिला शिक्षा अधिकारी (महिला), जयपुर के अन्तर्गत पेन्डिंग प्रकरण अधिकतर 1981–82 तथा कुछ प्रकरण 1978 के भी विचाराधीन हैं। सूची संलग्न है।

2– विचाराधीन प्रकरण के निस्तारण नहीं होने के कारण सूची में अंकित कर दिए गए हैं। इन प्रकरणों को शीघ्र ही निपटा दिया जावेगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जयपुर नगर में चालित मिनी बसेज

329 श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जयपुर शहर में इस समय कितनी मिनी बसेज किस किस रूट पर चल रही हैं ? इनके रजिस्ट्रेशन किन किन लोगों के नाम हैं व कब कब हुए ?

(2) इन लोगों ने किन-किन बैंकों से किन-किन नामों से कब कब कितना-कितना ऋण लिया ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) इन लोगों के नाम पते सहित पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर शहर में इस समय 106 प्रइवेट मिनी बसें चल रही हैं। 106 बसों के मार्ग वार संचालन एवं जिन लोगों के नाम वाहन पंजीकृत है तथा पंजीयन दिनांक सूचना परिशिष्ट (क) में सम्मिलित है।

(2) जिन बैंकों से ऋण जिस नाम से लिए गए हैं की सूचना परिशिष्ट "क" में दी गई है। बैंकों से कितना कितना ऋण तथा कब कब लिया इसकी सूचना इस विभाग को प्राप्त नहीं होती है। सूची परिशिष्ट "क" पर उपलब्ध है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

बस यात्रियों के लिए बीमा योजना

330. श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(श्री नाथूसिंह)

(1) क्या राज्य सरकार ने रोडवेज की बसों में सफर करने वालों के लिए बीमा योजना लागू करने का निर्णय लिया है?

यदि हां, तो यह योजना कब तक प्रारम्भ कर दी जायेगी ?

उत्तर

बीमा केन्द्रीय सरकार के अधिकार क्षेत्र का मामला है। अत: राज्य सरकार द्वारा अनुग्रह राशि प्रदान किये जाने की योजना 1-9-81 से लागू की जा चुकी है।

पथ परिवहन निगम की बसेज

331. श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : **क्या यातायात मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में राज्य परिवहन की कितनी बसेज चल रही हैं ? उनमें से कितनी साधारण, कितनी एक्सप्रेस, कितनी डी-लक्स एवं वातानुकूलित हैं ?

(2) उपरोक्त श्रेणियों की पृथक-पृथक आय क्या है ?

(3) डी-लक्स एवं एयर-कण्डीशन्ड बसों पर कितना धन इस वर्ष दिनांक 31 जनवरी, 1982 तक व्यय हुआ ? इनसे इसी अवधि में क्या आय हुई ?

(4) चालू वित्तीय वर्ष दिनांक 31 जनवरी, 1982 तक साधारण बस सेवा और डी-लक्स एवं ऐयर-कन्डीशन्ड बस सेवाओं में कितना-कितना प्रतिशत किराया बढ़ाया गया है ?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम में संचालित वाहनों की कुल संख्या 2057 है, वस्तु स्थिति निम्न प्रकार है:—

	निगम की	अनुबंधित
1. साधारण	1551	79
2. द्रुतगामी	269	40
3. डीलक्स	18	—
4. वातानुकूलित	—	—
योग—	1938	119

कुल योग—2057

(2) साधारण एवं द्रुतगामी तथा डीलक्स वाहनों की माह दिसम्बर, 81 में अर्जित की गई प्रति दिन आय निम्न प्रकार थी :—

	आय
1. साधारण एवं द्रुतगामी	10,53,856
1. डीलक्स	30,652

(साधारण एवं द्रुतगामी वाहनों की आय पृथक-पृथक से नहीं रखी जाती है अत: दोनों की सम्मिलित आय दर्शाई गई है)

(3) अप्रेल, 81 से जनवरी, 82 की अवधि में डीलक्स एवं ए. सी. वाहनों पर निम्नानुसार राशि व्यय की गई। इन वाहनों से अर्जित आय की राशि भी प्रत्येक के सम्मुख अंकित है (इनमें ओवर हैड चार्जेज शामिल नहीं हैं) :—

	व्यय राशि	अर्जित आय
1. डीलक्स वाहनें	66,55,877	80,21,160
2. ए. सी. वाहनें	2,75,277	3,73,345

(एस. सी. वाहन दि. 6-5-81 से 9-9-81 तक संचालित हुई। यह वाहन 2.55 पैसे प्रति कि. मी. की दर से अनुबंधित थी और

(यातायात मन्त्री)
इस प्रकार वाहन स्वामी को इस अवधि में जिस राशि का भुगतान किया गया है वह उक्त श्रेणी के वाहनों के समक्ष व्यय के मद के अन्तर्गत दर्शायी गई है)

(4) चालू वित्त वर्ष यथा दिनांक 1-4-81 से 31-1-82 तक की अवधि में दिनांक 25-6-81 से साधारण एवं डीलक्स सेवाओं में 20 प्रतिशत किराये की वृद्धि की गई थी। ए. सी. बस के किराये में वृद्धि नहीं की गई क्योंकि इस दौरान एस. सी. बस में पूर्ण यात्री भार नहीं मिल रहा था। राज्य सरकार द्वारा ए. सी. बसों में किराया निर्धारित नहीं किया जाता है।

नाथद्वारा से इन्दौर, अम्बाजी एवं अहमदाबाद तक पथ परिवहन निगम की बसें पुन: चलाना

332. **श्री सी. पी. जोशी** (नाथद्वारा) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नाथद्वारा-इन्दौर, नाथद्वारा-अम्बाजी, नाथद्वारा-अहमदाबाद तक राजस्थान राज्य, परिवहन की बसेज चलती थीं ?

(2) यदि हां, तो इन्हें किन कारणों से बन्द किया गया ?

उत्तर

(1) राज्य परिवहन निगम की बसें नाथद्वारा-अहमदाबाद तथा नाथद्वारा-अम्बाजी मार्ग पर चलती थीं लेकिन नाथद्वारा-इन्दौर मार्ग पर राज्य परिवहन निगम की कोई बस नहीं चलती थी।

(2) नाथद्वारा-अहमदाबाद मार्ग पर निगम द्वारा वर्तमान में भी 2 एकल सेवायें संचालित की जा रही हैं, लेकिन नाथद्वारा-अम्बाजी मार्ग पर चलाई गई सेवा को पर्याप्त मात्रा में यात्री-भार न मिलने के कारण बन्द कर दिया गया है।

आवासन मण्डल द्वारा निर्मित भवनों का आवंटन

333. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) : क्या आवासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान राज्य आवासन मण्डल ने अब तक कुल कितने मकान बनाकर आवंटित किए हैं ?

(2) राज्य भर में आवासन मण्डल के पास इस समय कितने व्यक्तियों के प्रार्थना पत्र मकान हेतु पंजीकृत हैं ?

(3) प्रति वर्ष आवासन मण्डल कितने मकान बनाकर देने की स्थिति में है ? इस समय तक पंजीकृत व्यक्तियों को कब तक मकान उपलब्ध करा दिये जायेंगे ?

(4) इस वित्तीय वर्ष में आवासन मण्डल ने कितने नये मकान बनाये हैं व कितने नये स्थानों पर आवासन मण्डल ने कार्य का विस्तार किया ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य आवासन मण्डल

(आवासन मन्त्री)
ने माह अक्टूबर, 1981 तक कुल 26,930 मकान आवंटित किये हैं।

(2) दिसम्बर, 1981 तक 1,04,520 आवेदक पंजीकृत हैं।

(3) अगर सड़कों से निर्धारित सीमा तक ऋण प्रति वर्ष उपलब्ध हो सके तथा भूमि उपलब्ध हो सके तो राज्य में आवासन मण्डल प्रति वर्ष 10,000 मकान बनाने की स्थिति में है। इस समय तक पंजीकृत व्यक्तियों को जहां भूमि उपलब्ध हो गई है, 3 वर्ष में देने का प्रयास किया जायेगा। जहां भूमि उपलब्ध नहीं है वहां भूमि उपलब्ध होने के तीन वर्ष में मकान उपलब्ध कराने का प्रयास रहेगा।

(4) इस वित्तीय वर्ष में आवासन मंडल की योजना 8265 मकान पूरे करने की है। इस वर्ष में 7 नये स्थानों पर पंजीकरण खोला गया जो क्रमश: भवानी मण्डी, नागौर, विजयनगर, जैतारण, भिवाड़ी, सुनेल और नोहर हैं।

गोरधनपुरा (कोटा) में आवासन मण्डल की योजना

334. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा)

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद): क्या आवासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) कोटा नगर में गोरधनपुरा स्थित बड़े तालाब के पास कितने मकान बनाने की विभाग की योजना है? इन मकानों का कार्य कब से प्रारम्भ हुआ व कब तक पूर्ण होना है? उनमें से कितने मकान बन चुके हैं व कितने अपूर्ण हैं?

(2) क्या यह सही है कि उक्त कार्य को किसी ठेकेदार द्वारा कराया जाना है? यदि हां, तो किसके द्वारा?

(3) क्या यह भी सही है कि कोटा स्थित निर्मित आवासन मण्डल के मकानों का कार्य भी उक्त ठेकेदार द्वारा ही किया जाना था?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त दोनों निर्माण कार्य ठेकेदार द्वारा बीच में ही छोड़ दिये गये? यदि हां, तो उन्हें अब किस प्रकार पूर्ण कराया जायेगा एवं उक्त ठेकेदार के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी?

उत्तर

(1) कोटा नगर में गोरधनपुरा स्थित बड़े तालाब के पास 88 मकान बनाये जा रहे हैं। इस योजना का शुभारंभ सितम्बर, 1979 में किया गया। उपरोक्त योजना दिसम्बर, 1982 तक पूर्ण होने की संभावना है। सभी मकान निर्माणाधीन स्थिति में हैं।

(2) उपरोक्त 88 मकानों का कार्य निम्न 4 ठेकेदारों द्वारा कराया जा रहा है

ठेकेदार का नाम	मकानों की सं.
1. मैसर्स जगदीश कुमार ठेकेदार	14
2. मैसर्स श्री राणीसती कन्स्ट्रक्शन	18
3. मैसर्स विरेन्द्र कन्स्ट्रक्शन	24
4. मैसर्स साकेत कन्स्ट्रक्शन	32
योग —	88

Page No 41

(५१)

(आवासन मन्त्री)

(3) उक्त ठेकेदारों में से नं 4 को छोड़कर बाकी सभी ठेकेदारों ने मण्डल की विभिन्न दूसरी योजनाओं में कार्य लिया था तथा पूर्ण कर दिया है।

(4) उपरोक्त 1 से 3 नं. के ठेकेदारों ने कोई कार्य मंडल की दूसरी योजनाओं में अपूर्ण नहीं छोड़ा पर मण्डल की गोरधन पुरा स्थित बड़े तालाव के पास की योजना जिसमें उत्तर सं. '1' में वर्णित 88 मकान निर्माणाधीन हैं, में नं. 2 मैसर्स श्री राणी-सती कन्स्ट्रक्शन तथा नं. 3 मैसर्स विरेन्द्र कन्स्ट्रक्शन के कार्य की प्रगति काफी मंद है। समय समय पर इन्हें चेतावनी दे दी गई है तथा विभागीय तौर पर और कार्यवाही की जा रही है।

अरनोद का गोतमेश्वर प्राचीन शिवमंदिर

335. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़) : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार को जानकारी है कि चित्तौड़ जिले की प्रतापगड़ तहसील में नगर प्रतापगढ़ से 20 किलोमीटर दूर अरनोद के समीप गोतमेश्वर प्राचीन शिव मन्दिर है? यदि हां, तो इस प्राकृतिक, दर्शनीय एवं ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान को पर्यटन की दृष्टि से लाभकारी बनाने का सरकार इरादा रखती है?

(2) क्या यह सही है कि इस मन्दिर का संचालन एक ट्रस्ट द्वारा किया जाता है? यदि हां, तो क्या इस ट्रस्ट के लेखे-जोखे पर राज्य सरकार का कोई नियन्त्रण है? इस ट्रस्ट के गठन, चुनाव आदि के क्या नियम हैं?

उत्तर

(1) जी हां। फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(2) जी नहीं। मन्दिर की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा गठित एक समिति के द्वारा की जाती है। समिति में निम्न सदस्य हैं :—

1. उप जिलाधीश, प्रतापगढ़	अध्यक्ष
2. मन्दिर महन्त	सदस्य
3. प्रधान, पंचायत समिति	सदस्य
4. निदेशक, देवस्थान विभाग, उदयपुर	सदस्य
5. प्रतापगढ़ क्षेत्र के विधायक	सदस्य
6. तहसीलदार, प्रतापगढ़	सदस्य
7. मन्दिर क्षेत्र की पंचायत का सरपंच	सदस्य
8. सरपंच, ग्राम पंचायत, अरनोद	सदस्य
9. प्रधान, पंचायत समिति, प्रतापगढ़	सदस्य

अजमेर नगर में विभिन्न सड़क मार्गों पर कल्वर्ट निर्माण

336. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अजमेर नगर के नगर सुधार न्यास का आनासागर सर-क्यूलर रोड योजना में भू-खण्ड सख्या 228 व हाउसिंग बोर्ड के क्वार्टर्स के बीच में जो सड़क है उस पर कल्वर्ट बनाने हेतु

(श्री कैलाश मेघवाल)

ठेकेदार को वर्क ग्रार्डर दे दिया गया था ? यदि हां, तो फिर क्या कारण है कि वह ग्राज तक नहीं बन पाया व कॉलोनी के सड़ने की नौबत ग्रा गई है ?

(2) क्या यह भी सही है कि हाउसिंग बोर्ड की जनता कॉलोनी में सभी कल्वर्ट बनने शेष हैं जिनका वर्क ग्रार्डर ठेकेदार को दिया जा चुका है ? यदि हां, तो ये कल्वर्ट कब तक बन जावेंगे ?

उत्तर

(1) ग्रानासागर सरक्यूलर रोड योजना में भूखण्ड संख्या 228 व हाउसिंग बोर्ड के क्वार्टरों के बीच में जो सड़क है उस पर किसी कलवर्ट की ग्रावश्यकता नहीं है तथा ठेकेदार को उक्त वर्क का कोई ग्रार्डर नहीं दिया गया है।

(2) हाउसिंग बोर्ड की जनता कालोनी में क्लवर्ट की ग्रावश्यकता नहीं है ग्रतः ठेकेदारों को किसी कलवर्ट का ग्रार्डर देने का प्रश्न ही नहीं है।

नगर सुधार न्यास, ग्रजमेर द्वारा कोतवाली योजना में रिजर्व्ड प्लाट का ग्रावंटन

337. **श्री कैलाश मेघवाल** (ग्रजमेर-पूर्व) : क्या नगर ग्रायोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या नगर सुधार न्यास ग्रजमेर की सब्जी मण्डी के पीछे कोतवाली योजना में नं. 1 का प्लॉट रिजर्व रखा गया था ? यदि हां, तो इसका क्या कारण था ?

(2) क्या यह सही है कि इस रिजर्व प्लॉट को ग्रलॉट कर दिया गया ? यदि हां, तो किसको ग्रलॉट किया गया ग्रौर उसकी क्या कीमत ली गयी ?

(3) क्या यह भी सही है कि इस योजना के लिये निर्धारित नीति के विरुद्ध ग्रलॉट कर देने से शिकायत होने पर ग्रलॉटमेंट निरस्त करने की कार्यवाही की गयी थी लेकिन न्यायालय ने उस पर स्थगन ग्रादेश दे दिया ?

(4) नीति विरुद्ध ग्रलॉटमेन्ट से न्यास को हुई ग्रार्थिक हानि का उत्तरदायित्व किस ग्रधिकारी का है ? उससे विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(1) व (2) जी नहीं, सब्जी मण्डी के पीछे कोतवाली योजना में दुकान संख्या 1 का भूखण्ड रिजर्व नहीं रखा गया था बल्कि नीलामी में श्रीमती बशीरन बाई को बेचा गया था।

(3) यह प्लाट नीलामी में बेचा गया है। इसके बारे में न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन नहीं है।

(4) ग्रलाटमेन्ट नहीं हुग्रा है बल्कि नीलामी से बेचा है ग्रतः किसी ग्रधिकारी को उत्तरदायी ठहराने एवं कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

नगरपालिकाग्रों को ग्रनुदान राशि

338. **श्री देवीसिंह भाटी** (कोलायत) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री देवीसिंह भाटी)

(1) राज्य सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणियों की नगरपालिकाओं को विकास कार्यों हेतु अनुदान राशि देने का क्या आधार है ?

(2) राज्य सरकार द्वारा नगरपालिका गंगाशहर, भीनासर, देशनोक को वर्ष 1978 से अब तक कितनी राशि आवंटित की गई ? कृपया वर्षवार आवण्टित राशि की सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा प्रथम व द्वितीय श्रेणी की नगरपालिकाओं को सामान्यतया विशेष अनुदान नहीं दिया जाता । तृतीय व चतुर्थ श्रेणी की नगरपालिकाओं को अनुदान राशि की उपलब्धि एवं आवश्यकता तथा पालिका की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रख कर विशेष अनुदान दिया जाता है ।

(2) गंगाशहर, भीनासर व देशनोक नगरपालिकाओं को वर्ष 1978 से अब तक निम्न प्रकार राशि आवंटित की गई है । वर्षवार विवरण प्रस्तुत है :—

वर्ष :	नगरपालिका गंगाशहर	नगरपालिका भीनासर	नगरपालिका देशनोक
1977–77	30000/–	30000/–	50000/–
1978–79	35000/–	13000/–	50000/–
1979–80	–	55000/–	–
1980–81	–	50000/–	20000/–
1981–82	20000/–	20000/–	20000/–
योग :	85000/–	1,68,000/–	1,40,000/–

नगरपालिका, गंगाशहर में गन्दे पानी के निकास हेतु नालियों का निर्माण

339. **श्री देवी सिंह भाटी** (कोलायत) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या बीकानेर जिलान्तर्गत नगरपालिका गंगाशहर, भीनासर में गंदे पानी की निकासी हेतु नालियां बनाने की योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो प्रस्तावित योजना का पूर्ण विवरण देने की कृपा करें ।

(2) क्या गंगाशहर, भीनासर नगरपालिका क्षेत्र में बाढ़ग्रस्त सड़कों की मरम्मत करवाने की योजना सरकार के पास विचाराधीन है ? यदि हां, तो ऐसी क्षतिग्रस्त सड़क मार्गों की सूची सदन की मेज पर रखने को कृपा करें ।

(3) गंगाशहर, भीनासर नगरपालिका क्षेत्र में बाढ़ग्रस्त सड़कों की मरम्मत में कितनी राशि व्यय की जानी प्रस्तावित है ?

उत्तर

(1) एवं (2) : नगरपालिकायें गंगाशहर

(स्वायत्त शासन मंत्री)
एवं भीनासर 23–2–82 को बीकानेर नगरपरिषद में सम्मिलित कर दी गई हैं। पूर्व में नगरपालिका, गंगाशहर में गंदे पानी की निकासी हेतु नालियां बनाने की योजना करीब दो लाख रुपये की बनाई गई थी तथा नगरपालिका, भीनासर में नालियां बनाने की करीब एक लाख रुपये की योजना बनाई गई थी। ये क्षेत्र नगरपरिषद, बीकानेर में शामिल हो गये हैं अतः इनका अस्तित्व न रहने के कारण इनकी सड़क भी बीकानेर नगर परिषद में हो जाती है।

(3) अब यह दोनों नगरपालिकायें नगर परिषद, बीकानेर में सम्मिलित कर दी गई हैं अतः क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत हेतु नगरपरिषद, बीकानेर द्वारा उक्त योजनानुसार धनराशि की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए किया जायेगा।

जिला बांसवाड़ा की चल चिकित्सा इकाई।

340. **श्री बहादुर सिंह** (दानपुर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बांसवाड़ा जिले में चल चिकित्सा इकाई कब से चल रही है? क्या इसका सही उपयोग हो रहा है? यदि हां, तो गांववार विवरण तथा 1981-82 की मासिक प्रगति रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि चल चिकित्सा इकाई स्टाफ के अभाव में कार्य नहीं कर रही है? यदि हां, तो इसके लिये राज्य सरकार ने क्या व्यवस्था कर रखी है?

उत्तर

(1) बांसवाड़ा जिले में चल चिकित्सा डिस्पेन्सरी माह जुलाई, 81 में स्वीकृत की गई, जिसके लिए वाहन क्रय करने की कार्यवाही की जा चुकी है। वाहन उपलब्ध होते ही यह कार्य करने लगेगी।

(1) चल चिकित्सा डिस्पेन्सरी वाहन के अभाव में कार्य नहीं कर रही है।

ग्राम केशवपुरा में चिकित्सा सुविधा

341. **श्रीमती विद्या पाठक** (सांगानेर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, चाकसू का बाढ़ग्रस्त ग्राम केशवपुरा पुनर्वास समिति द्वारा सरकारी योजना के अनुसार पुनः बसाया जा रहा है?

(2) यदि हां, तो क्या सरकार प्राथमिकता के आधार पर इसमें चिकित्सा केन्द्र अथवा औषधालय स्वीकृत करेगी?

(3) यदि हां, तो सरकार कब तक स्वीकृति दे देगी?

उत्तर

(1) इस प्रश्न का संबंध चिकित्सा विभाग से नहीं है।

(2) वर्तमान में इस ग्राम हेतु चिकित्सा केन्द्र या औषधालय स्वीकृत करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

जनाना अस्पताल, जयपुर में गन्दगी का साम्राज्य

342. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जनाना अस्पताल, जयपुर के भवन में पान की पीक से अस्पताल का प्रत्येक कोना लाल हो रहा है, कॉटेज वार्ड में प्रत्येक में चूल्हे जलने से कालूस जमा हुआ है, ऑपरेशन थियेटर गन्दे हैं, वार्डों में व अन्य स्थानों पर सफाई ठीक नहीं है तथा पेशाब घर व शौचालय में गन्दगी व्याप्त है ?

(2) क्या यह भी सही है कि यहां के सफाई कर्मचारी स्वयं बहुत ही गन्दी ड्रेसों में रहते हैं, सफाई व्यवस्था ठीक नहीं रखते हैं, मरीजों को समय पर पेशाब का पॉट व तसला भी नहीं देते हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि यहां की शैय्याओं पर तकियों पर खोलियां नहीं हैं, गद्दे फटे हुए एवं मैल से भरे हुए एवं चद्दरे बहुत ही घटियां किस्म की हैं और उनकी धुलाई भी ठीक नहीं कराई जाती है ?

(4) क्या सरकार जनाना अस्पताल की इस अव्यवस्था को ठीक कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) यह सही है कि अस्पताल के भवन में कहीं कहीं कोनों में पान की पीक से लाल धब्बे पड़ जाते है। प्रश्न का शेष भाग सही नहीं है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

(4) जनाना अस्पताल, जयपुर के लिए निर्धारित वित्तीय प्रावधानों के अनुसार अस्पताल में व्यवस्था काफी हद तक सही एवं समुचित है। लेकिन बढ़ती हुई आबादी के कारण अस्पताल में मौजूदा भवन व आवास व्यवस्था कम पड़ जाने से सुधार की आवश्यकता महसूस की गई है जिसके लिए सरकार समुचित कदम उठा रही है।

निदेशक आयुर्वेद द्वारा पैकिंग के सामान के लिये आमन्त्रित निविदायें

343. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि निदेशक, आयुर्वेद विभाग राजस्थान द्वारा दिनांक 10-11-1981 को विभागीय रसायन शालाओं में दिनांक 1-7-1981 से दिनांक 30-6-1982 तक उपयोग के लिये आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधियां, तेल एवं गुड तथा पैकिंग सामान के लिये दिनांक 17 दिसम्बर, 1981 को दोपहर 12 बजे तक टेन्डर आमन्त्रित किये गये थे ?

(2) यदि हां, तो इस तारीख तक किस-किस फर्म या व्यापारी ने टेण्डर फार्म किन-किन शर्तों पर प्रस्तुत किये और उनमें से किस-किस के टेण्डर स्वीकृत कर क्रय आदेश दिये गये ? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखें।

(६)

(श्री कैलाश मेघवाल)

(3) इन क्रय आदेशों की पालना में कब-कब कितना कितना माल प्राप्त किया जाकर कितना कितना मूल्य चुकाया गया है ?

(4) दिनांक 17-12-1981 के बाद आदेशित एवं प्राप्त माल का दिनांक 1-7-1981 से किस तरह उपयोग होगा ?

उत्तर

(1) टेण्डर दिनांक 17-12-1981 को सायंकाल 4 बजे तक आमन्त्रित किये गये थे। इसमें संशोधित कर टेण्डर प्राप्त करने की अन्तिम तिथि दिनांक 8·2·1982 तक बढ़ाई गई थी।

(2) दिनांक 8-2-1982 तक प्राप्त टेण्डरों का विवरण संलग्न है।

(3) अभी तक रसायनशालाओं से माल प्राप्ति की सूचना नहीं आई है। इसी प्रकार व्यय विवरण भी प्राप्त नहीं हुआ है।

(4) विभाग ने औषधियों के क्रय हेतु टेण्डर अवधि दिनांक 1-7-1981 से 30-6-1982 रखी है। इस अवधि में मांग के अनुसार निविदा अन्तर्गत वस्तुओं के क्रय आदेश प्रसारित किये जाते हैं। तद्नुसार प्राप्त कच्चे माल का उपयोग औषध निर्माण हेतु किया जाता है। अन्य घटक द्रव्यों के होने से, प्राप्त अवशिष्ट माल को मिलाकर उपयोग किया जावेगा जिसकी अवधि जून, 1982 है, अतः सम्पूर्ण माल आने पर उपयोग होने की पूर्ण सम्भावना है) वैसे जनरल टेंडर पूर्व में हो चुका था, उसका पूरक यह टेण्डर था।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

भंगी कष्ट मुक्ति योजना

344. **श्री गोपाल पचेरवाल** (पाटन) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की करेंगे :—

क्या यह सही है कि भंगी कष्ट मुक्ति योजना के तहत मेहतरों को शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार द्वारा प्रदेश में मेहतर छात्रावास खोलने की योजना बनाई गई थी ? यदि हां, तो अब तक कितने छात्रावास खोले गये व उनमें अब तक कितने छात्र प्रवेश पा चुके है ?

उत्तर

जी हां। अब तक 37 छात्रावास खोले गये हैं जिनमें अब तक 572 छात्रों ने प्रवेश लिया है।

यह छात्र अस्वच्छ कार्य करने वाले परिवारों से हैं जैसे कि मैला ढोने वाले, चमड़ा उतारने व पकाने वाले परिवार आदि।

सवर्ण-हरिजन विवाह

345. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर-पूर्व) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

सवर्ण द्वारा किसी हरिजन से विवाह करने पर सवर्ण को रु. 5000/- प्रोत्साहन राशि दिए जाने के सम्बन्ध में आदेश कब पारित किये गये और ये आदेश पारित होने

Page No 47

(47)

(श्री कैलाश मेघवाल)
के बाद अब तक इस तरह के कितने विवाह हुये हैं और उन्हें कितनी प्रोत्साहन राशि चुकाई गई है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

जी हां । राज्य सरकार के द्वारा ऐसा निर्णय लिया गया है । नियम विचाराधीन है । नियम जारी करने के पश्चात ही स्वीकृतियां देना समंव होगा ।

बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़क

346. **श्री हरीसिंह** (फुलेरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में बाढ़ से इस वर्ष कितने किलोमीटर सड़कें क्षतिग्रस्त हुई ?

(2) कितने किलोमीटर सड़कों की मरम्मत हो चुकी है ?

(3) कितनी धनराशि व्यय हुई है ? कृपया जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) राज्य में बाढ़ से इस वर्ष वि ।ाग की लगभग 1812 कि० मी० सड़कें क्षतिग्रस्त हुई ।

(2) लगभग 1263 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत की जा चुकी है ।

(3) लगभग 5,04,81,622 रुपये की धनराशि व्यय की गई जिसका जिलेवार विवरण निम्न प्रकार है :—

	नाम जिला	व्यय की गई धन राशि (लगभग)
1.	जयपुर	3,51,39,975/= माह फरवरी तक
2.	टौंक	42,81,000/= माह फरवरी तक
3.	कोटा	12,00,000/= माह फरवरी तक
4.	नागौर	32,25,000/= माह फरवरी तक
5.	बीकानेर	18,41,000/= माह फरवरी तक
6.	श्री गगानगर	3,15,514/= माह फरवरी तक
7.	सवाईमाधोपुर	24,28,416/= माह फरवरी तक
8.	सीकर	7,34,304/= माह जनवरी तक
9,	भरतपुर	13,17,313/= माह जनवरी तक
	कुल	5,04,81,622

कुशलगढ़ (बांसवाड़ा) में अकाल राहत के तहत सड़कों का निर्माण

347. **श्री फतेसिंह** (कुशलगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला बांसवाड़ा के कुशलगढ़ क्षेत्र में पिछली बार अकाल सहायता कार्यों में कौन कौनसी सड़कें चालू की गई थीं ? क्या वे पूर्ण हो चुकी हैं ? यदि नहीं, तो कब तक पूर्ण की जाकर चालू की जायेंगी ?

(2) इस वर्ष विभाग की ओर से कौन कौन सी सड़कें चालू की जा रही हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि डूंगरा से सातसेरा वाया कसार वाड़ी सड़क अकाल सहायता कार्यों में बनी हुई है तथा क्या पुलिया व सोलिंग का कार्य बाकी है ? क्या सरकार उक्त सड़क को पूर्ण कराने की मंशा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह भी सही है कि मध्य प्रदेश सरकार ने सातसेरा से राजस्थान की सीमा तक रोड बना ली है ?

उत्तर

(1) कुशलगढ़ क्षेत्र में पिछली बार अकाल सहायता कार्यों के अन्तर्गत 1) कुशलगढ़ वाजना 2) भोयन घाटी कुशलगढ़ 3) गामदा कुशलगढ़, डूंगररामसका, कासरवाड़ी से जिला सीमा, कलिंजरा कुशलगढ़, रामगढ़, हिम्मतगढ़, डुंगरा खुण्दनी अप्रोच सड़क इटाला, अप्रोच सड़क बस्सी, पाटन बड़ी सर्वा, तामेसरा, सज्जनगढ़, डुंगरा से अनास ब्रिज, अप्रोच सड़क अनेदेश्वर एवं अप्रोच सड़क मोखमपुरा के कार्य हाथ में लिये गये थे। अभी इन सड़कों का कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। धनाभाव के कारण अभी इन सड़कों का कार्य पूर्ण करवाया जाना संभव नहीं है।

(2) इस वर्ष अकाल सहायता कार्यों के अन्तर्गत कुशलगढ़ क्षेत्र में केवल कुशलगढ़ भोयन घाटी सड़क का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

(3) यह सही है कि डूंगरा से सातसेरा वाया कसारवाड़ी सड़क अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत बनाई गई थी। पूरी सड़क पर पुलिया एवं कसारवाड़ी से जिला सीमा की सोलिंग का कार्य बाकी है। धनाभाव के कारण उक्त सड़क को निकट भविष्य में पूरी कराई जाने की संभावना नहीं है।

(4) यह सही है कि मध्य प्रदेश सरकार ने सातसेरा से राजस्थान की सीमा तक सड़क बना ली है। केवल मिट्टी का अधूरा कार्य किया गया है।

ग्राम बरसलपुर (कोलायत) आयुर्वेदिक औषधालय भवन का निर्माण

348. **श्री देवीसिंह भाटी** (कोलायत) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला बीकानेर के ग्राम बरसलपुर, तहसील कोलायत में

(श्री देवीसिंह भाटी)

विभाग द्वारा निर्मित आयुर्वेदिक औषधालय भवन निर्माण हेतु सही सामग्री इस्तेमाल नहीं करने बाबत सरपंच द्वारा शिकायत की गई थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(2) कृपया उपरोक्त भवन निर्माण की जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जांच कराई गई थी।

(2) सहायक अभियन्ता द्वारा की गई जांच की रिपोर्ट सदन के पटल पर रख दी गई है (प्रपत्र "क")

(रिपोर्ट के लिये कृपया परिशिष्ट 12 देखें)

पंचायत समिति, राजगढ़ (चूरू) के अधीन प्राथमिक शालाएं

349. **श्री दीपचन्द** (सादुलपुर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजगढ़ जिला चूरू की पंचायत समिति के अधीन चलने वाले प्राइमरी स्कूल्स में कुल कितने छात्र एवं अध्यापक हैं ?

(2) छात्रों की संख्या के हिसाब से इस पंचायत समिति में कितने अध्यापकों की कमी है ?

(3) अध्यापकों की कमी की पूर्ति कब तक हो जावेगी ?

उत्तर

(1) राजगढ़ जिला चूरू को पंचायत समिति के अधीन चलने वाले प्राइमरी स्कूलों में कुल 10,729 छात्र एवं 217 अध्यापक हैं।

(2) निर्धारित माप दण्ड के अनुसार 66 अध्यापकों की कमी है।

(3) शिक्षा विभाग से पद स्वीकृत होने पर अध्यापक उपलब्ध करा दिये जावेंगे।

नागौर एवं मूण्डवा की पंचायत समितियों को अनुदान

350. **श्री महाराम चौधरी** (नागौर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति नागौर एवं पंचायत समिति मूंडवा जिला नागौर की ग्राम पंचायतों को सन् 1979-80, 1980-81 एवं 1981-82 में कितना-कितना अनुदान दिया गया है ? सूची पंचायत वार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या ग्राम पंचायतों द्वारा अनुदान राशि खर्च कर दी गई है ? यदि हां, तो किन किन कार्यों पर ?

उत्तर

(1) वर्ष 1979–80 एवं 1980-81 में पंचायत समिति नागौर एवं पंचायत समिति मुण्डवा जिला नागौर की ग्राम पंचायतों को कितना कितना अनुदान दिया

(श्री महाराम चौधरी)

गया है उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। वर्ष 1981-82 की दो त्रैमासिक किश्तें राज्य सरकार द्वारा जिला परिषद के माध्यम से दी जा चुकी हैं किन्तु इस अनुदान की राशि को अभी तक ग्राम पंचायतों को वितरित नहीं किया गया है।

(2) ग्राम पंचायतों से सूचना एकत्रित की जा रही है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 13 देखें)

सांचौर पंचायत समिति में स्थाई समितियों का गठन

351. **श्री कनकराज मेहता** (सांचौर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि सांचौर पंचायत समिति में 6 स्थाई समितियों का गठन किया गया है ? यदि हां, तो क्या यह त्रुटि पूर्ण है ? इस सम्बन्ध में सरकार क्या विचार रखती है ?

उत्तर

जी हां। स्थाई समितियों का गठन पंचायत समिति सांचौर द्वारा किया गया है जो राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद अधिनियम, 1959 की धारा 20 के विरुद्ध है। नियमानुसार अधिक से अधिक पांच स्थाई समितियों का गठन किया जा सकता है। राज्य सरकार द्वारा इस मामले को पूरी जांच करवाई जाकर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

जैसलमेर जिले में अध्यापकों की कमी

352. **श्री चन्द्रवीर सिंह** (जैसलमेर) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जैसलमेर जिले में स्वीकृत अध्यापकों के पदों के अनुपात में स्वीकृत प्राथमिक विद्यालय अधिक हैं ?

(2) यदि हां, तो कितने अध्यापकों के स्वीकृत पद हैं व कितने प्राथमिक विद्यालय स्वीकृत हैं ?

(3) कितने और कौन-कौनसे प्राथमिक विद्यालय अध्यापकों के अभाव के कारण बन्द हैं और कब से बन्द है ?

(4) सरकार बन्द पड़े प्राथमिक विद्यालयों को सुचारु रूप से चलाने की कब तक व्यवस्था करेगी ?

उत्तर

(1) जैसलमेर जिले की पंचायत समिति में स्वीकृत विद्यालय अधिक हैं व अध्यापकों के पद कम सृजित हैं जब कि जैसलमेर व साकड़ा में स्वीकृत विद्यालयों से अध्यापकों के अधिक पद सृजित किये हुय है।

(2) जैसलमेर जिले की पंचायत समितियों में अध्यापकों व प्राथमिक विद्यालय निम्न प्रकार स्वीकृत किये हुए हैं:—

क्र. सं.	नाम पंचायत समिति	स्वीकृत वि. की संख्या	स्वीकृत अध्यापकों की संख्या
1–	सम	108	106
2–	जैसलमेर	86	88
3–	साकड़ा	85	93
		279	287

(श्री चन्द्रवीर सिंह)

(3) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) शिक्षा विभाग से अध्यापकों के पद आवंटन होने पर इन विद्यालयों को चालू करने की व्यवस्था की जायेगी।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 14 देखें)

पीपल्दा में कन्दरा सुधार कार्यक्रम

353. **श्री हीरा लाल आर्य** (पीपलदा) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि पीपल्दा क्षेत्र में चल रहे कंदरा सुधार कार्यक्रम हेतु इटावा में सहायक अभियन्ता का कार्यालय प्रस्तावित है ? क्या उक्त कार्यालय भवन वन गया है ? यदि नहीं, तो क्यों तथा अब कब तक वन जावेगा ?

उत्तर

जी नहीं इस क्षेत्र में करवाये जा रहे कार्यों के अनुरूप वहां एक वरिष्ठ अभियन्ता पदस्थापित हैं। उसके कार्यालय हेतु एक कार्यालय भवन निर्माणाधीन है जो वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व वन कर तैयार हो जायेगा।

राजस्थान मुख्य नहर की ब्रांच बरसलपुर व चारणवाला तथा वितरिकाओं व माइनरों पर सिंचाई हेतु मोघे

.354. **श्री देवीसिंह भाटी** (को लायत) : क्या राजस्थान नहर मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान मुख्य नगर की आर. डी. 800 से 1060 तथा वरसलपुर ब्रांच चारणवाला ब्रांच तथा इनकी वितरिकाओं व माइनरों पर सिंचाई हेतु मोघे लगाना कहां कहां प्रस्तावित है ? कृपया नहरों की आर. डी. वार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार राजस्थान मुख्य नहर की दाहिनी ओर आर. डी. 850 व 875 तथा वायीं ओर आर. डी. 878 के पास कितनी-कितनी सिंचाई योग्य भूमि पर कब तक किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) राजस्थान नहर की आर. डी. 800 से 1060 तथा वरसलपुर ब्रांच, चारणवाला ब्रांच तथा इनकी वितरिकाओं व माइनरों पर सिंचाई हेतु मोगे जहां जहां प्रस्तावित हैं उनकी नहरों की आर. डी. वार सूची संलग्न है।

(2) जी हां, सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है। सर्वेक्षण पूर्ण होने पर ही यह कहना संभव होगा कि कितनी सिंचाई योग्य भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी व कब तक होगी।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 15 देखें)

नाथद्वारा में दुकान एवं व्यापारिक स्थापना अधिनियम, 1975 की अनुपालना

355. **श्री सी. पी. जोशी** (नाथद्वारा) : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि नाथद्वारा में दुकान एवं व्यापारिक स्थापना अधिनियम, 1975

Page No 52

(श्री सी. पी. जोशी)

लागू है ? यदि हां, तो क्या इसका पालन हो रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

दुकान एवं व्यापारिक स्थापना एक्ट, 1975 इस विभाग से सम्बन्धित नहीं है। नाथद्वारा में राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम, 1958 लागू है तथा इसकी परिपालना हो रही है।

श्रम विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रम एवं प्रवृत्तियां

356. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) अजमेर जिले में श्रम विभाग के अन्तर्गत कौन कौन सी प्रवृत्तियां एवं कार्यक्रम कहां कहां पर कब कब से चलाये जा रहे हैं ? उनके लिए वर्ष 1981–82 के बजट में क्या प्रावधान है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) अजमेर जिले में श्रम विभाग से अनुदान प्राप्त कौन-कौनसी संस्थायें कौन-कौनसी प्रवृत्तियां एवं कार्यक्रम कहां कहां पर कब कब से चला रहे हैं ? उनको वर्ष 1981–82 में कितनी राशि अनुदान के रूप में दी गई है ? कृपया पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) श्रम विभाग की सामान्य प्रवृत्तियां तथा दायित्व निम्न हैं:—

1– औद्योगिक संबंध
2– श्रम कानून की परिपालना
3– श्रम कल्याण
4– औद्योगिक आवासन एवं
5– श्रम सांख्यिकी

इन सभी प्रवृत्तियों का संचालन अजमेर जिले में किया जा रहा है। राज्य गठन के समय से ही श्रम विभाग के यह कार्यक्रम अजमेर जिले में संचालित हैं।

ब्यावर में श्रम कल्याण केन्द्र 1958 से कार्यरत है एवं किशनगढ़ में वर्ष 1975 में बंद श्रम कल्याण केन्द्र को वर्ष 1980 से पुनः प्रारम्भ कर दिया गया है।

अजमेर जिले हेतु अलग से कोई बजट प्रावधान नहीं है। अजमेर क्षेत्रीय कार्यालय हेतु वर्ष 1981–82 में 2,54,200/– रुपये का प्रावधान है। श्रम कल्याण केन्द्रों के संचालन हेतु 97,700/–रुपये का अलग से प्रावधान है। इसके अतिरिक्त 10,000/– रुपये का आवंटन आवासीय मकानों की मरम्मत हेतु किया गया है।

(2) वर्ष 1981-82 में किसी भी संस्था को कोई अनुदान राशि नहीं दी गई एवं न अनुदान प्राप्त कोई संस्था कोई प्रवृत्ति अथवा कार्यक्रम वर्तमान में चला रही है।

कोयले का आवंटन

357. **श्री रामकिशोर मीणा**(सीकराय) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य सरकार द्वारा दिनांक 1 अप्रेल, 1980 से अब तक भारत सरकार से कितने कितने कोयले के आवंटन की कब

Page No 53

(53)

(श्री रामकिशोर मीणा)

कब मांग की गई और किस किस अवधि के लिए कितने कितने कोयले का आवंटन हुआ ?

(2) इस आवंटित कोयले में से किस किस व्यक्ति, संस्थान एवं सरकारी विभाग द्वारा कब कब कितना कितना कोयला उठाया गया ?

(3) क्या यह सही है कि इस आवंटित कोयले का कुछ भाग उठाया नहीं जा सका और वह कोटा लेप्स हो गया ? यदि हां, तो कारणों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) एक अप्रेल, 1980 से भारत सरकार से कोयले का आवंटन के लिये अतिरिक्त मांग नहीं की गई है। राजस्थान राज्य के लिए भारत सरकार द्वारा सभी प्रकार के कोयले के 3238 वैगन प्रति माह का आवंटन निर्धारित किया हुआ है। इसके अतिरिक्त 2000 मै. टन प्रति माह सोफ्ट कोक सड़क से लाने के लिये भी निर्धारित है। कुल आवंटित वैगनों में से 375 वैगन प्रति माह सिविल कन्जम्पशन के लिए है, शेष उद्योगों के उपयोग के लिए है, जिसे उद्योग विभाग ही स्पोन्सर करता हैं। सिविल कन्जम्पशन के लिये उक्त अवधि में उठाये गये कोयले की सूची संलग्न है।

(2) हां, यह सही है कि आवंटित कोटे का कुछ भाग लैप्स हो गया। इसका कारण कोयले के वैगन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होना रहा है। विभाग द्वारा समय समय पर निदेशक, रेलवे मूवमेंट एवं रेलवे मन्त्री महोदय, भारत सरकार से इस संबंध में सम्पर्क किया जाता रहा है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 16 देखें)

अलवर स्थित मंदिरों की जमीन

359. श्री जीतमल जैन (अलवर) : क्या देवस्थान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) अलवर के भिन्न भिन्न मन्दिरों के अधीन कितनी कितनी जमीन किस किस स्थान पर है ? गांव एवं खसरा नम्बर सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त जमीनों में से किस किस मन्दिर की जमीन राजकीय भूमि से निजी खाते में परिवर्तित हो गई है ? इसका विवरण कृपया सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अलवर जिले में देवस्थान विभाग द्वारा प्रबन्धित किसी राजकीय मन्दिर की विभागीय रिकार्ड के अनुसार कृषि भूमि नहीं है।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 1 मार्च, 1982)

कोटा शाहबाद तथा अजमेर जंगलात क्षेत्र से हरे पेड़ों की कटाई

Page No 54

128. श्री भगवान दास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटा-शाहबाद तथा अजमेर जंगलात से जनवरी, 1980 से जनवरी, 1982 तक कितने हरे पेड़ काटे गये ?

(2) क्या उक्त हरे पेड़ों की कटाई से संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो किस-किस के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(1) कोटा-शाहबाद तथा अजमेर के वन क्षेत्रों से जनवरी, 1980 से जनवरी, 1982 तक की अवधि में 9976 हरे वृक्षों का कटान हुआ है।

(2) जी हां, सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट 17 देखें)

(दिनांक 2 मार्च, 1982)

तहसील प्रतापगढ़ में चयनित विकलांगों को प्रदत्त सुविधायें

152. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विकलांग वर्ष में तहसील प्रतापगढ़ जिला चित्तौड़गढ़ में निवास कर रहे विकलांगों का सर्वेक्षण करवाया गया था ? यदि हां, तो चयनित विकलांगों की सूची पंचायतवार सदन की मेज पर रखें।

(2) चयनित विकलांगों में से कितने विकलांगों को पेन्शन, अनुदान, शिक्षा सुविधा, आवासीय भूखण्ड, कृषि भूमि आदि से लाभान्वित किया गया ? कृपया सम्पूर्ण ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सूची संलग्न है।

(परिशिष्ट 'क')

(2) प्रतापगढ़ तहसील के 2 विकलांगों को 40 रु० प्रति माह अपाहिज पेन्शन का भुगतान किया जा रहा है। शिक्षा सुविधा हेतु 31 आवेदन पत्र प्रस्तुत हुए जिनमें से 4 आवेदक आय सीमा में नहीं आते थे, शेष 27 में से 16 की छात्रवृत्तियां स्वीकृत कर दी गई हैं, 11 के आवेदन पत्र बजट के अभाव में विचाराधीन हैं। किसी विकलांग को आवासीय भूखण्ड तथा कृषि भूमि से लाभान्वित नहीं किया गया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

(दिनांक 4 मार्च, 1982)

नाथद्वारा में टेम्पल बोर्ड की भूमि पर स्थित धर्मशालाओं की दुकानों का किराया

181. **श्री सी. पी. जोशी** (नाथद्वारा) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सच है कि नाथद्वारा में स्थित धर्मशालायें टेम्पल बोर्ड की जमीन पर बनी हुई हैं ?

(श्री सी. पी. जोशी)

(2) यदि हां, तो क्या यह सही है कि शर्तों के अनुसार सभी धर्मशालाओं की दुकानों का किराया टेम्पल बोर्ड में जमा होना चाहिये ?

(3) यदि हां, तो कृपया धर्मशालाओं एवं उनकी दुकानों की सूची एवं दुकानों से टेम्पल बोर्ड को होने वाली आय की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। परन्तु कुछ धर्मशालाओं का पूरा किराया जमा नहीं हो रहा है।

(3) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 18 देखें)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : स्थगन-प्रस्तावों पर व्यवस्था।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :

(1) श्री कनकराज मेहता, सदस्य, विधान सभा की ओर से तहसील सांचौर में गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों को बैंक द्वारा ऋण न देने के विषय में,

(2) श्री दाऊदयाल जोशी, सदस्य, विधान सभा की ओर से कोटा के निकट ग्राम डाया में गत 4 मार्च की रात्रि को सशस्त्र डाकुओं द्वारा नेमीचन्द नामक व्यक्ति के घर में डाका डालने के सम्बन्ध में।

(3) श्री रामकंवार बैरवा, सदस्य, विधान सभा की ओर से तहसील फागी के कुछ ग्रामों में जो तहसील सांगानेर से लगी हुई है, उनमें बिजली की लाइन देने की मांग के सम्बन्ध में,

(4) श्री मेघराज तावड़, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य के अनेक समाचार पत्रों के श्रमजीवी तथा गैर श्रमजीवी पत्रकारों पर पालेकर अवार्ड की सिफारिशें लागू न करने के विषय में,

(5) सर्वश्री अनंगकुमार जैन व बालचन्द आर्यवीर, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजेन्द्र जनरल हॉस्पिटल, झालावाड़ के एक डाक्टर द्वारा वहां के ट्रेनिंग सैन्टर की एक नर्स के साथ बलात्कार के प्रयास के विषय में,

(6) श्री भूपालसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला चित्तौड़गढ़ तहसील निम्बाहेड़ा के ग्राम किशनपुरा में धापू बाई नामक महिला की हत्या के विषय में,

(7) डा. उजला अरोड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से अजमेर निवासी हेमनदास की नव-विवाहित पत्नी जगजीत कौर की दहेज के कारण की गई हत्या के विषय में,

(8) श्री रामकिशोर मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से अलवर नगर

Page No 56

(श्री अध्यक्ष)

परिषद की सीमा के अन्तर्गत आयसर डीजल कम्पनी लिमिटेड द्वारा अनुसूचित जनजाति के लोगों की भूमि को अवैध तरीके से हथिया कर फैक्ट्री के निर्माण की कार्यवाही के विषय में,

(9) श्री भंवरलाल शर्मा तथा कुछ अन्य विधायकों की ओर से राज्य सरकार द्वारा बेरी-वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू न करने से राज्य कर्मचारियों में व्याप्त असंतोष के विषय में,

(10) श्री कैलाश मेघवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के अन्तर्गत इस वर्ष पोषाहार केन्द्रों को वितरण हेतु प्राप्त काफी अधिक मात्रा में मिल्क पाउडर तथा आयल खुर्द-बुर्द कर देने के विषय में,

इन स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

निम्नांकित स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं, अतः मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं :—

(11) श्री हरीश शर्मा—कोटा जिले की रामगंज मण्डी तहसील के कुछ गांवों के कुओं का पानी खराब होने के विषय में।

(12) श्री हंसराज शर्मा तथा श्री चुन्नीलाल—गत 10 मार्च को कस्बा बोंली जिला सवाई माधोपुर में एस. डी. एम. सवाई माधोपुर द्वारा लाठी चार्ज कराने के सम्बन्ध में।

(13) श्री महावीर प्रसाद जैन—टोंक जिले में लगातार 3 वर्ष से अभावग्रस्त होने की स्थिति के बावजूद किसानों से वसूलियां करने के विषय में।

(14) श्री देवीसिंह भाटी—जिला बीकानेर की गुड़ा क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना के अन्तर्गत ग्राम रूपासर में बने कुछ रियायती क्वार्टर के क्षतिग्रस्त होने के सम्बन्ध में।

(15) श्री बंसीलाल पटवा—भीलवाड़ा नगर के उप नगर पुर तक चलने वाली बस सेवा के अस्त-व्यस्त हो जाने के विषय में।

निम्नांकित स्थगन-प्रस्तावों पर राज्य सरकार से तथ्यात्मक सूचना प्राप्त हुई है :–

(1) **श्री बंसीलाल पटवा** : भीलवाड़ा नगर विकास न्यास द्वारा अवैध मकानों को तोड़ने के विषय में सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार रमेशचन्द्र व्यास नगर कालोनी में कुछ मकानों को न्यास द्वारा अधिघोषित योजना क्षेत्र में आने के कारण कानूनी नोटिस देने पश्चात् तोड़ा गया है।

(2) **श्री कैलाश मेघवाल** : अजमेर नगर में बीड़ी निर्माण के श्रमिकों का शोषण। इस सम्बन्ध में सरकार ने सूचित किया है कि अजमेर में फैक्ट्री परिसर में काम करने वाले श्रमिकों की संख्या 60-70 से अधिक नहीं है और जिन 4 नियोजकों के विरुद्ध चालान पेश किया गया है, उन्हें न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है और किसी प्रकार की असामान्य स्थिति नहीं है।

अतः मैं इन स्थगन प्रस्तावों को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(श्री अध्यक्ष)

अब जिन माननीय सदस्यों को मैं पुकारूं वे दो-दो मिनट में अपनी बात कहेंगे।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव रखा था बेरी वेतन आयोग के सम्बन्ध में....

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव रखा था तो मैं उसके बारे में यहां सूचना नहीं दे सकता।

श्री भंवरलाल शर्मा : उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं। आप मत बोलने दीजिए, मैं नहीं बोलूंगा पर मेरी एक बात सुन लीजिए।

यह जो प्रस्ताव रखा है यह प्रस्ताव मेरे साथ श्री यदुनाथसिंह, घनश्याम तिवाड़ी, अनंगकुमार जैन, महाराम, गुलाब चन्द कटारिया आदि....

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। सरकार से जानकारी ले रहा हूं, माननीय सदस्य।

श्री भंवरलाल शर्मा : केवल एक जानकारी मैं दे रहा हूं....

श्री यदुनाथसिंह (नदबई) : अध्यक्ष महोदय, विधान सभा बन्द हो जाएगी, सैक्रेटेरियेट बन्द हो जावेगा, सब कार्यालय बन्द हो जावेंगे, कल से हड़ताल हो रही है....

श्री भंवरलाल शर्मा : केवल एक मिनट....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इस पर बहस नहीं होगी। आप वयोवृद्ध सदस्य हैं। आप अच्छी तरह से नियमों से परिचित हैं। आर्डर। माननीय सदस्य, मैंने इस पर सरकार से जानकारी चाही है। इस पर चर्चा नहीं होगी।

श्री भंवरलाल शर्मा : नहीं बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष : बोल रहे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं केवल एक बात की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूंगा....

श्री अध्यक्ष : मैं इस बात पर इजाजत नहीं दूंगा, माननीय सदस्य।

श्री यदुनाथ सिंह : कल तो विधान सभा बन्द हो जायगी।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप नियमों को तोड़ते हैं, फिर अन्य माननीय सदस्य आपकी देखा-देखी बोलते हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : नहीं, यह तो अपने आप ही तोड़ते हैं। मेरा एक निवेदन है....

श्री अध्यक्ष : आर्डर। इस पर चर्चा नहीं होगी। इस चीज की इतनी आवश्यकता पड़नी ही नहीं चाहिये। बार बार टोकना पड़े, अफसोस है।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं इस पर चर्चा नहीं करूंगा।

श्री अध्यक्ष : आप इसको उठाये ही नहीं।

Page No 58

श्री भंवरलाल शर्मा : एक सूचना देना चाहता हूं। आधा मिनट।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। मैंने व्यवस्था दे दी।

श्री भंवरलाल शर्मा : व्यवस्था को चैलेंज नहीं कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : तो आप विराज जायें ना। आसन पैरों पर है। विराज जायं।

श्री हरीश शर्मा, कोटा जिले की रामगंज मण्डी तहसील के गांवों के कुओं का पानी खराब होने के विषय में।

श्री यदुनाथ सिंह : पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री भंवरलाल शर्मा : मेरा निवेदन है। आपके आदेश से मैं बैठ गया। मैं निवेदन करना चाहता हूं; 15 तारीख को कर्मचारियों ने हड़ताल की घोषणा की है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं इस पर चर्चा की इजाजत नहीं दूंगा।

श्री यदुनाथ सिंह : विधान सभा बन्द हो जायगी।

श्री अध्यक्ष : समय ले रहे हैं। माननीय सदस्य, मैं सरकार से जानकारी ले रहा हूं। अंकित न हो।

श्री यदुनाथ सिंह : ×××

श्री भंवरलाल शर्मा : ×××

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो। मैं इजाजत नहीं दूंगा।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : सरकार से स्टेटमेंट दिलायें, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : मैं सरकार के उत्तर का अध्ययन करने के पश्चात् कोई व्यवस्था दूंगा।

श्री भंवरलाल शर्मा : ताकि 15 तारीख को राजस्थान कर्मचारी हड़ताल पर जाने वाले है....

श्री अध्यक्ष : 15 तारीख को कोई पृथ्वी पर प्रलय नहीं हो जायगा कि 15 तारीख ही है....

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, समय ना लें। अंकित न हो।

श्री भंवरलाल शर्मा : ×××

श्री परसराम मदेरणा (सिंचाई मंत्री) : आसन की व्यवस्था हमेशा यह रही है, जिन स्थगन-प्रस्तावों के संबंध में, ध्यानाकर्षण-प्रस्तावों के संबंध में सरकार से जानकारी प्राप्त करनी है, उस वक्त किसी भी माननीय सदस्य को उस पर चर्चा नहीं करनी चाहिये। आप डिस्कस कर रहे हैं। आप स्पष्ट कर रहे हैं, जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी लेने के बाद व्यवस्था देंगे और व्यवस्था के बाद सरकार को कुछ कहना चाहिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : चर्चा बिलकुल नहीं कर रहा हूं। हम केवल यह कह रहे हैं कि वक्तव्य के लिये समय आज निश्चित कर दें।

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : आज निश्चित नहीं करेंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा : हमारा निवेदन यह है कि समय आज निश्चित कर दीजिये।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। मैंने सरकार से जानकारी चाही है, माननीय सदस्य। बार बार कहने के पश्चात् भी उस पर आग्रह कर रहे हैं। समय ले रहे हैं, माननीय सदस्य।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह (गुढामालानी) : मैंने विशेषाधिकार हनन का जो नोटिस दिया था, उसके बारे में व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आज मध्याह्न पश्चात् मैं इस पर व्यवस्था दूंगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैंने भी विशेषाधिकार....

श्री अध्यक्ष : मैंने सूचित किया है आपको, उन माननीय सदस्यों के नाम बतायें, या उनके कथन को संलग्न करें जिन्होंने उस घटना को देखा है। जो आपने दिया है, आपने जो नाम दिये हैं, वह प्रत्यक्षदर्शी नहीं हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : नहीं, अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि....

श्री अध्यक्ष : आप कंवरिया जी और भैरू सिंह जी के लिये कह रहे हैं? उस पर चर्चा नहीं होगी। जो मैंने व्यवस्था दे दी, उस पर....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपने कोई व्यवस्था नहीं दी, अध्यक्ष महोदय।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : समय ले रहे हैं। आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, बैठ जायं। चर्चा नहीं होगी। अंकित न हो।

श्री मोहन लाल मोदी : ×××

श्री अध्यक्ष : समय ले रहे हैं, अंकित नहीं हो रहा है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : ×××

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो। आप कार्यवाही थोप नहीं सकते। मैंने लिखित में....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : ×××

श्री अध्यक्ष : प्रत्यक्षदर्शी हों वह अपना नाम बता दें। मैंने सब लिख दिया, मुझे याद है। यों जुबानी कहने से क्या है। आर्डर।

श्री हरीश शर्मा।

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, रामगंज मण्डी तहसील के दो गांव हैं—खेण्डी और मालपुरा खुर्द जिनके लिये पहले मंत्री महोदय ने कहा था, राणाप्रताप सागर डूब के नहीं हैं। उससे बहुत बड़ा दुःख हुआ। यह अच्छी

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री हरीश शर्मा)

तरह से जानकारी है, डूब के हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके जितने भी कुए हैं, सब का पानी खारा है। वहां के लोगों के दांत पीले हैं। पूरा शरीर कमजोर है। पशु कमजोर होते जा रहे हैं। पशुओं की हालत ऐसी हो गई है, कोई काम नहीं कर सकते है। कई लोग दिन पर दिन मरते जा रहे हैं। न वहां पर पीने का पानी है, न कोई हैण्ड पम्प है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले सुझाव दिया था, जो पहले नाला वहता था वहां एनीकट बनाकर सिचाई करें तो कम से कम पैदावार तो हो सकती है। अब पैदावार बिलकुल बन्द हो चुकी है। पैदावार होती नहीं है। दो गांवों में बिलकुल अकाल है। धीरे-धीरे वहां के लोग नपुंसक हो गये, माननीय अध्यक्ष महोदय। बच्चे और संतान पैदा होना बन्द हो गई, इस पानी की स्थिति की वजह से। यह बिलकुल सत्य बात है। यह डाक्टरी जांच कर ली जाये, विधान सभा की कमेटी बैठा कर जांच कर ली जाये। यह एक मानवीय प्रश्न है, माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं चाहता हूं यहां के लोग जाकर गांव की स्थिति देख लें, बस। अगर वहां रोयें नहीं तो मेरी गारन्टी है। वह गांव ऐसे हैं, एक दफा तो डूब में नहीं आये, या तो वह गांव छोड़ कर भाग जायं। आधे गांव तो खाली पड़े हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय। फिर खाली हो जायेंगे, तो आगे जायेंगे कहां? माननीय अध्यक्ष महोदय, वह गांव छोड़कर भाग रहे हैं। दूसरे जमीनों पर कब्जा जमा लेते हैं। इस पानी की स्थिति चित्तौड़ जिले में भी फैलती जा रही है। फिर गवर्नमेंट से नहीं संभलेगा, वह। यह सब ऐसा माहौल है, तत्काल गवर्नमेंट ने ध्यान किया तो उस जमीन को कवर आप कर लेंगे। आसपास में गांव हैं, मदनपुरा, काल्याखेड़ी, उनके खेतों को नहीं सींचा जा सकेगा। सारी जमीन में खार फूट गया है। किसी के यहां पैदावार हो नहीं हो पाती। अध्यक्ष महोदय, बहुत ज्यादा हालत खराब हो चुकी है। आर्थिक स्थिति खराब हो गई। खाने को अन्न नहीं मिलता, पशु कमजोर, मनुष्य कमजोर, कोई शक्ति नहीं रही। इन लोगों को प्राथमिकता के आधार पर जल जाना चाहिये। सिचाई के हालत में भी जाना चाहिये। वैसे, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा लिखित रूप से इनको आग्रहपूर्ण निवेदन है आप इस पर विशेष ध्यान दें, वहां के लोगों पर विशेष ध्यान दें।

श्री अध्यक्ष : श्री हंसराज शर्मा।

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान कस्बा बौंली, जिला सवाई माधोपुर में दिनांक 10·3·82 को जो पुलिस द्वारा लाठी-चार्ज हुआ है, उसकी ओर आकर्षित करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, उस दिन धूलण्डी का त्यौहार था। हिन्दू संस्कृति के आधार पर, अपनी परम्परा के अनुसार हजारों लोग बाजार से जुलूस लेकर निकल रहे थे। वहां ऐसी परम्परा है, एक मुख्य स्थान पर सब लोग जाकर तोरण मारते हैं। उस तोरण मारने वाले स्थान पर कुछ सामाजिक लोगों में काफी समय पूर्व एक झगड़ा हो गया था। उसके आधार पर वह केस हाई कोर्ट तक चला। जनता के पक्ष में हाइ कोर्ट का फैसला हो गया। इस साल उसी स्थान पर तोरण मारने के लिये लोग जाने लगे तो

(श्री हंस राज शर्मा)
उससे पहले पुलिस खड़ी थी। गांव के बुजुर्ग और समझदार लोगों ने कहा, कम से कम 40–50 मीटर उरली तरफ ही तोरण मारा जाये, क्योंकि वह मकान अलग से समाज वालों ने खरीद लिया है इसलिये वहां जाना ठीक नहीं है। ज्यों ही उस मकान के पास से भीड़ गुजरने लगी, ऊपर से मकान वालों ने उस भीड़ पर पथराव प्रारम्भ कर दिया। पथराव प्रारम्भ हो जाने की वजह से नीचे के लोगों ने पत्थर का जवाब पत्थर से दिया। उसके आधार पर....

श्री अध्यक्ष : इन दोनों की कार्यवाही को आप कहां तक उचित समझते हैं, य बताओ पहले।

श्री भंवरलाल शर्मा : आगे सुनें।

श्री अध्यक्ष : आगे नहीं। तो और पुलिस क्या करती और मजिस्ट्रेट क्या करता ?

श्री हंसराज शर्मा : मैं निवेदन करना चाहता हूं उसी सन्दर्भ में जब पुलिस पथराव प्रारम्भ हो गया उस समय संघर्ष में 8–10 पब्लिक के लोगों के चोटें आई और पुलिस वालों को चोटें आई, पत्थर फेंकने वाले भी सड़कों के सामने मकान पर रहे, उसके बाद में सब लोग अपने अपने घर पर चले गये। यह सूचना जब सवाई माधोपुर एस. डी. एम. को मिली तो वे आर. ए. सी. के जवानों को लेकर बोंली पहुंचे और वहां पर औरतों को मारा, बच्चे मिले, बच्चों को मारा, मुसलमानों को मारा, फकीर मिले, फकीरों को मारा। जो भी जहां थाना बना था वहां मिला उसको मारा। इस प्रकार 25-30 आदमी जख्मी हो गये और कई लोगों के गंभीर चोटें आई। एक आदमी सवाई माधोपुर अस्पताल में आया हुआ है। इसी प्रकार से एस. डी. एम. ने और पुलिस वालों ने जो वहां मेडिकल अस्पताल है उसके डाक्टर को मना कर दिया और किसी का मेडिकल नहीं होने दिया। उसके बावजूद 25–30 व्यक्तियों को एस. डी. एम. ने आर. ए. सी. के जवानों से घसीटवा कर पकड़वा कर थाने में बुलवाया, अरेस्ट करके सवाई माधोपुर ले गये। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, कल तक की जानकारी मिली है, वहां की संपूर्ण शिक्षण संस्थाएं बन्द हैं और आम हड़ताल चल रही है। इसलिये मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि मनमाने तरीके से एस. डी. एम. ने लाठी-चार्ज किया।

श्री अध्यक्ष : आप दौरे पर पधारे या नहीं ?

श्री हंसराज शर्मा : मैं दौरे पर नहीं गया। वहां के आदमी आये हुए बैठे है। मेरे पास टेलीग्राम आया है और माननीय गृह मंत्री जी के पास भी टेलीग्राम आया है। मैंने गृह मंत्री जी को भी सूचित कर दिया। उनका कहना था कि जिन लोगों को अरेस्ट किया गया था उनको छोड़ दिया गया है। लेकिन मेरा निवेदन है कि वहां पर स्ट्राइक चल रही है और एस डी. एम. ने इस प्रकार मनमाने तरीके से और निर्दयतापूर्वक जो लाठी-चार्ज करवाया है उसके लिये मैं मांग करता हूं, उसकी जांच करवाई जावे। जो अस्पताल में

62

(श्री हंसराज शर्मा)
है उनके खिलाफ जो भी केसेज बनाये गये हैं जिनको अरेस्ट किया गया है उन केसेज को वापस लिया जाय और एस. डी. एम. ने मनमानी करके जिन लोगों को पीटा है, मारा है, उनकी जांच करवाई जावे । यही मेरा निवेदन है ।

श्री अध्यक्ष : श्री महावीर प्रसाद जैन ।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : पहले पाइन्ट आफ आर्डर है कि जिस प्रकार जो भी बोंली की घटना का माननीय सदस्य ने जिक्र किया है....

श्री अध्यक्ष : पाइन्ट आफ आर्डर घटना पर नहीं होता । हमारी प्रक्रिया के नियमों अथवा संविधान की अवहेलना हो तो उठाया जा सकता है ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : उसी संबंध में कह रहा हूं । आपने व्यवस्था दी इसमें हमें एतराज नहीं है । लेकिन हमारा निवेदन यह है कि यदि इस मामले में सरकार का वक्तव्य दिलवा....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । यह पाइन्ट आफ आर्डर नहीं है । मैं आपका नाम पुकार रहा हूं, टोंक जिले में लगातार तीन वर्ष तक अभावग्रस्त होने के बावजूद किसानों से वसूली करने के संबंध में ।

श्री भंवरलाल शर्मा : मेरा कोई पाइन्ट आफ आर्डर नहीं है । केवल मेरा निवेदन है यह घटना 10 तारीख को घटी है फिर भी माननीय मंत्री महोदय और सरकार आज तक वक्तव्य न दे....

श्री अध्यक्ष : मैंने इसको रिजेक्ट कर दिया है । रिजेक्ट करने के बाद वक्तव्य की कौनसी व्यवस्था है ।

श्री भंवरलाल शर्मा : आप पुनर्विचार कर सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष : मेरा कोई पुनर्विचार का विचार नहीं है । श्री महावीर प्रसाद जैन ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थान प्रस्ताव है वह टोंक जिले में 1979 से लगातार कभी वर्षा के अभाव में, कभी ओला-वृष्टि से फसल का नुकसान होता है और कभी अतिवृष्टि के कारण और कभी भयंकर बाढ़ के कारण जिस प्रकार भयंकर तबाही और बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, तो हमारे फेमिन कोड के अनुसार और मानवीय दृष्टिकोण से वहां आम तौर पर वसूलियां स्थगित कर दी जाती हैं । लेकिन जो मामूली, थोड़ी बहुत फसल हुई या होने जा रही थी उसके पहले 1-9-81 के बाद में लगातार वसूलियां हो रही है और उसके ऊपर पैनल्टीज की वसूलियां इस तरह हो रही है, कुर्कियां लग रही है और किसानों को परेशान किया जा रहा है । इसलिये मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि वसूलियों को तुरन्त स्थगित किया जाय और जिस प्रकार पैनल्टीज और कुर्कियां लगाई जा रही है उस कार्यवाही को स्थगित करें । लोग परेशान है, यहां तक कि नांगलीसर और हिंगोनियां जहां पर भयंकर रूप से बाढ़ आई है वहां पर भी वसूलियां स्थगित नहीं हुई हैं और एक तरह से लोग दाने-दाने के लिये मोहताज हैं । अपने जानवर, खेती, घर, जान-माल सब कुछ

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

बरबाद किये बैठे हैं। वहां पर वसूलियां स्थगित नहीं हुई हैं और वसूलियां की जा रही हैं। इसलिये आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वसूलियां तुरंत स्थगित की जायं।

श्री अध्यक्ष : देवीसिंह भाटी, गुड़ा क्षेत्रीय जल-प्रदाय योजना के अन्तर्गत ग्राम लखासर में रिहायशी क्वार्टर क्षतिग्रस्त होने के संबंध में।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, बीकानेर जिले की कोलायत तह- में गुड़ा क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना के रेजिडेंशियल क्वार्टर्स हैं। जब हाल ही में मैं होली की छुट्टियों में क्षेत्र में गया, तो वहां देखा कि 1-3-82 को बिल्कुल ही धराशायी हो गये। इसका कारण क्या है, अध्यक्ष महोदय, छोटी सी लापरवाही वहां के कर्मचारियों की रही, पानी जाने के लिये कोई निकास नहीं बनाया और परनाल नहीं लगाई जिसके लिये समय-समय पर आने वाले जे. ई एन. और ए. ई. एन. को ग्रामीणों ने अवगत कराया कि परनाल नहीं लगाई है, पानी कैसे निकलेगा किन्तु किसी ने ध्यान नहीं दिया। अध्यक्ष महोदय, 5-6 वर्ष हो गये उसके बाद हाल ही में बारिश हुई और डोलियों से पानी निकला और पानी निकलते ही बिल्कुल धराशायी हो गये। उसके बाद में क्या पाया कि पूरा का पूरा निर्माण, जल प्रदाय विभाग के मन्त्री महोदय सुनें, पूरा का पूरा निर्माण मिट्टी में किया गया। जिस प्रकार से एज पर स्पेसिफिकेशन चूने में होना चाहिये था वह मिट्टी में किया गया है। उसके बाद, अध्यक्ष महोदय, मैं ग्राम राणासर में भी गया। इसी प्रकार के क्वार्टर वहां बने हुए हैं। आज उनको संभाला नहीं गया तो, अध्यक्ष महोदय, वे भी निश्चित तौर पर गिरेंगे। मेरा स्थगन-प्रस्ताव रखने का मूल कारण यह है कि आखिर जनता का पैसा है। ऐसी शिकायतें बराबर लिखाई जाती हैं किन्तु उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। छोटी सी लापरवाही की वजह से जनता के ऊपर इस प्रकार दिनों-दिन टैक्स का भार बढ़ाया जा रहा है बार-बार टैक्सों द्वारा जनता को मारा जा रहा है और उस पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। क्या विभाग का जिम्मेवार अधिकारी नहीं है, क्या किसी विभाग का जिम्मेवार मन्त्री नहीं है? उसके ध्यान में अगर इस प्रकार की शिकायतें हैं, जो अनियमितताएं बरती गई हैं उनके ऊपर ध्यान देने की किसी को चिन्ता नहीं है। जिस पर हिन्दुस्तान में रहने वाले, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले का कोई हिस्सा नहीं है। अध्यक्ष महोदय, यह पैसा किसी एक की जायदाद नहीं है। अध्यक्ष महोदय, यह पैसा उस गरीब, मजदूर, किसान का है जिससे आप कपड़े, नमक, मिर्च पर हर प्रकार से टैक्स लेते हैं।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य।

श्री देवीसिंह भाटी : क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना है चाहे किसी प्रकार की योजना है उस कार्य में उसका पैसा लगता है। इस प्रकार से छोटी सी लापरवाही के कारण बरबाद हो जाय उसके एस्टीमेट

(श्री देवीसिंह भाटी)
बने, फिर रिवाइज एस्टीमेट बने फिर वापस किया जाय। यह इतना जुल्म हो रहा है हिन्दुस्तान की आजादी के बाद में। यह भारत आजाद नहीं हुआ है, यह परतंत्र होता जा रहा है। यह कैसी सरकार है, यह कैसी अवस्था है? अध्यक्ष महोदय, हम छोटे-छोटे मामले पर इस प्रकार से स्थगन प्रस्ताव लावें और उनके ऊपर कोई कार्यवाही न हो, आखिर किस प्रकार से यह वित्तमन्त्री बार-बार टैक्स लगाये जायेंगे और इसी तरह जनता सहन करती जायेगी ?

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य। भाषण नहीं।

श्री देवीसिंह भाटी : हम तो मामला लावें और उसके ऊपर ध्यान नहीं दें पी. एच. ई. डी. मिनिस्टर महोदय, यह छोटी बात नहीं है। बहुत गम्भीर विषय मैं मंत्री महोदय के ध्यान में लाऊं, मन्त्री महोदय को विभाग की चिन्ता नहीं। परन्तु वह दिन दूर नहीं जब क्रांति सड़कों पर होकर इन सारों को सीधा किया जायेगा जो सरकार के मंत्री हैं, जो विभाग के अधिकारी हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री बंशीलाल पटवा।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, किस सम्बन्ध में....

श्री अध्यक्ष : श्री बंशीलाल पटवा। नगर विकास न्यास द्वारा अवैध मकान को तोड़ने के सम्बन्ध में। पहले वह हैं। दोनों को साथ ले लें। पहला यह है, उषा नगर में चलने वाली बस सेवा - इसके सम्बन्ध में है। और दूसरा यह है भीलवाड़ा नगर विकास न्यास द्वारा अवैध मकान को तोड़ने के संबंध में। दोनों को एक साथ ले लें।

श्री रामकंवार बैरवा : स्थगन-प्रस्ताव पर व्यवस्था दी थी कि गवर्नमेंट से जवाब मंगवाया है।

श्री अध्यक्ष : इस पर क्या कहना है आपको, जवाब मंगवाया है....

श्री बंशीलाल पटवा : माननीय अध्यक्ष महोदय, भीलवाड़ा नगर लगभग डेढ़ लाख की आबादी का शहर है। वहां पर 6 सिटी बसों के परमिट जारी कर रखे हैं। 6 में से 2 पर वर्तमान में काम की दृष्टि से सिटी बसें चल रही हैं। 4 सिटी बसें आइडल हैं या वह नहीं चला रहे हैं। इस तरह से 6 सिटी बसों में से दो बसें चल रही हैं....

श्री अध्यक्ष : विधान सभा के समक्ष रखने के बजाय यदि आप आर. टी. ओ. से लिखा-पढ़ी करते, तो यह बड़ी आसानी से हो सकता था।

श्री बंशीलाल पटवा : इस संबंध में हमने बार-बार जिला प्रशासन आर. टी. ओ. सब के ध्यान में लाये हैं और उसके बाद पिछली विधान सभा में....

श्री अध्यक्ष : उसमें सुनवाई नहीं हुई। यहां हो सकता है....

श्री बंशीलाल पटवा : ....पिछली विधान सभा में यह सवाल हमने रखा था। वहां बड़ी आबादी है। दो बड़े उपनगर हैं। दो बड़ी बस्तियां है। उनमें सिटी बसें नहीं चलती. उनको रूट्स दिया गया सांगानेर पूर्व वाया भीलवाड़ा।....

Page No 65

(65)

श्री अध्यक्ष : टिकट तो पूरा लेते हैं या नहीं ?

श्री बंशीलाल पटवा : अध्यक्ष महोदय, टिकट भी लेते हैं। इनकी रेट भी फिक्स कर रखी है, सारी व्यवस्था है लेकिन उसके बाद भी केवल सरकार की उदासीनता के कारण, सरकार की ओर से थोड़ा-सा सुपरविजन ठीक न होने के कारण अभी वर्तमान में 6 सिटी बस में से केवल दो बसें चल रही हैं। भीलवाड़ा से सांगानेर दूर दराज का इलाका है। वहां पर सिटी बस नहीं चलने के कारण असुविधा हो रही है। एक-एक महीना बीत चुका है। कलेक्टर और सब के ध्यान में यह बात लाई गई है। सिटी बस न चलने के कारण शास्त्रीनगर कोई नहीं पहुंच सकता। इसी तरह से सुभाष नगर कोई नहीं पहुंच सकता। एक तरह से सारी व्यवस्था ठप्प हो चुकी है। जिन कन्डीशन्स के आधार पर परमिट दिये गये थे, उनकी पालना नहीं हो रही है। दो सिटी बसें चल रही हैं उनमें इतनी भीड़ है कि ऊपर 50 सवारी और अन्दर 70 सवारी रहती हैं। इस तरह से चल रही हैं। नियमों की अवहेलना हो रही है। लोगों को राहत नहीं मिल रही है। पूरा शहर प्रभावित हो रहा है। सांगानेर में कोई रोगी है तो उसको बड़े अस्पताल नहीं लाया जा सकता है। बड़े अस्पताल से वहां नहीं पहुंचाया जा सकता है क्योंकि वहां पर छोटी व्हीकल्स की व्यवस्था नहीं है। मेरा स्थगन-प्रस्ताव के माध्यम से आपको निवेदन है कि कोई न कोई सिटी बस की व्यवस्था हो। जिन कन्डीशन्स के आधार पर परमिट दिये गये हैं, उन पर वह चलाई जायें।

इसके साथ-साथ मेरा एक निवेदन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, जो यहां पर बिराजे हैं, से यह है कि इस तरह के रूट्स खोलकर के जैसा कि सरकार ने वर्तमान में निर्णय लिया है रोडवेज की ओर से सांगानेर पूर्व से भीलवाड़ा मण्डल मिला कर यदि दो रोडवेज की बसों के नये रूट्स खोल दिये जायें, इसके अन्तर्गत चला दी जायें सवेरे शाम तो मैं समझता हूं कि मोनोपोली खतम होगी। समस्या हल होगी। इस दृष्टि से मेरा यह निवेदन है आपके माध्यम से कि सिटी बस की व्यवस्था सुधारने की दृष्टि से, मोनोपोली खतम हो, तो दो बसें कम से कम और चलें। माण्डल से पूर्व सांगानेर भीलवाड़ा होते हुए चले, तो यह प्राब्लम साल्व हो सकती है। यह मेरा मन्त्री महोदय से अनुरोध है। यह किया गया तो बार-बार जो दिक्कत होती है वह दूर होगी। यह मेरा सिटी बस के बारे में निवेदन है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा मेरा स्थगन-प्रस्ताव है, भीलवाड़ा नगर में मकान तोड़े गये हैं यू. आई. टी. के द्वारा, जिसका रिप्लाई आया है आपके पास, उसमें यह बताया गया है नोटिस देने के बाद ही मकान तोड़े गये हैं। मैंने राधाकृष्णन कालोनी के बारे में कहा था और आपको जो रिप्लाई भेजा गया है वह रमेशचन्द्र व्यास कालोनी के नाम से है। यह बिलकुल गलत रिप्लाई भेजा गया है। राधकृष्णन कालोनी पुरानी है। यह डिप्टी टाउन प्लानर के यहां से स्वीकृत है और वह एक इस तरह की कालोनी है। पूर्व में बसी हुई राधाकृष्णन नगर में खेती की जमीन प्रचुर मात्रा में थी, जो उन्होंने आबादी में नहीं की और उसका कम्पनसेशन नहीं दिया गया....

श्री अध्यक्ष : कितने मकान तुड़वाये गये ?

श्री बंशीलाल पटवा : मेरे पास चित्र हैं । 10–12 मकान तोड़े गये हैं । आप चाहें तो नाम भी बता सकता हूं । यह सारे चित्र मैं लाया हूं जो तोड़े गये हैं जब कि नियमों के अन्तर्गत तोड़े नहीं जा सकते हैं । सरकार को अन्धेरे में रख कर....

श्री अध्यक्ष : कृपया आप मेरे से मिलने का कष्ट करें यह सब पत्रावली के साथ ।

श्री बंशीलाल पटवा : यह गलत रिप्लाई दिया है । यू. आई. टी. में जो घपले हो रहे हैं वह इस तरह के हो रहे हैं । मैं सोचता हूं पहले भी मैं इस सदन में निवेदन कर चुका हूं भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है । गलत रिप्लाई दे रहे हैं । इस तरह के काम हुए हैं यहां तक कि कार बिना टेंडर के खरीदी जा रही है तो यह रिप्लाई क्यों नहीं दिया जा सकता । युवा कांग्रेस के अध्यक्ष ने इस मामले में शिकायत की है, इन्दिरा गांधी को, मुख्य मन्त्री को लिखा है । वहां कई प्रकार की इर्रेगुलेरिटीज हो रही हैं । यह चित्र भी है । इस तरह से कई मकान तोड़े गये हैं । मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि कम से कम इस इर्रेगुलेरिटीज को, इस करप्शन के अड्डे को बंद किया जाये और जिनके मकान तोड़े गये हैं उनको कम्पेनसेशन दिया जाये । भविष्य में इस तरह की घटना नहीं घटे , यह मेरा निवेदन है ।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये ।

श्री कैलाश मेघवाल ।

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : अध्यक्ष महोदय, जो स्थगन-प्रस्ताव दिया था वह बीड़ी कामगरों की कण्डीशन आफ एम्पलायमेंट एक्ट, 1966 और रूल्स, 1959 के प्रावधानों की पालना नहीं हो रही है, यह दिया था । क्या सरकार का जवाब यह आया है कि इसमें प्रावधानों की पालना हो रही है....

श्री अध्यक्ष : सरकार ने यह जवाब दिया है कि अधिकतर बीड़ी वर्कर्स अपने-अपने घरों पर काम करते हैं और कुछ बीड़ी फैक्ट्रीज ऐसी हैं जिनमें 60–70 जितने आदमी होने चाहिए उतने काम करते हैं । इसमें जो नियमों की अवहेलना की गई है उस संबंध में दंडित किया गया है अथवा उनके ऊपर मुकदमे चलाये गये हैं । बाकी उन्होंने यह कहा है ऐसी कोई समस्या नहीं है ।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं आपके चेम्बर में डिस्कस करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : ध्यान आकर्षण प्रस्ताव । श्री गुलाबचन्द कटारिया ।

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक नोटिस दिया था....

श्री अध्यक्ष : किस बारे में ?

नियम 295 के अन्तर्गत उठाया गया प्रश्न
बेरी वेतन आयोग का प्रतिवेदन

श्री नाथूसिंह : नियम 295 के अन्तर्गत बेरी कमीशन के सम्बन्ध में 15 तारीख को....

श्री अध्यक्ष : दो मिनट का समय....

श्री नाथूसिंह : दो मिनट लूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं इस मामले में....

श्री अध्यक्ष : यह 295 में कौनसा माध्यम चुनते हैं, यह इस पर निर्भर करता है....

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, इस नियम के अन्तर्गत इसलिये उठाना चाहता हूं क्योंकि परसों 15 तारीख को राज्य सरकार के कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने की सूचना दी है। वह प्रदर्शन करने विधान सभा के सामने आ रहे हैं । परसों क्योंकि सारा काम ठप्प हो जायेगा–इसलिये यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको, अध्यक्ष महोदय, मालूम है, जनता शासन के दौरान कर्मचारियों के वेतनमान में संशोधन हेतु श्री बी. पी. बेरी, जो हमारे यहां से भूतपूर्व न्यायाधीश रहे हैं, की अध्यक्षता में एक वन मेन कमेटी बनाई थी। उस कमेटी को कहा गया था कि आप रिपोर्ट दें इस बारे में जानकारी एकत्रित करके। वह रिपोर्ट दी गई जुलाई, 1981 में। इसके पहले समय-समय पर और जानकारी आ जावे इसलिये उसका पीरियड भी बढ़ाया जाता रहा। क्योंकि उनको इस बारे में अध्ययन करने का मौका मिला अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में काफी, पूर्ण जानकारी कर ली है। सब तरब के कर्मचारी इसमें सम्मिलित हैं।....

(12.48 म. प.)

(श्री अहमद बक्श सिन्धी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

कर्मचारियों का सर्वेक्षण कर के, सरकार की स्थिति की जायजा और साधनों का परीक्षण करके, कितने साधन हैं, इन सब कुछ को देख कर के माननीय बेरी साहब ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। वह रिपोर्ट जुलाई, 1981 में प्रस्तुत कर दी गई है। इसके पश्चात सरकार ने इस रिपोर्ट पर एक अधिकारियों की कमेटी बनाई जो इस रिपोर्ट का परीक्षण करे। इस कमीशन की रिपोर्ट के पश्चात् सरकार द्वारा अधिकारियों की कमेटी बिठायी गई, उस कमेटी ने भी इस रिपोर्ट का परीक्षण किया और परीक्षण करके अपनी रिपोर्ट सरकार को दे दी। इसके पश्चात्, उपाध्यक्ष महोदय, यह रिपोर्ट कहां है, किस हालत में है, सरकार की तरफ से कोई उत्तर नहीं आ रहा है। एक दिन जरूर पहले भी मामला उठा था और इसकी जानकारी मिली थी कि मन्त्रि-मण्डल के विचाराधीन यह मामला पड़ा है। उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा चल रही है। अब आखिर विचाराधीन यह मामला मन्त्रि-मण्डल के सामने कब तक रहेगा। डायनामिक मिनिस्टर माननीय परसरामजी यहां पर बैठे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, कई मन्त्री कहते हैं कि हम डायनामिक हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय फिर यहां कहते है कि हम डायनमिक है तो मन्त्रि-मण्डल पूरा डायनमिक होता, तो ऐसे मामले पर निर्णय लेकर लागू कर सकते थे लेकिन इस रिपोर्ट पर निर्णय नहीं लेकर उसको लागू नहीं किया जा रहा है। इस रिपोर्ट पर कितना खर्च हुआ ? पहले उसका समय बार–बार बढ़ाया गया, उसके बाद फिर अधिकारियों की कमेटी बनाई गयी, उस पर कितना खर्च हुआ ? इसका मतलब यह है कि सरकार ने पूर्ण रूप से इस रिपोर्ट

(श्री नाथू सिंह)

पर कोई कार्यवाही करने की मंशा से ही यह सब किया था। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, इसके बावजूद आज तक भी उस रिपोर्ट को लागू नहीं किया गया है। कर्मचारी को आप जानते हैं, 15 तारीख से हड़ताल पर जा रहे हैं। उसके क्या परिणाम होंगे और उससे सरकार को कितना नुकसान होगा ?

इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति डांवाडोल है। जैसा कि यहां पर वित्त मन्त्री जी कह रहे थे, बहुत ही ज्यादा इस सरकार की वित्तीय स्थिति डावांडोल है। क्या उस परिप्रेक्ष में ही इस रिपोर्ट को लागू नहीं किया जा रहा है ? इस रिपोर्ट के लागू नहीं होने का कारण क्या वित्तीय स्थिति खराब होना का ही है ? अगर आपकी इतनी स्थिति खराब है तो सरकार कैसे चलेगी, सरकार जनता का और कर्मचारियों की भलाई का काम कैसे करेगी, विकास के काम कैसे होंगे जब कि आपकी वित्तीय स्थिति इतनी नाजुक है ?

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, महंगाई भत्ते की चार किश्त सरकार ने रोक रखी हैं वह भी नहीं दी गयी हैं। दिवालिया हो गयी है यह सरकार। वित्त में पूरी तरह असफल हो गयी है। कुछ पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है ? उपाध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी बात यह है कि विधान सभा चल रही है और यह परम्परा रही है इस सदन की और नियम भी देखें तो सब दृष्टि से उस रिपोर्ट को देखने के बाद इस सदन में पेशन करना चाहिए था लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दुःख है कि कई बार मामला उठाने के बावजूद भी आज तक उस रिपोर्ट की कोपी इस सदन में नहीं रखी है। सदन के माननीय सदस्यों को पढ़ने को वह नहीं मिली है। उपाध्यक्ष महोदय, वह मार्केट में मिल रही है, बाजार में बिक रही है, गलियों में रिपोर्ट मिल रही है चाहे जो खरीद सकता है लेकिन माननीय सदस्यों को यह अधिकार नहीं है कि वह रिपोर्ट सरकार उपलब्ध कराये। हम लोग भी उसका अध्ययन करें कि रिपोर्ट में क्या है और सरकार उस पर विचार करे या मन्त्रिमण्डल विचार करे तो हम लिखकर हमारे सुझाव सरकार को भेज सकें। समझ में नहीं आ रहा कि मन्त्रिमण्डल क्या कर रहा है ? मन्त्रिमण्डल के विचाराधीन है। कब तक विचाराधीन रहेगी वह रिपोर्ट ? क्या तब तक, जब तक कि सारे कर्मचारी हड़ताल पर नहीं चले जायें, सारे राजस्थान के कार्य को ठप्प न कर दें ? आपने जो असेंसियल कानून बनाया है बिना वारंट गिरफ्तार करने का, क्या आपने उस कानून के अन्तर्गत पहले ही अपने हाथ मजबूत कर लिये हैं वह कानून विधान सभा में पास कराके। तो क्या आप उस कानून के तहत इन कर्मचारियों की आवाज को दबा देंगे, सारे कर्मचारी हड़ताल पर चले जायेंगे तो आप क्या कर लेंगे ? आपके पास जेलों में स्थान भी नहीं है कि आप उनको पकड़ कर जेलों में बंद कर दें। आखिर आप यथास्थिति में विश्वास क्यों नहीं करते हैं ? जैसा भी निर्णय लें उससे अवगत करायें कि सरकार ने यह निर्णय लिया है। इस सदन में लाइये उस रिपोर्ट को उस पर डिस्कशन करें या उस पर जो भी आपने निर्णय किया है वह दे दीजिये, लेकिन सरकार यथास्थिति में विश्वास नहीं कर रही है। मुझे तो लगता

(श्री नाथू सिंह)

है कि वित्तीय स्थिति डावांडोल है और सरकार कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है, निर्णय नहीं ले पा रही है। सरकार कैसे चल रही है? कोई निर्णय नहीं ले रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था उसके लिये आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इस मामले को सदन में उठाने की अनुमति दी। क्योंकि सारे कर्मचारी 15 तारीख से हड़ताल पर जा रहे हैं, विधान सभा पर आ रहे हैं, जो प्रश्न हमारे जा रहे हैं, उनका क्या होगा ? दूसरे काम सरकार के चल रहे हैं वे सारे ठप्प हो जायेंगे उसके बावजूद भी मंत्रि-मण्डल उस पर विचार करके कोई निर्णय लेने की नहीं सोच रहा है। सरकार समय रहते क्यों नहीं चेत रही है ? उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि आप तो जागरुक हैं सरकार सो रही है, सरकार कुछ नहीं कर रही है, आप सरकार से पूछें कि वह इस सम्बन्ध में क्या कर रही है। माननीय सदस्यों ने इस सम्बन्ध में चिन्ता प्रकट की है, आज ही सरकार अपनी मंशा बताये कि क्या करना चाहती है। मैं निवेदन करूंगा कि विधि मन्त्रीजी यहां पर बैठे हैं, मुख्य मन्त्रीजी, का मुझे पता नहीं है कि कहां हैं आज कल तो दिल्ली में ही रहते हैं राजस्थान को भूल गये हैं।

इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, इस स्थिति में राजस्थान के कर्मचारियों के भविष्य को ध्यान में रखें जो अंधकार में हैं, अनिश्चितता की स्थिति है। उस रिपोर्ट पर क्या होगा, कर्मचारियों को कुछ मालूम नहीं है कि सरकार क्या कर रही है, क्या कदम उठा रही है, एक शून्य की स्थिति पैदा हो रही है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं सरकार से कि इसके सम्बन्ध में तुरन्त कार्यवाही करें और उस रिपोर्ट को तुरन्त लागू करने की घोषणा करे जिससे कि जो स्थिति बन रही है उसका सामना नहीं करना पड़े। वर्ना बड़ी दुखद स्थिति होगी, प्रोडक्शन ठप्प हो जायेगा, काफी लॉस होगा और वित्तीय स्थिति जो पहली ही खराब है और भी ज्यादा खराब हो जायेगी। इसके साथ ही मैं मांग करता हूं कि उस रिपोर्ट को तुरन्त लागू करें, निर्णय लें। उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया उसके लिये आपको फिर धन्यवाद देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

श्री कैलाश मेघवाल : उपाध्यक्ष महोदय, आप तो कर्मचारियों के साथ सहानुभूति रखते हैं। कृपया जवाब दिलवायें।

श्री उपाध्यक्ष : आपने ध्यान आकर्षित कर दिया Now it is for the cabinet to look into it,

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

जिला रसद अधिकारी, उदयपुर से जारी फर्जी परमिट

श्री गुलाब चन्द कटारिया, सदस्य, विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत जिला रसद अधिकारी, उदयपुर के कार्यालय से जारी सीमेन्ट के फर्जी परमिट से उत्पन्न

(श्री उपाध्यक्ष)

स्थिति की ओर खाद्य एवं नागरिक रसद मन्त्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज से ठीक 1 वर्ष और एक दिन पूर्व मैंने विधान सभा के सदन में एक प्रश्न पूछा था उदयपुर में सीमेन्ट फर्जी ढंग से इश्यू किया जा रहा है, गलत इन्द्राज के द्वारा किया जा रहा है, इसका विधान सभा में प्रश्न पूछा था लेकिन उसके बावजूद सरकार ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। जिसके कारण से यह भ्रष्टाचार और बढ़ गया, विस्तार होता गया और लगातार उदयपुर में इस प्रकार सीमेंट का ब्लैक, सीमेंट के फर्जी परमिट से उठता चला गया। पिछली 10 जनवरी के दिन उसका भण्डाफोड़ हुआ। भण्डाफोड़ इस आधार पर हुआ कि कुछ ऐसे गिरोह बन गये थे जो जाली परमिट बनाते थे और उसके आधार पर सीमेंट के जो डीलर थे उनसे सीमेंट लिया करते थे। जिनको ये परमिट दिये जाते थे उनसे बीस रुपया, 15 रुपया बैग के हिसाब से यह कार्यक्रम लगातार, चलता रहा मेरा ऐसा मानना है कि यदि, मन्त्री महोदय, इसका मुआयना करें, इसकी गहराई में जायें, तो आपको पता लगेगा कि लगभग डेढ़ साल से यह गिरोह सक्रिय था। मेरे प्रश्न के जवाब में जो अभी मेरे को सूची भेजी गई है, पत्रों के हिसाब से और जो फोटो स्टेट कॉपी परमिटों की मैंने कलेक्ट की है उसके अनुसार श्रीमन्, केवल एक माह में दिसम्बर, माह में 87 जाली परमिट पकड़े जा चुके हैं, जो 47 तो जिला रसद कार्यालय से और 40 परमिट यू. आई. टी. से पकड़े गये हैं। उन पर 90 हजार से लेकर 1 लाख 10 हजार की सीमेंट ऐंठी है। यह साधारण घटना नहीं है। सारी जानकारी सरकार के पास आ गयी, जिला रसद विभाग के अधिकारियों ने खुद ने स्वयं ने जाकर जाली परमिट विक्रेताओं की दुकानों पर देखे हैं और यह 19 की सूची आपने पेश की है तो यह सूची तो तारीख 12 के दिन ही बन चुकी थी और इन परमिटों को ढूंढ निकाला गया था, इसमें उस आदमी का नाम लिखा है, श्रीमान, जिसको सीमेंट दी गयी लेकिन उसके बावजूद भी आज तक दोषी गिरोह नहीं पकड़ा गया है। यह 12 तारीख के दिन ही पुलिस में दे दिया गया और पुलिस के एस. पी. ने स्वयं ने जांच की और कहा कि परमिट संख्या 2 लाख 22 हजार 433 से लेकर 2 लाख 22 हजार 480 तक के परमिट उन्हीं नम्बरों से परमिट हैं जो जिला रसद कार्यालय की बुक नम्बर में दर्शाये गये थे। उन्हीं नम्बरों से परमिट इश्यू किये गये हैं। आश्चर्यजनक बात तो यह है कि विभाग की जानकारी के बिना यह कैसे हो सकता है कि बुक का नम्बर उनको पता लगे, एक बात। दूसरी, दुकानदार के पास स्टाक है इसकी जानकारी उनको किसने दी। अगर दोनों परमिट इश्यू हो जाते तो सीमेंट नहीं होती। तो या तो आपके रसद विभाग से परमिट इश्यू नहीं किये गये जिसके कारण से स्टॉक में कमी नहीं हुई। परमिट का तो यह नियम है कि जो नीचे

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

का पता होता है उसको काटकर तुरन्त ही रसद कार्यालय में वापस भेजा जाता है, तो आपने इसकी टेबुलेशन क्यों नहीं की? लगभग एक साल से इस प्रकार का गिरोह सक्रिय था। यही नहीं, पुलिस की जानकारी में वे दो मेटाडोर भी आ गई जिनके द्वारा सीमेंट लेकर के पहुंचाई गई और यहां तक कि अखबारों में तो नामों की घोषणा तक हो गई, एस. पी. ने उन लोगों को पुलिस में बुलवा भी लिया उसके बाद भी वह गाड़ियां पहुंच गई। पता नहीं सीमेंट उनको कहां से मिली, उनको परमिट किसने इश्यू किये सीमेंट के। आपको आश्चर्य होगा, मुझे कहते हुए दुख होता है कि आखिर हम कहीं से बड़ी मुश्किल से जनता के सहयोग से ऐसे बेईमानों की बेईमानी पकड़ कर लाते हैं उसके बावजूद भी उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करें तो हिन्दुस्तान को बचाने वाली कोई हस्ती नहीं होगी। मैंने इतना तक देखा है, यह जाली परमिट की फोटोस्टेट कापी है, आपको यह जानकार ताज्जुब होगा कि इसमें लिखा गया है कि सीमेंट कहां से उठेगी, सेवा सहकारी समिति, उदयपुर से लेकिन यह ताज्जुब की बात है कि यह सीमेंट जारी हुई सेवा सहकारी समिति के बजाय उपभोक्ता भण्डार से। जिसके नाम से सीमेंट का परमिट तक नहीं था. यह जारी हुई उस उपभोक्ता भण्डार से जिसकी राज्य सरकार संरक्षक है, उससे यह जारी परमिट उठे हैं।

यह स्टेटमेंट मेरा नहीं है, यह स्टेटमेंट यू. आई. टी. के जो कांग्रेस के वहां बैठे हुए अध्यक्ष हैं उनका है कि यह फर्जीवाड़ा हो रहा है। आपके परमिट नहीं और सीमेंट मिल रही है। इस तरह से उदयपुर में सीमेंट उठता चला जा रहा है। दो महीने हो गये इस सारे काण्ड को प्रकाश में लाया गया इसकी फोटोस्टेट कापी दी गई। आपके डी. एस. ओ. ने इसका सारा पता लगने के बाद अभियुक्तों को क्यों नहीं पकड़ा? आखिर राज इसके पीछे क्या है? इसलिये मेरा यह चार्ज है इस गिरोह में आपके जिला रसद अधिकारी और उनका आफिस पूरा इन्वाल्व्ड है। मेरी यह गारन्टी है कि उनके बिना उन्हीं नम्बरों के परमिट जारी नहीं किये जा सकते। और स्टाक वेरीफिकेशन बार-बार कैसे होता है? वहां, यह कार्य हो रहा है, वहां के कर्मचारियों ने यह काम अपना रखा है। मैंने पिछली बार भी यह कहा था कि फर्जी नाम की एन्ट्री करते हैं। जिन-जिन लोगों को सीमेंट चाहिये वह दरख्वास्त देते हैं, अपने-अपने विभाग के लोग उनके नाम से दरख्वास्त लगाकर आफिस में लगा देते हैं और बाद में उसको परमिट फाड़कर काटकर देते हैं। जो कोई भी ग्राहक आता है और जो 15 रुपया और 20 रुपया भेंट के हिसाब से शेयर का निकाल कर देता है उसको परमिट देते हैं। जब पिछली विधान सभा में आवाज उठी तो इन्होंने नया तरीका अपनाया। पहले तो परमिट बुक छाप दी और उस परमिट बुक पर दस्तख्त करवाते हैं। इस सारे स्टेटमेंट से आपको लगेगा कि आपके अधिकारियों से, गिरोह से वह परमिट दिया है। आज कहने के लिये वह यह कह रहे हैं कि जाली दस्तख्त हैं। लेकिन इसका किसने पता लगाया जाली

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)
दस्तखत भी हैं या नहीं। यह वहां के लोगों की मिली हुई साजिश है। यहां तक हमारे यू. ग्राई. टी. के चेयरमैन साहब ने भी इसका खण्डन किया कि हमारे यहां से जो परमिट जारी हुए हैं उन पर हमारी छाप नहीं है। मैं उनका परमिट देखकर कह रहा हूं। इस परमिट के नीचे वहां के ट्रस्ट की छाप है और ट्रस्ट के इन्जीनियर के उसके ऊपर दस्तखत हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी आखिर दो महीने से, मेरा प्रश्न शायद 23 तारीख को लगाया हैं, 23 जनवरी को लगा रखा था उसके बाद में अभियुक्त को अभी तक पकड़ा क्यों नहीं गया? जिन लोगों को सीमेंट दी, उन लोगों के नाम पते, मकान की सूची आपके पास है उन लोगों को जाकर अरेस्ट क्यों नहीं किया कि तुमने यह सीमेंट कहां से प्राप्त की, बताइये? वह निश्चित रूप से उस स्थान पर आपको ले जाते जिन लोगों ने जिन गिरोह ने मिलकर सीमेंट का ब्लैक किया, फर्जी परमिट बनाये इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे इतनी विनती करता हूं, इतना निवेदन करता हूं कि भगवान के नाम पर थोड़ा रहम करो और हिन्दुस्तान को गैरत में जाने से जरा बचाने का प्रयत्न कीजिये। चाहे मेरा सगा रिश्तेदार है तो निश्चित रूप से उसको जेल के शिकंजे में बन्द करना चाहिये और मेटाडोर गाड़ियां जो भी हैं उनके ओनर हैं, जो ड्राइवर हैं उनको चालान करने वाले हैं वह उनको उठाकर बन्द करें। जिन लोगों के नाम से फर्जी परमिट हैं उन लोगों को कस्टडी में लें। आपके डिपार्टमेंट के सारे कागजात को जब्त करें और उसके आधार पर पता लगाये यह कहां से हुआ है। मेरी निश्चित मान्यता है, आपके आफिस से सारा एक साल का रिकार्ड आप जब्त कर लीजिये उसके आधार पर आपको पता लगेगा कि लगभग एक महीने में 90 हजार से लेकर एक लाख तक फर्जी परमिट दिये गये हैं, इस तरह से लोगों का शोषण हो रहा है।

मैं आपसे चाहूंगा और मुझे विश्वास है मंत्री महोदय, यह कार्य लेकर बैठे हैं, मेरे मन में उनके प्रति थोड़ी आस्था है। मैं चाहूंगा कि सत्यता से जांच हो और सत्यता तो शत प्रतिशत सिद्ध हो गई। निश्चित रूप से आगे आने वाले कुछ दिनों में ये सारे बेईमान, दुष्ट लोग कटघरे में होने चाहिये, जेल में होने चाहिये, इनके साथ कोई रियायत नहीं होनी चाहिये जिसके कारण से भविष्य में कोई व्यक्ति इस तरह ब्लैक, इस तरह का फर्जीवाड़ा न कर सके। इतना बड़ा अपराध किया और उसके बाद में पुलिस के अधिकारी मौन हैं। पुलिस के अधिकारियों ने घोषणा तो बहुत की 13 जनवरी के दिन ही कि मैं ऐसा करूंगा लेकिन आज पूरे दो महीने हो गये क्या किया? इसका मतलब है कि निश्चित रूप से सब बड़े लोगों की मिलीभगत के आधार पर सबका दोष है, उनके कारण से सब लोग खा रहे हैं और यह भ्रष्टाचार हो रहा है। मैं चाहूंगा इसको तुरन्त रोकें और जो भी स्पष्टीकरण आप इस सदन में दें तब उन सारी बातों का उत्तर दें।

श्री उपाध्यक्ष : खाद्य एवं नागरिक रसद मन्त्री इस सम्बन्ध में वक्तव्य देंगे।

राज्य मन्त्री, श्री घासीराम यादव (खाद्य एवं नागरिक रसद आपूर्ति) : उपाध्यक्ष

(श्री घासीराम यादव)

महोदय, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने इस सवाल को असेम्बली में उठाया और एक बड़ी गन्दी बात हुई उदयपुर में उसको प्रकाश में लाये हैं। लेकिन इसके साथ ही 8, 9 जनवरी को किसी ने जाकर डी. एस. ओ. के दफ्तर में बताया बहुत से फर्जी परमिट जारी हो रहे हैं। वहां हमारे डी. एस. ओ. का जो दफ्तर है उस डी. एस. ओ. की बदली हो गई, वह दूसरी जगह गया था। उस दिन उससे पूछ करके वहां के इन्सपेक्टर सतर्कता के वहां से दूसरे आदमियों को लेकर इन्सपेक्टर को बुलाकर उन्होंने उसी दिन 9 जनवरी की रात को इत्तला हुई और 9 तारीख को ही जा करके 3, 4 दुकानों पर चैक किया। चैक करने पर मालूम पड़ा कि जो वहां परमिट हैं वह फर्जी हैं। उन सबके नाम मेरे पास में हैं। 24 और 31 तारीख के बीच में, 12 वें महीने की, वे जारी हुए और 9 को उन्होंने चैकिंग किया, फिर 11 को किया और फिर 12 को किया और 12 को रिपोर्ट दर्ज करा दी। वहां के डी. एस. ओ. ने रिपोर्ट दर्ज कराई। इस बीच में शायद 11 और 12 के बीच में मालूम पड़ा कि हमारे जो जिला रसद अधिकारी हैं, ठीक है जो दोषी हो उनको सख्त सजा दी जानी चाहिये और ईमानदारी से काम करे उसकी रक्षा भी करनी चाहिये। मुझे मालूम पड़ा कि डी. एस. ओ. ने यह मालूम किया अपने तरीके से और कोई सूत्र नहीं था, कोई स्रोत नहीं था। यह मालूम पड़ा कि यू. आई. टी. को चिट्ठी लिखने पर वहां भी जांच हुई और वहां इससे पहले भी फर्जी परमिट पकड़े गये और उन्होंने कहा कि आप अपना स्टाफ भेजिये। डी. एस. ओ. ने अपना स्टाफ भेजा और सारा रिकार्ड देखा, 65 फर्जी परमिट पाये गये 1285 परमिट में। सारे मामले की मैं समझता हूं, मुझे नजर नहीं आता, 9 तारीख को चैकिंग हुई, 11 को हुई और 12 को हुई, 12 तारीख को ही रिपोर्ट दर्ज करा दी एस. पी. को और एस. पी. ने पुलिस को भेज दिया थाने में प्रभारी अधिकारी के पास। बाद में असिस्टेन्ट इन्जीनियर ठीक हो गये उदयपुर के, वह कुछ बीमार थे। वहां का सारा चैकिंग कराया और उसकी जो गलती थी उसको सामने लाये। उसकी भी रिपोर्ट हमारे डी. एस. ओ. ने दर्ज कराई। उसके बाद में आइन्दा कोई गड़बड़ नहीं हो इसके बारे में उसने कदम उठाये कि आइन्दा के लिये परमिट पर राशनकार्ड का नम्बर लिख दें और मुखिया का नाम लिख दें ताकि मालूम पड़े कि कौन लाया और अनुज्ञप्ति अधिकारी के नमूने के हस्ताक्षर भी वहां भेज दिये वह दुकानदार मिला सके। इसके अलावा समय-समय पर जिनके नाम परमिट जारी किये जाते हैं उनके हस्ताक्षर भी कराते हैं। तो माननीय सदस्य ने जैसा बताया हो सकता है एक साल से चल रहा हो, डेढ़ साल से चल रहा हो लेकिन प्रजेन्ट मौजूदा डी. एस. ओ., आर. ए. एस. सलेक्शन ग्रेड का है, उससे मेरी टेलीफोन से बात हुई है और जिन लोगों ने परमिट जारी किये उनके बयान लिये। उन्होंने कहा, हमारे दस्तख्त नहीं मिलते। उन्होने खुद स्टाफ के लोगों ने कहा हमारे परमिट नहीं, दूसरे कागज हैं, दूसरे प्रेस में छपे हैं और

(श्री घासीराम यादव)

हर तरीके से साफ किया है। इसका श्रेय जिला रसद अधिकारी के कार्यालय का है। लेकिन जब यह बात मालूम पड़ी, मैं इस बात के लिये तैयार हूं किसी भी आफिसर को भेजकर डेढ़ साल के रिकार्ड की जांच कराऊंगा अगर हमें मालूम पड़े कभी जिला रसद अधिकारी का कोई गिरोह, कोई क्लर्क शामिल है, एक आदमी शामिल है उसकी जांच कराऊंगा और जो भी इसमें दोषी होगा उसको सख्त से सख्त सजा दी जायेगी और दोषी नहीं पाये जाते हैं उनकी रक्षा....

श्री उपाध्यक्ष : आपने पुलिस को दिया है कि नहीं ?

श्री घासीराम यादव : दिया है। 12 तारीख को रिपोर्ट दर्ज कराई है।

श्री उपाध्यक्ष : इन्वेस्टीगेशन चल रहा है ?

श्री घासीराम यादव : बाकयदा एस. पी. ने एडीशनल एस. पी. की देखरेख में जांच चल रही है। मुझे अफसोस है कि जांच अभी तक पूरी नहीं हुई, मुल्जिमों को पकड़ा नहीं गया। लेकिन हमारा डिपार्टमेंट तो है नहीं पुलिस का डिपार्टमेंट है क्यों नहीं पकड़े गये उसकी जानकारी मैंने यहां से टेलीफोन किया ....मुझे मालूम पड़ा

(व्यवधान)

लेकिन हमारा विभाग तो नहीं है, पुलिस का विभाग है। कौन-कौन पकड़े गये, क्यों नहीं पकड़े गये इसकी जानकारी मैं नहीं दे सकता। मुझे मालूम पड़ा कि उस गिरोह का जो सरदार है वह मिल नहीं पा रहा है। आज उसके बारे में जो कहा है वह असत्य है कि वह पकड़ा गया। यह तो पुलिस की निष्ठा, गृह मंत्री के बताने की बात है। मेरी जानकारी के अनुसार उसको पुलिस ने पकड़ा और उसको हिरासत में रखा....

श्री अध्यक्ष : आपकी जिम्मेदारी है पुलिस से इंवेस्टीगेशन कराने की।

(व्यवधान)

श्री घासीराम यादव : मैंने डी. एस. ओ. से बात की है, उन्होंने बताया कि मेटाडोर गाड़ी को पकड़ा जिससे मालूम पड़ा कि जिन लोगों ने सीमेंट बिकवाया था उन्हें गिरफ्तार करवाया है। गिरफ्तार करने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिस पर आप भी आस्था रखते हैं, ने उनकी जमानत ले ली। उसका क्या इलाज है ? इसके अलावा आप जो कहते हो कि इसमें पहले गलतियां हुई हैं, हम उसकी जांच करवा रहे हैं। मैंने अफसर भेज दिया जांच करने के लिये।

(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : आपकी स्टाफ चेकिंग की क्या प्रक्रिया है, यह बता दीजिये ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुलाब चन्द कटारिया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, मेटाडोर गाड़ी से उन्होंने सीमेंट ले जाकर एक्स के घर रखा। पुलिस ने जानकारी करवाई जिनको वाई जेड ने सीमेंट दिया, उनका इंवेस्टीगेशन किया। दूसरे जो फर्जी नाम दर्ज किये हैं उनसे जानकारी

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)
करें कि किस व्यक्ति से उनको परमिट मिला, इसकी भी छानबीन कीजिये, अगर यह नहीं हुआ तो संदेह है कि मैं उदाहरण-स्वरूप बता दूं कि आपके भाई को किसी ने दिल्ली में देखा था तो आप पूछेंगे कि कहां देखा था, मेरे पास जब लिस्ट मौजूद है कि इन लोगों को परमिट मिला, तो किस व्यक्ति ने या किस प्राइवेट पार्टी ने दिया इसका पता लगाया जा सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, पुलिस विभाग द्वारा इंवेस्टीगेशन जारी है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : दो महीने हो गये मगर....

(व्यवधान)

श्री घासीराम यादव : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बताया वह ठीक है। मैंने भी देखा है कि फर्जी परमिट बनाये गये, तो मैंने भी टेलीफोन पर डी. एस. ओ. से बात की, उन्होंने कहा कि ज्यादातर व्यक्ति जिनको परमिट दिये गये हैं, वह व्यक्ति नहीं मिलते।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : इस लिस्ट में लोगों का रेजीडेंस का पता....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : It is for the police to investigate into it.

(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, कुछ ऐसे व्यक्तियों के पते मेरे पास मौजूद हैं, उनका आपने क्या किया? मैं यह गारन्टी से कह रहा हूं दो महीने हो गये, इसकी जांच नहीं हुई।

श्री उपाध्यक्ष : पुलिस की रिपोर्ट आने दीजिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : कतई नहीं आयेगी।

श्री मेघराज तावड़ : मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं जितनी तारीफ इन्होंने अपने डी. एस. ओ. की की है, मैं दावे के साथ कहता हूं कि डी. एस. ओ. खुद इसमें इन्वाल्व्ड मिलेगा, क्योंकि हमें यह मालूम पड़ा है। मैं इसलिये कह रहा हूं....

श्री उपाध्यक्ष : इन्होंने कोई तारीफ नहीं की है डी. एस. ओ. की।

(व्यवधान)

श्री मेघराज तावड़ : आप इसकी जांच सी. बी. आई. से करवा लीजिये पुलिस से नहीं होगी। पुलिस से केस दबा दिया जायेगा, इसके लिये बड़े-बड़े लोग लगे हुए है। आप सी. बी. आई. से जांच करवायें।

(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उदयपुर में एक साल से डी. एस. ओ. नहीं है। जिसको यह चार्ज दिया गया है उसके पास तीन विभाग हैं। एक वह अकाल राहत कार्य विभाग देखता है, दूसरा जनजाति में भी वह डिप्टी कमिश्नर है और तीसरा चार्ज है इस विभाग का, बंटाधार कर दिया इस

Page No 76

(76)

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)
एक साल में। उसकी जानकारी कैसे हो, वहां घपला हुआ है, कोई डी. एस. ओ. ही नही है।

श्री घासीराम यादव : यह ठीक है, उपाध्यक्ष महोदय, डी. एस. ओ. वहां नहीं लगाया है, लेकिन एक साल से नहीं, तीन-चार महीने से नहीं है....

(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सीधा सा सवाल है कि जिला रसद कार्यालय के कर्मचारियों द्वारा समय-समय पर सीमेंट विक्रेताओं की स्टाक चैकिंग की जाती है। जब इस प्रकार की शिकायतें आई तो क्या उन्होंने ऐसे स्टाक को चैकिंग नहीं की और स्टाक चैकिंग करने के उपरांत ऐसा कोई मामला उनके सामने नहीं आया ?

श्री घासीराम यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पहले निवेदन कर चुका हूं कि 9 तारीख को शिकायत आई है और 11 या 12 को इसकी जांच हुई है....

श्री उपाध्यक्ष : पुलिस की इन्क्वायरी हो रही है।

(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : उसके पूर्व स्टाक चैकिंग होती थी या नहीं, विभाग चैकिंग करता है या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष : यह तमाम मुद्दे पुलिस सामने रखकर इंवेस्टीगेशन कर रही है।

श्री घासीराम यादव : उपाध्यक्ष महोदय, यह मामला लम्बा नहीं है। करीब एक हफ्ता हुआ है या 15 दिन, सारे सीमेंट की तारीख है। यह कोई चार महीने थोड़े चला है, यह तो 24 से लेकर 31 तक है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : इस मामले में डी. एस. ओ. की मिलीभगत के बिना काम नहीं हो सकता था।

श्री उपाध्यक्ष : यह आपका गैस है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह गैस नहीं है। मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि फर्जी परमिट काटे गये, दुकानदारों से जो परमिट काटे गये, दुकानदारों ने दो-दो परमिट काटे और वहां माल उठाया गया, तो वह दुकानदार रिपोर्ट करते, लेकिन डी. एस. ओ. के दफ्तर के आदमी मिले हुए हैं इसलिये मेरा आपसे कहना है कि परमिट उठाये गये सेवा निवृत्त अधिकारी की दुकानों से काटे गये, उपभोक्ता संघ की दुकानों से परमिट काटे गये। उपभोक्ता संघ ने वह परमिट किसे दे दिया, इनकी रिपोर्ट क्यों नहीं की गई ? जो गाड़ी में भरकर जा रहे थे उसकी कोई इन्क्वायरी नहीं हो सकी। जब तक आप डी. एस. ओ. के दफ्तर के बाबूओं का, जो परमिट काटते थे, ट्रांसफर नहीं करते तब तक इसका परिणाम नहीं आ सकता। मेरा निवेदन है कि पहले डी. एस. ओ. को हटाओ, फिर कर्मचारियों, जो परमिट काटते थे, को हटाओ, जिनके पास स्टोरेज थी उनको हटाओ और वह परमिट जिन्होंने लिये उनको हटाओ, फिर रिजल्ट निकलेगा। आप इसकी इंक्वायरी करवायें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह *मामला ऐसा हो गया है जैसा It is just*

Page No 77

(77)

(श्री उपाध्यक्ष)
like putting a cart before the horse. असल में इंवेस्टीगेशन चल रहा है उसके बीच में हम कैसे जजमेंट पास कर सकते हैं ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : डी. एस. ओ. को हटाना चाहिये ।

(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : परमिट के नीचे का जो पोर्शन होता है वह काटकर सीमेंट दिया जाता है । दुकानदार को उसको फाड़कर....

श्री उपाध्यक्ष : माना गया है ऐसा हो रहा है । घपला हुआ है यह तो तस्लीम किया है मंत्री महोदय ने, अब उसकी पूछ जारी है....

(व्यवधान)

पहले रिपोर्ट आने दें फिर एक्शन लेंगे ।

अनुदान की मांग
मांग संख्या 12–अन्य कर

अब श्री जयकृष्ण शर्मा, परिवहन राज्य मंत्री मांग संख्या 12–अन्य कर के संबंध में प्रस्तुत करेंगे ।

श्री जयकृष्ण शर्मा (राज्य मंत्री, यातायात) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 12–अन्य कर के संबंध में 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3,2,50,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाये ।

मांग संख्या 12 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 12 मुख्य शीर्षक अन्य कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये,

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

1. यात्री एवं माल कर की बकाया राशि को समय पर वसूल नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत)
श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना)

2. यात्री कर समाप्त कर एक निश्चित राशि रोड टैक्स में शामिल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री सुजानसिंह (बहरोड़)

3. तहसील बहरोड़ से जिला मुख्यालय तक बस सेवा उपलब्ध कराना एवं बस सेवा में आवश्यक सुधार हेतु चर्चा के लिये ।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम)

4. विभाग द्वारा कर की वसूली में जन साधारण के प्रति सौम्य एवं उदारता नहीं बरतने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक)

5. स्टाम्प वैण्डरों को स्टाम्प रखने की अधिकतम सीमा बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा)

6. ट्रैक्टर ट्रोली पर लगाये गये कर के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

Page No 78

श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल)

7. ट्रैक्टर ट्रोली को टैक्स मुक्त कराने बाबत चर्चा के लिये।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा)
श्री चतुर्भुज (टोड़ारायसिंह)

8. यात्री कर की वसूली में होने वाली अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

श्री दीपेन्द्रसिंह (श्रीमाधोपुर)

9. निजी यातायात बसों की गांवों में पूर्ण रूप से सुचारू व्यवस्था नहीं होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री यदुनाथसिंह (नदबई)

10. राज्य सरकार यात्री एवं माल कर की बकाया राशि को समय पर वसूल करने में असमर्थ रही है, इस पर चर्चा के लिये।

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर)

11. सवाई माधोपुर जिले में स्टाम्प्स विक्रेताओं का ज्यादा कीमत के स्टाम्प्स बेचने के अधिकार दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मोहन लाल मोदी (नीम का थाना)

12. स्टाम्प्स की कमी के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर)

13. वाहनों पर कर समय पर पूर्ण रूप से विभाग द्वारा वसूल नहीं कर पाने से सरकार को होने वाली हानि पर चर्चा के लिये।

14. भूमि एवं भवन कर वसूली की प्रक्रिया के सरलीकरण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत)

15. विभाग द्वारा मोटर साइकिल व स्कूटर चालकों हेतु हैलमेट अनिवार्य किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम जैन (बेगूं)

16. सरकार द्वारा वसूल किये जाने वाले करों की प्रक्रिया के सरलीकरण की आवश्यकता के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर)

17. लघु व सीमान्त कृषकों के भूमि सम्बन्धी दस्तावेजात को स्टाम्प व रजिस्ट्री चार्जेज से मुक्त कराने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर)
श्री कुन्जीलाल (बामनवास)

18. सरकार द्वारा कर वसूली के नियमों का सरलीकरण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री दाऊदयाल जोशी (कोटा)

19. राज्य में कर वसूली की प्रणाली के सरलीकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भालू खां (चूरू)

20. वाहनों का उचित निरीक्षण नहीं किये जाने के उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत)

21. भारी वाहन द्वारा हो रही दुर्घटनाओं को देखते हुए वाहन चालकों का दुबारा चालक टैस्ट लेने पर चर्चा के लिये।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा)

22. मनोरंजन कर नगर पालिकाओं को पुनः सौंपा जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री समर्थलाल (राजगढ़)

23. पूंजीपतियों, प्रथम श्रेणी केठेकेदारों, तथा प्रथम श्रेणी के उद्योगपतियों से करों की वसूली सही रूप में नहीं किये जाने बावत चर्चा के लिये।

श्री माणकमल मेहता (पाली)

24. विद्युत शुल्क संग्रहण में होने वाली अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)
श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग)
श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक)
श्री छीतरलाल आर्य (अटरू)

25. विद्युत शुल्क की वसूली में होने वाली अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

26. निरीक्षकों द्वारा मोटरयानों के उचित निरीक्षण नहीं करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

27. भूमि एवं भवन कर की वसूली में व्याप्त भ्रष्टाचार से जनता में व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

28. फलाईंग ट्रेनिंग महाविद्यालय द्वारा उचित प्रशिक्षण नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिये।

29. इलेक्ट्रिकल इन्सपेक्टरों की अकर्मण्यता से जनता में व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

30. स्टाम्प टिकटों के अभाव पर चर्चा के लिये।

31. अन्तर्राज्यीय परिवहन के अनुज्ञापत्र अन्य राज्यों के अनुपात में प्रदेश में कम जारी किये जाने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

32. अन्तर्राज्यीय परिवहन परमिट देने में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

33. वाहनों के अनुज्ञा पत्र जारी करने में होने वाले विलम्ब पर चर्चा के लिये।

34. माल और यात्री कर को रोड़ टैक्स के रूप में वसूल किये जाने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

35. मनोरंजन कर की दोषपूर्ण वसूली से उत्पन्न समस्याओं पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या 12 पर विचार

श्री उपाध्यक्ष : श्री माणकमल मेहता।

श्री माणकमल मेहता (पाली) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आज यह कटौती प्रस्ताव जो मैंने दिया है, उस पर मैं इस सदन में अपने विचार प्रकट कर रहा हूं। मेरा यह निवेदन है कि जो बजट इस वर्ष हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने इस सदन के

(श्री माणकमल मेहता)

प्रांगण में रखा है और जिस पर कई दिनों से डिबेट चल रही है उसमें बिजली की जो दरें हैं उन दरों में उन्होंने बढ़ोतरी की। लेकिन एक विशेष बात यह है कि उन्होंने जो दरें बढ़ाई हैं उन दरों को बढ़ाने से पहले मेरा यह निवेदन है कि राज्य सरकार को इलेक्ट्रिसिटी की क्या पोजीशन है उसको देखना चाहिये। राजस्थान में वर्षों से विद्युत की कमी रही है और इन वर्षों में जब वर्षा का अभाव रहा है थर्मल प्रोडक्शन तो बहुत ही कम हुआ, अपने यहां केवल चम्बल का ही पानी है, चम्बल के ऊपर ही जो अपने प्रोजेक्ट्स बने हुये हैं उनके द्वारा ही अपने को बिजली मिलती है। इसके अलावा दूसरे प्रदेशों से जो हम बिजली ले रहे हैं एग्रीमेंट्स के द्वारा उनमें अपने को पूरी बिजली नहीं मिलती।

आज राजस्थान में जो ये टैक्सेज लगाये गये हैं उन टैक्सेज से और इन बिजली की दरों से और विशेष रूप से जो टैरिफ है और जो सरचार्ज लिया जाता है 6 नये पैसे पर यूनिट स्टेट की जो ड्यूटी है उस ड्यूटी से जो उद्योग लगाने वाले हैं, जो किसान हैं उन सब पर इन 6 नये पैसे का एडीशन हो जाता है। मेरा निवेदन है कि यदि हम पूरी तरह से बिजली एस्योर्ड नहीं कर पाते हैं तो इन दरों को बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है। यदि हमारा जनरेशन पूरा हो, हम सबको पूरी क्षमता में और पूरी उपयोगिता के आधार पर बिजली दे सकें तो हमें यह टैरिफ बढ़ाना चाहिये। पहले हमने अपनी क्षमता बढ़ायी। आज हमारे यहां किसान को पूरी बिजली नहीं मिलती उसको भी एस्योर्ड बिजली नहीं हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट को भी एस्योर्ड बिजली नहीं है और जो डोमेस्टिक कन्ज्यूमर है उनको भी एस्योर्ड बिजली नहीं है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस एस्योर्ड बिजली के लिये जैसा सतपुड़ा से अपना एग्रीमेंट है सतपुड़ा से बिजली लेने का है मध्य प्रदेश से, उसके लिये हमारे मुख्य मंत्री ने बहुत प्रयत्न किया कि हमें सतपुड़ा से बिजली मिले और सतपुड़ा वाले दो साल से, मध्य प्रदेश वाले बिजली नहीं दे रहे हैं। अपने को लास्ट ईयर जो बिजली मिली उसमें 650 मिलियन यूनिट्स बिजली मिलने का हमारा एग्रीमेंट हुआ है लेकिन 350 मिलियन यूनिट्स लास्ट ईयर भी हमको बिजली कम मिली। तो यह अगर बिजली हमको इस तरह से जो हमारे एग्रीमेंट्स हैं और नेबरिंग स्टेट्स हैं यदि वे बिजली नहीं देते हैं, तो हमारी जो कमी है उसमें अगर दिनों दिन और उत्तरोत्तर कमी होती गई तो हम टैक्सेज अगर बढ़ाते भी रहेंगे तो उसका कोई उपयोग नहीं रहेगा क्योंकि हम बिजली नहीं दे पायेंगे और टैक्सेज व टैरिफ बढ़ाते रहेंगे। तो मेरा निवेदन है इसके लिये जो मुख्य मंत्री निवेदन करते रहे हैं उन नेबरिंग स्टेट्स, जिनसे बिजली के एग्रीमेंट्स हुये हैं, उनसे मैं समझता हूं निवेदन करके हमारे एम०पीज० की लॉबी बनवाकर, मेरा सजेशन है कि अगर प्रधान मंत्री से निवेदन किया जाय कि वह इन्टरवीन करें और मध्य प्रदेश से अपने को 350 मिलियन यूनिट्स बिजली जो हर साल हमको मिलनी है और जो उन्होंने लास्ट ईयर नहीं दी और उससे पहले भी नहीं दी, वह अगर इस साल

(श्री माणकमल मेहता)
देते हैं तो अपने 350 मिलियन यूनिट्स एड हो जाती है और उससे बहुत बड़ा रिलीफ मिल सकता है।

रहा सवाल कोटा में ए०पी०पी० यूनिट है, उसकी हालत आपके सामने है। वह यूनिट बंद हो चुका है और दूसरा जो हमारा प्रोजेक्ट है कोटा का उसके आने में बहुत समय लगेगा। बदरपुर से बिजली हमको मिलती है उसके 37 नये पैसे शायद स्टेट को देने पड़ते हैं, ऐसी मेरी जानकारी है। तो इस तरह से बिजली के जनरेशन के जो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं या नेबरिंग स्टेट्स से हमारे जो एग्रीमेंट्स हुये हैं उनकी पूरी बिजली लेने के लिये मैं तो यह आपको सुझाव दूंगा और आपके माध्यम से सरकार को सुझाव दूंगा कि भारत सरकार से निवेदन करें कि सारा देश बिजली के मामले में एक पूरा प्रदेश माना जाना चाहिए और जहां जहां भी सरप्लस बिजली चाहे नहीं है लेकिन कम से कम ऐसी सेल्फ सफिसियेंट स्टेट्स हैं ही उनका पूल बनाकर सारे प्रदेशों, जो डेफिसिट प्रोविंसेस हैं, के लिये उनको प्रेस किया जाय कि पूल बनाकर सारी बिजली के हिसाब से उन प्रदेशों में जिन-जिन प्रदेशों में बिजली की कमी है, जिसमें राजस्थान सबसे ज्यादा डेफिसिट प्रोविंस है उनको बिजली दी जानी चाहिये। उसके लिये यदि यह पूल बनाया जाता है अपने देश के लेवल पर तो निश्चित रूप से अपने को बिजली की सुविधा मिल सकेगी। अन्यथा मेरा तो यह निवेदन है कि आइंदा 5 या दस वर्ष में भी राजस्थान जो प्रोजेक्ट्स बना रहा है उनमें अगर थर्मल की कोशिश हो तो थर्मल के जो भी एंजिन्स वगैरह उपकरण आते हैं अगर वह पूरी क्षमता से चलते हैं तो भी बी. एच. ई. एल. भोपाल में बनने वाले एंजिन्स से भी 50 प्रतिशत से ज्यादा की क्षमता नहीं होगी। पूरी क्षमता से चलने के बाद भी 50 प्रतिशत कैपेसिटी से ज्यादा उनकी जनरेशन कैपेसिटी नहीं रहती। तो आप जो थर्मल यूनिट्स लगायेंगे, हाइडल के प्रोजेक्ट्स हमारे पास नजर नहीं आते हैं क्योंकि पानी की पैरीनियल रिवर्स नहीं हैं इसलिये मेरा निवेदन है कि देश का पूल बनाया जाय और उसके लिये प्रधान मंत्री से निवेदन किया जाय। उसके लिये भी मध्य प्रदेश से जो बात कर रहे थे उसके लिये जब तक प्रधान मंत्री इन्टरवीन नहीं करेंगी उससे 35 लाख यूनिट्स लास्ट ईयर अपन को नहीं मिली तो हमारे प्रदेश को बहुत बड़ा घाटा रहेगा।

मैं निवेदन करूंगा कि अपने जो ये इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट्स अपने जनरेटिंग सेट्स लगाते हैं उन जनरेटिंग सेट्स से जो बिजली का उत्पादन होता है उसमें डेढ़ रुपया प्रति यूनिट उसकी जनरेटिंग कास्ट आती है। तो उसमें जनरेटिंग सेट्स के लिये, स्टेट ने ऐसा भी तय किया है कि 50 पर्सेन्ट जनरेटिंग सेट्स पर्चेज करने के लिये सब्सीडाइज करते हैं लेकिन हरेक आदमी की कैपेसिटी के बाहर है कि वह उन जनरेटिंग सेट्स को खरीद सके। इसलिये जो बिजली की वर्तमान दर में वृद्धि की है या जो टैक्सेज लगाये हैं उनमें यदि थोड़ी बहुत कमी आप कर सकें तो बड़ा उपयुक्त रहेगा।

हमारे एन्टरप्रिन्योर और इंडस्ट्रियलिस्ट्स राजस्थान में हैं और जिन्होंने

(श्री माणकमल मेहता)

राजस्थान में इंडस्ट्री लगाई हैं उन लोगों की हालत जो दिनों दिन बदतर होती चली जा रही है वह किसी तरह से ठीक रहेगी। मेरा निवेदन है कि राजस्थान में जोधपुर और पाली दो ऐसी जगह हैं जहां पर बहुत बड़े बड़े यूनिट्स लगाये गये हैं। बाहर के हमने इंडस्ट्रियलिस्ट्स को इन्वाइट किया कि आप अपनी इंडस्ट्रीज लगायें, आपको सुविधायें दी जायेंगी, कन्सेशन्स दी जायेंगी। जब हमने कन्सेशन्स देने की बात कही तो उनको आज हम कन्सेशन्स नहीं देकर प्रतिवर्ष अगर उन पर टैक्सेज लगाकर उनकी इस तरह की स्थिति बना दें कि वे अपनी इंडस्ट्रियल यूनिट्स को नहीं चला सकें तो उनके साथ बहुत बड़ा विश्वासघात होगा और वे लोग किसी तरह अपनी कैपेसिटी को और अपनी क्षमता को काम में नहीं ले सकेंगे। इससे हमारे प्रदेश की इकानामी किसी तरह से ठीक नहीं हो पायेगी।

आज हमारे किसान की 4 साल से लगातार अकाल पड़ने के कारण कमर टूट गई है। एक जरिया है, इंडस्ट्री के द्वारा हम अपने प्रदेश की इकानामी बढ़ा सकते हैं। जब हम इंडट्रियलिस्ट्स को पूरी पावर नहीं दे सकते, उनको कन्सेशन्स नहीं दे सकते, उनको इन्सेंटिव नहीं दे सकेंते, तो वे किस तरह से आगे आयेंगे। तो मेरा निवेदन है कि आज 650 यूनिट्स जोधपुर में लगे हुये हैं, 450 यूनिट्स रंगाई-छपाई के पाली में लगे हुये हैं उनका जो आपने टेरिफ बढ़ाया है उसको कम किया जाना चाहिये और उनको एश्योर किया जाना चाहिये कि इतनी बिजली तो आपको मिल ही जायगी। आप किसान पर फ्लेट रेट डबल करके 5 करोड़ की आय कर सकते हैं इससे ज्यादा नहीं कर पायेंगे। उनसे जो आपने आय बताई है इस बजट में कि हमारी इतनी आय हो जायगी 10-15 करोड़ की तो उसके लिये आपको यह सोचना चाहिये कि जब तक आप पूरी बिजली एश्योर नहीं कर सकेंगे उस वक्त तक कैसे आपकी आय बढ़ेगी? वे बिजली लेंगे ही नहीं, अपने कारखाने बंद करके चले जायेंगे और दूसरे प्रदेशों में अपनी इंडस्ट्रीज वे लोग लगायेंगे। तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इंडस्ट्रियलिस्ट्स को यहां से पलायन करने की स्थिति नहीं लायें। इसी तरह से उन इंडस्ट्रियलिस्ट्स के साथ में एक बात और है। हमें यह देखना चाहिये कि जितनी लेबर पोटेन्शियल क्रियेट कर रखी है उन लोगों को रोजी मिलती है, 25-30 हजार मजदूर पाली में काम करते हैं। तो एक लाख आदमियों को रोटी मिलती है तो एक के साथ में फैमिली आफ फोर के हिसाब से देखेंगे तो 4 लाख आदमियों को रोजी-रोटी मिल रही है। उसके साथ-साथ करोड़ों रुपयों का जो उत्पादन हो रहा है और दूसरे प्रदेशों में जा रहा है उससे हमारे यहां की इकानामी खराब हो जायगी। इसके अलावा जब आप बिजली की कास्ट बढ़ायेंगे तो प्रोडक्शन की कास्ट भी बढ़ेगी। कास्ट आफ प्रोडक्शन जब बढ़ेगी, तो वह काम्पटीटिव रेट्स में मार्केट में खड़े नहीं रह सकेंगे। हमारे यहां के इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, जो राजस्थान के इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, राजस्थान के इन्डस्ट्रियलिस्ट देश भर में छाये हुए हैं। आज देश भर के बड़े-बड़े इन्डस्ट्रियलिस्ट हैं जिनमें टाटा

(श्री माणकमल मेहता)

बिरला है, टाटा को आप छोड़ दीजिये लेकिन बिरला, सेक्सरिया, बांगड और दूसरे इन्डस्ट्रियलिस्ट हैं वह सारे राजस्थान के हैं। उन लोगों ने बाहर दूसरे प्रदेशों में अपनी इन्डस्ट्रीज लगायी हैं। आज देश के अन्दर उन्होंने बड़ा कमाया है। हम हुआ उनको अपने प्रदेश में इन्डस्ट्री लगाने के लिये आकर्षित करना चाहते हैं पर वह लोग यहां नहीं आ रहे हैं। यही हालत रही तो जो हैं वह भी यहां से चले जायेंगे। तो, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि यदि इस तरह की बात है तो मैं समझता हूं कि अपनी इकानामी वैसे ही कृषि के ऊपर बेस्ड है, और कृषि की स्थिति, आज अकाल की स्थिति के कारण किसानों की हालत बहुत ही खराब है, वह और भी आगे जाकर बदतर हो जायेगी। उपाध्यक्ष महोदय, जो हम आज आगे की कह रहे हैं हम इन परिस्थितियों में आगे नहीं बढ़ सकेंगे। विकास की योजनाओं की जो बातें करते हैं वह केवल कर्ज के आधार पर है। हम जो आगे बढ़ने के लिये बातें कर रहे हैं अगर हम अपने घुटनों के बल पर रहेंगे तो हम खड़े नहीं हो सकेंगे। तो मैं समझता हूं कि किसी भी तरह हम आगे बढ़ने की क्षमता नहीं रख पावेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि नये उद्योगों में जो लोग हैं इसमें छोटे छोटे एन्टरप्रिन्योर जो आज आगे आ रहे हैं उनको हम कोई सुविधा देना नहीं चाहते हैं। उसके लिये भी हमारे बजट में प्रोविजन किया है, उसमें भी हमने जो टैक्स लगाये हैं उनके अनुसार 200 प्रतिशत टैक्स के करीब हो जाता है क्योंकि एक पैसा है उसे दो पैसे कर देते हैं तो वह 200 प्रतिशत हो जाता है। फिर तो हम जिन लोगों को इन्सेन्टिव देना चाहते हैं तो उनको एन्करेजमेन्ट के तौर पर जो टैक्स लगा वह नहीं लगना चाहिये था क्योंकि अगर टैक्स यदि हम लगाते हैं तो वह लोग आगे नहीं आयेंगे और जो छोटे छोटे लोग कॉटेज इन्डस्ट्रीज लगा रहे हैं उसमें भी कमी आयेगी। वह लोग आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर सकेंगे। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि....

श्री भंवरलाल शर्मा : आप इनका विरोध कर रहे हैं।

श्री माणकमल मेहता : तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, आप इन टैक्सेज में कमी कीजिये। मैं आपके माध्यम से, उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि वित्त मन्त्रीजी इस पर पुनःविचार करें। इस वित्तीय स्थिति, जो इन्डस्ट्रियलिस्ट की वित्तीय स्थिति है, को सुधारने के लिये, उनको सब्सीडाइज करने के लिये आपने जो जनरेटिंग सेट की बात कही और सरकार उनको सब्सीडाइज करने की योजना बना रही है उसके साथ-साथ टैक्स की दरों में भी कमी करने के लिये सोचें। उनकी दरों में कमी हो, अगर बिजली ज्यादा तादाद से बाहर से आ सकेगी तभी हमारी यह बातें सफल हो सकेंगी। वरना आइन्दा के लिये, आगे आने वाले पांच या दस वर्ष तक देश में बिजली की क्षमता या कैपेसिटी की जितनी जरूरत होगी उसको यदि हम उतनी पूरी नहीं कर पायेंगे तो हमारी इसमें उपादेयता

(श्री माणकमल मेहता)
नहीं रहेगी। बस, उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिसिंह (कुम्हेर)।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : माननीय उपाध्यक्षजी सरकार की ओर से जो मांग संख्या 12 प्रस्तुत की गयी है इसमें स्टाम्प एण्ड रजिस्ट्रेशन का जो है वह भी एक मद है। उसमें न्याय शुल्क भी आता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संबंध में अपने विचार प्रकट करता हूं। भारतीय संस्कृति के मुताबिक कभी न्याय नहीं बेचा जाता और कोई न्याय पर फीस नहीं लगेगी। श्रीमान्, आप भी इतफाक करेंगे मेरी बात से कि भारतवर्ष में बड़े से बड़े न्यायालय जहांगीर के जमाने में केवल जंजीर खींचने से खुल जाया करते थे। लेकिन आज एक गरीब से गरीब जब अपनी फरियाद लेकर जाता है चाहे उसके साथ कैसा ही जुल्म हुआ हो चाहे उसका सिर फोड़ दिया गया हो, चाहे किसी बहिन के साथ बलात्कार हुआ हो जब तक वह कोर्ट फीस नहीं देती है तब तक वह फरियाद नहीं कर सकती है। जब तक सरकार उससे एक रुपया फीस नहीं लेगी तब तक सरकार उसकी न्याय पाने की बात को पसन्द नहीं करती है। उपाध्यक्ष महोदय, यह हमारी संस्कृति के ऊपर कलंक है। मैं आपसे, उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार का न्यायालय शुल्क सरकार को नहीं लगाना चाहिये। एक बार भरतपुर में जब एक सिम्पोजियम हुआ उसमें हमारे भारतवर्ष के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री चन्द्रचूड पधारे थे, उस वक्त भी यह बात डिस्कस हुई थी कि राजस्थान में डिफिकल्टीज इन दी एडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस आफ दी लोअर कोर्ट्स है। वह भी इस बात को मान गये थे। वहां भी मैंने इस बात को उठाया था कि भारतवर्ष में जो न्यायालय है वहां गरीब से गरीब आदमी को सुनने के लिये फीस देनी पड़ती है, यह नहीं होना चाहिये। एक गरीब आदमी जिसके मकान पर किसी ने कब्जा कर लिया और वह न्यायालय में उस कब्जे की वापसी के लिये दावा करना चाहता है तो जब तक वह सरकार के न्यायालय में शुल्क नहीं देगा, तब तक सरकार उसको सुनने को नहीं होगी। वह गरीब कहां से उसकी फीस देगा? उसको न्याय देने के लिये एक तरफ तो आप इस बात के हामी हैं कि गरीब की आवाज को सुनना चाहिये, एक तरफ आप यह कहते हैं कि हमें गरीब को न्याय देना चाहिये। सरकार इस बात को तो मान सकती है कि प्राइमरी स्कूल में फीस माफ होनी चाहिये क्योंकि सरकार समझती है कि प्राइमरी शिक्षा देना सरकार का कर्त्तव्य है। अस्पतालों में दवाई मुफ्त देनी चाहिये, क्योंकि सरकार समझती है कि यह सरकार का फर्ज है, तो बगैर फीस लिये गरीब आदमी को न्याय देना सरकार का फर्ज नहीं है? सरकार उसको पसन्द नहीं करती। क्या यह सरकार का कर्त्तव्य नहीं है कि गरीब को न्याय बिना फीस दिये मिले? मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस काग्नीजेन्स ले लेती है कम से कम उन मामलों में तो सरकार को कोर्ट फीस न्यायालय में नहीं लेनी चाहिये। उसको हटा देना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन

(श्री हरिसिंह)

करना चाहता हूं, और आप भी इस संबंध में मुझसे इतफाक करेंगे कि 25 हजार रुपये तक के दावे में कोर्ट फीस नहीं लगायी जाय। ठीक है यह, जब कोई बड़ा आदमी यदि कोई अपनी सम्पत्ति के बंटवारे के लिये या कोई बड़ा आदमी अपनी सम्पत्ति की रक्षा के लिये आता है तो उससे आप कोर्ट फीस लीजिये और आप उससे चाहे तो दुगुनी फीस लीजिये लेकिन उन मामलों में नहीं जिनमें गरीब आदमी आता है। न्यायालय में उसके लिये आपको कोर्ट फीस माफ कर देनी चाहिये। यों तो आपने ऐसी व्यवस्था की भी है वह, श्रीमान्, पापर्स के लिये आपने कोर्ट में व्यवस्था की है। पापर्स को आपने इजाजत दी लेकिन यह एक बड़ी दिक्कत वाली बात है उस आदमी को पहले यह घोषित करना पड़ता है कि वह इतना भूखा और नंगा है कि न्यायालय आ ही नहीं सकता। तब तक सरकार उसको सुनना पसन्द नहीं करती। तो मेरा निवेदन है, उपाध्यक्ष महोदय, सरकार से कि बहुत से मुकदमे में जहां पर कि पुलिस कागनीजेन्स ले लेती है उनमें न्यायालय शुल्क नहीं लगना चाहिये। इसमें कोई आपको बहुत बड़ा घाटा हो जायेगा, वह बात नहीं है। यदि आप न्याय शुल्क के आंकड़े पिछले वर्ष के देखो तो आपको पता लगेगा कि 80-81 में न्यायालय शुल्क से आपको जो आमदनी हुई है वह 11 लाख 52 हजार रुपये हुई है। 81-82 में जो संशोधित अनुमान है वह 40 लाख रुपये है। जो कोर्ट फीस के स्टाम्प्स वगैरह पर आपकी लागत हुई है 6 लाख रुपये है, तो मेरा यह निवेदन है कि यह कोई बहुत अधिक नहीं है। कम्पलेन्ट्स के केसेज में आपको कोर्ट फीस माफ कर देनी चाहिये। फिर साल भर में राजस्थान में करीब 20-22 हजार इस प्रकार के मुकदमे होते हैं कम्पलेन्ट्स के तो क्या 20-25 हजार मामलों में सरकार फीस माफ नहीं कर सकती है, जब कि हम इस सिद्धान्त के हैं कि भारतवर्ष में सभी को सस्ता न्याय मिलना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : आप अगर वित्त मंत्री होते तो क्या करते ?

श्री हरिसिंह : तो मैं उसको माफ कर देता।

(व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मंत्री) : तालिया बजती फिर।

श्रीमती उजला अरोड़ा : और अगर आपकी केबिनेट के मन्त्री लोग इस बात को मंजूर नहीं करते तो आप क्या करते।

श्री हरिसिंह : बहिनजी, आप तो कल्पित बातें कर रही हैं जिसका कि कोई तालमेल नहीं है तो....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। आर्डर आर्डर।

श्री हरिसिंह : तो मैं, उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं कि न्याय बगैर पैसे मिलना चाहिये। न्याय बेचा नहीं जाना चाहिये। यह सरकार गरीबों के लिये है किन्तु जिसका कि सिर फूटा है या बेचारा जो

(श्री हरिसिंह)

मारा जाता हैं उसकी आप न्यायालय फीस माफ नहीं करना चाहते। यह तो एक उसूल की बात है। इसके अतिरिक्त, श्रीमान, इस वर्ष के बजट के प्रावधान में वित्त मन्त्रीजी ने फर्माया है मैं उसका कोई विरोध नहीं करना चाहता हूं पर यह जो रजिस्ट्रेशन फीस, स्टाम्प्स की फीस लगेगी उसमें काफी दिक्कत आयेगी। इस संबंध में यह भी दिक्कत आ सकती है कि अगर कोई किसान अपनी जमीन को बेचना चाहता है या कोई जमीन खरीदना चाहता है उसकी कीमत पांच हजार रुपये लगाना चाहता है और रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी कहती है कि इसकी कीमत पांच हजार नहीं बल्कि पन्द्रह हजार है तो विवाद पैदा हो जायेगा। तो मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा....

श्री भंवरलाल शर्मा : लोग लूटेंगे।

श्री चन्दनमल बैद : सरकार तो अभी भी लूट रही है।

श्री हरिसिंह : तो आपने जो टैक्स बढ़ाया है मैं उसका विरोध नहीं करना चाहता हूं पर कीमत कितनी होगी, इसके लिये क्या आपने कोई प्रणाली रखी है अगर कोई आदमी किसी चीज का रजिस्ट्रेशन कराने जा रहा है तो पूर्व में उसको इस बात की जानकारी होनी चाहिये पूरी कि मेरी प्रॉपर्टी की सही कीमत उतने रुपये की होगी जिसको कि रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी मान लेगी। रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी का तो वह डिस्क्रिशन हो गया। वह तो कहता है कि मेरी प्रॉपर्टी पन्द्रह हजार की है और रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी कहती है कि नहीं यह तो पचास हजार रुपये की है। तो इसके लिए क्या आपने कोई वेल्यूअर अपाइन्ट किये हैं जो बता देंगे कि इस प्रॉपर्टी का वेल्यूएशन इतना है? या कोई नियमों में प्रावधान है? नहीं है, तो नियमों में प्रावधान होना चाहिये या वेल्यूअर या कोई इन्जीनियर्स जैसा सर्टिफिकेट हो जो इस बात को कह सकता है कि इसकी इतनी कीमत है या आप कोई जिलावाइज कीमत तय करना चाहते हैं, इस प्रकार का कोई न कोई तरीका निकालना चाहिये जिससे कि वह आदमी उसके डिस्क्रिशन पर नहीं रहे, जो कि रजिस्टरिंग अथॉरिटी है, उसके दबाव में नहीं आये और वह कम से कम अपनी सही बात कर सके।

दूसरी बात, श्रीमन्, मैं और भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस एडवैलोरम ड्यूटी से भी जो गरीब किसान हैं, जो लघु और सीमांत किसान हैं उनके दस्तावेजात पर तो यह ड्यूटी नहीं होनी चाहिये।

वाहनों पर कर के संबंध में, श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपका जो व्यय है और जो आपकी इनकम है उसकी औसत में बड़ा फर्क है। आपकी आमदनी तो केवल 10 प्रतिशत प्रति वर्ष बढ़ रही है और आपका जो व्यय है वह 1980-81 से 1982-83 में 32 पर्सेंट बढ़ गया। व्यय आपका 32 पर्सेंट बढ़ रहा है और आमदनी आपकी 10 पर्सेंट बढ़ रही है और वह भी किस संबंध में, यात्रियों के कर के संबंध में। ऐसा होना नहीं चाहिए, श्रीमन्। मोटर गाड़ी वह आदमी रखता है

(श्री हरिसिंह)

जो कि इस समाज के अन्दर बहुत ही संपन्न है। एक लाख की जो लोग गाड़ियां रखते हैं, उसमें भी टैक्स की वसूली में व्यय अधिक बढ़ रहा है और आमदनी कम बढ़ रही है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जब आपने सिंचाई पर टैक्स बढ़ाया है, आप फ्लेट रेट को बढ़ा रहे हैं, तो आप क्यों नहीं उन गाडियों पर टैक्स बढ़ा देते हैं? एक परिवार कि अन्दर चार-चार गाड़ियां हैं, खुद की अलग गाड़ी है, बीवी की अलग गाड़ी है, भाई की अलग गाड़ी है, भतीजे की अलग गाड़ी है और बेटे की अलग गाड़ी है। आपको निश्चित रूप से ऐसा करना चाहिये कि एक परिवार में एक से ज्यादा गाड़ी हैं उस आदमी पर दुगुना टैक्स होना चाहिये। अगर एक फर्म के अन्दर चार गाड़ियां हैं, तो एक के बाद हर गाड़ी पर दुगुना टैक्स होना चाहिए। जब आप संपन्न लोगों पर टैक्स लगाना चाहते हैं तो ऐसे टैक्स में कम से कम कोताही क्यों की जा रही है? जब हम किसान पर टैक्स बढ़ाने जा रहे हैं, एक आदमी दो गाड़ियां एफोर्ड कर सकता है, एक परिवार तीन गाड़ियां एफोर्ड कर सकता है तो सरकार का टैक्स क्यों नहीं एफोर्ड कर सकता है? तो यहां पर आपका जो सिस्टम होना चाहिए पर गाड़ी एक-सा नहीं होना चाहिये। अगर एक परिवार में एक से दूसरी गाड़ी वह लेता है, तो उसको दुगुना टैक्स सरकार को देना चाहिये। यह मेरा आपके माध्यम से वित्त मन्त्री जी से निवेदन है।

मैं परिवार के लिए और फर्म के लिए भी निवेदन करना चाहता हूं। ऐसी कई बिजनेस फर्मे मिल जायेंगी कि एक-एक फर्म में चार-चार, छः-छः और दस-दस गाडियां हैं। परिवार छोड़ दीजिये लेकिन फर्म पर करिये। छोड़िये नहीं, मैं तो कहता हूं, लीजिये आप, लेकिन आप उससे सहमत नहीं हैं। मैं तो यहां तक कहता हूं कि कम से कम फर्म के मामले में तो कीजिए। एक-एक फर्म के पास चार-चार गाड़ियां हैं। अगर एक फर्म चार गाड़ियां रखना चाहती है तो उसको टैक्स भी देना चाहिये।

इसके अतिरिक्त, श्रीमन्, आपका जो हैड है, सम्पत्ति और पूंजीगत लेन-देन व अन्य करों के सिलसिले में—इसमें भी जो आपकी आमदनी है और जो व्यय है उसमें कोई तालमेल नहीं है। आपकी आमदनी 10 पर्सेंट भी नहीं बढ़ रही है इस हैड में और आपका जो व्यय है वह 60 पर्सेंट बढ़ रहा है एक साल में। 1980-81 में आपका व्यय था 26.10 लाख रुपया और 1982-83 में व्यय हो गया है 42 लाख 64 हजार और आमदनी हुई आपकी 1 करोड़ से 1 करोड़ 10 लाख। और इसमें भी आप केवल भूमि और भवन कर वसूल करते हैं 1 करोड़ 10 लाख और, जो आपका टैक्स है, एस्टेट ड्यूटी टैक्स है वह तो सेन्टर से वसूल होकर आ जाता है। केवल भूमि व भवन कर की वसूली में इजाफा 1 करोड़ से 1 करोड़ 10 लाख हुआ है जबकि 1980-81 से 1982-83 में 26 लाख से 42 लाख आपका व्यय बढ़ गया। इनकम आपकी स्ट्रेटिक है और व्यय में 60 प्रतिशत की वृद्धि है। तो इसके टैक्स के सिलसिले में आपको देखना पड़ेगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इसको खतम ही करना पड़ेगा।

श्री हरिसिंह : खतम करें या नहीं लेकिन इनकम के साथ आपका व्यय का रिलेशन होना चाहिये। ऐसी टैक्सेशन पॉलिसी आपकी होनी चाहिये, श्रीमन्।

श्रीमन्, आपका एक और हैड है इनकम या आय का लाभांश तथा लाभ का। 1980-81 में आपको 35 लाख की इनकम हुई थी, 1981-82 में आपकी इनकम 26 लाख रह गई और 1982-83 में आप फिर एस्टीमेट करना चाहते हैं 30 लाख रुपया। आपने जो कारण दिया है, श्रीमन्, वह यह है कि हमारे जो सहकारी उपक्रम हैं वह घाटे में जा रहे हैं........

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

तो मेरा निवेदन करना है कि इस प्रकार के सहकारी उपक्रमों को चलाने से क्या लाभ है? क्यों आप चलाना चाहते हैं? जब उसमें आप हर साल 60 लाख रुपया घाटे में जाते हैं तो उतने रुपये आप किसी और में डाइवर्ट कर दीजिये। ऐसा क्या बिगड़ जायेगा अगर सहकारी उपक्रम नहीं चलेंगे तो, सरकार क्यों उनको मजबूर करना चाहती है कि चलायें? वह कोआपरेटिव यूनियन में चलाना चाहें तो चलायें। लेकिन मैंने यह देखा है कि सहकारी समितियों को दिन-ब-दिन मजबूर किया जाता है, इस प्रकार से उनको कहा जाता है कि यह दाल मिल नहीं चलेगी, यह फलां काम चलेगा। क्यों चलाना चाहते हैं? आप अपने पैसे उनसे वापस लीजिये। क्यों देना चाहते हैं उनको आप पैसा? कोई सरकार की नीति नहीं है। वह इन्स्टीट्यूशन इण्डिपेन्डेन्ट हैं सरकार से और अगर वह इन्स्टीट्यूशन चलाना चाहें तो चलायें। कोई नीति नहीं है सरकार की कि उसमें पैसा लगाकर घाटे में नहीं जाया जाये। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे उपक्रम जो घाटे में चल रहे हैं और जो सहकारी उपक्रम हैं उन्हें आप कतई बन्द करें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्रीमन्, एक मिनट में बात समाप्त करूंगा। आपका, माल और यात्री पर जो कर है उसमें 1980-81 में आपकी, श्रीमन्, आय हुई थी 17 करोड़ की और व्यय हुआ आपका 91 करोड़ का। 1982-83 में व्यय बढ़ जाता है 1 लाख 25 हजार का और इनकम आपकी उतनी बढ़ी नहीं है। उसी प्रपोरशन के अन्दर आबादी बढ़ रही है, यात्री कर बढ़ रहा है, उस पर सरचार्ज बढ़ रहा है फिर भी आपकी इनकम उस प्रपोरेशन में नहीं बढ़ रही है। आपका व्यय ज्यादा बढ़ रहा है। उसमें कहीं न कहीं कुछ है। जरूर उसे सरकार को देखना चाहिये। हर सड़क पर जब आप ट्रेवल करेंगे तो आपको चैकर्स बहुत मिल जायेंगे। हर दस मील के बाद या तो ट्रांसपोर्ट वाले चैक करते हुए मिलेंगे या कोई पुलिस वाला चैक करते हुए मिलेगा। बैठिये, बैठिये। बड़ा दुख होता है कि क्या चैकिंग हो रही है और उस चैकिंग के बावजूद भी इनकम नहीं बढ़ती है। तो एक तरफ पब्लिक को परेशानी, दिक्कत चैक करने वालों की....

एक माननीय सदस्य : उससे तो आमदनी होती है।

श्री हरिसिंह : इनकम बढ़ती है वह दूसरी बात है। उससे हमको लाभ मिलने वाला नहीं है। उसे आप रोकिये आप उस टैक्स को व्हीकल्स पर बढ़ा सकते हैं आप उसकी वसूली में जोर दे सकते हैं....

श्री महावीर प्रसाद जैन : वह तो माहवारी वसूल करते हैं।

श्री हरिसिंह : वह वसूल नहीं होना चाहिए। दूसरी बात आपके इसी हैड में है, प्रशासनिक सेवाओं और राजकीय प्रवासों के संबंध में है। एक बात मैं निवेदन करना चाहूंगा सरकार से कि जितने भी राजकीय प्रवास हैं देहली के अन्दर, कम से कम मुझे तजुर्बा है कि एम. एल. ए. वहां जाता है तो कोई जगह नहीं मिलती। तो या तो सरकार इस बात का प्रबंध करे जितने भी हैं सारे ही सरकारी कर्मचारियों के लिए रिजर्व हैं क्या? एम. पी. की बात नहीं है लेकिन एम. एल. ए. जो भी हैं उनके लिए आवास की जगह नहीं मिलती तो सरकार को चाहिये कि एम. एल. एज के इन्ट्रेस्ट को प्रोटेक्ट करें, आवास गृहों के अन्दर चाहे पर्सेंटेज फिक्स करें या और बढ़ायें, लेकिन यह दुखदायी बात है कि ठहरने के लिए इस उम्मीद से जायें कि जगह मिल जायेगी लेकिन जगह नहीं मिलती....

श्री उपाध्यक्ष : तीन मन्जिल बन रही है आप फिक्र ना कीजिये।

श्री हरिसिंह : श्रीमन्, ऐसी व्यवस्था करें कि हमको तो एक मंजिला में ही जगह मिल जाये। तीन मंजिल में ठहरने का कोई शौक नहीं है। एक मंजिला, दुमंजिला में ही जगह मिल जाये ऐसी कोई व्यवस्था करें, उपाध्यक्ष महोदय। ऐसा आप से निवेदन है। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री घनश्याम जैन

(अनुपस्थित)

श्री सुजानसिंह।

श्री सुजानसिंह (बहरोड़) : उपाध्यक्ष महोदय, आज की मांग संख्या -12 व अन्य करों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए मैं अपने विचार आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। सबसे प्रथम मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मेरा विधान सभा क्षेत्र एक उप-जिलाधीश मुख्यालय है और उसमें आवागमन के लिये जो यात्री बसें चलती हैं उसके निमित्त मैंने विधान सभा में पिछले सत्र में भी यह एक प्रश्न रखा था कि उनका सुधार किया जाये। जहां पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट, मुन्सिफ कोर्ट, एस. डी. एम. कोर्ट और तहसीलदार की अदालतें हैं और लोगों का जिले से आना जाना नित्य प्रति अत्यधिक होता रहता है वहां देखा जाता है कि रोडवेज की जो बसेज हैं वह कभी-कभी तो 6-6 घंटे तक बहरोड़ नहीं पहुंच पाती हैं; यदि पहुंच भी पाती हैं, तो एकदम चार-चार गाड़ियां चलती हैं। तो आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि उस इलाके के साथ क्या दुर्व्यवहार हो रहा है। इस रोडवेज के विभाग की तरफ से जब कभी भी जाता हूं लोग यही कहते हैं कि आप इस रोडवेज

(श्री सुजान सिंह)

की समस्या को हल करवायें। इलाके के आदमी रोज, प्रतिदिन जाते हैं उनको 4-4, 5-5 घंटे बसेज नहीं मिलें और मिलें तब ऐसी मिलें कि न उसमें सीटें हैं, न उसमें शीशे हैं और न उनमें ब्रेक हैं, मन चाहा स्टाफ रहता है, लोकल स्टाफ है। जब भी कहें तो वह यही कहता है कि गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया। रास्ते में सवारियां परेशान होती हैं इसलिये मैं निवेदन करूंगा, मन्त्री महोदय, सदन में विराजे हुए हैं, उनकी यही एक ड्यूटी हो जाती है कि यातायात विभाग का उसमें कुछ सुधार करें।

दूसरा, मैंने इसी के सिलसिले में विधान सभा में एक प्रश्न रखा था कि ट्रेक्टर-ट्रॉली को टैक्स मुक्त कर दिया जाय। मैं इसमें आपसे निवेदन करूं कि उत्तर प्रदेश हरियाणा, पंजाब के जो इलाके मेरे विधान सभा क्षेत्र में लगते हुए हैं वहां पर किसानों के लिये ट्रेक्टर और ट्रॉली को एक बैलगाड़ी के रूप में मानकर राज्य सरकारों ने मुक्त कर रखा है। मगर हमारे राजस्थान में ट्रेक्टर पर 55 रु. सालाना कर हैं और 110 रु. ट्रॉली पर टैक्स है। मैं उस समय के जनता पार्टी के शासन को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने किसानों के प्रति कुछ विचार किया था। मुझे ख्याल है, 78-79 में उन्होंने इस टैक्स को 110 रु. निर्धारित करके कुछ राहत दी थी। मगर उन पर हमारा जो पूर्व शासन था, उन्होंने माल कर और यात्री कर लगा रखा था। फिर यह मुक्त करके 110 रु. रखा था। आप जान सकते हैं, किसान के पास छोटी सी जमीन होती है उसके साथ ट्रेक्टर भी रखना चाहता है और ट्रॉली भी रखना चाहता है। आज एक व्यवस्था हो रही है कि परिवहन विभाग का काफी टार्गेट पूरा किया जा रहा है। टार्गेट पूरा करने के लिये बसेज और ट्रकों से माहवारी बन्धी हुई है, कम्पनियों से पैसे वसूल किये जा रहे हैं, रोज चैकिंग होती रहती है, हम जाते रहते हैं पर किसी का चालान नहीं होता है। आज टार्गेट पूरा करने के लिये उन गरीब किसानों का यही खर्चा कराया जाता है। ट्रेक्टर, ट्रॉली आजकल थाने में खड़ी रहती हैं। किसान बेचारा जानता नहीं टैक्स किसको देना चाहिये, कैसे देना चाहिये। आज, मसलन मैं आपसे यह निवेदन करूं कि मेरा ट्रेक्टर है और यह ट्रेक्टर मैंने पांच साल पहले खरीदा था और ट्रॉली दो महीने पहले बनाई है; तो चैकिंग यह कहती है कि आपको पांच साल का टैक्स देना पड़ेगा। मैं मन्त्री महोदय और वित्त मंत्री महोदय विराजे हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि यदि आपका बजट 340 करोड़ के घाटे में चल रहा है तो ट्रेक्टर-ट्रॉली और ट्रेक्टर को इसके साथ अटैच कर दिया जाय और एक ही पर टैक्स लगा दिया जाय। 110 रु. ट्रॉली और ट्रेक्टर यदि दोनों को एक जगह कर दिया जाय तो मैं कहूंगा आपका टैक्स भी पूरा वसूल होगा और आपको आमदनी भी होगी और जितने भी किसान भाई हैं वह आपका गुण-गाण करेंगे और इस चैकिंग आथॉरिटी से वे निपटारा कर सकेंगे।

तीसरा, आपसे यह निवेदन करूंगा, प्रायः यह देखा जाता है कि कोर्ट फीस के जो स्टाम्प्स होते हैं और जो स्टाम्प

(श्री सुजान सिंह)

वेन्डर्स होते हैं यह बेचते रहते हैं और जब उनको यह मालूम पड़ जाता है कि इसमें कमी होती जा रही है तो जो आर. टी. ओ. आफिस में बहुत से दलाल बैठे रहते हैं वह 100-100, 200-200 रुपयों के स्टाम्प और टिकट खरीद लेते हैं और खरीदने के बाद वे ब्लैक में बेचे जाते हैं। एक सुझाव और रखूंगा। इससे पूर्व मुझे मालूम नहीं किस तारीख से विधि मंत्री जी ने यह रूल्स निकाले हैं, पहले जो स्टाम्प्स बिकते थे उन स्टाम्प्स पर आवेदक का नाम लिखा जाता था। मेरे ख्याल से यदि इस प्रकार अब भी आवेदक का नाम लिख दिया जाय तो स्टाम्प्स और टिकटों की चोरी नहीं होगी और ब्लैक भी नहीं होगा। इसलिये मैं ज्यादा न कह कर अपना वक्तव्य यहीं समाप्त करता हूं। मेरे ये ही सुझाव है और मंत्री महोदय से यही निवेदन करूंगा कि इन पर गौर फर्मावें। जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : श्री महाराम चौधरी।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 12–शीर्षक स्टाम्प्स ड्यूटी और रजिस्ट्री, सम्पत्ति और रजिस्ट्री, सम्पत्ति और पूंजीगत लेन-देन पर कर के सम्बन्ध में निवेदन करूंगा। जो इन विभागों के एस्टब्लिशमेंट और प्रशासनिक खर्चे हो रहे हैं, खर्चे इतने ज्यादा हो रहे हैं जिससे जो वसूलियां होनी चाहिये वह नहीं हो रही हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह मैंने जब भवन कर, नगर भूमि एवं भवन कर, यह आपके विभाग का पढ़ा तो यह पाया कि सरकारी अधिकारी जो इस विभाग में लगे हुए हैं वे अपनी सुविधा के लिये अपने जूरिस्डिक्शन में डिस्ट्रिक्ट्स का इस तरह से एडजस्टमेंट करते हैं जैसे जयपुर शहर का भी आधा पोर्शन तो एक अधिकारी के पास में और आधा पोर्शन दूसरे अधिकारी के पास में और उसके साथ में दूसरे डिस्ट्रिक्ट को जोड़ दिया जाय यानि दोनों अधिकारी जयपुर में ही रहकर जयपुर की उपलब्ध सुविधायें लें। उनके साथ में एक-एक डिस्ट्रिक्ट दूसरे जोड़ दिये, यहां पर यह लिखा है-सहायक निदेशक (प्रथम) जयपुर, टौंक जिला-सांभर सब डिवीजन एवं जयपुर का पश्चिमी भाग, सहायक निदेशक, लिखा है जयपुर सवाई माधोपुर जिला सांभर सब डिवीजन को छोड़कर समस्त जयपुर नगर का पूर्वी हिस्सा यानि, उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह के जो खर्चे हैं और ऐसे बड़े अधिकारी पर कितना खर्चा होता है? उनका टी. ए. ; डी. ए. भी ज्यादा बनता है। इन विभागों का खर्चा अगर नियमित ढंग से कम करने के लिये इन डिस्ट्रिक्ट्स का बंटवारा यथोचित किया जाय तो इतना खर्चा शायद इस पर नहीं हो सकता है।

इसी तरह ट्रान्सपोर्ट विभाग में रात-दिन सड़कों पर आते जाते यह देखते हैं तो पुलिस वाले अलग खड़े रहते हैं, ट्रान्सपोर्ट विभाग के निरीक्षक अलग खड़े रहते हैं, कर्मचारी अलग खड़े रहते हैं, सभी ट्रक वालों से अपनी मन्थली बन्धी हुई की फिराक में रहते हैं और मन्थली बन्धी हुई होने की वजह से सरकार को घाटा होता है। पूरा टैक्स वसूल नहीं होता और टैक्स पूरा वसूल न होने से सरकार में ओवर ड्राफ्ट बढ़ जाता है। ओवर ड्राफ्ट बढ़ जाता

(श्री महाराम चौधरी)

है तो उनको और तो कोई दूसरा मिलता नहीं है, जंगल में रहने वाले, रात-दिन अपनी गाढ़ी कमाई में पिसने वाले, लोगों पर सिंचाई कर, बिजली कर लगा देते हैं। लापरवाही करते हैं आपके अधिकारी, जो दूसरा सोर्स हैं जो सम्पन्न जायदाद वाले हैं जो टैक्स दे सकते हैं, समृद्ध हैं–उन पर न लगाकर किसानों पर मांड दिया जाता है, क्योंकि किसानों का कोई संगठन नहीं है। और अगर संगठन भी है तो इस तरह से बिखरा हुआ संगठन है कि कोई उनको रिप्रजेन्ट करने वाला नहीं है। हड़ताल करना उनके स्वभाव व नेचर में नहीं है और कर भी देवें तो जैसे बरसात हुई है खेत में और उस समय हड़ताल कर दे तो फिर कल परसों बोयेगा कौन और कौन यह कहेगा कि हड़ताल मत कर। यानि जितना अन्याय और टैक्सेज वगैरह की जो कार्यवाही है वह किसानों पर ही थोपी जाती है।

उपाध्यक्ष महोदय, भूमि एवं भवन कर माफ करके वित्त मंत्री महोदय ने जो उनके आस-पड़ोस में है या जो चेहते हैं उनको एक तरह से सुविधा देकर सरकारी आय कम की है और सरकारी आय कम करके वापस किसानों की तरफ उन्होंने यह टैक्स बढ़ाया है।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरे जो अन्य करों के अन्दर मनोरंजन कर जैसी चीजें हैं। मनोरंजन वगैरह समारोह हैं, पुष्प प्रदर्शनियां हैं, उनमें शहरी क्षेत्र के अन्दर जिनको समय मिलता है वह जाते हैं। दिन भर दफ्तर के अन्दर घूमते-घामते रहने के बाद इस तरह के समारोहों में जाने के लिए अपने हित के लिये मनोरंजन के ऊपर टैक्स माफ कर दिया। जो आम आदमी उत्पादन के अन्दर सहयोग करने वाले हैं या उत्पादन देश का बढ़ाने वाले हैं, जिससे सब को फायदा होता है, उन पर टैक्स लगा करके किसानों के विरोध की बात हुई है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि जितना यह आपका प्रशासनिक खर्चा है, प्रशासनिक काम काज में देरी करना और समस्याओं को जटिल करना, इस तरह के कर वसूली करने में अनियमितताएं बरतना या भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना, यह सब चीजें प्रशासन की तरफ से होती हैं, अधिकारियों की तरफ से होती हैं। इसलिए इसमें सुधार लाने के लिए जब तक आप इन पर अंकुश नहीं लगायेंगे, जब तक आप ठीक तरह से काम करने की कोई व्यवस्था नहीं करेंगे या जो इस तरह की अनियमितताएं हुई हैं उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं करेंगे तो इस तरह के खर्चे बढ़ते जायेंगे और दूसरे टैक्स लगाने की आपकी मंशा रहेगी। इसलिए मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जितने भी आपके अन्य कर हैं, इनके अन्दर आपको प्रशासन में सुधार करके वसूलियों पर ज्यादा जोर देना चाहिए और जो सम्पन्न और सुविधा की जो चीजें उपभोग करते हैं, उन पर ज्यादा कर लगाना चाहिए जिससे आम आदमी पर टैक्स का भार नहीं पड़े।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्री महाराम चौधरी : अन्त में थोड़ा सा इतना तो कह दूं, आपने जो समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : उपाध्यक्ष महोदय, आज जिन मांगों पर अपन बातचीत कर रहे हैं, करारोपण विभाग का प्रगति विवरण कहां है ? मैं माननीय मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगी, किस बारे में स्टडी करें, किस बारे में विचार विमर्श करेंगे । करारोपण विभाग का प्रगति विवरण क्यों वितरित नहीं किया गया ? इसका उत्तर दिलवाइये । माननीय अध्यक्ष महोदय ने आदेश दिया था 4–5 दिन पहले कि जिन मांगों पर विचार हो, उसका प्रगति विवरण दे दिया जाना चाहिए लेकिन आज बातचीत करने को खड़े हुए हैं, यहां मांगें सामने हैं, लेकिन इस वर्ष का विवरण क्यों हमारे पास नहीं पहुंचा ? किस बात पर विचार कर रहे हैं ? क्या प्रगति है, क्या लाभ है, क्या हानि है यह तो प्रगति विवरण से मालूम होगा । उपाध्यक्ष महोदय, दिलवाइये न जरा, करारोपण विभाग का प्रगति पत्र कहां है ?

श्री उपाध्यक्ष : आपके पास बजट का पूरा सेट होगा !

श्रीमती उजला अरोड़ा : उससे कोई अर्थ नहीं है, इतना बड़ा पोथा देखने के अलावा कोई प्रगति विवरण आना ही नहीं चाहिए, फिर तो काफी है, बजट की पुस्तक मिल गयी । यह कोई बात नहीं हुई, उपाध्यक्ष महोदय, आप तो हमारे हितों की रक्षा करने वाले हैं, आप उनसे दिलवाइये हमको । सरकार नही दे रही है ।

श्री उपाध्यक्ष : क्या चाहती हैं ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : करारोपण विभाग का प्रगति विवरण कहां हैं, वह चाहती हूं ?

श्री उपाध्यक्ष : आप एक को ही नहीं मिला और सब को मिल गया ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : किसी को नहीं मिला । वितरित नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ ? फिर इस मांग को किसी और दिन रखा जाय ।

एक माननीय सदस्य : मुख्य सचेतक जी आप कह दो न ।

श्री जयकृष्ण शर्मा : ट्रांसपोर्ट का बंट गया ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : पूरे करारोपण विभाग का मैं पूछती हूं, कहां है ?

श्री उपाध्यक्ष : अभी मांग संख्या 12 है ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं 12 पर ही नहीं बात कर रही हूं, 12 के अलावा कई हैं । पूरा प्रगति विवरण चाहिए मुझे, करारोपण विभाग का । मैं क्या 80–81 पर बोलूं ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, आपको जब मालूम था कि यह आपको प्रगति पुस्तक नहीं मिली है तो, अध्यक्ष महोदय से चेम्बर में मिल सकती थीं, वह व्यवस्था करते अब ऐन टाइम पर....

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं आपको निवेदन कर दूं, यह सिस्टम है कि प्रत्येक विभाग अपने यहां का प्रगति विवरण भेजता है । करारोपण विभाग ने अपना प्रगति विवरण हमको वितरित क्यों नहीं किया है ? मुझे यहां तक जानकारी है,

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

हमारे विधान सभा सचिवालय में अभी तक आया ही नहीं है । यह मेरी जानकारी है । वह क्यों नहीं आया ? फिर इस मांग को आज न रखकर किसी और दिन रखा जाय । जब हमारे पास प्रगति विवरण नहीं है फिर बातचीत किस पर करें ।

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, यह मांग 12 में जो अन्य कर हैं, उनमें एक तो स्टाम्प ड्यूटी है, अब स्टाम्प ड्यूटी....

श्रीमती उजला अरोड़ा : देखिये....

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये, माननीय सदस्या ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप मेरी बात सुनिये । मैं आपकी बात पूरी सुन रहा था । एक तो स्टाम्प ड्यूटी के लिए क्या प्रगति रिपोर्ट पेश करना, उसका आपने सही फर्माया कि बजट के अन्दर कितनी आमदनी हुई है और कितने होने के लक्ष्य हैं, वह उन्होंने बता रखे हैं । दूसरा लैण्ड एण्ड बिल्डिग टैक्स है....

एक माननीय सदस्य : लैण्ड एण्ड बिल्डिग का तो पेश किया है ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैंने जो बात कही, उसका उत्तर दे दीजिए । करारोपण विभाग का कहां है ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : करारोपण में यह ही आते हैं ।

एक माननीय सदस्य : करारोपण विभाग कोई है क्या, उपाध्यक्ष महोदय ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : हां है ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : करारोपण का कौनसा विभाग है ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : करारोपण में जो अन्य कर हैं, वह सारे हैं, उनके सारे हैड्स का प्रगति विवरण नहीं है ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : जितने देने चाहिए, वह दे दिये ।

श्री उपाध्यक्ष : आपको भाषण देना है ? बोलना है या नहीं बोलना है ? यह बता दीजिए ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अगर आप इस तरह की बात पूछें ।

श्री अध्यक्ष : इसमें स्टाम्प ड्यूटी का है, लैण्ड एण्ड बिल्डिग का है और आपको दो चीजें मिल गयी हैं ।

श्री सूर्यकुमार (नैनवा) : अलग अलग विभागों का है, उपाध्यक्ष महोदय, करारोपण नाम का कोई विभाग नहीं है ।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह विभाग जनता पार्टी के समय में तोड़ दिया गया था ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप बेकार की बात मत करो, आपको जब मालूम नहीं है तो मत कहो ।

श्री उपाध्यक्ष : जो मिल गया है उन पर आप बोल लीजिए।

श्रीमती उजला अरोड़ा : हां, मैं उस पर बोल लेती हूं लेकिन मेरा उन पर विरोध नोट किया जाय। प्रगति विवरण पहले दे दिया जाय, मन्त्री महोदय को कह दीजिये वह प्रगति पत्र तो भेजें।

श्री जयकृष्ण शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, प्रगति विवरण 4-3-82 और 12-3-82 को बंट गया है। अलग अलग ही मिलेगा, जब अलग अलग डिपार्टमेन्ट हैं तो एक साथ कैसे मिलेगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप दे चुके तो उसके ऊपर बोल लिये बाकी और पर नहीं, उसके अलावा बाकी नहीं हैं क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, आपने 5 मिनट ले लिये।

श्री जयकृष्ण शर्मा : माननीय सदस्या, अलग अलग ही आयेगा, एक साथ आयेगा कहां से जब डिपार्टमेन्ट एक है ही नहीं तो।

श्रीमती उजला अरोड़ा : कई के नहीं आये, बीच में क्यों बोल रहे हैं ? उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगी, मेरे पास....

श्री उपाध्यक्ष : 5 मिनट काट लूंगा, आपके 5 मिनट कम कर दूंगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप सारे मिनट कम कर दीजिए, मैं नहीं बोलूंगी। आप मेरे हितों की रक्षा नहीं कर रहे हैं और ऊपर से मुझे ही डांट रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, आप बोलिये। मैं आपको पूरा टाइम दूंगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं नहीं बोलूंगी।

श्री उपाध्यक्ष : वह अलग बात है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे डांट दिया अनावश्यक।

श्री मोहनलाल मोदी : करारोपण विभाग ही नहीं है तो आप इस तरह से सदन को मिसगाइड क्यों कर रही हैं ? आपको जो कहना है, कह दीजिए। आप सदन को मिसगाइड करती हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठ जाइये। अरोड़ा जी को बोलने दीजिए।

श्री मोहन लाल मोदी : बोलने के लिए कुछ मसला नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं है तो बैठ जायेंगी जल्दी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये जो टैक्स हैं....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य, आपस में बातें नहीं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं कुछ अक्षमता के बारे में निवेदन करना चाहूंगी, यह जो मुझे विवरण मिला है, उसमें से मैं बोल रही हूं, केन्द्रीय सरकार द्वारा अन्तर्राज्यीय मार्गों पर यातायात की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए इनकी क्षेत्रीय

Page No 96

(७६)

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

योजनाओं वेस्टर्न जोनल स्कीम एण्ड नार्दर्न जोनल स्कीम लागू की गयी हैं, जिसके अन्तर्गत एक योजना ले लिए तीन सौ अनुज्ञा-पत्र का कोटा आवंटित था। वर्ष 81-82 में बढ़ाकर 450 प्रत्येक स्कीम में कर दिया। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें इन्होंने पश्चिमी क्षेत्र के लिए कुल 223 और उत्तरी क्षेत्र के लिए 274 अनुज्ञा पत्र जारी किये है, 497 अनुज्ञा पत्र इन्होंने जारी किये हैं। ये अक्षमता क्यों है ? मैं पूछना चाहूंगी कि वर्ष में अगर चार सौ अनुज्ञा-पत्र और जारी कर दिए जाते, जितना कोटा था, जो ये जारी कर सकते थे, विभाग ने किए नहीं और इसलिए रोके गये हैं कि इनकी जेबें भर जावें, इनको बीच में रिश्वतखोरी मिल जावे। मेरा यह सीधा आरोप है कि इस तरह से हमारी आय के जो स्रोत हैं वह कम हो जाते हैं। जो कोटा था वह नहीं दिया गया है। मान्यवर, मैं कहना चाहूंगी कि पहले जो राष्ट्रीय योजना के अन्तर्गत अनुज्ञा-पत्र जारी करने थे उनमें भी इन्होंने कम अनुज्ञा-पत्र जारी किये हैं। 350 कम अनुज्ञा-पत्र जारी किये हैं। यह इतना हमारा लॉस विभाग की अक्षमता से हुआ है। आठ सौ जारी किये जाने थे जो इन्होंने नहीं किये हैं। मान्यवर, सरकार ने एक बहुत बड़ा विभाग इसलिये बैठा रखा है कि इस सब व्यवस्था के लिए अनुज्ञा-पत्र जारी किये जाने चाहिए लेकिन वह नहीं करता है। क्यों नहीं करता है ? मान्यवर, मंत्री महोदय, इस व्यवस्था को देखें कि जो अगले साल का कोटा है उसमें इस साल के कोटा को भी साथ साथ सम्मिलित करके आय बढ़ाने के साधन करेंगे और जिस अधिकारी ने इन अनुज्ञा पत्रों को जारी नहीं किया है, उनकी अक्षमता के कारण ये रुके हैं उनके खिलाफ भी कार्यवाही करेंगे, मैं यह कहना चाहती हूं।

मान्यवर, एक अपने यहां ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है उसके मामले में मैं कहना चाहूंगी कि कई मामले उसके सामने पैंडिंग पड़े हैं। ये अन्य ब्रांच खोल सकते हैं। जिस तरह से हमारे मुंसिफ कोर्ट में फर्स्ट, सैकेण्ड, थर्ड, फोर्थ जितने भी हैं उसी तरह से अन्य कोर्ट्स खोल कर भी अपील की सुनवाई कर सकते हैं लेकिन आज भी उनके सामने मामले पैंडिंग पड़े हैं। उन्होंने खुद आंकड़े दिये हैं। मैं कहना चाहूंगी कि अपील के मामले में काफी केसेज पैंडिंग पड़े हुए हैं। माननीय मंत्री महोदय को मैं निवेदन करना चाहूंगी, सरकार को मैं निवेदन करना चाहूंगी कि अपील अथॉरिटी की अन्य ब्रांचेज खोल सकते हैं जिससे ये मामले पैंडिंग में न रहें। गये साल के आज तक हजारों की संख्या में पैंडिंग पड़े हैं वे मामले सुनवाई में आने चाहिए।

मान्यवर, एक इनका वाहनों के निरीक्षण करने का विभाग है। वहां निरीक्षण किया जाता है। उस निरीक्षण के बारे में पूछना चाहूंगी कि वाहनों को किस तरह से फिटनेस दी जाती है। सड़कों पर जो वाहन चलते हैं वे फिट नहीं हैं। बसेज को देख लीजिए, किसी की बॉडी टूटी हुई है, किसी का हार्न ठीक काम नहीं करता, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। इन मामलों में मैं कहना चाहूंगी कि इस निरीक्षण का मकसद क्या है ? ऐसा निरीक्षण क्यों किया जाता है ? जब ठीक तरह से निरीक्षण करने के बाद,

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

उसकी शिकायत के बाद फिर उनको फिटनेस क्यों दिया जाता है ? मैं कहना चाहूंगी कि ये मामले हैं, साइलेंसर के मामले हैं, भड़-भड़ भड़-भड़ करते हुए वाहन निकल जाते हैं। उनकी एक लिमिट, है जितना स्वर उनको निकालना चाहिए उससे ज्यादा आवाज होती है। बॉडी उनकी सारी टूटी-फूटी है। कभी आप भी देखते होंगे, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप भी कह दीजिए कि हां इन टूटी-फूटी बसों को निरीक्षण के बाद भी आपने सड़कों पर चलते हुए देखा है। मैं कहना चाहूंगी कि यह अव्यवस्था क्यों है ? इस अव्यवस्था को सुधारना चाहिए। आप हमसे पैसा मांगते हैं कि आप हमें इस हैड के लिए पैसा दें। किसलिए दें, जब कि आपका विभाग अक्षम है और काम करता नहीं है ? तो मैं कहना चाहूंगी कि इस तरफ भी आप ध्यान दें।

मान्यवर, मैं कहना चाहूंगी कि जो बसेज के रूट का निर्धारण है, शहरों में बसों के रूट का निर्धारण कर दिया जाता है। कच्चे रूट्स का भी निर्धारण होता है ? वर्षों तक कच्चे रूट्स का निर्धारण नहीं होता और निर्धारण कर भी दिया जाता है तो गाड़ी लॉस में चलने से, ठीक व्यवस्था न होने से बन्द हो जाती है। वहां के ग्रामीण-जन यह देखा करते हैं कि बस आज आवे कि कल आवे। निर्धारित रूट्स पर यदि बस नहीं चलती तो यह कौन से विभाग का कर्त्तव्य है, मुझे बता दें। विभाग में ये जो रूट्स निर्धारित हैं वहां पर यदि बसेज नहीं चलती हैं तो क्यों नहीं चलती हैं ? अन्तर्राज्यीय मामलों में भी हम फेल हैं। कुछ राज्य हमारे करीब पड़ते हैं। मैं कहना चाहूंगी कि केवल सात राज्यों से ही हमारा समझौता है। मंत्री महोदय, केवल दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के अलावा अन्य राज्यों से हमारा समझौता क्यों नहीं हुआ ? अन्य राज्यों में हमारे वाहन जावें, उनके हमारे यहां आ सकते हैं। जितने हरियाणा के वाहन हमारे यहां आते हैं उतने हमारे वहां नहीं जाते। मैं चाहती हूं कि स्कोप में बढ़ोतरी करनी चाहिए, शेष राज्यों में भी हमारे वाहन जावें और यात्रियों को या माल के ले जाने में सुविधा मिल जानी चाहिए। मैं माननीय मंत्री महोदय को कहूंगी कि इस स्कोप के विस्तार की भी योजना बनावें जिससे अन्य राज्यों में भी हम जा सकें और हम इस तरह से अपना कर्जा वसूल कर सकें।

मान्यवर, एक और इन्होंने दिया है, अस्थायी अनुज्ञा-पत्र जारी किये जाते हैं। किसलिए ? जो हैड इन्होंने दिया है उसके विपरीत भी काम करते हैं। ये गाड़ियां, मेला, शादी, पर्यटन, के लिए दी जाती हैं। इसमें नहीं लिखा है कि ये रैलियों के लिए भी ले जाई जा सकती हैं, रैलियों के लिए भी लिख देते। मान्यवर, आपका बचाव होगा आप इसमें शामिल कर लीजिए। पिछले साल....

श्रीमती सूरजदेवी मल्होत्रा : आप ले जायेंगी तो रैलियों के लिए भी लिखवा देंगे।

(व्यवधान)

Page No 98

श्री जयकृष्ण शर्मा : रैली मेले में आ जाती है ।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : अरे आप ही ले जाओगे रैलियां । हमें नहीं ले जानी है रैलियां । और तुम ही ले गए हो और तुम्हीं ने घाटे की पूर्ति नहीं की है । अभी तक तुम्हारी पार्टी अखिल भारतीय स्तर की पार्टी है....

(व्यवधान)

श्रीमती सूरजदेवी मल्होत्रा : रैलियों के लिए अवश्य लिखवा देंगे, फिक्र मत करो आप ।

श्री चन्दनमल बैद : आप तो जन्म दिन के लिए ले गए । आपकी तरह से जन्म दिन पर तो नहीं ले गए चरणसिंह जी के ।

(व्यवधान)

आपकी तरह से तो नहीं ले गए.... जन्म दिन पर तो नहीं ले गए ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मान्यवर, मैं कहना चाहूंगी कि जो काम करो वह नियम से करो । अगर रैलियों के लिए हैड जुड़ा दें, आपने रैलियों के लिए जोड़ा नहीं है....

श्री चन्दनमल बैद : जन्म दिन भी जोड़ देंगे ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : जोड़ दीजिए । किसी तरह से टैक्स आए । इस तरह से खर्चा चले लेकिन इतना करने के बाद भी आपके यहां लीकेज है । जितना आप टैक्स वसूल कर सकते हैं वह नहीं करते हैं । बीच में आपके भ्रष्टाचारी चाहे वह कर्मचारी हों चाहे अधिकारी हों, उन लोगों की जेबों को भरने के लिए टैक्स किस तरह से छोड़ा जाता है । विभाग किस लिए खोला है ? मान्यवर, टैक्स पूरा वसूल कीजिए । उनके चाहे वेतन भत्ते बढ़ा दीजिए, उनकी चाहे सुविधा बढ़ा दीजिए लेकिन लीकेज से नुकसान होता है उसको रोकने के लिए सुपरवाइजरी एक विभाग और खोल दीजिए । मैं समझती हूं कि अगर यह लीकेज रोक दिया जाता है तो निश्चित रूप से जो पूरा टैक्स वसूल होना चाहिए वह होगा ।

(व्यवधान)

आज क्या होता है, कोआपरेटर्स को तंग किया जाता है ट्रक वालों को तंग कया जाता है । जहां से माल चढ़ता है, जहां माल उतरता है उसके बीच में मैं समझती हूं कि अवैध माल भी ले जाया जा रहा है, गलत माल ले जाया जा रहा है । मान लीजिए अफीम, तम्बाकू या और कोई चीज ले जा रहे हैं और लिखी हुई कुछ और चीज है तो क्यों नहीं पकड़ते, वहां लीकेज क्यों नहीं रोकते ? आपने स्वयं अपनी आंखों से देखा होगा कि किस तरह से जहां से माल लदता है और जहां पहुंचता है गंतव्य स्थान तक, बीच में आपको कुछ नहीं मिलता । पूरा टैक्स भी नहीं मिलता । वह किसी और की जेब में जाता है और उस विभाग के नीचे से ऊपर तक के लोगों को पहुंचता है । मान्यवर, इस लीकेज को रोकिये ।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

मैं कहना चाहूंगी कि एक जगह है अपने गंगानगर से अबोहर तक जमादार और ट्रांसपोर्ट के केवल ड्राइवर्स के लिए एक सोसाइटी की बस चलती थी। तीन मील का टुकड़ा पड़ता था। रोडवेज उसमें कभी भी एण्टर नहीं हुई, उसमें माना नहीं। लेकिन पिछले साल उस तीन मील के टुकड़े को ले लिया। मैं कह रही हूं, मैंने आपको उदाहरण दिया है। इस बारे में मैं कहना चाहूंगी कि अन्तर्राज्यीय मार्ग पर जब आगे से भी बस है और गंगानगर से बस है अगर सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देना चाहते हैं तो फिर इस तीन मील के टुकड़े को लेकर इन ड्राइवर्स की यूनियन का आपने क्यों हक मारा? इस तरह से हक आपने मारा है, आपके अधिकारियों ने मारा है और केवल भ्रष्टाचार के कारण मारा है। क्योंकि उनकी जेबें नहीं भरी इसलिए मारा है। मंत्री महोदय हमारे चेतरामजी मीणा हैं इनको क्या अधिकार था? यहां पर बस रुकवा ली। इतना ही अधिकार आप लेकर बैठे हैं। इंसपेक्टर्स और ड्राइवर को उतार लाए क्योंकि उनका पुश्तैना, पुराना उनसे लड़ाई झगड़ा था। तीन–तीन घण्टे तक ट्रैफिक जाम रहा। विधान सभा में बातचीत की। कौनसे ऐसे कारण थे कि जिससे माननीय मन्त्री महोदय उस ड्राइवर को उतार लाए थे। मैं पूछना चाहूंगी कि उस समय उत्तर नहीं दिया, मन्त्री महोदय, अपने उत्तर में बतायेंगे। मार्ग पास कराने चले हैं। इस तरह से ××× पुश्तैनी लडाइयां हैं। उनके यहां अधिकृत रूप से आ जाने के बाद इस तरह से बदले की भावना से आप काम कर रहे हैं। मैं समझती हूं कि यह बहुत गलत तरीका है।

स्टाम्प्स के बारे में कहना चाहती हूं। स्टाम्प मिलते कहां हैं। सस्ता न्याय मिलना चाहिये। उसके लिये पैसा वसूल नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन फिर भी किया है। तीन रुपये का स्टाम्प मिलता नहीं, दो रुपये का मिलता नहीं, एक रुपये का मिलता नहीं, मान्यवर, पांच रूपये का, 10 रुपये का स्टाम्प ख़रीदना पड़ता है। इतना टोटा है, सरकार क्यों नहीं इसकी व्यवस्था करती? कितनी बार विधान सभा के ध्यान में यह बात लाई गई है स्टाम्प्स के बारे में थोडे पैसे के जो स्टाम्प्स हैं, वह उपलब्ध कराये जाने चाहिये। जितनी व्यवस्था जितने पैसे की है, उतना ही दें बजाय तीन गुणा चार गुणा दिये जाते हैं।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

एक बात और कह कर समाप्त करना चाहूंगी। आपके यहां वायुयान फ्लाइंग ट्रेनिंग महाविद्यालय खुला हुआ है। यह किसको मालूम है कहां खुला हुआ है? ज्यादातर लोग नहीं जानते। इसकी शिक्षा का कोई समुचित प्रबन्ध नहीं है। मैं कहना चाहूंगी, कितने प्रशिक्षणार्थी वहां पर हैं और कितने को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। इसका कोई ब्यौरा आपके पास नहीं है, मान्यवर। यह विद्यालय खोलने का कोई लक्ष्य का ध्यान रखना चाहिये था। उसका हिसाब किताब किया जाना चाहिये था ताकि लोग उचित मात्रा में फ्लाइंग ट्रेनिंग ले सकते तो उचित रहता। मैं

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार आयोजित की गई।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)
निवेदन करना चाहूंगी, इसकी समुचित व्यवस्था करें।

आज इलेक्ट्रिकल इंसपेक्टर्स जितने हैं, यह देखने जाते हैं कि लाइन कहीं खराब तो नहीं हैं कहीं गड़बड़ तो नहीं है। पिछले दिनों जयपुर शहर में इनकी अकर्मण्यता के कारण से त्रिपोलिया बाजार में कई दुकानों पर आग लगी। ये बिजली का लीकेज देखने क्या जायेंगे। यह जितना इनका कर्त्तव्य है, अनावश्यक रूप से ड्यूटी लगी हुई हैं, इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर यह काम नहीं कर सकते हैं तो इनकी छुट्टी कर दीजिये। चार-चार आदमी हैं बिल बनाने पर उसकी कोई मर्यादा नहीं है। जब बिल को ठीक कराने जाते हैं, वह करते नहीं हैं। ले तो लेते हैं, जमा कर लेते हैं। जमा नहीं कराये तो लाइन काट दी जाये पेनल्टी से बिल जमा हो, लेकिन उसके पैसे की वापसी का कोई हिसाब नहीं है। मैं समझती हूं, इलेक्ट्रिक जो ड्यूटी चढ़कर आती है, उसको नियंत्रित किया जाना चाहिये। इंसपेक्टर्स लगे हुए हैं, उनसे सही काम लिया जाना चाहिये। वह गलत काम करते हैं, चाहे जहां जाकर गलत रिपोर्ट करके उपभोक्ताओं को तंग करते हैं, यह गलत है। इस पर रोकथाम होनी चाहिये।

भूमि भवन के बारे में कहना चाहूंगी। आपने एक लाख की आबादी से कर हटाया है। आपको जितना टैक्स वसूल किया जाना चाहिये था वह नहीं हो रहा है। मान्यवर, इसको सब जगह से समाप्त कर दीजिये। इस टैक्स को लेना है तो किसी अन्य ढंग से लीजिये। बनी हुई बिल्डिंग पर ढंग से असेसमेंट करें। मैं समझती हूं, इससे भ्रष्टाचार की बू आती है। जिस ढंग से असेसमेंट होता है, वह समाप्त करायें। इसमें बहुत बड़े घपले हैं। मैं कहना चाहूंगी, इसको खतम करें, अगर लेना है तो इसकी व्यवस्था को बदलें।

श्री उपाध्यक्ष : समय का ध्यान रखिये, माननीय सदस्या। आपके दल के दो आदमी और हैं। सारा टाइम आप ले लेंगी तो इनको टाइम नहीं मिलेगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरा टाइम तो रोज ही कट जाता है, मान्यवर। राजकीय प्रवासों के बारे में कह कर अन्त में अपनी बात समाप्त करना चाहूंगी। राजकीय प्रवासों के बारे में प्रशासनिक अधिकारियों के प्रवेश करने के बारे में, कहना चाहूंगी। मेरा खुद का अनुभव है, मैंने शिकायत की है मुख्य मन्त्री को, जब हम दिल्ली पहुंचते हैं हमारे सामने प्रशासनिक अधिकारी को कमरे की चाबी थमा दी जाती है और विधायक को वह कमरे मिलते ही नहीं। कई विधायक क्यू में खड़े देखे गये हैं। उनको चाबी नहीं दी जाती है, इसमें सुधार किया जाना चाहिये। या तो यह कह देना चाहिये यह सुविधा विधायकों के लिये नहीं है, मैं समझती हूं, वह ज्यादा अच्छा रहेगा। एक सुविधा के नाम पर सुविधा उपलब्ध न हो। होना तो यह चाहिये था बीकानेर हाउस पर केन्द्र सरकार ने जो कब्जा किया हुआ है, केन्द्र सरकार से उसको खाली कराकर....

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

चाहे दो मंजिली इमारत बनवा लेते। लेकिन प्रशासनिक अधिकारी वहां पर

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

विधायक के सामने चाबी लेकर अन्दर चले जायं और विधायक खड़े रहें, मैं समझती हूं, यह पोजिशन सही नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप भी विधायक हैं। मैं कहूंगी, इस व्यवस्था में सुधार किया जाना चाहिये।

यह जो आज इन्होंने मुझे पूरे प्रगति विवरण नहीं दिये, इसके बारे में निश्चित रूप से व्यवस्था देंगे कि प्रगति विवरण उपलब्ध कराये जाने चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रतनलाल ताम्बी।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यद्यपि राजस्थान की वर्तमान सरकार की वित्तीय व्यवस्था नाजुक स्थिति में है और वित्त मन्त्रीजी ने अपने अकाट्य तर्कों द्वारा वर्तमान बजट को अच्छे ढंग से प्रस्तुत करके राजस्थान की जनता को, उसके हर वर्ग को विकास के रास्ते पर आगे ले जाने की बात कही है।....

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैम्बरशिप का फार्म खाली हो तो भरा दें।

श्री चन्दनमल बैद : मैं आपके लिये भी भेज रहा हूं।

श्री रतनलाल ताम्बी जो मैं इस अवसर पर कुछ ऐसी मूलभूत समस्याएं, जो करों से संबंधित हैं, उनकी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। राजस्थान की जनता में शिक्षा का प्रतिशत अन्य कई प्रदेशों की तुलना में काफी पिछड़ा हुआ है, इसलिये यहां करों की प्रणाली अधिक से अधिक कड़ी न करके इस ढंग से करों का मूल्यांकन हो जिससे जटिलता से बच सकें। यह समस्या काफी गंभीर है। टैक्सों के बोझ से कुछ वर्ग जरूर दबे हैं मगर इसकी प्रणाली की जो कठिनाइयां हैं, जो परेशानियां हैं उस ओर आज की राजस्थान सरकार और उसके वित्त मंत्रीजी को विशेष तौर से ध्यान देने की आवश्यकता है।

मैं दो तीन मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। यातायात मंत्री महोदय भी यहां पर उपस्थित हैं। यातायात विभाग के करों के बारे में पेनल्टियां और कई प्रकार की ब्याज के द्वारा जिस प्रकार आज राजस्थान में वसूलियां होती हैं, राज्य के खजाने में चाहे कितना ही रुपया इकट्ठा करलें, आप, मगर राजस्थान के छोटे-छोटे बस और ट्रकों के व्यवसायी, टैम्पों के व्यवसायी आपके इस विभाग से बहुत पीड़ित हैं। पेनल्टियां और जुर्मानों के रूप में आपने सूदखोरों को पीछे छोड़ दिया। शोषणहीन समाज की रचना की बात कहा करते हैं। लेकिन मूल देय से कई गुणा पेनल्टी और जुर्मानाआप वसूल कर लिया करते हैं। इस लिये मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आपके खजाने में जो टैक्स आता है, उससे कई गुणा तो आपके बीच के लोगों को नीचे के लोगों को यह भारी बोझ जुर्माना पेनल्टी से पीड़ित लोगों को राहत पाने के लिये दे देना पड़ता है इसलिये मैं, जैसा आपने बजट में संकेत दिया, इसके लिये बधाई देना चाहता हूं। आपने यात्री कर और दूसरे प्रकार के कर हैं उनमें एकरूपता या सम्मिलित या मिश्रण करने की बात कही है। मैं उसके बारे में आपसे निवेदन

(श्री रतनलाल ताम्बी)

करना चाहूंगा, राजस्थान में अन्य प्रदेशों के मुकाबले आपका रोड टैक्स, यात्री कर काफी ज्यादा है और इतना ज्यादा रखने से निश्चित रूप से बड़ी भारी मात्रा में चोरियां होती हैं। पूरा पैसा वसूल नहीं होता है। इसलिये दोनों को मिलाकर ऐसी सुव्यवस्था करें, जिसके आधार पर आपके खजाने में पैसा कम न हो जाये। फिक्स्ड टैक्स के रूप में आप उसको वसूल करेंगे, तो बीच में जो गड़बड़ हो रही है, यातायात विभाग के अधिकारी कर्मचारी मोटर मालिकों को बुरी तरह लूटते हैं वह नहीं होगा। मेरी इनसे सीधी अच्छी जानकारी और संबंध है इसलिये निवेदन करना चाहूंगा कि जितना पैसा आपके पास पहुंचता है, उससे थोड़ा बहुत ही कम इनकी जेबों में रहता है। कृपा करके इसके लिये जो वित्तीय विशेषज्ञ हैं, या जो अर्थ-शास्त्र के विशेषज्ञ हैं उनसे बैठकर इसके बारे चर्चा करें और ऐसी सरलीकरण की प्रणाली ट्रांसपोर्ट विभाग के टैक्सेशन की राजस्थान के लोगों को दें जिससे लोगों का बीच में जो शोषण होता है उससे मुक्ति मिले और आपके खजाने में पूरा पैसा पहुंचे। इसलिए इस दिशा में मेरा आपसे निवेदन है कि फिक्स टैक्स प्रणाली लागू की जाय।

(2.30 म. प.)

(श्रीमती विद्या पाठक, सभापति, पदासीन)

कच्चे मार्गों पर टूट-फूट है। दुनियां भर की गाड़ियां आती है और यहां टैक्स देना असहाय सा हो रहा है। आपके डिमाण्ड के आंकड़े हैं, इस व्यवस्था के बहुत से आंकड़े आप देख लेंगे तो निश्चित तौर पर आपको सारी स्थिति का आभास होगा इसलिये मेरा आग्रह है, आप ध्यान देंगे।

दूसरा निवेदन यह करना चाहता हूं, 1975-76 और 77 के आस-पास आपने किसानों पर ट्रैक्टर और ट्राली का टैक्स लगाया, फिर वापस छोड़ा, फिर लगाया। तो बीच के समय की किसानों को न तो पूरी जानकारी मिली और उनकी अभी तक पेनल्टी जारी है। हजारों रुपये के किसानों से उनके नाम से डिमाण्ड नोटिस देते हैं, ट्रैक्टर खड़े करवा लेते हैं और कई प्रकार की दिक्कतें हो रही हैं। इसलिये मैं चाहूंगा, पहले टैक्स लगाया, फिर छोड़ा, फिर लगाया उसके बीच जितना भी टैक्स, जुर्माना, पेनल्टी लगा रखी है कृपा करके उसको माफ करें और एक्चुअल टैक्स ट्राली और ट्रैक्टर पर लगाया था वही उन लोगों से लें ताकि उस बीच के टैक्स और पेनल्टी के रूप में हजारों रुपये प्रति किसान से निकल रहे हैं, न उनकी वसूली हो रही और किसानों में आपकी छवि बिगड़ रही है। उनके ट्रैक्टर प्रायः खड़े करवा लिये जाते हैं, कई कई महीनों तक खड़े रहते हैं कई जगह। इसलिये कृपा करके किसानों से पेनल्टी के रूप में टैक्स, लगाया फिर छोड़ा, फिर लगाया, उसके बीच का पीरियड है उसका माफ करेंगे। यही मैं आशा करके चलना चाहता हूं।

इसके अतिरिक्त मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि टैक्स देने की क्षमता जिन लोगों की है उन पर टैक्स लगे, जिनमें क्षमता नहीं है उन पर भार बढ़ाने की प्रवृत्ति बढ़ गई उसको आप कम

(श्री रतनलाल ताम्बी)

करें। खास तौर से बहुत सारें मामलों में जो टैक्सेज की रियायतें दी गई है आपने ठीक समझा, उसका सुधार ठीक प्रकार से किया। इसी प्रकार दूसरी प्रणालियों में भी सुधार करें। बिक्री कर में भी कई बातें हैं। इसी प्रकार से इसमें छोटे लोगों की कठिनाइयां हैं उसकी तरफ आपका ध्यान जाय दुर्भाग्य उसके लिये अखिल भारतीय स्तर पर जो कमेटी के अध्यक्ष माननीय सुखाड़िया साहब थे वे आज संसार में हमारे बीच नहीं रहे। वैसी प्रणालियां सारे देश में लागू हो जाय वैसा शायद नहीं हो सकता है। इसलिये प्रदेश लेवल पर इस प्रकार से प्रणाली का सरलीकरण करने के लिये विशेष कमेटी विशेषज्ञों की बनायें, राजस्थान में अगले वर्ष में कुछ ऐसी स्थितियां, तरीके लाकर रखें जिससे लोगों को सहूलियत हो, आपके खजाने में टैक्स आये और बीच में जो गड़-बड़ होती है वह कम हो, वह गड़बड़ कम से कम नहीं हो। मेरा 2-3 मामलों में विशेष रूप से निवेदन है कि राजस्थान की वित्तीय स्थिति में काफी बड़ा सुधार हो सकता है। एक तो आपकी बड़े-बड़े लोगों में बहुत बड़ी बकाया है। उस पर ध्यान जाता नहीं और छोटे लोगों पर बकाया होती है उस पर ध्यान जाता है। जो तो डिमाण्ड्स को मार्च महीना है यह एक तरह से सामान्य और छोटे लोगों पर कुठाराघात का, कमरतोड़ का कहा जा सकता है। इस महीने में विशेष तरीके के सामन्ती शासन की याद आ जाती है। इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो अधिकारियों को इसके लिये निर्देश दें, संवेदनशीलता होनी चाहिये। एक मोटर मालिक जिसके 4-5 मोटरें हैं उसके वहां 2-4 लाख की स्थिति है। गाड़ियों के कारण टैक्सों की पेनल्टी से उसकी स्थिति इतनी टूट चुकी, वह नहीं चुका पाता है। उसकी गाड़ियां खड़ी कर ली जाती हैं इस प्रकार का व्यवहार होता है। उस बात को लेकर लोगों में असंतोष रहता है। इसी प्रकार से किसानों के ट्रॉली ट्रैक्टर खड़े करवा लेते हैं। इन दिनों में फसल का टाइम होता है और यही बातें देखने की है।

मैं समझता हूं, ये मोटे तौर पर जो सुझाव आपके सामने प्रस्तुत किये हैं उन सुझावों पर गंभीरता पूर्वक विचार करके राजस्थान की कर प्रणाली को सरलीकृत किया जायेगा और अधिक से अधिक उपादेयपूर्ण और जन भावना के अनुसार सुधारी जायेगी जनता में परेशानियां और बीच के लोगों की खाने-पीने की प्रवृत्ति बढ़ी हुई है, सब जानते हैं, वित्त मन्त्री, ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर जानते हैं कि रुपया कितना खाते हैं, खजाने में पहुंचाते नहीं हैं। यदि बकाया रह जाती है तो एक बस को खड़ी करवा ली, 500-700 दिये और वसूली की डिमाण्ड ठण्डी हो जायेगी। जब आयेगी तब आयेगी, अभी तो काम चलेगा। यह सारी प्रवृत्ति है। ऐसे ही किश्तें की ज्यादा बड़ी रकमें हो जाती हैं किश्तों को समय पर जमा नहीं कराते हैं तो किश्तों के लिये बीच में लोग खाते हैं। कई इस तरह की व्यवस्थाएं हो रही हैं। इसलिये उन सभी के लिये ऐसी व्यवस्था करें जिससे लोगों को सहूलियत भी महसूस हो और खजाने में पैसा आये। इन्हीं बातों को कहते हुए मैं निवेदन करूंगा कि इन पर गंभीरता से विचार करेंगे।

(2)

श्री सभापति : श्री सूरजपाल सिंह।

(अनुपस्थित)

श्री चतुर्भुज।

(अनुपस्थित)

श्री रतनाराम चौधरी।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) : श्रीमान् सभापति महोदय, आज जो मांग संख्या 12 के संबंध में चर्चा हो रही है उसके बारे में मेरी राय प्रकट करना चाहता हूं कि यातायात विभाग में जो हर वर्ष करोड़ों रुपये का घाटा सरकार को वहन करना पड़ता है उसके पूरे आंकड़े तो हमें मालूम नहीं हैं पर सुनने में ऐसी बात हैं कि 10-15 करोड़ का हर वर्ष सरकार को रोडवेज बसों का घाटा वहन करना करना पड़ता है। इसका क्या कारण है ? इस पर किसी विभागीय मन्त्री या सरकार में बैठ हुए मन्त्रीगण ने कभी सोचा भी नहीं। इस कारण से हर वर्ष करोड़ों का घाटा सरकार को वहन करना पड़ता है। एक प्राइवेट रूट किसी बस मालिक के पॉस में है वह रूट बहुत बढ़िया भी नहीं है, उनकी बसों की टूट-फूट इस हालत में होती है पर प्राइवेट बस मालिक को हर वर्ष लाखो रुपया वह बस कमा कर देती है और रोडवेज में हर वर्ष करोड़ों का घाटा सरकार को सहन करना पड़ता है। यह क्यों ? इसका मुख्य कारण यही हमको तो नजर आता है कि प्रथम तो इसमें बराबर निगरानी नहीं की जाती है। टिकट कंडक्टर है वह टिकट नहीं काटते है, टिकट में चोरियां होती हैं और टायर-पार्ट्स हैं उनमें भी कई प्रकार की चोरियां होती हैं। इसी कारण से करोड़ों का सरकार को घाटा वहन करना पड़ता है।

इसलिये मेरी तो राय यही है कि आप 50 प्र० श० जो बस रूट हैं ये प्राइवेट बस मालिकों को नीलामी के तौर पर दे दें ताकि आपको मालूम पड़ जायेगा और नीलामी के तौर देने से आपको आमदनी भी होगी, नुकसान नहीं होगा और जनता के आने जाने में भी सुविधा ही होगी। आज जो रूट प्राइवेट बस मालिकों के पास हैं वहां यात्रियों को कोई किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता क्योंकि प्राइवेट बस मालिकों को लगाव रहता है कि मुझे भी कमाना है और मैंने ठीक समय पर बस नहीं पहुंचाई, ठीक स्टेशन पर नहीं ले गया तो हमारे जो बस में बैठने वाले यात्री लोग हैं वे हमसे विमुख हो जायेंगे और दूसरा रास्ता पकड़ लेंगे। इसलिये प्राइवेट मालिकों को लगाव रहता है और हर वर्ष लाखों कमाते हैं।

इसलिये आप 50 प्र. श. रूट तो बस मालिकों को ठेके के आधार पर देने की व्यवस्था कर दें ताकि आपकी गाड़ियों की इनकम होगी और घाटा किसी प्रकार का उठाना नहीं पड़ेगा नहीं तो हर वर्ष 10-15 करोड़ का घाटा चोरियां करने वाले करते हैं और यह घाटा गरीबों पर टैक्स लगा कर पूरा किया जाता है। इसलिये गरीबों पर किसी प्रकार का टैक्स लगाना नहीं पड़ेगा और सरकार को भी करोड़ों की इनकम होगी। इसलिये 50 प्र. श. रूट का तो इसी बजट में प्रावधान रखें और 50 प्र. श. रूट प्राइवेट मालिकों को नीलामी

(श्री रतनाराम चौधरी)

के आधार पर दे दीजिये और 50 ट. श. बसें आप रखिये ।

जैसे कन्डक्टर, आप सोचते हैं कि कन्डक्टर, ड्राइवर हमारे पास रखे हुए हैं, नौकर हैं, हड़ताल कर देंगे । वे कहां जायेंगे ? जो प्राइवेट बस का रूट दें, उस बस में वही ड्राइवर होगा, वही कन्डक्टर होगा उनको उस बस में लगा दें । इसलिये किसी प्रकार की बेकारी नहीं होगी और आपको करोड़ों रुपयों का घाटा बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा । इसलिए आप इस पर गंभीरता से विचार करने की कृपा करें ।....

श्रीमती सभापति : माननीय बंशीलाल पटवा ।

(अनुपस्थित)

श्री चतुर्भुज ।

श्री चतुर्भुज (टोडारायसिंह) : सभापति महोदया, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, हमारे राजस्थान राज्य के अन्दर राज्य सरकार को आय व्ययक में जो घाटा हुआ है, उसके बारे में सरकार को मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं। इस समस्या के लिये कोई न कोई नीति में परिवर्तन करना जरूरी है। हमारी आजादी आने के 30–32 साल के बाद भी हमारा किसी भी तरह का अकाल हो, बाढ़ हो, यह ओवरड्राफ्ट आगे बढ़ता जा रहा है। मेरा सुझाव यह है कि संपूर्ण राजस्थान की सरकार चलाने की जो व्यवस्था है, उसमें कोई न कोई परिवर्तन नहीं किया गया तो यह समस्या किसी भी तरह से हल नहीं होगी । कितना ही आप टैक्स लगाते जायें लेकिन ओवरड्राफ्ट समाप्त होने वाला नहीं है, मैं ऐसा मानता हूं, क्योंकि हमारी सातवीं पंचवर्षीय योजना बनने जा रही है । उसके बाद में, चाहे हम राजनीतिक दबाव से, परिस्थितियों को देख कर, कर नहीं लगावें, लेकिन किसी भी योजना में आय-व्ययक के अन्दर आपको ओवरड्राफ्ट की समस्या आई है और आती जा रही है और आपको मुश्किल होती जा रही है । इसलिये हमारा यह सुझाव है, आपकी व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो यह समस्या बढ़ती जायेगी । सरकार चलाना जरूरी है और जो समस्या आज आपके सामने है उसका समाधान करना भी जरूरी है । इस समस्या का आप कोई न कोई रास्ता नहीं निकालेंगे, तो जैसा हमारे साथियों ने, कई माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये हैं, हमारी रोडवेज आम आदमी से दूर होती जा रही है, आम आदमी दूर होकर जाता है कहीं कपड़ा फट न जाये ऐसी अव्यवस्था हो रही है । कुछ दूर से यह नहीं मान सकते कि कौनसी बस आ रही है । एक लोकल बस बिलकुल सफाई से आती है और हमारी रोडवेज देखें तो शायद दो-चार साल से कोई उस पर हाथ नहीं लगा है । आखिर इस तरह की व्यवस्था क्यों है ? जो व्यवस्था है उस पर हमारा कोई कन्ट्रोल नहीं है । व्यवस्था में परिवर्तन के ऊपर हमारी नजर, सरकार का कन्ट्रोल अच्छी तरह से नहीं होता है । तो यह आपकी सम्पत्ति कैसे जिन्दा रहेगी ? ओवरड्राफ्ट होता जायेगा। हमारी राजस्थान सरकार ने रोडवेज का

(श्री चतुर्भुज)

राष्ट्रीयकरण आमदनी बढ़ाने के लिए हाथ में लिया था इससे तो एक आफत मोल ले ली है। करोड़ों रुपया, अरबों रुपया लगा कर राष्ट्रीयकरण करके इस सम्पत्ति को हाथ में लिया था, इसके माध्यम से हम को सुख होने के बजाय, हमारी राज्य सरकार को आमदनी होने के बजाय, राजस्थान सरकार पर उल्टा बोझ बढ़ गया है। इस राष्ट्रीयकरण के कारण रोडवेज को हाथ में लेने के कारण राज्य सरकार पर जोर पड़ गया है। राज्य सरकार की मंशा तो यह थी कि राष्ट्रीयकरण करने से हमारी आमदनी बढ़ेगी और राज्य सरकार को काफी आय होगी। इसका दुरुपयोग हुआ है।

(व्यवधान)

श्रीमती सभापति : आर्डर, माननीय सदस्य।

श्री चतुर्भुज : ऐसी हालत में आप देख रहे हैं यह घाटा बढ़ता जा रहा है। इसमें कोई न कोई व्यवस्था में परिवर्तन किया जाये। मैं सुझाव देना चाहता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि क्यों न सम्पूर्ण सम्पत्ति के ऊपर, सारे प्रदेश के अन्दर, चोटी से लेकर नीचे तक सीलिंग लगाई जाये। आपने 10/20 रुपये में परमिट दे रखा है अर्जीनिवेश का। अगर सरकार की तरफ से अर्जीनिवेश का सारे राजस्थान में ठेका हो, नीलामी की कार्यवाही हो तो करोड़ों रुपयों की आय होगी। उन्होंने यह एतराज किया है। क्यों नहीं होना चाहिये? अर्जीनिवेश की नीलामी, ठेका न हो। दुनिया भर को लूटते हैं। ठेका देकर क्यों न राज्य सरकार की आमदनी बढ़े ....

श्रीमती सभापति : आर्डर....माननीय मंत्री महोदय....

श्री चतुर्भुज : इसका ठेका दिया जाय तो करोड़ों रुपयों की आमदनी हो सकती है।

(व्यवधान)

श्रीमती सभापति : माननीय वित्त मंत्री जी।

श्री चतुर्भुज : दूसरा मेरा सुझाव यह है....

(व्यवधान)

श्रीमती सभापति : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज।....

श्री चन्दनमल बैद : राजकाज की बात कह रहा हूं।

श्री चतुर्भुज : यह समस्या लम्बी कब तक रखेंगे। हमारी जैसी आर्थिक स्थिति बनती जा रही है, इन सारी बातों का अन्त हो सकता है, भ्रष्टाचार दूर हो सकता है न ओवर ड्राफ्ट बढ़ाने की बीमारी होगी और न सुपर टैक्स लगाने की जरूरत पड़ेगी मैं यह कहना चाहता हूं सरकार से कि क्यों न हमारी सम्पूर्ण सम्पत्ति पर सीलिंग लागू की जाये। चाहे एक परिवार को 50 लाख चाहे एक परिवार को 25 लाख रुपया तक रखने की सीलिंग

(श्री चतुर्भुज)

हो। क्यों न आप किसी एक स्टेज पर कायम कर दें उस सम्पत्ति की सीलिंग के बाहर सम्पत्ति हो तो वह सरकार की हो। इसके लिये किसी भी तरह की सम्पत्ति है वह सम्पत्ति उससे आगे नहीं जाये। इससे देश में समाजवाद की रक्षा होगी। देश मजबूत होगा और हमारे यहां से भ्रष्टाचार का अन्त होगा। दो नम्बर के धन्धे का अन्त होगा और एक से दूसरे सम्पत्ति बढ़ाने की दौड़ दूर हो जायेगी। इन सारी बातों का अन्त हो सकता है।

इसलिये राज्य सरकार को सुझाव देना चाहता हूं कि हमारे यहां पर मूल सम्पत्ति पर सीलिंग लागू नहीं की जायेगी तो इस देश की रक्षा नहीं हो सकेगी, प्रजातन्त्र जिंदा नहीं रह सकेगा, समाजवाद कभी नहीं आ सकता है और हमारी धन बढ़ाने की जो होड़ लग रही है उसका कभी अन्त नहीं आयेगा। गरीब की गरीबी बढ़ती जायेगी और अमीर की अमीरी बढ़ती जाएगी। अन्त में यह सुझाव देना चाहता हूं, किसी भी प्रकार की सम्पत्ति हो, कितनी ही छूट दे दें, हमारी जन सम्पत्ति, खेती सम्पत्ति, कारखाने की सम्पत्ति, सोना-चांदी की सम्पत्ति, किसी भी प्रकार की सम्पत्ति हो, उसकी एक सीमा बांध दीजिये, 50 लाख एक परिवार की और बाकी देश की, सरकार की हो, फिर देखो कैसे समाजवाद न आवे, देखो कैसे देश मजबूत न होवे, देखो कैसे भ्रष्टाचार का अन्त न हो, इसके बिना समाजवाद नहीं आ सकता है। इसके आधार पर कोई न कोई आपकी व्यवस्था नहीं बदलेगी तो यह प्रजातन्त्र जिन्दा नहीं रह सकता है और न समाजवाद रह सकता है। आप ओवरड्राफ्ट लाइये और हमारे ऊपर टैक्स लगाइये किन्तु आम आदमी पर कब तक बोझ डालेंगे। इसका अन्त नहीं आयेगा और आपकी समस्या नहीं घटेगी। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर मूल सम्पत्ति पर सीलिंग लागू नहीं की जायेगी तो देश की तरक्की नहीं होगी। जब तक हमारा देश मजबूत नहीं होगा, इस देश में समाजवाद नहीं आ सकता है, भ्रष्टाचार का अन्त नहीं होगा, जब तक की देश में दो नम्बर का पैसा जमा करने की प्रवृत्ति का अन्त नहीं होगा, कम नहीं होगी। मेरा सुझाव है कि इन सारी बातों को बंद करना हो, सारी समस्याओं को दूर करना हो, देश को मजबूत करना हो समाजवाद को लाना हो, हर आदमी को एक नजर से देखना हो, आप हर आदमी के साथ एक सा व्यवहार करना चाहते हो तो यह करना होगा, इस बात को लागु करना होगा। बातों से काम नहीं होगा एक आदमी ठेकेदार बन रहा है। आज हमारे यहां पांच हजार बीघा जमीन एक आदमी के पास है उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। एक गरीब के पास पांच बीघा भी जमीन नहीं है आपका सीलिंग कानून क्या कर रहा है? कानून से भ्रष्टाचार का अन्त नहीं होगा, भ्रष्टाचार का अन्त इस प्रकार हो नहीं सकता है। आपने खाली सीलिंग कानून का ढिंढोरा पीट दिया पर भ्रष्टाचार हो रहा है। आज हमारे राजस्थान में पांच-पांच हजार बीघा जमीन के मालिक बैठे हैं चार-चार हजार एकड़ के मालिक बैठे हैं और आपका यहां पर सीलिंग कानून लागू है—वर्षों से, इसका कोई अन्त है क्या? फिर हमारी आलोचना होती है, प्रजातंत्र

(श्री चतुर्भुज)

की आलोचना होती है और यही कारण है कि यह रास्ता नहीं बना तो, इस रास्ते पर आप नहीं बढ़ेंगे तो फिर कांग्रेस वापस जायेगी।

आपने कर बढ़ाये पर उससे क्या होगा? आपके ऊपर मार पड़ेगी, फेमिन की मार पड़ेगी आपके पास रेवेन्यू कम होगी तो आप फिर कर बढ़ायेंगे, आपको फेमिन में खर्चा करने के लिये पैसा चाहिए, आपको पैसे के लिये कर लगाने होंगे पर इससे कुछ नहीं होगा, सम्पत्ति पर सीमा लगायेंगे तो सरकार मालदार हो जायेगी, देश मालदार हो जायेगा सब कुछ ठीक हो जायेगा, देश मजबूत हो जायेगा। यही निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप यह बड़ा कदम उठायेंगे तो देश के प्रति अपने कर्त्तव्य को पूरा करेंगे। यह जो छोटा मोटा कर लगा कर आप आमदनी बढ़ाने की सोचते हैं तो इससे जनता नाराज होगी, दुनिया भर की शिकायत उठानी पड़ेगी, फिर भी आपको छुटकारा नहीं होगा, उल्लाई से काम नहीं कर सकेंगे, फिर आपका बजट आयेगा फिर कर लगाने होंगे, तो यह सब खतम नहीं हो सकता है। आपका काम इस तरह से सुचारू रूप से चल नहीं सकता है, विभाग के अन्दर आप कोई सुधार कर नहीं सकेंगे इसलिये यह नया काम करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति पर टैक्स लगायें ऐसा टैक्स का तरीका निकाले कि जिससे देश मजबूत हो, समाजवाद आये, प्रजातंत्र मजबूत हो। यही निवेदन करना चाहता हूं कि मालदार पर कर लगावें तो ठीक होगा। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री बंशीलाल पटवा।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष जी....

एक माननीय सदस्य : माननीय सभापति महोदया।

श्री बंशीलाल पटवा : एक ही बात है आदर सूचक शब्द होना चाहिए। माननीय सभापति महोदया....

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री बंशीलाल पटवा : हम आज मांग संख्या 12 पर विचार कर रहे हैं। कल माननीय वित्त मंत्री जी का उत्तर भी हमने सुना। उससे पहले बजट पर बहस हुई, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बहस हुई और आज मांग संख्या 12 के संबंध में अन्य कर के ऊपर विचार कर रहे हैं। तो मेरा रोडवेज के बारे में, परिवहन के बारे में निवेदन है कि आज तक हम टैक्स बढ़ाते गये लेकिन यात्रियों को जो सुविधायें मिलनी चाहिए वह नहीं दे पाये। इस तरह कोई बजट को लें, कोई डिमाण्ड को लें टैक्सेज बढ़ाते ही जायेंगे तो चार्जेज पूरी तरह से वसूल नहीं हो पायेंगे। इसलिये टैक्सेज में बराबर वृद्धि करना, उसके अनुपात में सुविधाओं में कोई सुधार नहीं करना और केवल चमचों पर टैक्स माफ करना, साड़ी पर माफ करना। पिछली बार पहाड़ियाजी ने सिन्दूर पर, मेंहदी पर और न जाने किस किस पर टैक्स माफ किया था। इसी तरह से इन्होंने

(श्री बंशीलाल पटवा)
चमचों पर किया है, आज चमचों का ज्यादा ही प्रचलन हो गया है पर उस पर टैक्स हटाने से हमारे रेवेन्यू पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा।

मेरा निवेदन है कि चमचों का प्रचलन बहुत बढ़ रहा है, मेरे जिले में भी बहुत बढ़ रहा है।

मेरा निवेदन है कि इस तरह से टैक्स का एक्सटेंशन आता है, डिमाण्ड्स आती हैं तो उनको छुपाना चाहते हैं तो इससे वे छुप नहीं सकती हैं, उनको यथार्थ के धरातल पर आकर देखना पड़ेगा। आलोचना की दृष्टि से कुछ भी कह सकता हूं लेकिन यदि यथार्थता के धरातल पर खड़े होकर कुछ कहूंगा तो लोग गौर करेंगे, लोगों के गले उतरेगी और उसका परिणाम भी अच्छा निकलेगा। आज अपने रोडवेज का प्रश्न आया, लीकेज का भी साथ ही आया। पिछली बार भी टैक्सेज बढ़ाये थे। एक ही वर्ष में 50 प्रतिशत की वृद्धि की और फिर 15 प्रतिशत की, कुल मिलाकर 65 प्रतिशत की वृद्धि हुई उसके बावजूद भी कोई सुधार नहीं हुआ, फिर भी राज्य परिवहन में घाटा का घाटा ही है। आखिर में इस तरह की व्यवस्था क्यों है ? मूल रूप से जायजा लें तो जो त्रुटि है उसके लिये यथार्थ के ऊपर आना ही पड़ेगा। आज मोरल की कमी है, यह घाटा है इसलिये टैक्सेज को आपने बढ़ाया है। दूसरे स्टेट्स को भी देखा ? दूसरे स्टेट में चले जायें, हरियाणा में चले जायें और दिल्ली में चले जायें वहां पर बसों की कैसी व्यवस्था है, गुजरात में चले जायें वहां पर क्या व्यवस्था है, वहां पर क्या टैक्सेज हैं, कितना यात्री किराया है ? उसको एक साथ जोड़ा नहीं है, एक दूसरे से विचार नहीं किया। आपने अपने यहां पर एक लॉट आया और टैक्स बढ़ा दिये कुछ विचार नहीं किया, कोई सुविधा नहीं बढ़ायी है। जिन मार्गों पर बसें चलती हैं उनके अलावा जहां पर आवश्यक है, वहां पर आपने मार्ग खोले नहीं हैं। आप रूट पर चले जाइये, कोई लम्बे रूट पर चले जाइये आज 6 किलोमीटर पर पांच किलोमीटर पर, तीन किलोमीटर पर कोई बड़ा गांव आता है तो वहां पर कोई बसों की सुविधा नहीं है, सुविधा देने की दृष्टि से कोई विचार नहीं किया है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री बंशीलाल पटवा : कुछ भी सुविधा नहीं बढ़ायी है। मेरा निवेदन यह है कि आपने टैक्सेज तो बढ़ाये हैं। लेकिन सुविधायें नहीं बढ़ायी हैं, व्यवस्था में कोई सुधार नहीं किया है। इसके साथ-साथ लीकेज को बंद कीजिये, लेकिन लीकेज को बंद करने की दृष्टि से कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। रोडवेज के बारे में यह जरूर कहूंगा कि अभी यातायात मंत्रीजी ने ध्यान दिया है। नयी केबिनेट बनी, उसके बाद में जो नये मंत्री आये उन्होंने जो छपे हुए टिकट दिये जाते थे उनको हटाकर एडल्ट बुक जारी की है, इसमें भी चोरी की गुंजाइश है। हालांकि मैं जानता हूं कि गांधीजी ने अहिंसक आन्दोलन चलाया था और उसमें हिंसा उठ खड़ी हुई थी। गांधीजी ने उसको बंद कर दिया था तो भी वह आन्दोलन हिंसक नहीं कहलाया था।

(श्री बंशीलाल पटवा)
इसलिये हम बुराई को किसी हद मिनिमाइज कर सकते हैं, मिटा नहीं सकते हैं। सुविधा देने की ओर हमें अधिकाधिक ध्यान देना चाहिए जो प्रायोरिटी में होनी चाहिए। आज गाड़ियों में स्टेपनी नहीं है, ग्रीस करने की कोई सुविधा नहीं है, जो अप-टू-डेट होनी चाहिए। नम्रता के नाम पर कुछ नहीं है। आप कहते हैं कि कन्डक्टर रिश्वत खाता है, ड्राइवर रिश्वत खाता है लेकिन असली दोषी कौन है? आप कहीं चले जायें, इस तरह होता है कि, आप राजस्थान में कहीं भी चले जायें, चाहे अजमेर से दिल्ली चले जायें, चाहे अजमेर से जयपुर, जयपुर से भीलवाड़ा चले जायें, चाहे उदयपुर से जयपुर जो बसें आती हैं उसमें आ जायें। उसमें अफसर कन्डेक्टर को कहता है कि मोजों की जोड़ी लेते आना, सिल्वर स्टार्क के बनियान ले आना, व्हिस्की की बोतल ले आना। फिर वह चोरी नहीं करेगा तो क्या करेगा? यह सब कहां से लायेगा, क्या करेगा? आज मोरल वेल्यूज तो अफसरों की रही नहीं है। जब तक अफसरों में मोरल वेल्यूज नहीं होंगी तब तक यह भ्रष्टाचार नहीं मिटा सकते हैं। आप चाहे इसके लिये कितना भी दावा क्यों न करें। हम टैक्स ही बढ़ाते हैं। लेकिन अगर एक आदमी ठीक तरह से बैठ जाता है तो काफी सुधार हो सकता है। आपको सरकारी मशीनरी को ठीक करना पड़ेगा। उसी स्टाफ से, उसी विभाग से, उन्हीं लोगों से काम लेना पड़ेगा। लेकिन यह भी सत्य है कि अगर मोरल वेल्यूज के आधार पर काम करें, एक अफसर भी ऐसा आ जाये तो अभाव में जीवन गुजारे, सरकार के जो चाल-चलन के तौर तरीके हैं, नियम, उप-नियम हैं उनके अन्तर्गत ईमानदारी से काम करे तो मैं समझता हूं कि व्यवस्था में काफी सुधार हो सकता है। आज रोडवेज ने अनुबंधित गाड़ियां कर रखी हैं वह तो कमाती हैं, वह खूब पैसा कमाती हैं और हमारी गाड़ियों में घाटा चलता है, रोडवेज में घाटा होता है। आखिर यह सब क्या है? अनुबंधित गाड़ी जो लगाता है, वह दो साल में गाड़ी खड़ी कर लेता है, सारा खर्चा निकाल लेता है लेकिन हमारी रोडवेज में खर्चा भी नहीं निकल पाता है। यह बड़े दुख की बात है। टैक्स लगाये जाते हैं, इसकी पिछली विधान सभा में भी बुराई हुई है, अब भी हो रही है।

इसलिये मेरा निवेदन है कि जो कुछ भी व्यवस्था है उसमें ही ईमानदारी से सुधार करने की आवश्यकता है। मैं तो कहता हूं कि हम क्यों उनको फ्रीडम नहीं देते हैं, हम क्यों उन पर अंकुश लगाते हैं? बजाय अंकुश के यातायात में कुछ फ्रीडम दें, मार्ग खोलें, जहां से लोग मांग करते हैं सुविधायें बढ़ायें। इस तरह की रोडवेज में व्यवस्था करें कि लीकेज बंद हो। अभी यातायात मंत्री जी ने टिकट प्रणाली बदली है, उसके लिये मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। मेरा निवेदन है कि यह जो टिकट चलाये हैं, इसी प्रकार से लीकेज कम करें, इसी प्रकार के काम करने चाहिए।

इसके साथ-साथ यात्रियों के साथ किस तरह का व्यवहार है, विनम्रता का व्यवहार नहीं है। इसके अलावा जो आपके अफसर बैठे हैं आप किसी भी रोडवेज के स्टैण्ड पर चले जायें यह क्या अच्छा व्यवहार करेंगे? यह सब कुछ मैंने स्वयं ने देखा है। यह एम.एल.ए. तक से अच्छा व्यवहार

(श्री बंशीलाल पटवा)

नहीं करते हैं। इसलिए मैं सोचता हूं कि इनको विनम्रता का व्यवहार करना चाहिये। यह रोडवेज की बात मैंने कही।

इसके साथ ही साथ मनोरंजन कर की बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि यह मनोरंजन कर सेल्स टैक्स डिपार्टमेन्ट के अन्तर्गत वसूल किया जाता है, पहले म्युनिसिपैलिटीज वसूल करती थीं। आज हम स्थानीय इकाइयों को मजबूत करना चाहते हैं, करने के लिए कहते हैं। आजादी के बाद और आजादी के पहले से लेकर, महात्मा गांधी से लेकर आज दिन तक जितने भी नेता हुए हैं उन्होंने स्थानीय इकाइयों को मजबूत करने की बात कही लेकिन शायद हमने जितना इन स्थानीय इकाइयों को कृश किया है 33 वर्षों में, मैं समझता हूं कि आजादी से पहले ये इतनी कृश नहीं हुई। आज स्थानीय निकायों की आमदनी का जरिया बढ़ना चाहिये। हाथी हमने पाल लिये। हम बराबर निर्देश देते रहते हैं और इस तरह हमने अंकुश लगा रखे हैं जिसके अन्तर्गत, जलालत की नीति के अन्तर्गत, मान लो कोई आदमी काम करना चाहता है वह नहीं कर सकता। इस तरह की व्यवस्था है, तो हमने आज भी इस तरह का कानून बनाया। दूसरी स्टेट्स के कानून किस प्रकार के हैं, हमारी स्टेट में किस प्रकार के हैं। ऑक्ट्राय का सवाल ले लीजिये, ऑक्ट्राय में क्यों, मैं, जैसे कि मनोरंजन की बात कर रहा हूं, ऑक्ट्राय में भी जो है हमने समानता का व्यवहार नहीं किया। अलवर में ऑक्ट्राय अलग है, अजमेर में ऑक्ट्राय अलग है और मिनिस्टर पता नहीं मन चाहे ढंग से एग्जम्पशन दे देते हैं, ये सारी बात हैं।

इसलिये मेरा आपसे निवेदन है मनोरंजन कर के बारे में, 57 के बाद में शायद लिया, मुझे डेट तो पूरी याद नहीं; सन् याद नहीं, लेकिन अन्दाज से मैं अर्ज कर रहा हूं सन् 57 के बाद में सेल्स-टैक्स डिपार्टमेन्ट को दिया था पहले म्यूनिसिपैलिटीज इसको वसूल करती थीं। लेकिन यह जो टैक्स है म्यूनिसिपैलिटीज से इसलिए लिया, टैक्स की दृष्टि से सेल्स टैक्स डिपार्टमेन्ट है वह इसको वसूल करेगा। अपने सुपरवीजन चार्जेज करके वह बाकी म्युनिसिपैलिटीज को को लौटायेगा, स्थानीय इकाइयों को लौटायेगा लेकिन आज दिन तक आप देख लीजिये जो जितना टैक्स आता है वह सुपरवीजन चार्ज करने के बाद पूरा नहीं लौटाया जाता है, यह स्थिति है। यह इस कारण जो एक बहुत बड़ी आमदनी है स्थानीय इकाइयों की, वे इससे अछूते रह जाते हैं, वंचित रहे हैं। परिणामस्वरूप आज भी स्थानीय निकाय मजबूत नहीं हो पा रही हैं। साथ ही यू.आई.टी. बन गई तो फिर वह उनके पास आ गई, जमीन बेच नहीं सकते। केवल इस दृष्टि से मेरा एक निवेदन है स्थानीय निकायों को यह मनोरंजन कर सुपरवीजन चार्जेज की और सारी बकाया, मैं आपको बताऊं, इस बारे में मेरा निवेदन है कि वहां पर रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट एक नहीं दो-दो रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट हैं, तीन तीन रेवेन्यू आफिसर्स हैं, बड़ी कौंसिल में चार रेवेन्यू आफिसर्स बैठे हैं तो उनको टैक्स दें। उसकी वसूली क्यों लोकल स्तर पर होती है इसलिए वसूली में भी अड़चन नहीं आयेगी और परेशानी से भी बचेंगे। सिनेमा

(बन्सीलाल पटवा)

से टैक्स वसूली हो गई यह आमदनी उनको जायगी, स्थानीय निकाय मजबूत होंगी और टैक्स में भी लीकेज नहीं होगा, इस दृष्टि से मेरा निवेदन है कि मनोरंजन कर भी स्थानीय निकायों को दिया जाय, वह इसकी वसूली करें, वह इस तरह से करें, जिससे स्थानीय निकाय भी मजबूत होंगी।

इसके अतिरिक्त मेरा एक और निवेदन है कि जैसे बिजली की यह दरें बढ़ाई, फ्लैट रेट डबल की गई और माननीय वित्त मन्त्री जी ने जो रिप्लाई दिया, बड़ी डेकोरेटिव लैंग्वेज में दिया, क्योंकि आखिर में वित्त मन्त्रीजी हैं, उन्होंने यह कहा कि बिटर पिल्स मुझे खानी थीं, सुगर कोटेड कुनैन की गोली खानी थी वह उन्होंने खाई। यह मैं मानता हूं, कोई भी वित्त मन्त्री हो उसको सुगर कोटेड कुनैन की गोली खानी पड़ती है चाहे कोई भी बदनामी होती है। यह हम भी जानते हैं कि टैक्स के बिना सरकार नहीं चलती। लेकिन मैं आपको बताऊं कि पिछला हम इतिहास उठाकर देखें, कितने लोगों की बकाया होगी, लाखों-करोड़ों रुपया, उसकी वसूली नहीं, खर्च में हम कटौती नहीं करें। यह आपने प्रतिवेदन भेजा है परिवहन की दृष्टि से, और भी है हमने पढ़ा है। उसमें आप आदमी, स्टाफ बढ़ाते जा रहे हैं, ओहदे बढ़ाते जा रहे हैं। कम ओहदों से भी काम चल सकता है। एक कर्मचारी को दिन भर में कितनी फाइलें निपटानी पड़ती हैं इसका मापदण्ड बना हुआ है। आज दिन तक उसके बाद, इसके बारे में आपने सबने देखा, कितना काम करते हैं। तो इस तरह से हम खर्च में कटौती कर सकते हैं। जीवन में सादगी लाने की दृष्टि से विचार कर सकते हैं। टैक्स में पूरी वसूली हो। और मैं सोचता हूं फ्लैट रेट लगाई कहने के लिए कहा जा सकता है कि हम लगा सकते हैं लेकिन मैं सोचता हूं, आज किसानों को क्या दिक्कत है। आज मान लो उसको हानि भी होती है, अपने बजट में तो किसानों को राहत देने की दृष्टि से देना चाहिये क्योंकि आज किसानों को राहत नहीं देंगे, यह देश का आधार किसान और उस किसान की रोटी हम सब खाते हैं यदि वह अनाज पैदा नहीं करें तो मैं सोचता हूं, आप और हम भरण-पोषण नहीं कर सकते। यदि, मान लो, सरकार को घाटा भी होता है तो किसानों को फेसिलिटीज देनी चाहिये। यह फ्लैट रेट बढ़ाना लाजिमी हो तो उनको सुविधा दी जानी चाहिये।

इसके साथ साथ सिंचाई की दरें हमने बढ़ा दीं। आखिर हम किसान को देते क्या हैं? आज किसान को खेटिया मंहगा मिलता है, किसान को चूंदड़ महंगी मिलती है, किसान को जापे का सामान, अजवायन और सौंठ महंगी मिलती है और किसानों पर रेट बढ़ाकर अनाज और बाकी की चीजें सस्ती लेना चाहेंगे। किसानों को किस प्रकार से हम ऊंचा उठाना चाहते हैं? किस तरह से किसानों को इस तरह से झकझोरना चाहते हैं, शिकंजा मजबूत करना चाहते हैं। हमको किसान को फेसिलिटीज भी देनी पड़ेंगी। 80 प्रतिशत किसान गांवों में रहते हैं और बाकी दूसरे लोग रहते हैं। बाकी लोगों को इस दृष्टि से, मेरा निवेदन यह है, फ्लैट रेट जो है दुगुनी की है, सिंचाई की

(श्री बंशीलाल पटवा)

दरें बढ़ाई हैं। उसको हम फेसिलिटी देने के नाम पर कुछ नहीं देना चाहते।

उपाध्यक्ष महोदय, आज सारी चीजों पर विचार करना चाहिये। गांवों में आप चले जाइये, टूटा–फूटा घर मिलेगा, वही टूटा-फूटा मन्दिर मिलेगा, टिमटिमाता दीपक मिलेगा। अगर हम किसान को बिजली नहीं देना चाहते हैं, कई गांवों का विद्युतीकरण नहीं हुआ मैं यह सोचता हूं कि टैक्स लगाकर यह कह दें कि इस तरह जो है उसके रख–रखाव पर विचार करना चाहते हैं। अरे भई, यह सब कुछ हो सकता है। लेकिन फिर भी कड़वा घूंट पी करके किसानों को अगर राहत देने की बात की जा सकती है तो करनी चाहिये। इसके साथ एक बात और अर्ज कर दूं हालांकि वह सेल्स टैक्स से सम्बन्धित है मुझे नहीं कहनी चाहिये, लेकिन किसानों से सम्बन्धित है इसलिए कहना चाहता हूं कि दस रुपये तक की छूट रेडिमेड कपड़े, जैसा कि माननीय वित्त मन्त्रीजी ने चून्दड़ी पर टैक्स माफ किया और भी कई प्रकार की टैक्स की बात की, माफ किया, चमचों पर माफ किया, बन्धेज पर टैक्स माफ किया, तो एग्जम्प्शन दिया उस दृष्टि से रेडीमेड कपड़ों के बारे में बताना चाहता हूं अनुरोध के रूप में, चाहे वित्त मन्त्रीजी के गले उतरे या नहीं उतरे लेकिन मेरी भावना है जो मैं कहना चाहता हूं कि आज भी आप शहर में चले जाइये, विधवायें ऐसी बैठी हैं जो कांचली बनाती हैं और कुर्ती बनाती हैं और उसे केवल किसानों की औरतें पहनती हैं। किसानों को यदि फेसिलिटीज देना चाहते हैं, राहत देना चाहते हैं और इसके साथ मैं आपको बताऊं यह जो एग्जम्प्शन वापस लें, टैक्स जो लगाया मैं सोचता हूं कि उसका नाजायज लाभ उठाते हैं। इस दृष्टि से, इस तरह से यह किया लेकिन इससे जो आमदनी होगी, केवल 15 लाख हुई थी, यह मैं सोचता हूं कि ऊंट के मुंह में जीरा है, पूरे बजट को देख लीजिये। इससे 15 लाख की आमदनी आपने बताई है तो मेरा निवेदन है कि अकेली कांचली, झगलिया इस तरह से बनाती हैं, विधवाओं का भरण-पोषण होता है और जो चीजें सस्ती मिलती हैं किसानों को, उस पर भी हमने बन्दिश लगाई। इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये। चाहे इसमें पूरी नहीं करें तो कुछ न कुछ तो रिबेट देकर लिबरल वे में सोचना चाहिये क्योंकि किसानों से सम्बन्धित मामला है इसके साथ ही कई विधवा महिलायें हैं जिनके घर में आय का कोई जरिया नहीं है, बेटी नहीं और अकेली हैं और पूरे गांवों में रहती हैं वह भरण-पोषण कैसे करेंगी? उनको भी जाकर सेल्स टैक्स के जो जमूरे हैं, वह दुःखी करते हैं। मैं मानता हूं, कि आज आप मिनिस्टर हैं, मैं एम. एल. ए. हूं लेकिन मेरे जैसे या आप जैसे वहां किसी समाज में बैठे हैं वह उनको जाकर जलील करते हैं। ये लोग जो आपको नजर आयेंगे, यह किस प्रकार से जलील करते हैं इसलिए मेरा निवेदन है कि आप इस पर गम्भीरता से विचार करें। अगर आपने यह किया, मैं सोचता हूं वह किसान और विधवा आपकी बड़ी आभारी रहेंगी।

इसके अतिरिक्त आपने ट्रैक्टर और ट्राली पर टैक्स लगाया है। मेरा निवेदन है कि जसे आप किसान को राहत देने की बात

(श्री बंशीलाल पटवा)

करते हैं, किसान को आपने कोई छूट नहीं दी, बिजली दरें बढ़ाई, सिंचाई दरें बढ़ाईं और ट्रेक्टर और ट्राली पर टैक्स लगाया। जिसके बारे में कई माननीय सदस्यों ने विचार व्यक्त किये, मैं उनका समर्थन करता हूं। ट्राली किसान के काम आती है, वह इसका उपयोग करता है इसलिये ट्रेक्टर और ट्राली पर जो आपने टैक्स लगाया है, यह खत्म होना चाहिये। इससे किसान बड़ा परेशान हो रहा है। इससे कोई बहुत बड़ा अन्तर पड़ने वाला नहीं है। जो लक्जरी आइटम्स हैं यदि आप उन पर टैक्स लगाते तो, मैं समझता हूं कि हम सब उसका स्वागत करते। आपने बड़ी-बड़ी आइटम्स को छुआ नहीं और छोटी-छोटी आइटम्स पर आपने टैक्स लगा दिये। अब तो बजट पेश हो गया, सारा विचार हो गया आपने रिप्लाई दे दी। डिमाण्ड की बात चल रही है, तो मैंने जो कुछ भी विचार व्यक्त किये, तो जहां लीकेज हैं उनको बन्द करना चाहिये। अगर मैं कहूं कि आज की वर्तमान परिस्थितियों में आफिसर ईमानदार नहीं है तो सफल नहीं है। सारा आकाश पटा हुआ है, इस पर भी ईमानदारों की कमी नहीं हैं। जिसका जहां उपयोग हो सकता है उस आफिसर को वहां लगायें, यदि आपने ढंग से लगाया तो सुधार होगा, आपकी लीकेज बन्द होगी, आपने जो टैक्स लगाये हैं, इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, पुरानी वसूलियां आपकी वसूल होंगी।

इसके साथ ही मैं अपने विचार समाप्त करता हूं और निवेदन करूंगा कि जो फ्लैट रेट, सिंचाई दरें, ट्राली, ट्रेक्टर, रेडिमेड कपड़े जो विधवायें बनाती हैं, जिनसे उनका भरण पोषण होता है इस पर आप जल्दी से जल्दी विचार कर के निर्णय लें।

श्री सभापति : श्री अमराराम चौधरी।

(अनुपस्थित)

श्री माधव सिंह दीवान।

(अनुपस्थित)

श्री दीपेन्द्रसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री हंसराज शर्मा।

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर) : सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 12 के संदर्भ में निवेदन करना चाहता हूं। सरकार टैक्स लगाती है और टैक्स वसूल करती है। उसमें क्या-क्या व्यवस्था रहती है यह बात कही है। मैं प्रथम, राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि जिस तरह से यह स्टाम्प की प्रणाली गांव में है और छोटे और बड़े लोग जो किसी प्रकार की प्रोपर्टी को खरीदते हैं या बेचते हैं उसमें जो स्टाम्प विक्रेता होता है उनको मात्र 6 हजार रुपये तक की प्रोपर्टी की कीमत पर ही रजिस्ट्री कराने के लिए स्टाम्प दिये जाते हैं, अगर 6 हजार से एक रुपया भी उसकी कीमत अधिक हो जाती है तो विक्रेता स्टाम्प नहीं बेच सकता। उस स्थिति में काश्तकारों को बैंकों में पैसा जमा करना पड़ता है। बैंकों में पैसा जमा कराने के बाद उसको ट्रेजरी में जाना पड़ता है और ट्रेजरी से उसे स्टाम्प प्राप्त होता है। तब कहीं जाकर वह अपनी रजिस्ट्री करा

(श्री हंसराज शर्मा)

पाता है। इस प्रकार से 6 हजार के ऊपर जो जितनी रजिस्ट्रियां होती हैं उनके लिये काश्तकारों को आये दिन कोर्ट में तीन-तीन, चार-चार रोज बराबर चक्कर काटना पड़ता है।

इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि स्टाम्प विक्रेताओं को जब आप देखेंगे, जिसके माध्यम से राजस्थान सरकार ने कितने बेचे और विक्रेताओं ने कितने बेचे तो पता चलेगा कि विक्रेताओं ने अधिकतम स्टाम्प बेचे हैं। विक्रेताओं के अधिक स्टाम्प से राज्य सरकार को भी आय होती है और काश्तकारों को भी समय पर उपलब्ध हो सकता है। इसलिये, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इनको जो स्टाम्प का अधिकार है, 400 से 6,000 रुपये तक का, उसकी कीमत आप कम से कम 10-15 हजार रुपये की प्रोपर्टी की बिक्री तक कर देनी चाहिये।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि स्टाम्प के साथ काश्तकारों को जो स्टाम्प खरीदनी पड़ती है, जिनको आप भूमिहीन मानते हैं, छोटे मानते हैं, जिनकी आय बहुत कम है उनको भी इस प्रकार के मामले में स्टाम्प खरीदने पड़ते हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि इस प्रकार जितने काश्तकारों को आप लघु मानते हैं, उनको स्टाम्प की ड्यूटी से मुक्त किया जाये।

इसी सन्दर्भ में मैं आपसे निवेदन करूं कि आप रोड टैक्स लगाते हैं। रोड टैक्स आप वसूल करते हैं। मैंने देखा है कि गाड़ियों के अन्दर लोग जो प्राइवेट बसें होती हैं, वह जम कर सवारियां भरते हैं और टैक्स की चोरी करते हैं। सभापति महोदया, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जहां सरकार का इस प्रकार का नियम है कि जब यात्री जायेगा तो उसको टिकट मिलेगी लेकिन अमूमन ऐसा देखा जाता है कि यात्रियों को टिकट नहीं दी जाती है, किराया वसूल किया जाता है और बराबर जो टैक्स की चोरी करते हैं, वह मालिक के पास पैसा रहता है और इससे सरकार को बहुत लॉस होता है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार का जो टैक्स, यात्री टैक्स है इसको या तो समाप्त कर दिया जाये व यदि सरकार इसको समाप्त नहीं करना चाहती है और इसकी चोरी से बचना चाहती है तो सामूहिक रूप से रोड टैक्स को लगा देना चाहिये ताकि जो चोरी होती है वह नहीं हो सके।

इसी सन्दर्भ में मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां, राजस्थान में भी होगा और अन्य प्रदेशों में भी होगा, मेरे जिले में भी राज्य सरकार द्वारा कांट्रेक्ट कैरिज बसों के परमिट दिये गये हैं। मन्त्री महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर विशेष रूप से आकर्षित करना चाहूंगा कि बीस से पच्चीस पंचायतों के अन्दर जो कांट्रेक्ट कैरिज बसें चलती हैं सवाई माधोपुर से अन्य स्थान के लिए जाती हैं, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि सवाई माधोपुर से स्टेशन और स्टेशन से सवाई माधोपुर जाती हैं और कहीं नहीं जाती हैं। वह किस प्रकार का किराया लेते हैं, मनमाने

116

श्री हंसराज शर्मा)

तरीके से लेते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है है कि कांट्रेक्ट कैरिज बसों को या तो समाप्त कर दें या उनको प्रिपेयर कर दिया जाये तो लोगों को ज्यादा फायदा होगा।

साथ ही साथ मेरा निवेदन है कि जो कांट्रेक्ट कैरिज की बसें हैं वह सवाई माधोपुर से स्टेशन तक चलती हैं। 70-70 या 80-80 सवारियां भरते हैं और सवाई माधोपुर से स्टेशन आठ किलोमीटर के बीच कम से कम आठ जगह वह रुकती है। तो जो बसें कांट्रेक्ट कैरिज पर चलती हैं और एक जगह से दूसरी जगह सवारियों को पहुंचाने का कांट्रेक्ट करती हैं उनका बीच में रुकना और सवारियों का उठाना, 70-70, 80-80 यात्रियों को भरकर उनसे मनमाना किराया वसूल करना, क्या यह न्याय संगत है ? मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जहां संबंधित विभाग ने उन कांट्रेक्ट कैरिज की बसों को जो चालान किया है, सैकड़ों चालान होंगे उसमें 70-80 से कम सवारियों का चालान नहीं होता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कांट्रेक्ट कैरिज बसों की लिमिट खत्म होनी चाहिये, जितने समय के लिए आपने परमिट दिया था उन्हें समाप्त किया जाये और वहां सी. टी. एस. के रूप में परमिट दिये जायें तो इससे यात्रियों को सुविधा हो सकती है।

इसी संदर्भ में आपको निवेदन करूंगा कि आपके रोडवेज की व्यवस्था ठीक नहीं है। मन्त्री महोदय, जयपुर से सवाई माधोपुर तक सरकार द्वारा इस प्रकार की व्यवस्था है कि आपकी गाड़ियां सवाई माधोपुर तक जायेंगी। जब यात्री जयपुर से रवाना होता है सवाई माधोपुर के लिये, दुर्भाग्य इस बात का है कि जो गाड़ी जाती है वह सवाई माधोपुर स्टेशन पर रुक जाती है और यात्री रात को 9-10 बजे तक वहां रुके रहते हैं, आगे जाने का साधन नहीं होता है। यात्री परेशान हो जाता है उसको दुगुना किराया देना पड़ता है। तांगों में 20-40 रुपये देकर के यात्री को स्टेशन से सवाई माधोपुर तक जाना पड़ता है। जबकि मैंने इस संबंध में कई बार लिखा विभाग को और उन्होंने बताया था कि सवाई माधोपुर तक गाड़ियां जाती हैं और जो ऐसी अव्यवस्था है उसको हम समाप्त करेंगे। रोडवेज का स्थान भी रुकने को अच्छा नहीं है, नगर पालिका ने एक स्थान तय कर रखा है। आपकी गाड़ी कभी एक जाती है, कभी दो जाती हैं, कभी नहीं जाती है केवल यह कह कर कि वहां यात्री दंगा करते हैं या कह कर टाल देते हैं कि गाड़ी खराब हो गई थी इसलिए हमने स्टेशन पर रोक दी या यह कह देते हैं कि केवल गाड़ी में शहर तक की सवारियां भरी हुई थीं। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सारी अव्यवस्था को आप दूर करने का प्रयास करें।

साथ ही साथ जो आपने टैक्सेज लगाये हैं कई अवसरों पर विशेष तौर से गाड़ियां चलाई जाये। मन्त्री महोदय, जयपुर से सवाई माधोपुर आपने एक विशेष बस चलाई थी उनियारा वाया टोंक होती हुई। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आज भी उस बस में कम से कम आपकी जो लागत है उसका 50 प्रतिशत प्रॉफिट कमा कर देती हैं। सवाई माधोपुर से इतनी फुल

(श्री हंसराज शर्मा)

गाड़ियां आती रहती हैं जयपुर के लिये कि रास्ते में एक भी सवारी को बैठने के लिये जगह नहीं मिलती थी। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि जिस गाड़ी से आपकी कमाई थी, वहां की जनता ने डिमाण्ड की बराबर, लेकिन जानबूझ कर आपने उस गाड़ी को बंद किया। इसका मतलब है कि आप यातायात व्यवस्था को अव्यवस्था के रूप में चलाना चाहते हैं। जहां नुकसान होता है वहां गाड़ी चलाना चाहत हैं, जहां चोरियां होती हैं वहां रोडवेज की बसेज को पहुंचाना चाहते हैं। इसी प्रकार मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो गाड़ियां चलती हैं किसी में सीट नहीं है और यदि सीट है तो गद्दी नहीं है और गद्दी है तो टायर नहीं हैं। उसके कारण गाड़ियां आये दिन रास्तों में खड़ी हो जाती हैं, यात्री वहीं खड़े रहते हैं, आये दिन परेशान होते रहते हैं, मां-बहनों को रात में छोटे-छोटे गांवों में रुक जाना पड़ता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस व्यवस्था को सुधारें।

साथ ही साथ जैसा आपने कहा है, आपने स्टेटमेंट दिया है, रास्ते में टिकट काटना बन्द कर दिया है। मन्त्री महोदय, यह बात सही है कि टिकट काटना बन्द कर दिया, भगवान आपका टिकट जरूर काटेगा इसमें कोई सन्देह नहीं है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, अगर टिकट कन्डक्टर नहीं काटता है तो क्या चोरियां बन्द हो गई? मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिन यात्रियों को रास्ते में टिकट लेकर बैठने की व्यवस्था थी वह अव्यवस्था में परिवर्तित हो गई है और आपने जो गाड़ियों की व्यवस्था की है उससे ज्यादा नुकसान में जायेगी। इसका मतलब यह है कि आप जानबूझकर यातायात को नुकसान में पहुंचाना चाहते हैं।

साथ ही साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जहां प्राइवेट व्हीकल्स चलाते हैं उनका चालान होता है लेकिन जो रोडवेज वाले 50-60-70 और दो-दो सौ सवारियां भरते हैं क्या आपके विभाग ने कभी रोडवेज का चालान किया है? केवल चालान पब्लिक गाड़ियों के लिए है, सरकार की गाड़ियों के लिए नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि उनका भी चालान होना चाहिये और चैकिंग होनी चाहिये। और यदि आपने किया है तो बताया जाय कि राजस्थान रोडवेज में सवारियां अधिक भरने के कारण अब तक कितने चालान हुए हैं और किस-किस को आपने पनिशमेंट दिया है? इसलिये मैं कहना चाहूंगा, अगर इस प्रकार की व्यवस्था को आपने ठीक किया तो इसका सुधार हो सकता है।

इसी सन्दर्भ में मैं विद्युत के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा। वित्त मन्त्री जी इस ओर ध्यान देंगे कि हमारे क्षेत्र में या सारे राजस्थान में सिंचाई की आपने दूनी कीमतें बढ़ाई हैं। मन्त्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार द्वारा जो कमांड एरिया घोषित कर रखा है, जहां पिलाई करते हो वहां ऐसे-ऐसे गांव हैं जिनमें 100 बीघा से ज्यादा पिलाई नहीं होती है और वहां एरिया एक हजार-1500 बीघा का है। आपने पूरे के पूरे गांव को कमांड घोषित कर दिया और पिलाई होती है 100 बीघा में और किसानों

(श्री हंसराज शर्मा)

को जब एलाटमेंट होती है तो चूंकि गांव आपने पूरे का पूरा कमांड कर दिया इसलिये पूरी की पूरी कमांड एरिया की कीमत के आधार पर आप लगान और उनकी कीमत वसूल कर रहे हैं। यह कहां तक न्याय संगत है, क्या आपने इस संदर्भ में सोचा ?

साथ साथ जिन नहरों पर पानी देते हैं जहां पर टेल पर पानी पहुंचाते हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हर कैनाल का जो टेल एरिया होता है, टेल एरिया में 95 प्रतिशत लोगों को पानी नहीं मिलता है, सिर्फ 5 प्रतिशत लोगों को पानी मिलता है। कभी एक पानी मिलता है, कभी दो पानी मिलते हैं, लेकिन टैक्स के रूप में आप सारे के सारे किसानों से उसकी सिंचाई की कीमत को वसूल करते हैं। मैं आपको यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि सन् 1974 में आपके द्वारा सक्युंलर निकला था कि यदि किसानों को एक पानी दिया जायगा तो उससे केवल एक पानी का पैसा वसूल किया जायगा। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि गत वर्ष में अकाल पड़ा, पानी बंधों में नहीं आया और राज्य सरकार ने इस प्रकार की घोषणा की कि आप लोगों को ऐसी फसलें बोनी हैं जिनमें सिर्फ एक पानी देना हो। लोगों ने काश्त के समय एक पानी वाली फसल बोयी और आपने एक पानी दिया बड़ी मुश्किल से, तालाबों में पानी नहीं था। यह जरूरी था कि एक पानी देना था। दुर्भाग्य इस बात का है कि सन् 1974 में आपके द्वारा सक्युंलर निकाला गया था, उसकी अवहेलना की गई और किसान को 4-4, 5-5 पानी देकर जो पिलाई वसूली होती थी वही आपने पिलाई वसूल की है। इसलिये मैं वित्त मंत्री व सिंचाई मंत्री से निवेदन करूंगा कि अकाल के समय में जिन किसानों को एक पानी दिया गया है और पूरी पिलाई वसूल कर ली है उनको वापस दी जाय। इस प्रकार की जो वसूली की गई हैं, मैंने इस संबंध में सिंचाई मंत्री को भी लिखा था लेकिन वह टालमटोल कर गये कि मैं जांच कर रहा हूं। अब तक उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है इसलिये मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि सिंचाई मंत्री इस संबंध में अविलंब कार्यवाही करेंगे और यदि वह चाहेंगे तो सक्युंलर नंबर मय तारीख के कभी भी आपको बता सकता हूं कि यह सक्युंलर आपका था।

इसी संदर्भ में मैं विद्युत के संबंध में निवेदन करना चाहूंगा कि विद्युतीकरण की जहां बात आई है आपने विद्युत पर टैक्स बढ़ाया है। दुर्भाग्य इस बात का है कि विद्युत पर टैक्स नहीं बढ़ाना चाहिये था, छोटे छोटे काश्तकारों को, ट्रैक्टरों के मामले में, जहां अकाल पड़ रहा है किसानों की वैसे ही आय नहीं हो रही है, आपके द्वारा विद्युतीकरण की जो बात कही गई है, इस संबंध में कहना चाहूंगा, विद्युत मंत्री मौजूद हैं, मैं मेरे जिले सवाई माधोपुर की बात कर रहा हूं, दो साल में 54 गांवों का विद्युतीकरण करना था, आप 13 गांवों में कर पाये। दुर्भाग्य की बात है कि इस साल केवल एक ही गांव में कर पाये। खैर, मैं नहीं कहता कोई कारण हो सकता है। लेकिन जब आप प्लान बनाते हैं, आपके पास सामान नहीं है, जब हम लोग तकाजा करते हैं, अधिकारियों को तंग करते हैं तो वे यह कहकह दूर हो जाते हैं कि वह केवल सरकार की प्लान है, हमारे पास सामान

(श्री हंसराज शर्मा)

नहीं है। इसलिये मैं कहना चाहूंगा प्लान बनाने से कोई फायदा नहीं है। इस प्रकार जो प्लान बनाने वाले हैं कम से कम उनसे विचार करें तो ज्यादा अच्छा होगा।

मैं इस संबंध में यह भी कहना चाहूंगा कि आज की तारीख में जिन लोगों ने पैसे जमा करा दिये हैं जनवरी में, आपके रिकार्ड के आधार पर बताना चाहूंगा कि 287 लोगों ने पैसे जमा कराये उनको कनेक्शन नहीं मिला है, काश्तकारों की 287 कुंओं की फाइलें पेंडिंग पड़ी हुई हैं जिन्होंने पैसे जमा करा करा दिये हैं। 35 उद्योगों ने पैसा जमा करा दिया है, डिमांड नोटिसेज पर जमा करा दिया है उन्हें भी आज तक कनेक्शन नहीं दिया गया। इसी प्रकार 617 घरों में जिन्होंने अपना पैसा जमा करा दिया लेकिन आज तक आप लोगों ने उनको कनेक्शन नहीं दिया। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि टैक्स बढ़ाने मात्र से पार नहीं पड़ेगी, काश्तकारों के सुख और सुविधा की ओर ध्यान देना पड़ेगा।

इसी संदर्भ में एक मिनट थोड़ा सा निवेदन करना चाहूंगा। आपने छोटे छोटे धंधे जो लोग करते थे जैसे कोई सिलाई का काम करती थीं उन पर टैक्स बढ़ाया है। मैं निवेदन करूंगा कि आपको गंभीरता से विचार करना चाहिये कि हजारों छोटे-छोटे लोग होते हैं वे थड़ियों पर बैठे रहते हैं और एक रुपये लेकर 2 रुपये की कीमत, 4 रुपये की कीमत का, 8 आने की कीमत का, 5 रुपये की कीमत, हजारों रुपये का सामान अपने पास लेकर बैठे रहते हैं और थड़ियों पर निकलने वाले लोगों को बेचते रहते हैं। जिनके पास अपनी उदरपूर्ति का साधन नहीं है, जिनके पास किसी प्रकार का आय का साधन नहीं है ऐसे छोटे-छोटे जो काश्तकार हैं या महिलायें हैं, अबलायें हैं जिनके पति रुग्ण अवस्था में हैं या अन्य स्थान पर रहते हैं या मर गये हैं जिनको आपने सहायता दी है, आपने सहयोग दिया है उन लोगों पर जो आपने टैक्स बढ़ाया है। हजारों महिलायें, हजारों छोटे-छोटे उद्योग बरबाद हो जायेंगे थड़ियों पर बैठने वाले छोटे छोटे लोग अपनी उदरपूर्ति कर रहे थे उनकी बरबादी हो जायगी। इस संदर्भ में आपको अधिक से अधिक विचार करना चाहिये।

साथ ही साथ ट्रैक्टर और ट्रॉली के संबंध में भी निवेदन करना चाहूंगा। ट्रैक्टर और ट्रॉली का जो टैक्स है इसके लिये मेरा निवेदन है और सुझाव भी है, मानना या न मानना आपका अधिकार है। जो टैक्स आपने ट्रॉली पर लगाया है, मैं वित्त मंत्री से निवेदन करना चाहूंगा यह आपने टैक्स काश्तकारों पर लगाया है क्योंकि ट्रैक्टर और ट्रॉली काश्तकारों के ही काम आती है। मेरा निवेदन इसमें यह है कि इसको माफ कर दिया जाना चाहिये। किसान अपनी फसल को लाने ले जाने के लिये ट्रैक्टर और ट्रॉली रखता है। हां अगर कोई बड़ा आदमी ट्रैक्टर या ट्रॉली खरीदता है और वह इसको अपने खेती के काम में नहीं लेता है तो अलग बात है। वरना आपको यह ट्रैक्टर और ट्रॉली पर टैक्स माफ करना चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री हंसराज शर्मा)

एक मिनट में अभी समाप्त करता हूं। दूसरी बात, जो मैं निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि यह बात, वित्त मन्त्री जी, आपके लिये बहुत महत्व की बात है, यह एक ऐसा मसला है, वित्त मन्त्रीजी, कि आपके यहां पर जितने भी पुराने दारू के ठेकेदारों थे जिन्होंने एक दारू के ठेकेदारी में लाखों रुपये की कमाई की, मैं, वित्त मन्त्रीजी, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जब आपने दारू बन्दी को खोल ही दिया है और इसको आय का साधन ही बना लिया है तो मेरा निवेदन है कि जिन ठेकेदारों में जब शराब बन्दी हुई थी उस वक्त उनकी गारन्टी समाप्त नहीं हुई है तो उन लोगों में राजस्थान सरकार के करोड़ों रुपये आज भी बकाया हैं पुरानी जो बकाया इस प्रकार की' जिन ठेकेदारों में गारन्टी की थी यदि आप उनसे वह वसूल करना प्रारम्भ करदें तो आपको बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके माध्यम से वित्त मन्त्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि मैंने जो विचार यहां आपके सामने रखे और जो मैंने सुझाव आपको दिये हैं, मुझे आशा है कि आप गम्भीरता से विचार करेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हू और आपने जो मुझे समय दिया है उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

(3·31 म. प.)

(श्री अहमद बक्श सिन्धी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष : श्री दीपेन्द्रसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री राम रघुनाथ चौधरी

(अनुपस्थित)

श्री माधव सिंह दीवान

(अनुपस्थित)

श्री चतुर्भुज

(अनुपस्थित)

श्री मोहनलाल मोदी : सभी बोल चुके हैं, आप तो बोलना चाहते हैं उनका नाम पुकारें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री महावीर प्रसाद जैन।

श्री उपाध्यक्ष : आपका तो समय खतम हो गया।

श्री चन्दनमल बैद : इनका तो समय कभी का खतम हो गया, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अब आपका समय खतम होने वाला है।

श्री चन्दनमल बैद : उसी आशा पर तो आप जिन्दा हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) : निश्चित रूप से।

उपाध्यक्ष महोदय, यह अन्य कर मांग संख्या-12 जिस पर आज हम विचार करने जा रहे हैं यह कर ऐसा है जो दिखता नहीं है लेकिन इस प्रकार लगाया है कि जिस प्रकार वित्त मन्त्री जी जब कल यहां बजट पर बहस पर जवाब दे रहे थे उस समय वित्त मन्त्री जी ने कहा कि हमने 530

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

करोड़ रुपये सिंचाई के लिये बान्धों के निर्माण के लिये खर्च कर दिये और इतना व्यय किया गया जिस पर किसानों से एक भी पैसा हमने वसूल नहीं किया। मैं समझता हूं कि आज देश में और प्रदेश में 80 प्रतिशत या 90 प्रतिशत किसान या मजदूर हैं। यहां पर यह कह कर वित्त मन्त्री जी ने जनता के हृदयों पर चोट पहुंचाई है। मैं वित्त मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपने यात्री कर या रोडवेज का जो टैक्स लगाया है वह टैक्स उन्हीं किसानों और मजदूरों से प्राप्त होता है। मैं समझता हूं कि जिस मात्रा में यह टैक्स किसानों और मजदूरों पर पड़ता है और वही लोग यह टैक्स देते हैं दूसरे लोग यह टैक्स नहीं देते हैं और उस टैक्स की चोरी करते हैं। लेकिन किसान न तो टैक्स की चोरी करता है न ही यहां पर किसानों के लिये यह कहा गया है, मैं समझता हूं कि यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। आज उनके उपर टैक्स लगाकर यह बात की जाती है कि हम उनसे वसूल नहीं करते हैं यह उनकी तौहीन है और बहुत भारी उनका अपमान है। मैं समझता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मन्त्री जी जब इसके बारे में जवाब देंगे तो कुछ कहेंगे। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से यह टैक्स लगता है जैसे रोडवेज के टिकटों पर कर लगाया जाता है बिजली की दरों में वढ़ोतरी की गयी या सिंचाई की दरों में वढ़ोतरी की गयी है इससे हमारे देश का विकास और उद्योग इन पर निर्भर करते हैं। हमारे देश का विकास या आज हमारे पेट को पालने वाले किसान जो कि हमारे जीवन को सुरक्षित रखते हैं लेकिन हमने इन पर अप्रत्यक्ष रूप से सिंचाई और बिजली की दरों में बढ़ोतरी करके निश्चित रूप से हमारे राजस्थान के विकास को न केवल पीछे ही ले गये हैं बल्कि हमारे यहां विकास बिलकुल ही बन्द हो रहा है। यहां पर अभी कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये जिसमें उन्होंने कहा था कि जोधपुर, पाली ब्यावर और दूसरी जगहों पर हमारे यहां पर उद्योग बन्द होने जा रहे हैं। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में क्योंकि यदि कोई उद्योग चलाता है या कोई उद्योग चलता है तो काम्पीटिशन से चलता है और हमारे यहां का माल जो बेचा जाता है वह हमारे प्रदेश के आसपास के प्रदेशों में जैसे हरियाणा, पंजाब, दिल्ली उत्तर प्रदेश जहां जहां भी उसकी सीमायें लगती हैं वहां से कच्चा माल खरीद कर लाते हैं और पक्का माल उनको बेचना पड़ता है। आज इस प्रकार से वित्त मन्त्री जी जो कि स्वयं इस बात को जानते हैं फिर भी किस प्रकार से यहां के उद्योगों को बन्द करने की साजिश की जा रही है यह मैं नहीं समझ पाया हूं आपके विचारों को, हमारे यहां पर इससे मजदूरों में बेकारी फैल जायेगी उद्योग बन्द हो जायेंगे। जिससे यहां की आर्थिक दृष्टि में और पिछड़ापन लाना चाहते हैं, यह वित्त मन्त्री जी, पता नहीं ऐसा क्यों करना चाहते है। इससे, उपाध्यक्ष महोदय, लोगों को रोजगार नहीं मिलने वाला है किसानों को परेशानी होगी पता नहीं क्यों वित्त मन्त्री जी ऐसी स्थिति पैदा करने जा रहे हैं। आज सारे प्रदेश में किसान आन्दोलित हो रहे हैं और किसान सड़कों पर

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

आ जायेंगे। उद्योग अगर बन्द हो गये तो आप जानते हैं कि बिना तेल के दिये नहीं जलते हैं उसी तरह श्रमिकों को अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो वह सड़कों पर आ जायेंगे। आज बिजली बन्द हो जायेगी तो इस प्रकार से इसका प्रभाव क्या पड़ने वाला इसके बारे में न ही राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में और न ही वित्त मन्त्री महोदय के भाषण में ही कुछ व्यवस्था के लिये ही कहा गया है। हम भ्रष्टाचार को किस प्रकार से समाप्त करेंगे इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है न ही यह कहा गया कि हम प्रशासनिक खर्च किस प्रकार से कम करेंगे। केवल एक उपदेश जरूर दिया गया है लेकिन किसी प्रकार का मार्ग दर्शन उसमें नहीं किया गया है। केवल उपदेश की बात की गई है। मेरा यह मानना है कि यह जिस प्रकार की उपभोक्ताओं पर पेनल्टी लगायी जाती है कोई गड़बड़ी के लिये तो उसी प्रकार हमको इसमें आमूल चूल परिवर्तन करेंगे ऐसी बात भी नहीं कही गयी। इसमें ऐसी भी व्यवस्था नहीं है कि किसकी गड़बड़ी से जहां काम खराब हुआ जहां पर अधिक समय लगता है, कोई परमिट नहीं मिला है और या जहां पर अगर कोई अनुज्ञा पत्र नहीं मिला तो उसके लिये दण्ड देने के लिये कोई प्रावधान नहीं किया गया है। ऐसा इसमें प्रावधान होना चाहिये था। इसमें एक तरफा कार्यवाही की बात कही गई है कि अगर उपभोक्ता ने कोई कमी पूरी नहीं की तो उस पर पेनल्टी लगेगी लेकिन प्रशासन पर अंकुश रखने की कोई बात नहीं हुई। ऐसी परिस्थितियों में किसी प्रकार से सुधार होने वाला नहीं है, वित्त मन्त्री जी। तो मेरा यह निवेदन है कि जहां रोडवेज में आपने भयंकर रूप से टैक्स लगाये हैं। उसके लिये यहां पर सारे माननीय सदस्यों ने इस प्रकार की चर्चा की कि यहां पर बहुत भारी अव्यवस्था है और उसको ठीक करने के लिये कहा। आज रोडवेज के अन्दर यात्री कर की दरों में अन्धाधुन्ध तरीके से बढ़ोतरी की गई यह एक बहुत ही शर्म की बात है। आज न तो इतना किराया बढ़ने पर भी कोई यात्रियों को सुविधा ही है और मेरा तो यह मानना है कि जिस प्रकार के सुझाव हैं कि जिस प्रकार से आप टैक्स वसूल करते हैं एक तरह रोडवेज के अन्दर रोड टैक्स को इकजाई करके उसको वसूल किया जाय और जो उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है उसको तुरन्त रोका जाय। आपको इस प्रकार से एक फिक्स्ड अनुमान लगाना चाहिये और उसके अनुसार आपकी आमदनी होनी चाहिये। आपको अपनी आमदनी को फिक्स करके उसको वसूल करना चाहिये। आज जो टैक्स का तरीका वसूल करने का अपनाये हुए हैं वह गलत है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : उपाध्यक्ष महोदय मेरा दूसरा जो निवेदन है वह ट्रैक्टर ट्रॉली के लिये जो आपने अलग अलग टैक्स लगा दिया है उसके लिये मेरा यह निवेदन है कि जिस प्रकार बैल और गाड़ी अलग से नहीं होते हैं और जिस तरह से बैल से गाडी अलग नहीं होती है उसी प्रकार ट्रैक्टर से ट्रॉली को अलग नहीं किया जा सकता है। यह कह कर मैं समझता हूं कि हमारी बुद्धि

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

का दिवाला निकल गया है कि हमने ट्रैक्टर को ट्रॉली से अलग मान लिया है। जो किसान पर डाइरेक्ट या इनडाइरेक्ट रूप से टैक्स लगाकर उसको परेशान किया जा रहा है। इसलिये मेरा निवेदन है कि ट्रैक्टर और ट्रॉली पर जो टैक्स लगाया गया है यह एक अच्छी बात नहीं है और इसको समाप्त किया जाना चाहिये।

मेरा दूसरा आपसे जो निवेदन है वह यह कि, उपाध्यक्ष महोदय, एक तो जो स्टाम्प के लिये आप जो बिल लाये हैं, वित्त मन्त्री, जी उसके बारे में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि रजिस्ट्री के लिये जो कीमत आंकने के लिये जिलाधीश और तहसीलदारों को पावर्स दी जायेगी उससे ती किसानों को परेशानी होगी यह तो आप उनके लिये परेशानी नयी खड़ी करने जा रहे हैं। आप इसमें डाइरेक्ट और इनडाइरेक्ट रूप से भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप कोई नई बात कहिये। क्या यह घिसी पिटी बात कह रहे हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह घिसी पिटी बात नहीं हैं। यह जिस प्रकार की बातें हैं मैं समझता हूं कि सभी माननीय सदस्यों ने किसी न किसी रूप से इन घिसी पिटी बातों को यहां पर कहा है। इस बात को सारे के सारे सदस्य चाहे ट्रेजरी बेन्चेज के हों या चाहे विरोधी दल के, सभी सदस्यों ने इसके बारे में कहा है लेकिन पता नहीं जिस प्रकार से वित्त मन्त्री ने जो हठ कर रखी है वह बिलकुल ही ठीक नहीं है। निश्चित रूप से जहां पर हमको सुविधा मिलनी चाहिए उस पर विचार करना चाहिए, सिंचाई की दरों पर विचार करना चाहिए, विद्युत की दरों पर विचार करना चाहिए। निश्चित रूप से इस पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। इतना ही कह कर मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : वित्त मंत्री जवाब देंगे।

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, जिन चार कर विभागों का मेरे से संबंध है उनके ऊपर आज मांगें प्रस्तुत की गयी हैं और वह चार विभाग हैं पंजीयन एवं मुद्रांक बिक्री कर से संबंधित एन्टरटेनमेन्ट टैक्स, रजिस्ट्रेशन ड्यूटी और भूमि एवं भवन कर। उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर देहात से आने वाली माननीय सदस्या ने इस बात की आपसे शिकायत की थी कि इन चारों विभागों की एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट्स हमारे पास अभी तक नहीं पहुंची हैं। इतनी नाराज हो गयीं कि रूठ कर बैठ गयीं। आपको उनको मनाना पड़ा। आप जानते हैं महिला का रूठना कितना खतरनाक होता है। केकई रूठ गयी थी सारी रामायण बन गयी थी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही अर्ज करना चाहता हूं कि स्टाम्प एण्ड रजिस्ट्रेशन पंजीयन एवं मुद्रांक की प्रगति रिपोर्ट 20-2-82 को विधान सभा से बांट दी गयी थी। एन्टरटेनमेन्ट टैक्स और रजिस्ट्रेशन ड्यूटी की प्रगति रिपोर्ट बिक्री कर के साथ में 26-2-82 को बांट दी गयी है और

(श्री चन्दनमल बैद)

भूमि एवं भवन की कर की रिपोर्ट 26-2-82 को बांट दी गयी है। अगर माननीय सदस्या ने उनको नहीं देखा तो कसूर हमारा या आपका नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही मैं निवेदन करना चाहता हूं। वैसे महिला होने के नाते उनको रूठने का पूरा अधिकार है।

उपाध्यक्ष महोदय, तीन चार मुद्दे इन चार विभागों के बारे में उठाये गये हैं। उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा। आम तौर पर माननीय सदस्यों ने कुछ जो टैक्स लगे हैं और जिनका आज की मांगों से कोई संबंध नहीं हैं उनके बारे में बहुत सी बातें कही हैं। उनके बारे में कल मैं बहुत निवेदन कर चुका हूं। बार बार उन बातों को मैं दोहराना नहीं चाहता। आप जानते हैं यह बातें बराबर कहते रहेंगे और एक बार जवाब देना काफी है, बारबार जवाब देने की जरूरत भी नहीं है।

एक प्रश्न यह उठाया गया कि कोर्ट फीस समाप्त की जाय। उपाध्यक्ष महोदय, इस बात का कुछ परीक्षण किया जा चुका है, विभाग में इसको देखा जा चुका है और हम इसी नतीजे पर पहुंचे हैं कि कोर्ट की फी समाप्त करना उचित नहीं है। क्योंकि सबसे पहले बड़ी बात यह होगी कि ज्योंही कोर्ट फी समाप्त करेंगे केसेज की संख्या बढ़ेगी। नये कोर्ट्स हमको बढ़ाने पड़ेंगे। क्योंकि आप इस बात को जानते हैं कि आपके पास या मेरे पास कोई आवेदन पत्र आता है तो उस पर कोर्ट फी नहीं लगती। कितने आवेदन पत्र आपके पास आते हैं और कितने हमारे पास आते हैं। इस वास्ते मैं समझता हूं कि हर विभाग के पास में, हर मजिस्ट्रेट के पास में....

श्री उपाध्यक्ष : लैण्ड रेवेन्यू एक्ट में तो नामीनल फी है।

श्री चन्दनमल बैद : नामीनल फी है। इस वास्ते मैं समझता हूं कि कुछ चैक तो होना चाहिए। अगर बिलकुल ही चैक नहीं रखेंगे तो बड़ी मुश्किल हो जायेगी और माननीय सदस्य ने खुद ने कहा कि हाकर्स पर तो माफ है। इस वास्ते कोई परेशानी की बात नहीं है। कोई दरख्वास्त देता है तो उसको नामीनल फी देनी चाहिए।

एक सवाल यह उठाया गया कि जो वेन्डर्स हैं उनके पास स्टाम्प की संख्या है वह बढ़ाई जानी चाहिए, उनकी मात्रा बढ़ाई जानी चाहिए क्योंकि दाम बढ़ जाने के कारण से रजिस्ट्रेशन के केसेज आते हैं उनके ऊपर ज्यादा स्टाम्प चाहिए और वेन्डर्स के पास इतने स्टाम्प मिलते नहीं हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पहले यह संख्या केवल 100 रुपये की थी स्टाम्प रखने की। सन् 76 में हमने उसको 400 रुपया किया और अब गम्भीरता से इस बात पर विचार किया जा रहा है कि इस राशि को 1000 तक बढ़ा दिया जाये। यह अण्डर कन्सीडरेशन है और जल्दी ही इस पर निर्णय लिया जायेगा।

एक बात यह कही गयी कि स्टाम्प पर आवेदक का नाम नहीं लिखा जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, यह सही नहीं है। केवल 5 पैसे, 10 पैसे, 15 पैसे, 25 पैसे की फिगर को छोड़कर बाकी जितने भी स्टाम्प हैं कानून के अनुसार उस पर कुछ विगत देनी

(श्री चन्दनमल बैद)
जरूरी है। आवेदक के पिता का नाम और यह सारी बातें उसमें लिखनी पड़ती हैं। वह लिखी जाती हैं और ऐसी कोई बात नहीं है कि स्टाम्प पर आवेदक का नाम नहीं लिखा जाता।

एक यह कहा गया कि, लैण्ड एण्ड बिल्डिंग टैक्स में आपका खर्चा तो बढ़ गया 25 लाख से 42 लाख हो गया और आमदनी आपकी 1 करोड़ से 1 करोड़ 10 लाख हुई है।

श्री मोहनलाल मोदी : स्टाम्प के बारे में जो स्टाम्प मिलते नहीं हैं उनकी शार्टेज है उसके बारे में नहीं बताया। स्टाम्प पर लिखते नहीं हैं....

श्री चन्दनमल बैद : किसी ने नहीं कहा है कि स्टाम्प की शार्टेज है और आज के दिन कहीं भी स्टाम्प की शार्टेज नहीं है। पिछले दिनों में नासिक प्रेस से स्टाम्प कम आने के कारण शार्टेज हुई थी।

श्री मोहनलाल मोदी : मंत्री महोदय, 50 पैसे और एक रुपये का स्टाम्प मिलता नहीं है और तीन रुपये और पांच रुपये के स्टाम्प लगाने पड़ते हैं यह शायद आपकी जानकारी में नहीं है।

श्री चन्दनमल बैद : आपने इसकी शिकायत पहले नहीं की। अब कह रहे हैं इमीडियेटली तो इसका जवाब नहीं दे सकता।

श्री मोहनलाल मोदी : उपाध्यक्ष महोदय ने समय नहीं दिया। 4 बजे तक का था लेकिन उनकी इच्छा कि नहीं दें।

श्री उपाध्यक्ष : आपने कसर पूरी कर ली।

श्री चन्दनमल बैद : आप मेहरबानी करके मुझे लिख देते। कहीं भी कमी होगी उसको मैं पूरा करूंगा। आप मेहरबानी करके मुझे लिखिये। कहीं भी कमी होगी उसको मैं पूरा करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : लिखकर दे दें इनको।

श्री चन्दनमल बैद : मैंने आपसे अर्ज किया कि नियम है कि नाम लिखा जाता है अगर नहीं लिखा जाता है तो गलत काम कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : यह अनिवार्य है।

श्री चन्दनमल बैद : अनिवार्य है बिलकुल कानून से अनिवार्य है।

श्री उपाध्यक्ष : रजिस्टर में दर्ज होता है। उसमें दस्तखत होते हैं।

श्री चन्दनमल बैद : ऐसे वेन्डर का नाम बताइये उस पर कार्यवाही करूंगा।

श्री भोपाल सिंह : कोर्ट फी की टिकट के बारे में कहा वह भी हजारों रुपयों तक में होती है।

श्री चन्दनमल बैद : मैं इस बात की जानकारी करूंगा और उचित उपाय करूंगा।

लैण्ड एण्ड बिल्डिंग टैक्स के बारे में कल मैं काफी बता चुका हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह चुका हूं कि 167 कस्बों में लैण्ड एण्ड बिल्डिंग टैक्स का कुल 20 पर्सेन्ट वसूल होता है और करीब करीब

(श्री चन्दनमल बैद)

उस पर काफी खर्चा होता है। इस वास्ते मैंने कल ही कह दिया और मैंने बजट भाषण में भी इस बात को इंगित किया था कि 167 कस्बों में से लैण्ड एण्ड बिल्डिंग टैक्स उठाया गया है क्योंकि खर्च और आमदनी में बहुत फर्क नहीं है। दो तीन लाख का फर्क है इसलिए यह परेशानी का काम उठा दें तो अच्छा ही रहेगा।

गुड्स एण्ड पैसेन्जर्स टैक्स के बारे में कहा कि खर्चा बढ़ गया और आमदनी नहीं बढ़ी। उपाध्यक्ष महोदय, इसका भी रोडवेज से संबंध है। आमदनी बढ़ी है लेकिन रोडवेज हमको पूरा पेमेन्ट नहीं कर रहा है। इस वास्ते जितना पेमेन्ट करते हैं उतना ही हम बजट में लाये हैं ज्यादा नहीं लाये, ज्यादा बजट में ले लें तो आदमी के अगेन्स्ट में खर्च तो कर देते हैं और जब आमदनी नहीं होती है तो फिर वही ओवर ड्राफ्ट की स्थिति होती है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : रोडवेज यदि आपको पेमेन्ट नहीं कर रहा है तो कोई कुर्की लाने का विचार है क्या ?

श्री चन्दनमल बैद : पब्लिक सैक्टर की बात है, अपना ही विभाग है। इस वास्ते इतना कड़ा कदम तो नहीं उठा रहे हैं लेकिन मंत्री महोदय से, रोडवेज के चैयरमैन को, जनरल मैनेजर को ताकीद करते रहते हैं और हम कोशिश कर रहे हैं....

सुश्री पुष्पा जैन : ताकीद करने से तो रोडवेज का पैसा आपकी पार्टी ने ही नहीं दिया, ताकीद का असर क्या है ?

एक माननीय सदस्य : प्राइवेट में कुर्की हो तो जयकृष्ण जी पर कुर्की होनी चाहिए इस मामले में।

श्री चन्दनमल बैद : यह प्रश्न कई बार उठ चुका है। माननीय सदस्या, आप क्यों मेरे ऊपर उछाल रही हैं।

सुश्री पुष्पा जैन : ताकीद के मायने मिलीभगत है।

श्री उपाध्यक्ष : वह जयकृष्णजी जवाब देंगे।

सुश्री पुष्पा जैन : नहीं, इन्होंने ताकीद की बात कही।

श्री उपाध्यक्ष : यह जवाब नहीं देंगे। इनका ताल्लुक नहीं है।

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे विशेष बात नहीं कहनी है। मनोरंजन कर के बारे में बात करना चाहता हूं। माननीय सदस्यों ने कहा कि यह कर पहले नगरपालिकायें वसूल करती थीं तो 18 लाख वसूल होता था और अगली साल की जो एस्टीमेटेड रेवेन्यू है वह 8 करोड़ की है। आपका कहना है कि यह 18 लाख नगरपालिकाओं को दे रहे हैं वह ठीक नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, नगरपालिकाओं को हम इस टैक्स का ही पैसा नहीं दे रहे हैं और भी प्रति व्यक्ति हम उनको कुछ हिस्सा देते हैं। इस बात को मैं गम्भीरता से सोचूंगा कि नगरपालिकाओं को इस टैक्स की बढ़ोतरी को देखते हुए कितना पैसा और दिया जाये, इसके बारे में विचार करूंगा वसूल करने का उनको राइट दिया जाये तो वह हम नहीं दे रहे हैं....

श्री बंशीलाल पटवा : नहीं नहीं, यह वढ़ोतरी हुई है। यह टैक्स में वढ़ा है इसलिए ग्रापत्ति हो रही है ग्रदरवाइज यह नहीं है। पहले एन्टरटेनमेन्ट टैक्स वहुत कम था। इतना घुमा फिराकर तो मत कहिये। इतना तो हम भी समझते हैं ऐसी क्या वात है। दो ग्रर्थ निकलें ऐसी वात मत कहिये।

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को जानता हूं कि जब नगर-पालिकाग्रों के पास यह टैक्स था तो टैक्स की रेट कम थी लेकिन जितनी टैक्स की रेट राज्य सरकार ने बढ़ाई है उतना टैक्स नगरपालिकायें वसूल भी नहीं करतीं। यह सब जानते हैं। ग्राज हाउस टैक्स का क्या हाल है, दूसरे टैक्सों का क्या हाल हो रहा है-हम सब जानते हैं इस बात को। इस वास्ते उतना पैसा देने की स्थिति नहीं है, लेकिन नगर पालिकाग्रों की ग्रार्थिक स्थिति भी ठीक हो इसके लिये कुछ इन्तजाम सोचा ग्रौर जो बढ़ा हुग्रा टैक्स हमको मिल रहा है उसके बारे में हम कितना उनको दे सकते हैं, कितना उनको देना चाहिए इसके बारे में हम गम्भीरता से सोचेंगे। मन्त्रिमण्डल में इस बात को मैं ले जाऊंगा ग्रौर दूसरे साथियों से सलाह मशविरा करके इस पर कार्य करूंगा....

श्री बंशीलाल पटवा : हाउस टैक्स के बारे में ग्रापकी नीति स्पष्ट नहीं है ग्रभी म्यूनिसिपल चुनाव हुए उसमें ग्रापके ग्रध्यक्ष ने रुकवाया है।

श्री चन्दनमल बैद : हाउस टैक्स की बात तो इसलिये कह रहा हूं कि बहुत सी नगरपालिकाग्रों ने लगा रखा है लेकिन वसूली होती है 200) रु., 300) रुपया इसलिये समाप्त कर देना चाहिये। ग्रापकी पार्टी का राज ग्राया तो समाप्त तो नहीं किया लेकिन वसूलियां उन्होंने कमजोर कर दी थीं। ग्राप चाहें तो मैं ग्रांकड़े देखकर बता सकता हूं कि जितना टैक्स कांग्रेस पार्टी के वक्त में, जिस रेट पर था, उसी रेट पर जितना हमारे वक्त में वसूल होता था इनके तीन साल के राज में उससे बहुत कम वसूल हुग्रा है....

(व्यवधान)

हमारी वित्तीय स्थिति को खराब करने में सबसे ज्यादा सहायक हुए हैं....

(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : ग्रोवर ड्राफ्ट 100 करोड़ था....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ग्रंकित न हो।

श्री महावीर प्रसाद जैन : × × ×

श्री चन्दनमल बैद : एक सौ करोड़ शराब पर ले ग्राये तो एक साल का नहीं पूरे साढ़े तीन साल का है। ग्राप ग्रांकड़ों को समझे नहीं हैं तोड़ मरोड़ कर कह दिया, साढ़े तीन साल में 100 करोड़ ग्राने की वात मैंने कही है। ग्राप एक साल में ले ग्राये। ग्रगर ग्राप ग्रांकड़ों को ठीक प्रकार से समझे नहीं ग्रौर तोड़-मरोड़ कर कुछ कह दें तो यह मेरा कसूर नहीं है। साढ़े तीन साल में मैंने 100 करोड़ की बात की

× × × माननीय उपाध्यक्ष के ग्रादेशानुसार ग्रंकित नहीं किया गया।

(श्री चन्दनमल बैद)

है। वह घाटा है, अच्छी तरह बता सकता हूं और उसमें ज्यादा हिस्सेदारी आपकी पार्टी की है, मेरी पार्टी की उसमें बहुत कम है....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह गलत बात है।

श्री चन्दनमल बैद : अगर में गलत बात कह रहा हूं मन्त्री होने के नाते गलत स्टेटमेंट यहां दे रहा हूं तो आपको अधिकार है कि आप मेरे अगेन्स्ट में प्रिविलेज मोशन मूव कर दें। हिम्मत है तो करके देखें।

(व्यवधान)

सुश्री पुष्पा जैन : उपाध्यक्ष महोदय, ये तो....

(व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : आपकी मेरे प्रति सहानुभूति बिलकुल नहीं है। आप केवल दिखावा कर रही हैं।

सुश्री पुष्पा जैन : आज देख लीजिये सदन में कितने जैनी बैठे हैं....

(व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि मेरे विभाग के बारे में कोई विशेष बातें नहीं कही गई हैं। केवल छोटी-मोटी बातें ही कही गई हैं, इस वास्ते मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा और आपसे प्रार्थना करूंगा कि जो आज मांग प्रस्तुत की गई है उसे पास करवाने की कृपा करें।

श्री मोहन लाल मोदी : फ्लैट रेट के बारे में थोड़ा सा बता दें ....।

श्री चन्दनमल बैद : इसका इससे सम्बन्ध नहीं है।

श्री मोहन लाल मोदी : सम्बन्ध तो सारा वित्त मन्त्री से है।

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्री महोदय।

श्री जयकृष्ण शर्मा (राज्य मंत्री, यातायात) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने आज मांग संख्या 12 पर जो अपनी भावनायें व्यक्त की हैं और जो विचार उन्होंने इस सदन में रखें, मेरे विभाग के सम्बन्ध में कुछ अमूल्य सुझाव उन्होंने दिये उनके लिये मैं उनका बहुत आभारी हूं। उन्होंने कुछ बातें मेरे विभाग के संबंध में आलोचना के रूप में भी कहीं, उनको यह अधिकार है कि वे अपनी बात कहें। उन्होंने यह भी कहा कि इस विभाग के अन्दर जितनी भी गड़बड़ियां हैं, जितनी भी कमियां हैं उसके लिये किसी पर कोई उत्तरदायित्व नहीं सौंपा गया। मैं यह मानने वाले व्यक्तियों में से हूं कि कोई भी देश यदि विकासशील देश बनना चाहता है तो उस देश के अन्दर यातायात की सुविधायें सुलभ होनी चाहिये, अच्छी होनी चाहिये तभी वह देश विकासशील कहला सकता है।

इसलिये जो माननीय सदस्यों ने अपनी भावनायें यातायात के सम्बन्ध में प्रकट कीं उनके लिये मैं तेह दिल से आभारी हूं कि वे इस देश का विकास करना चाहते हैं तरक्की चाहते हैं और तरक्की के अन्दर वे अपना योगदान देना चाहते हैं जिससे देश

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

का विकास अच्छी तरह से हो, उसमें यातायात की सुविधायें अधिक से अधिक उपलब्ध हो सकें। परन्तु कुछ जैसी हमारी एक हमेशा आदत रहती है कि आंकड़ों को तोड़-मरोड़ कर कहने की एक बुरी आदत बन गई है इसलिये हम जब तक उसमें नमक मिर्च नहीं लगायें, जब तक उन आंकड़ों को तोड़-मरोड़ नहीं तब तक कुछ अच्छा महसूस नहीं होता।

कुछ कमियां हैं, मैं चाहता हूं उनको हमें ठीक करना चाहिये, हमारी सरकार को ठीक करना चाहिये। मैं इससे इन्कार नहीं करता परन्तु जब आंकड़ों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया जाता है तो मुझे थोड़ा सा दुख जरूर होता है।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि ट्रान्सपोर्ट विभाग के अन्दर जो आमद है उसके अनुपात में खर्चा बढ़ता हुआ जा रहा है। मैं आंकड़े उनके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं, 80-81 में जहां यातायात विभाग की आमदनी, यह वह आमदनी अगर मैं लेऊं जैसा अभी अभी माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा अगर रोडवेज से पैसा नहीं आया यातायात विभाग में उसको मैं माइन्स करके बताता हूं 31 करोड़ 72 लाख 55 हजार रुपये के करीबन 80-81 में इस यातायात विभाग में आमद हुई तो कितना खर्चा हुआ 2.5 यानी ढाई प्रतिशत से ज्यादा इस विभाग का खर्चा नहीं है। इसी प्रकार 81-82 के अन्दर 36 करोड़ 60 लाख की आमद हुई और खर्चा जो है 2.41 आया और 82-83 मे जो बजट में हमने रखा है वह भी सन्तोषजनक है, उसे आप देखेंगे कि एक आमद का जरिया यातायात विभाग के द्वारा रखा गया है।

यातायात विभाग दो तरह का काम करता है, एक तो राज्य सरकार के लिये करों की वसूली करने का और दूसरा काम है इसका जनता को यातायात की जो सुविधायें हैं वह उपलब्ध कराना। करों की वसूली के बारे में जैसा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत अर्से से लोगों के मन में यह बात थी और कई बार इस सदन में भी यह बात उठाई गई, कई बार बहुत से लोगों ने कहा कि जो कर की वसूली है उसके अन्दर उनके साथ बहुत ज्यादतियां होती हैं, उनके साथ बहुत सी दिक्कतें होती हैं। रोड टैक्स, पैसेन्जर टैक्स, और गुड्स टैक्स की वसूली में उनके सामने बहुत सी दिक्कतें आती हैं, तो हमने रोड टैक्स और पैसेन्जर टैक्स के लिये, जैसा हमारे वित्त मन्त्री जी ने अभी जब भाषण दिया था उस समय कहा था कि ट्रान्सपोर्ट विभाग में यूनिफिकेशन करने का इन टैक्सेज के बारे में तय कर लिया है और उनके लिये जल्दी ही कानून बना दिया जायगा जिसकी वजह से न लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो और जितना बनता हो वे जमा करा दें। जिससे असेसमेंट वर्क वगैरह करने के लिये हमारे अधिकारियों के पास जाना नहीं पड़े। तो कितनी बड़ी राहत हमने उन लोगों को दी है और यह एक प्रशंसा योग्य कदम है।

मैं समझता हूं उन लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। बस में काम करने वाले लोगों को, प्राइवेट लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी इसलिये कि हमने

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

यूनिफिकेशन तय कर लिया है । इसके साथ-साथ माननीय सदस्यों ने यह कहा रूल्स, जो अनुज्ञा पत्र जारी किये गये वे अनुज्ञा पत्र बहुत देर से जारी किये गये और उनकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान हमारे प्रान्त का हुआ । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो भी अनुज्ञा पत्र, जो भी आपके परमिट्स हैं चाहे वे नेशनल परमिट्स हों, चाहे, डब्ल्यू-जेड के परमिट्स हों और चाहे एन. जेड़ के परमिट्स हों, जो भी परमिट्स भारत सरकार से मिलते हैं, उनकी एक नीति है वह नीति निर्धारण उन्होंने कर रखी है । आज आबादी के आधार पर वह परमिट्स का आवंटन करती है । जो बड़ी-बड़ी आबादी के प्रान्त हैं उनमें राजस्थान दूसरे नम्बर पर आता है और इसलिए उन्होंने कुछ परमिट्स हमें भी अलाट किये, अलाट होने के बाद यहां पर कार्यवाही शुरू हुई, कार्यवाही होने के बाद कुछ परमिट्स तो दे दिये गये । जब कुछ परमिट्स के लिए कन्सीडरेशन हो रहा था, आर. टी. ए. ने जो हमारी एक बाड़ी है उसको जाकर सुन चुकी थी, उस समय डिसीजन देने से पहले एक व्यक्ति हाई कोर्ट में चला गया । इसलिए बहुत अर्से तक वह पैन्डिंग रहा हाई कोर्ट में....

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : एस. टी. ए. के परमिट्स देने के लिये जो कमेटी बनाई थी....

श्री जयकृष्ण शर्मा : हां, दोनों के खिलाफ गये थे-किसी के खिलाफ भी गये, वे गये थे । जाने से स्टे हुआ और जब कुछ दिन पहले हाई कोर्ट में राज्य सरकार की जो मंशा थी, उस राज्य सरकार की मंशा को हाई कोर्ट ने सही माना और मानने के बाद उस रिट को, जिन्होंने पेश की थी, खारिज कर दी ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गत दिनों जो उनके नेशनल परमिट डब्ल्यू. जेड परमिट जो हमारे पास बकाया थे, उनकी सुनवाई हो गई, बहुत से परमिटों के फैसले कर दिये, कुछ मामूली से परमिट बचे जो जोन, रीजन वाइज हैं, उनका फैसला सिर्फ आर. टी. ए. कर देगी । इसलिए सब परमिटों के मसले निपटा दिये गये और उनमें किसी प्रकार की कोई देरी नहीं की गई । हम उसमें भी जागरूक हैं । कुछ दिनों पहले दिल्ली के अन्दर नेशनल डवलपमेंट ट्रांसपोर्ट कौन्सिल की मीटिंग हुई थी । मैंने यह बात कही थी कि हमारा प्रान्त बहुत दूर तक बसा है । दूरी हमारी ज्यादा है और हमारी पापुलेशन कम है इसलिये अगर पापुलेशन के आधार पर नेशनल और डब्ल्यू. जेड़ के परमिट दिये जायेंगे तो हमारी यातायात की जो व्यवस्था है, लोगों के सामान को ढोने की जो व्यवस्था है, उसे हम स्थायी तौर से नहीं कर सकेंगे । इसलिये हमारा इस बड़े क्षेत्रफल को देखते हुए हमको और परमिट ज्यादा संख्या में दिये जायें ।

हमने केन्द्रीय सरकार के सामने भी अपना पक्ष प्रस्तुत किया है और मैं समझता हूं कि केन्द्रीय सरकार उस पक्ष को जैसा वहां देखा गया उससे बहुत कुछ अंशों में सहमत है । हमारे राजस्थान को और भी अधिक संख्या में यह परमिट प्राप्त होंगे जिससे कि लोगों को माल असबाब लाने ले

(श्री जयकृष्ण शर्मा)
जाने में सुविधा प्राप्त हो सकेगी। ऐसा मेरा मानना है।

इसके साथ-साथ बहुत से लोगों ने वसूली के बारे में भी कहा कि वसूली ठीक प्रकार से नहीं होती है। मैं उन मानने वाले व्यक्तियों में से हूं कि हम जनता से कर भी वसूल करते हैं, तो कर वसूली करने वाले व्यक्ति को सौम्य होना चाहिये, उसे नम्र होना चाहिये, अगर वह सौम्य और नम्र नहीं होता तो जनता से जो टैक्स वसूल करना है तो वह अपने उत्तरदायित्व से विमुख हो जाता है। इसलिए मैं हमेशा अपने अधिकारियो को यही कहता रहता हूं, यही आदेश देता रहता हूं और यही कोशिश करता हूं कि उनमें सौम्यता ज्यादा से ज्यादा आये और यदि इस प्रकार की कोई भी बात माननीय सदस्यों की नजरों में आये तो मुझे सूचित करें जिससे मैं जो इस प्रकार का व्यवहार करते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करने में सक्षम हो सकूं। मैं समझता हूं जिन लोगों की तरफ बहुत रुपया बकाया है, उनसे हम ज्यादा से ज्यादा वसूली करने की कार्यवाही करते हैं। हमने अपने प्रतिवेदन में वह सभी आंकड़े आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिये हैं, भिजवा दिये हैं, आपने पढ़े होंगे उससे आपको भी थोड़ा बहुत संतोष होगा।

इसके साथ-साथ फ्लाइंग क्लब के बारे में कहा था। फ्लाइंग क्लब का कुछ दिनों तक हमारा इन्सट्रक्टर नहीं था और दूसरे पाइलट भी नहीं थे, एक ही पाइलट था। फ्लाइंग क्लब में जो ट्रेनिंग लड़के और लड़कियां पाते हैं, हमारा विचार है कि राजस्थान के लड़के-लड़कियां हिन्दुस्तान के नक्शे में जाकर बैठें, वह भी हवाई जहाज की सर्विसेज में जा सकें इसलिए हमने 18 लड़के और 4 लड़कियों को यहां ट्रेनिंग के अन्दर लिया है और वे ट्रेनिंग पा रहे हैं। हमने इन्सट्रक्टर की नियुक्ति के लिए कई बार एडवरटाइजमेंट निकाला, हमको कोई इन्सट्रक्टर मिल नहीं पाया, अब वह मिल गया है इसलिए हमने उसकी नियुक्ति कर दी है। हम यह भी चाहते हैं कि मैकेनिकल इन्जीनियर भी मिल जांय....

सुश्री पुष्पा जैन : मन्त्री महोदय लड़कियां 4 और लड़के 18 यह क्यों किया ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : अब लड़कियां आई ही नहीं, यह तो विधान सभा में अगर आप मान लीजिये तो क्या....

सुश्री पुष्पा जैन : यह तो कठिनाई नहीं होती। यह तो उनके साथ पक्षपात किया है।

श्री जयकृष्ण शर्मा : मैंने बता दिया आपको इसलिए....

श्री उपाध्यक्ष : अगर यह अप्लाई करें, तो इनको भर्ती कर लें।

श्री जयकृष्ण शर्मा : मैं यह कहना चाहूंगा कि वह भी अब कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। बहुत सी कमियां हैं। जहां तक बहुत से लोगों ने कहा प्राइवेट बसेज के सम्बन्ध में, प्राइवेट बसेज का हमने स्कोप वृद्धि के लिए अपने अधिकारियों को आदेश दिये कि जो पुरानी जगह पर,

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

जो पुराने रूट्स हैं, उनके स्कोप में वृद्धि बहुत अर्से से नहीं हुई है, तो मैं जानकारी देना चाहता हूं माननीय सदस्यों को कि गत डेढ़-दो महीनों के अन्दर 60 रूट्स के अन्दर स्कोप में वृद्धि की गई है और बहुत से रूट्स नये खोले गये हैं जिनके ऊपर एप्लीकेशन मांगी गई है। लेकिन नये लोग आने के लिए एक बात से कतराते हैं, जिसके बारे में हमें कुछ सोचना है, कुछ निर्णय लेना है। क्योंकि बहुत से लोग, मैं समझता हूं कि उन्हें दो-ढाई लाख के करीबन इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, राज्य सरकार की क्या नीति होगी, भविष्य के लिये उन रूट्स के मामलों में, लोग एक साल के लिये लें और उसके बाद सरकार उसको ले ले, राष्ट्रीयकृत कर दे, तो दो लाख किस प्रकार से लगावें। प्राइवेट रूट्स जो निकाले उनके उपर लोगों का रुझान थोड़ा कम नजर आता है। तो इस मामले को मैं अपने विभाग में उठा रहा हूं कि उसमें सरकार की नीति जो तय होगी, उसके बारे में जानने के बाद ही प्राइवेट लोग नये रूटों पर आ सकेंगे, ऐसा मेरा विचार है, ऐसा मेरा सोचना है। इसके साथ-साथ आज आखिर यह करों के अन्दर तो आता नहीं इस दायरे के बाहर था। परन्तु रोडवेज काफी विवाद का विषय है, चिन्ता का विषय है। माननीय वित्त मन्त्रीजी ने भी कल ही कहा था, आज वे यहां नहीं हैं पर आपने प्रस्ताव रख दिया।

(व्यावधान)

इसलिए मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी सुझाव आपने दिये हैं, जो भी कमियां हैं, जो भी खामियां हैं, मैं प्रयत्न करूंगा कि आपके अमूल्य सुझावों पर मैं पूरा ध्यान दूं और इस विभाग को आगे बढ़ाने में कोई कार्यवाही कर सकूं। यही मेरा कहना है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री महोदय, दो सवालों का जवाब दीजिये आप। पहला तो यह है कि बसों में लोग छतों पर बैठते हैं, उसका इन्तजाम आपने क्या किया है फिलहाल ? नम्बर दो--जो लीकेज होता है आमदनी बीच में उड़ जाती है, जमा नहीं होती है, उसके लिये आपने क्या किया है ?

श्री परसराम मदेरणा : दूसरा क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : रोडवेज।

श्री परसराम मदेरणा : रोडवेज की तो आज डिमाण्ड ही नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय।

(व्यवधान)

सुश्री पुष्पा जैन : माननीय मन्त्री महोदय जब जवाब दे रहे हैं ये तो सब्जेक्ट से हटकर जवाब दे रहे थे, उन्होंने स्वयं कहा है, जब हटकर जवाब दे रहे थे तो सवाल भी किया जा सकता है।

श्री परसराम मदेरणा : इर्रेलेवेन्ट बात को नहीं....

सुश्री पुष्पा जैन : इर्रेलेवेंट बात को जब कहा जा सकता है तो पूछा भी जा सकता है।

श्री रतनलाल ताम्बी : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें अभी माननीय वित्त मन्त्री

(श्री रतनलाल ताम्बी)
महोदय और यातायात मन्त्री महोदय के विचार सुनने के बाद यह बात तो सिद्ध है कि रोडवेज की वसूली नहीं होती है। मैं उस सबजेक्ट से प्राइवेट पर आ रहा हूं....

श्री उपाध्यक्ष : आप केवल प्रश्न कीजिए।

श्री रतनलाल ताम्बी : रोडवेज की बात कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं अलाऊ नहीं करूंगा।

श्री रतनलाल ताम्बी : मैं निवेदन कर रहा हूं कि आज रोडवेज के टैक्सेज पूरे वसूल नहीं होते, उसके पीछे क्या रीजन है और उसी श्रेणी की प्राइवेट बसों से आप टैक्सेज जरूरत से अधिक लगा कर वसूली करते हैं, उसके पीछे किसी सिद्धान्त को स्वीकार करके नहीं चलना चाहते हैं? वस्तुत: आप इस मांग में जितना ही किराये बढ़ायें, डीजल पैट्रोल का भाव बढ़ने के बाद भी....

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न कीजिए, माननीय सदस्य।

श्री रतनलाल ताम्बी : और डिमाण्ड होती है तो बराबर भुगतान नहीं हो सकता है, इसका रोडवेज से कम्पेरीजन करके जवाब दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : सवाल तो किया नहीं।

श्री रतनलाल ताम्बी : सवाल यह था कि रोडवेज के बीच में....

श्री उपाध्यक्ष : अब आप बैठ जाइये।

श्री हंसराज शर्मा : मैंने निवेदन किया था कि कान्ट्रेक्ट कैरिज चल रही हैं, एक निवेदन यह है। दूसरा ओवर लोड सवारियां लेकर जो चलती हैं बसें रोडवेज में उनका चालान नहीं होता। तीसरा जो जयपुर से सवाईमाधोपुर द्रुत गामी बस चल रही थी, प्राफिट में चलने के बाद भी उसको किस कारण से रोक दिया?

श्री उपाध्यक्ष : यह रोडवेज की मांग नहीं है।

श्री जयकृष्ण शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, सवाई माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने दो बातों की तरफ ध्यान दिलाया है, उनके यहां जो सिटी में बसेज चलती हैं, उनके बारे में मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूं, मैं उसकी जानकारी करा लूंगा और जो हो सकेगा उसमें मैं कार्यवाही करने का प्रयत्न करूंगा।

सुश्री पुष्पा जैन : Have some courtsy. उपाध्यक्ष महोदय ने जो पूछा है उसका जवाब दें।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि बहुत से कच्चे रूट हैं जिनका आपने राष्ट्रीयकरण कर रखा है, लेकिन जिस रूट पर बसेज नहीं चल रही हैं, उसका टैक्स सरकार को नहीं मिल पाता है, तो क्या आप इन रूटों को प्राइवेट बस मालिकों को देने का विचार रखते हैं ताकि सरकार को उसका टैक्स आवे?

श्री जयकृष्ण शर्मा : मेरी जानकारी में ऐसे कोई रूट नहीं है। अगर ऐसे कोई रूट

(134)

(श्री जयकृष्ण शर्मा)
होंगे तो जानकारी कर लूंगा। जानकारी कराने के बाद में ही मैं कोई निर्णय लेने को स्थिति में होऊंगा। जैसा कि मैंने अभी आपके सामने कहा है, अभी मैंने आपको कहा है, तभी तो ऐसी स्थिति में होऊंगा कोई रूट ऐसे भी हैं जिस पर बसें रोडवेज की नहीं चल रही हैं और उनको ले लिया है, मेरी जानकारी में लायेंगे तभी तो मैं निर्णय ले सकूंगा।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : मैं बताता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप लिख कर भेज दें।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, झालवाड़ में ऐसे रूट हैं जो कच्चे रूट हैं....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, लिख कर भेज दें।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : वहां पर रोडवेज की बसें नहीं चल रही हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समय का ध्यान रखें।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, झालावाड़ में हैं ऐसे रूट कई....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री महाराम चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र में प्राइवेट बस आपरेटर्स को परमिट देने के लिए आपको विशेष सुविधायें उपलब्ध करानी चाहिए और कुछ नीति ऐसी निर्धारित करें जिससे उनको दो तीन साल तक कोई नेशनलाइज्ड करने का सवाल नहीं हो। जिससे ग्रामीण क्षेत्रों को भी सुविधा मिले।

श्री उपाध्यक्ष : आपका सुझाव नोट कर लेवें वह।

मांग संख्या–12 का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 12–अन्य कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, सन् 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3,02,50 000) रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सदन की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 15 मार्च, 1982 को....

(व्यवधान)

प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

(तदनतर सदन की बैठक म०प० 4-12 बजे सोमवार, दिनांक 15 मार्च, 1982 के मध्याह्न पूर्व 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट–1

(तारांकित प्रश्न संख्या 36 की सूची)

सूची अस्थाई कृषि पट्टाधारकों की जिन्हें कम भूमि का नवीनीकरण किया गया। उपनिवेशन तहसील कोलायत नं. 1

क्र. सं.	नाम आसामी मय पिता का नाम व सकूनत	पूर्व में अस्थाई रूप से अस्थाई आवंटित भूमि (बीघों में)	नवीनीकरण की गई भूमि (बीघों में)	कम की गई भूमि (बीघों में)
1	2	3	4	5
1.	श्री रूपाराम पुत्र कानाराम राईका सा. तहरावाला	32	16	16
2.	श्रीमघाराम पुत्र कानाराम राईका सा. ,,	32	16	16
3.	श्री केसाराम पुत्र जबाराराम सुनार सा. गोकल	50	25	25
4.	श्री अर्जनराम पुत्र लूणाराम मेघवाल सा. ,,	38	19	19
5.	श्री भूराराम पुत्र लूणाराम मेघवाल सा ,,	38	16	22
6.	श्री किरलाराम पुत्र अमराराम मेघवाल सा. ,,	43	20	23
7.	श्री खुमाराम पुत्र पूर्णाराम मेघवाल सा. ,,	50	20	23
8.	अर्जनसिंह पुत्र कानसिंह राजपूत सा. ,,	50	19	31
9.	श्री लालूराम पुत्र रामूराम मेघवाल सा. माणकासर	44	5	39
10.	श्री राधा बेवा गंगाराम नायक सा. माणकासर	50	29	21
11.	श्री आसूराम पुत्र वचनाराम मेघवाल सा. गोकल	40-17	19	21-17
12.	श्री मदनलाल पुत्र हीराराम सोनार सा.	29	8	21
13.	श्री मोहन पुत्र जबाराराम सुनार सा. गोकल	44-19	25	19-19
14.	मोहनराम पुत्र बच्चाराम मेघवाल सा. ,,	41-3	21	20-3
15.	सभेलाराम पुत्र कुशलाराम सोनार सा. ,,	42-11	31	11-11
16.	श्री केसाराम पुत्र रामचन्द्र मेघवाल साकिन ,,	40	14	26
17.	श्री चेतनराम पुत्र वचनाराम मेघवाल स. ,,	41	20	21
18.	श्री जगमाल पुत्र छोगाराम मेघवाल सा. ,,	43	26	17
19.	श्री पूर्ण पुत्र वस्ता मेघवाल साकिन ,,	41-7	16	25-7
20.	श्री लालूराम पुत्र पूर्णाराम मेघवाल सा. ,,	20	10	10
21.	श्री मिश्रीराम पुत्र रामूराम गर्ग साकिन मलूरी	19	8	11
22.	श्री मु. मूमल बेवा घोकल विश्नोई साकिन माणकासर	26	13	13
23.	श्री जेठाराम पुत्र पन्नाराम मेघवाल सा. ,,	21	13-1	7-19
24.	श्री भंवरलाल पुत्र नन्दराम माषण सा. ,,	42-12	35-19	6-13

Page No 136

136

1	2	3	4	5
25.	श्री सेतानसिंह पुत्र कालूसिंह राजपूत सा. पंचारबाला	29	11	18
26.	श्री मनोहर पुत्र सोहनलाल विश्नोई सा. माणकासर	43-1	32	11-1
27.	श्री जीतराम पुत्र सोहनलाल विश्नोई सा. ,,	43	40	3
28.	श्री रामकिशन पुत्र लिछूराम विश्नोई सा. ,,	50	45	5
29.	श्री पेमाराम पुत्र दिपाराम मेघबाल सा. ,,	48	23	25
30.	श्री बृजलाल पुत्र घोकलराम विश्नोई सा. ,,	38-17	24	14-17
31.	श्री गोपीराम पुत्र रामकरण विश्नोई सा. ,,	24	18	6
32.	श्री शंकर पुत्र बिरबल विश्नोई साकिन ,,	33-17	28	5-17
33.	श्री सहीराम पुत्र जोराराम विश्नोई सा. ,,	27	8-6	18-14
34.	श्री फेजूखां पुत्र जिन्देखां मुसलमान साकिन मलूरी	20	10	10
35.	श्री घोकलराम पुत्र काशवाराम मेघबाल सा. माणकासर	40	19	21
36.	श्री सुगनसिंह पुत्र चुनसिंह राजपूत सा. भलूरी	27	18-4	8-16
37.	श्री जमनाराम पुत्र हरजीराम मेघबाल सा. ,,	40	20	20
38.	श्री आसुसिंह पुत्र खुमाणसिंह राजपूत सा. ,,	30	12	18
39.	श्री खुमाराम पुत्र रेमलराम मेघबाल सा. ,,	19	9	10
40.	श्री सिमरथाराम पुत्र फकीराराम मेघबाल सा. ,,	28-11	14	14-11
41.	श्री मोटेखां पुत्र ममदूखां मुसलमान सा. ,,	45	20	25
42.	श्री पूर्णराम पुत्र चौथाराम मेघबाल सा. ,,	29-17	6	23-17
43.	श्री चुनाराम पुत्र प्याराराम मेघबाल सा. ,,	30	9	21
44.	श्री सोहनसिंह पुत्र सुजानसिंह राजपूत सा. ,,	30	20	10
45.	श्री सोनाराम पुल जीयाराम मेघवाल सा. ,,	39	13	26
46.	श्री अर्जनराम पुत्र भोलाराम गुरड़ा सा. ,,	32	16	16
47.	श्री मेघाराम पुत्र जेखाराम मेघबाल सा. ,,	49-19	25	24-19
48.	श्री धनाराम पुत्र जेताराम मेघबाल सा. ,,	39-2	17	22-2
49.	श्री अलसीसिंह पुत्र घोकलसिंह साकिन गोकल	45-17	24	21-17
50.	श्री अलाजबाया पुत्र जिन्देखा मुसलमान सा. मलूरी	20	11	9
51.	श्री नरपतसिंह पुत्र जेठमलसिंह राजपूत सा. ,,	37	12	25
52.	श्री मंगूराम पुत्र बुद्धाराम मेघबाल सा. ,,	50	25	25
53.	श्री रबनाराम पुत्र आसूराम मेघबाल सा. ,,	50	25	25
54.	श्री राजूखां पुत्र मुसेखां मुसलमान सा. ,,	50	29	21

Page No 137

137

1	2	3	4	5
55.	श्री मूलाराम पुत्र पदमाराम मेघवाल सा. ,,	47-10	24	23-10
56.	श्री मोडाराम पुत्र मूलाराम मेघवाल सा. ,,	50	20	30
57.	श्री चन्द्रसिह पुत्र गिरधारीसिह राजपूत सा. ,,	31	13	18
58.	श्री जीयाराम पुत्र थारूराम मेघवाल साकिन ,,	29-15	08	21-15
59.	श्री घोकलराम पुत्र बुधाराम मेघवाल साकिन ,,	50	25	25
60.	श्री जेठूसिह पुत्र खुमाणसिह राजपूत साकिन ,,	36	12	24
61.	श्री देवाराम पुत्र ग्रासूराम मेघवाल साकिन ,,	30	8	32
62.	श्री मु. गंगा वेवाह मेघासिह राजपूत साकिन ,,	50	25	25
63.	श्री भगवानाराम पुत्र चुनाराम मेघवाल सा. माणकासर	43	22	21
64.	श्री पांचाराम पुत्र शिवलाल मेघवाल साकिन ,,	39	26	13
65.	श्री यारूखां पुत्र जिन्देखां मुसलमान साकिन मलूरी	69-13	10	9-13
66.	श्री वीरमाराम पुत्र चौथाराम मेघवाल सा. ,,	25	6	19
67.	श्री हमीराराम पुत्र जीयाराम मेघवाल सा. ,,	39	14	25
68.	श्री लालूखां पुत्र जिन्देखां मुसलमान साकिन ,,	19-13	10	9-13
69.	श्री मु. विशनोदेवी पुत्री मिठणसिह राजपूत सा. मलूरी	35	25	10
70.	श्री सोहनसिह पुत्र गजेसिह राजपूत साकिन मलूरी	36	11	25
71.	श्री करनाराम पुत्र जेठाराम मेघवाल साकिन ,,	23-12	17	6-12
72.	श्री लालूसिह पुत्र सुगनासिह राजपूत साकिन ,,	38-15	19	19-15
73.	श्री मु. लक्ष्मी वेवाह किलासिह दरोगा सा. ,,	50	25	25
74.	श्री ग्रन्तरखां पुत्र मुखनाखां राणा सा. मलूरी	33	10	23
75.	श्री नरमतेसिह पुत्र मेरसिह राजपूत सा. ,,	28	7	21
76.	श्री सूरजमालसिह पुत्र राजपूत धनसिह राजपूत सा. ,,	50	26	24
77.	श्री टीकूराम पुत्र चौथाराम मेघवाल सा. ,,	27	6	20
78.	श्री भंवरसिह पुत्र दुलसिह राजपूत सा. ,,	31-19	13	18-19
79.	श्री उमाराम पुत्र फकीराराम मेघवाल सा. ,,	30	15	15
80.	श्री ग्रलारखेखां पुत्र दिलूखां मुसलमान सा. ,,	43	36	7
81.	श्री फकीराराम पुत्र जीयाराम मेघवाल सा. ,,	39	14	25
82.	श्री मोतीराम पुत्र फकीराराम मेघवाल सा. ,,	30	15	15
83.	श्री जगमाल राम पुत्र मोढाराम साकिन मलूरी	37	18	19

1	2		3	4	5
84.	श्री जीवनराम पुत्र जेठाराम	मलूरी	35	14	21
85.	श्री सीयाराम पुत्र मोटाराम	,,	35	18	17
86.	श्री सावक पुत्र समेसाखां मूसलमान	,,	26	8	18
87.	श्री टीकूराम पुत्र मूलाराम मेघवाल	,,	38	19	19
88.	श्री मु. मव्वरा वेवा लक्ष्मण मेघवाल	,,	50	25	25
89.	श्री मोडूराम पुत्र मेवाराम मेघवाल	,,	50	25	25
90.	श्री सोनाराम पुत्र नारायणराम मेघवाल	,,	33·13	17	16·30
91.	श्री गजेखां पुत्र लूणोभला दमामी	गोबुल	34·16	10	24·16
92.	श्री रामसिंह पुत्र जेठमलसिंह राजपूत	,,	34	13	21
93.	श्री पलूराम पुत्र टोमनराम मेघवाल	,,	29	6	23
94.	श्री करणसिंह पुत्र गुमानसिंह राजपूत	,,	36	12	24
95.	श्री आसूसिंह पुत्र मोहनसिंह	,,	35	8	27
96.	श्री मदनसिंर पुत्र गिरधारीसिंह	,,	35·19	13	22·19
97.	श्री पीरुराम पुत्र टोकनराम मेघवंशी	,,	29	6	23
98.	श्री करणसिंह पुत्र जेठमलसिंह राजपूत	,,	40	14	26
99.	श्री चुनाराम पुत्र रेमलराम मेघवशी	,,	24	11	13
100.	श्री नेनूराम पुत्र मुलाराम मेघवाल	,,	50	20	30
101.	श्री ओमप्रकाश पुत्र पन्नाराम आचार्य	,,	25	18	17
102.	श्री डूंगरराम पुत्र धाउराम मेघवंशी	,,	39	20	19
103.	श्री रूपराम पुत्र अदाराम सुथार	,,	50	25	25
104.	श्री देराजसिंह पुत्र लालसिंह राजपूत सा०बीकेट्री		50	25	25
105.	श्री महतावसिंह पुत्र लालसिंह	,,	50	25	25
106.	श्री जगमालसिंह पुत्र लालसिंह राजपूत	,.	50	25	25
107.	श्री मवरी वेवा गजेसिंह	,,	49·12	25	24·15
108.	श्री रुगनाथराम पुत्र तेजाराम जाट	,,	41	16	25
109.	श्री हुसेन पुत्र मुरादखां मुसलमान सा०गुलामवाला		34	17	17
110.	श्री दावदखां पुत्र साबूखां ,,	,,	39.4	28	11·4
111.	श्री मोहम्मद रहीम पुत्र मुरादखां ,,	,,	34	17	17
112.	श्री रणदीता पुत्र कालू खां	,,	36	18	18
113.	श्री हसनखां कायम खां	,,	15	6	9
114.	श्री मोहम्मद रमजान पुत्र अलाबसाया	,,	37	26	13
115.	श्री बस्तअली पुत्र बसूखां	,,	39	20	19
116.	श्री इमामू पुत्र बली मोहम्मद सा० जगासर		50	26	24
117.	श्री सामन खां पुत्र पीरवक्ष	,,	14	7	7
118.	श्री रहीमबक्श पुत्र मीरवक्श	,,	26	13	13

Page No 139

1	2		3	4	5
119.	श्री करीमबक्ष पुत्र सरदारु	जगासर	29	15	14
120.	श्री मंजूर खां पुत्र अलादीवाया	,,	14	7	7
121.	श्री जनत बेवा मंगू खां	,,	50	25	25
122.	श्री सुर्मानखां पुत्र वलीमोहम्मद	,,	50	25	25
123.	श्री गापई खां पुत्र जीन्दे खां	,,	42	21	21
124.	श्री अब्दुल रहमान पुत्र गुलामन्द सा० जगासर		25	13	12
125.	श्री अब्दुल करीम पुत्र कायमखां	,,	44	22	22
126.	श्री कल्याणसिह पुत्र खेतसिंह राजपूत सा० अमरपुरा		42	24	8
127.	श्री चुनारम पुत्र मेगाराम नायक	,,	45·18	23	22·18
128.	पूरसाराम पुत्र मेवाराम नायक	,,	50	35	17
129.	श्री भूखसिंह पुत्र कानेसिंह राजपूत	,,	32	23	9
130.	श्री रामसिंह पुत्र श्री राजसिंह	,,	34	23	11
131.	श्री रुपाराम पुत्र मेवाराम राजपूत	,,	46	23	23
132.	श्री मु० वोधू बेवा लालसिंह	,,	34	17	17
133.	श्री सावणखां रसूलखां मुसलमान सा० बीजेरी		32	30	2
134.	श्री खेतासिंह पुत्र अमरसिंह राजपूत सा० अमरपुरा		40	22	18
135.	श्री शिदानसिंह पुत्र मोजराजसिंह ,,	,,	34	19	15
136.	श्री शेरमोहम्मद पुत्र दीन खां मुसलमान	,,	43	19	24
137.	श्री हनुमानसिंह पुत्र महेशसिंह राजपूत	,,	25	20	5
138.	श्री हुकमसिंह पुत्र खेतसिंह राजपूत	,,	40	24	16
139.	श्री पन्नेसिंह पुत्र बेरीलाल सिंह	,,	40	19	21
140.	श्री मूलसिंह पुत्र शिवनाथसिंह ,,	,,	37	23	14
141.	श्री सेतानसिंह पुत्र शिवनाथसिंह ,,	,,	37	22	15
142.	श्री उत्तमसिंह पुत्र शिवनाथसिंह ,,	,,	37	22	15
143.	श्री मोतीसिंह पुत्र बेरीलालसिंह ,,	,,	40	19	21
144.	श्री आसूराम पुत्र मेघाराम नायक	,,	45	23	22
145.	श्री पूरणसिंह पुत्र हेमसिंह	,,	35	17·16	10·04
146.	श्री मोतीसिंह पुत्र छोकसिंह राजपूत	,,	25	20	5
147.	श्री शिवालाल पुत्र हेमसिंह ,,	,,	35·11	25	10·11
148.	श्री रतनसिंह पुत्र हेमसिंह ,,	,,	35·11	16	19·11

Page No 140

1	2	3	4	5
149.	श्री चेतन पुत्र छोगाराम नायक सा. अमरपुरा	25	21	04
150.	श्री शेराराम पुत्र रुपराम नायक ,,	32	17	15
151.	श्री सूरजकंवर बेवा आसूसिंह राजपूत ,,	34	24	10
152.	श्री जगलालसिंह पुत्र अमरसिंह राजपूत ,,	49	24	24
153.	श्री हनुमान पुत्र मोठाकुम्हार सा. अगनेऊ	36	25	11
154.	श्री जम्मेखां पुत्र रसूलखां सा. बीजेरी	35	17	18
155.	श्री गूलणखां पुत्र मलण खां ,,	26	10	16
156.	श्री पन्नू पुत्र हसेनखां मुसलमान सा. अमरपुरा	42-6	14	28-6
157.	श्री गुलामसिंह पुत्र समेरखां मुसलमान ,,	9-15	25	24-15
158.	श्री सतार पुत्र रसूल मुसलमान ,,	35	15	20
159.	श्री कासमखां पुत्र रसूलबक्स मुसलमान ,,	34-6	17	17-6
160.	श्री भावलखां पुत्र बसाया खां ,, ,,	34-12	14	20-12
161.	श्री अल्लादिता पुत्र बसाया ,, ,,	42	14	28
162.	श्री पहलवान खां पुत्र बलणखां ,, ,,	35	16	19
163.	श्री मन्जुर पुत्र महतखां ,,	30	15	15
164.	श्री रहीम खां पुत्र मलके खां ,, ,,	14	7	7
165.	श्री माणेखां पुत्र कासमखां ,, ,,	19	9	10
166.	श्री यासीन खां पुत्र मोहम्मद खां ,, ,,	20	16	4
167.	श्री लालखां पुत्र हमीखां ,, ,,	31·14	14	17.14
168.	श्री अलरदीता पुत्र हमीरखां ,, ,,	31	14	17
169.	श्री मोहम्मद राजा खितरा ,,	19·4	13	16-4
170.	श्री अल्लादिता पुत्र दिन्नेखां ,,	44	13	31
171.	श्री पुन्नु खां पुत्र गुलामन मुसलमान ,,	22	20	2
172.	श्री उम्मेदखां खेरु पुत्र पीर दत्ता मुसलमान ,,	38.12	17	21-12
173.	श्री अलावसाया पुत्र हमीद खां ,,	50	25	25
174.	श्री नजरमन्द पुत्र खुदाबक्श मुसलमान सा. अमरपुरा	49-13	40	9-13
175.	श्री हकीम पुत्र जीन्देखां ,, ,, ,,	38	24	14
176.	श्री फतेमोहम्मद पुत्र मोतेखां ,, ,, ,,	23	13	10
177.	श्री मीठण पुत्र हुसेनखां ,,	43	14	29
178.	श्री सादीक पुत्र उमरवड़ा ,,	38	15	23

1	2	3	4	5
179.	श्री रखीया पुत्र निहाल सा. अमरपुरा	30-4	15	15-4
180.	श्री सोनेखां पुत्र लालखां ,, बीजेरी	50	25	25
181.	श्री कालूखां पुत्र लालेखां ,, ,,	23	19	4
182.	श्री गापड़खां पुत्र बलेणखां ,, ,,	46	23	23
183.	श्री चिन्नीखां जीन्देखां ,, ,,	48	20	28
184.	श्री कमालखां फीरेलीलेखां " गुलाम वाला	13-1	13	0-1
185.	श्री जीन्देखां पुत्र नीहालखां ,, सा. बीजेरी	41-16	19	22-16
186.	श्री प्रेमचन्द पुत्र कन्हैयालाल खतरी सा. अमरपुरा	47	38	9
187.	श्री शिवजीलाल पुत्र अजमल खत्री ,,	39	38	4
188.	श्री गुलाममोहम्मद पुत्र पुनुखां मुस. सा. शेरुवाला	40	20	20
189.	श्री सादीक पुत्र मगणखां ,, सा. बीजेरी	35-2	32	3-2
190.	श्री पठानेखां पुत्र हुसेनखां ,, ,, ,,	43	14	29
191.	श्री अमीरखां पुत्र मलिखां ,, अमरपुरा	22	12	11
192.	श्री साबूखां पुत्र अमरखां ,, सा. शेरुवाला	40	12	28
193.	श्री कासनखां पुत्र सदीकखां ,, सा. अमरपुरा	26	13	13
194.	श्री असलीम पुत्र माला ,, ,,	20-19	11	9-19
195.	श्री रूपदान पुत्र फुसदान चारण साकिन ,,	31	17	14
196.	श्री रामचन्द्र पुत्र ईशरदास ,, ,,	45	23	22
197.	श्री द्वारप्रसाद पुत्र मोतीलाल खत्री ,,	38	26	12
198.	श्री रामचन्द्र पुत्र लखूमल ,,	33	30	13
199.	श्री पाबूराम पुत्र धोकलराम नायक ,,	46	33	13
200.	श्री नाथूराम पुत्र मोतीराम नायक ,,	48	20	28
201.	श्री बिसनाराम पुत्र आसूराम नायक ,,	49	38	11
202.	श्री किशोरसिंह पुत्र खेतसिह राजपूत ,,	43	22	21
203.	श्री भीवसिंह पुत्र शिवदानसिंह ,, ,,	42	22	20
204.	श्री करणीसिंह पुत्र हरीसिंह ,, ,,	48	34	14
205.	श्री देवीसिंह पुत्र लालसिंह ,, ,,	46	31	15
206.	श्री डूंगरसिंह पुत्र भीमसिंह ,, ,,	43	24	19
207.	श्री अमेदाराम पुत्र चुनाराम नायक ,,	49	40	9
208.	श्री सुरजाराम पुत्र चेतन नायक ,,	49	20	29
209.	श्री भीमसिंह पुत्र पूरणसिंह राजपूत ,,	49	19	30
210.	श्री भंवराराम पुत्र चेतन नायक ,,	49	19	30
211.	श्री देवूसिंह पुत्र आयदानसिंह राजपूत ,,	40	20	20
212.	श्री नरसिंह पुत्र कल्याणसिंह ,, ,,	49	36	13
213.	श्री अनूपसिंह पुत्र उदयसिंह ,, ,,	47	44	3
214.	श्री डूंगरसिंह पुत्र गुमानसिंह ,, ,,	31	19	12

1	2		3	4	5
215.	श्री लादूसिंह पुत्र हीरसिंह राजपूत	अमरपुरा	31	13	19
216.	श्री भीमसिंह पुत्र मुकुन्दसिंह ,,	,,	32	17	15
217.	श्री बसाया पुत्र नजूखां पी मुसलमान	,,	50	25	25
218.	श्री भंवरसिंह पुत्र बेरीसालसिंह राजपूत	,,	44	20	24
219.	श्री हरिसिंह पुत्र हेमसिंह ,,	,,	35	31	4
220.	श्री रुकमा बेवा घूड़सिंह ,,	बांगडसर	30	24-19	5-1
221.	श्री हेतराम पुत्र गोविन्दराम विश्नोई सा. मोडायत		20	10	10
222.	श्री मेराराम पुत्र नूनाराम मेघवाल सा. माणकसर		20	10	10
223.	श्री रामधनखां पुत्र निहाल खां मुसलमान सा. ,,		25	10-13	14-7
224.	श्री कालूराम पुत्र घनेराम मेघवंशी	,,	39	17	22
225.	श्री बीरबल पुत्र भगवानाराम मेघवाल	,,	39	13	26
226.	श्री पेमाराम पुत्र माणाराम मेघवाल सा. बांगडसर		41	18	23
227.	श्री बलखां पुत्र इलाइयाखां मुसलमान सा. शेरुवाला		22-13	12	10-13
228.	श्री रामप्रताप पुत्र गोविन्दराम विश्नोई सा. मोडावत		20	10	10
229.	श्री फरीदखां पुत्र गाजेखां मुसलमान ,,	शेरुवाला	43	20	23
230.	श्री मुबारक पुत्र अलाबक्श ,,	,,	26	15	11
231.	श्री यारखां पुत्र जियेखां ,,	,,	33	5	28
232.	श्री जीवनखां पुत्र सागर खां ,,	,,	37	15	22
233.	श्री पल्लुखां पुत्र पोमखां ,,	,,	51-11	24	27-11
234.	श्री गुलामनबी पुत्र दिलुखां ,,	,,	29	8	21
235.	श्री सुलानखां पुत्र बच्चू खां ,,	,,	33	14	19
236.	श्री बक्सूखां पुत्र पोरणखां ,,	,,	36	16	20
237.	श्री मोरजाखां पुत्र इमामूखां ,,	,,	32.2	17	15.2
238.	श्री सादीकल्लो पुत्र अदकखां ,,	,,	37	19	18
239.	श्री गुलणखां पुत्र मावलखां ,,	,,	38	19	19
240.	श्री जुम्मेखां पुत्र अलादीताखां ,,	,,	44	17	27
241.	श्री फरीदा पुत्र इमामू ,,	,,	40.2	17	23.2
242.	श्री हसनखां पुत्र बच्चूखां ,,	,,	34	14	20
243.	श्री सादीकखां पुत्र रमजानखां ,,	,,	31.8	8	23.8
244.	श्री मोहम्मदअली पुत्र इलाईखां ,,	,,	41	17	24
245.	श्री फरीदखां पुत्र जिन्दूखां ,,	,,	50	25	25
246.	श्री बख्तअली पुत्र जिन्दूखां ,,	,,	50	25	25
247.	श्री बच्चूखां पुत्र करीमखां ,,	,,	34.10	10	24.10
248.	श्री मोहम्मदखां पुत्र जुम्मेखां ,,	,,	50	25	25
249.	श्री गुलामनबी पुत्र बच्चूखां ,,	,,	34	14	20
250.	श्री सुखाराम पुत्र घोघकराम हरिजन	,,	28	7	21

1	2	3	4	5
251.	श्री सोहनराम पुत्र धोकलराम हरिजन शेरुवाला	28	7	21
252.	श्री गुलमोहम्मद पुत्र जिये खां मुसलमान ,,	32-4	5	27-4
253.	श्री सफीखां पुत्र जिये खां मुसलमान ,,	33	5	29
254.	श्री पीरण खां पुत्र गाजे खां ,,	45	20	25
255.	श्री सम्मुखां पुत्र जियेखाँ ,, ,,	33	5	28
256.	श्री मोहम्मद खां पुत्र फीजू खां ,, ,,	18	11	7
257.	श्री लालराम पुत्र धोकलराम ,,	28	7	21
258.	श्री मुश्मात खाजू बेवा नाजू खां ,,	26	10	16
259.	श्री ताराचन्द पुत्र जयनारायण महाजन बसरपुर	40	17	23
260.	श्री मीर खां पुत्र उमरखड़ा मुसलमान बीजेर	33	12	21
261.	श्री इतर खां पुत्र सामूखां मुसलमान साकिन बीजेरी	50	25	25
262.	श्री मंजू खां पुत्र जमाल खां ,, ,,	50	25	25
263.	श्री मिराई पत्नि भाजत खां ,, ,,	46	23	23
264.	श्री भंवरसिंह पुत्र कल्याणसिंह राजपूत सा. भलरी	33	7	26
265.	श्री जलाल पुत्र अतामोहम्मद मुसलमान सा. बीजेरी	32	16	16
266.	श्री दलेलखां पुत्र पीरखां ,, ,,	34-18	14	20-18

सूची अस्थाई कृषि पट्टा धारकों को जिन्हें कम भूमि का नवीनीकरण किया गया। उपनिवेशन तहसील कोलायत नं 2

क्रम सं.	नाम आसामीमय पिता का व सकूनत	पूर्व में अस्थाई रूप से अस्थाई भूमि बीघों में	नवीनीकरण की गई भूमि बीघों में	कृषि कम की गई भूमि बीघों में
1	2	3	4	5
1.	श्री फुसा पुत्र मीठा सुथार सा. खादोलाई	35	10	25
2.	श्री मोजा पुत्र डूंगरराम सुथार ,,	30	15	15
3.	श्री हणमान पुत्र चिमाराम सुथार ,,	41	18	23
4.	श्री नथूराम मीठा सुथा ,,	36	10	26
5.	श्री उत्माराम पुत्र बिभाराम ,, ,,	40	18	22
6.	श्री कानाराम पुत्र मंगलराम मेघवाल सामाटियो की ढाणी ,,	30-6	13	17-6

Page No 144

(144)

1	2	3	4	5
7.	श्री मानीराम पुत्र चूनाराम मेघवाल सामाटियों की ढाणी	40	21	19
8.	श्री मोहनराम पुत्र हेतराम ,,	30	15	15
9.	श्री खेताराम पुत्र गोधूराम दरोगा ,,	31-10	16	15-10
10.	श्री आसाराम पुत्र चुनाराम मेघवाल ,,	50	15	35
11.	श्री देवाराम पुत्र भूराराम मेघवाल ,,	29	11	18
12.	श्री तुलसीराम पुत्र कालूराम ब्राह्मण ,,	27	7	20
13.	श्री लादूराम पुत्र अंदाराम मेघवाल काधरली	31	13	18
14.	श्री हीराराम पुत्र मघाराम मेघवाल ,,	29-17	20	9-17
15.	श्री पूनराम पुत्र मंघाराम मेघवाल ,,	29	22	8
16.	श्री लूणाराम पुत्र लाखाराम कुम्हार ,,	32-2	18	14-2
17.	श्री नथूराम पुत्र लाखाराम कुम्हार ,,	31	15	16
18.	श्री सूरजाराम पुत्र नेनूराम सा. छोला कश्मिर	34	11	23
19.	श्री खाजूखां पुत्र मुशेखां मुसलमान ,,	50	25	25
20.	श्री मीसरीराम पुत्र मंघाराम ,,	37	17	20
21.	श्री केशूसिंह पुत्र मंगलसिंह राजपूत ,,	34	12	22
22.	श्री अलसीराम पुत्र दुखाराम ,, ,,	37	10	27
23.	श्री चान्दाराम पुत्र हरकाराम ,,	50	39	11
24.	श्री कानसिंह पुत्र खेतसिंह ,,	50	25	25
25.	श्री नथू खां पुत्र माल खां मुसलमान ,,	45	22	23
26.	श्री बखतअली पुत्र जिन्दू खां ,, ,,	34	9	25
27.	श्री नबी खां पुत्र अवलेखा ,, ,,	50	25	25
28.	श्री नूर खां पुत्र बाके खां ,,	35	13	22
29.	श्री दिये खां पुत्र दूल खां ,,	31	7	24
30.	श्री रहीम खां पुत्र गुलण खां ,, ,,	31	7	24
31.	श्री केसूराम पुत्र मंधाराम ,, ,,	38	17	21
32.	श्री मंगल खां पुत्र जिन्दू खां ,, ,,	34	9	25
33.	श्री अलादिता पुत्र रहिम खां ,,	25	17	8
34.	श्री दिनाराम पुत्र नेनूराम ,,	35	11	24
35.	श्री रामचन्द्र पुत्र नेनूराम ,,	34-8	11	23-8
36.	श्री घूड़ाराम पुत्र जेठाराम सा. ,, ,,	50	25	25

Page No 145

145

1	2	3	4	5
37.	श्री ढालाराम पुत्र नैनूराम सा. कश्मिर	34-6	11	23-6
38.	श्री अन्नाराम पुत्र मंघाराम ,,	38	17	21
39.	श्री लालूराम पुत्र मंगनीराम साकिन छोला कश्मिर	31	19	12
40.	श्री बाबूलाल पुत्र शिवना ,, ,,	44	15	29
41.	श्री केसूराम मंगनीराम ,, ,,	31	19	12
42.	श्री माझी खां पुत्र जिन्दू खां ,, ,,	34	9	25
43.	श्री शिवलाला पुत्र लाखाराम विश्नोई साकिन गोडू	50	25	25
44.	श्री हजारीरामं पुत्र सालगराम ,,	35	15	20
45.	श्री गोरघन पुत्र सालगराम ,,	35	15	20
46.	श्री किशनलाल पुत्र सालगराम ,,	35	15	20
47.	श्री भजनलाल पुत्र सालगराम ,,	35	15	20
48.	श्री बीरबल पुत्र सालगराम ,,	35	15	20

परिशिष्ट 2

तारांकित प्रश्न संख्या 5 की सूची

YEARWISE EXPENDITURE ON TYRES

SL. No.	Year	No. Of tvres Purchased	Value
1.	1979	19439	2,75,16,500.00
2.	1980	19466	3,30,92,200.00
3.	1981	22620	4,22,78,000.00

DETAILS OF SCRAP TYRES SOLD DURING LAST 3 YEARS

Sl. No.	Month Of auction.	Qty. Of tyres sold	Rate Of each tyre	TOTAL AMOUNT
1	2	3	4	5
I. 1979 JAIPUR				
1.	February	2500	RS. 38/–	95,000.00
2.	March	2500	RS. 38/–	95,000.00
3.	April	1000	RS. 38/–	38,000.00
4.	Nov.	8000	RS. 25.39	2,30,120.00
5.	Dec.	2000	RS. 25.51	51,020.00
	Total	16000		5,09,140.00
6	April	85 (Small tyres for jeep, cars etc.)		
II. 1980 JAIPUR				
1.	Feb.	4000	RS. 25.51	1,20,040.00
2.	Mar.	2000	RS. 25.51	51,020.00
3.	Apr.	2000	RS. 25.51	51,020.00
4.	July	2000	RS. 25.51	51,020.00

1	2	3	4	5
5.	Sept.	1000	RS. 29.00	29,000.00
	,,	1000	RS. 30.00	30,000.00
	,,	1000	RS. 29.25	29,250.00
	,,	1000	RS. 28.00	28,000.00
	,,	1000	RS. 29.50	29,500.00
	,,	1000	RS. 29.25	29,250.00
	,,	1000	RSı 28.00	28,000.00
	Toaal	17000		4,58,100.00
1980 JAIPUR :				
1.	Jan.	500	RS. 40·00	2,000.00
2.	Sept.	4000	RS. 29.50	1,18,000.00
	Total	4500		1,20,000.00
	GRAND Total	21500		5,78,100.00
1.	Jan.	131 (Small tyres for jeep, cars etc.)		12,500.00
III. 1981 JAIPUR				
1.	Jan.	4700	RS. 33.00	1,55,100.00
2.	May	1000	RS. 36.75	36,750.00
	,,	1000	RS. 36.50	36,500.00
	,,	1000	RS, 38.25	38,250.00
	,,	2500	RS. 38.00	95,000.00
3.	July	2100	RS. 40.00	84,000.00
4.	Nov.	5000	RS. 40.00	2,00,000.00
	Total	17300		6,45,600.00

148

Sl. Fo.	Month of auction	Qty. of tyres sold	Rate of each tyre	Total Amount
1981 AJMER				
1.	Jan.	3000	RS. 30.00	90,000.00
2.	May	2000	RS. 36.75	73,500.00
3.	November	2000	RS. 40.00	80,000.00
	Total	7000		2,43,5000.00
GRAND TOTAL		24300		8,89,100.00
1981 Small tyres Jeep, Car, & Trekker :				
1.	Jan.	64	RS. 65.00	4,160.00
2.	July	22	RS. 93.00	2,046.00
3·	July	23	RS. 45.00	1,035.00
5.	July	5	RS. 111.00	555.00
	Tot01	109		7,796.00

आर. पी. फार्म नं. 63

रिपोर्ट इत्तिला अव्वल (प्रथम सूचना)

(जो काबिल दस्तन्दाजी पुलिस जुर्म में हस्ब दफा 143 जा. फो. थाने पर चाक होती हैं)

थाना प्र. आ. के. भ्र. नि. वि. जयपुर जिला जयपुर राजस्थान जुर्म नं. (सुर्खी में) 64/81 4.12 81 तारीख और वक्त वकुआ 4.12.81

तारीख और वक्त जब इत्तिला हुई मय रिपोर्ट नं. रोजनामचा आम	जाय वकुआ और फासला और सिम्त थाने से मय नाम हल्का अगर कोई दूसरा हो।	तारीख व वक्त रवानगी थाने से
(1)	(2)	(3)

(1)	(2)	(3)
4.12.81 रपट नं. 85 रोजनामचा ग्राम समय 8.00 ए. एम. रपट नं. 104 समय 7.00 पी. एम.	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम क्षेत्र व फासला 4 किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम कोण, चौकी भ्र. नि. वि. जयपुर नगर से	4.12.81

नाम व नम्बर हल्का भ्र. नि. वि. नगर हल्के में वकुआ अन्द साल नं. 64/81

नाम और सकूनत इतिला कुनिन्दा और मुस्तगीस (सूचना देने वाले और अभियोगी का नाम और निवास स्थान)	नाम और सकूनत मुल्जिमाम (निवास स्थान अपराधी)	मुख्तसिर हालात भय दफा, और माल अगर कोई गया हो।	कार्यवाही तफतीश जो अमल में लाई गई और वजह देरी जो इतिला करने में हुई हो।	नतीजा मुकदमा
सरकार जरिये अपर पुलिस अधीक्षक भ्र. नि. वि. जयपुर नगर	अधिकारीगण राज. राज्य पथ परिवहन निगम, राजस्थान, जयपुर।	निगम द्वारा कम कीमत में भारी तादाद में नीलामी कर निगम को आर्थिक हानि पहुंचाई गई एवं खरीददारों व नीलामकर्ताओं को अनुचित लाभ मिला जो धारा 5 (1) डी (2) भ्र. नि. अ. में धारा 120 भा. द. स.	सूचना मिलने पर तुरन्त मौके पर पहुंच कार्यवाही अमले में आई जाकर तफतीश प्रारंभ की गई।	

दस्तखत मनफूल सिंह पूनिया ओहदा अपर पुलिस अधीक्षक, भ्र. नि. वि. जयपुर नगर, जयपुर।

रिपोर्ट जुबानी या तहरीरी (पुश्त पर)

सूत्र सूचना मिलने पर कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के अधिकारियों द्वारा कुछ नीलामी बोली देने वालों के साथ अपराधिक षंडयत्र रचकर हजारों की तादाद में अच्छे किस्म के टायर्स बहुत सस्ते दरों पर नीलाम कर दिये हैं। जो खरीददारों ने लाकर राजामल तालाब पर स्थित पार्क के पास जनता बाजार में डाल रखे हैं। इस सूचना पर मैं अपर पुलिस अधीक्षक, भ्र. नि. वि. हमराह सर्व श्री एम. के. पारीक, अपर पुलिस अधीक्षक, आर. के. सूद, उप पुलिस अधीक्षक, श्री.

(150)

पी. अग्रवाल व श्री उमेश जोशी, उप अधीक्षकगण श्री जसवन्त सिंह पुलिस निरीक्षक नाहर सिंह, उप पुलिस निरीक्षक, हनुमंत सिंह, उप पुलिस निरीक्षक, श्री पीराराम है. कानि. व आरक्षकगण, सर्व श्री दयाल सिंह नं.84, भगवान सहाय 40, गिरधारी सिंह नं. 49, सुभाष चन्द नं. 201, श्री दामोदर प्रसाद नं. 195 के हमराह मौके पर पहुंचा तो बसों के टायर भारी मात्रा में मैदान में रखे हुये मिले जिसके बारे में मालूमात की गई तो वह टायर्स राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम से नीलामी का होना ज्ञात हुआ। एम. टी. ओ. तथा अन्य ड्राइवरों के सहयोग से टायरों को भली प्रकार देखा गया तो यह पाया गया कि यह टायर्स अधिकांश रूप से चलने योग्य एवं पुनः रिट्रेडिंग कराने पर चलने योग्य हैं, जिन्हें निगम के अधिकारियों ने अपने पदों का दुरुपयोग कर रु. 40|– प्रति टायर्स के हिसाब से नीलामी कर राज्य सरकार को लाखों रुपयों की अनुचित आर्थिक हानि पहुंचाते हुये खरीददारों को लाभ पहुंचाया है एवं स्वयं ने अनुचित लाभ उठाया है। फर्द चैकिंग जप्ती कुछ 334 अच्छे टायरों को मौके पर तैयार की गई। जिससे जुर्म धारा 5 (1) डी (2) भ्र. नि. अ. व धारा 120 बी का अपराध गठित होता है।

कार्यवाही पुलिस

उपरोक्त सूचना एवं मौके की कार्यवाही के आधार पर अपराध अन्तर्गत धारा 5 (1) डी (2) भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम व धारा 120 बी में गठित होना पाया गया। अतः प्रकरण संख्या 64/81 पंजीबद्ध किया जाकर मन अपर पुलिस अधीक्षक भ्र. नि. वि. जयपुर नगर, जयपुर मशहूक तफतीश हुआ। प्रथम सूचना प्रतिवेदन की प्रतियां संबंधितों को प्रेषित होगी।

मनफूल सिंह पूनियां,
(मनफूल सिंह पूनिया)
अपर पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक विभाग,
जयपुर नगर, जयपुर।

परिशिष्ट 3

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

जयपुर शहर व जिले के कस्बों में बिक्री कर की चोरी

388. **श्री भैरूलाल भारद्वाज** (जमवा-रामगढ़) : क्या वित्त मंत्री यह यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार की जानकारी में है कि जयपुर शहर तथा जिले के अन्य कस्बों व शहरों में बिक्री कर की चोरी बढ़ती जा रही है ? यदि हां, तो सरकार इसको रोकने हेतु क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता ।

झालवाड़ जिले में वृक्षारोपण के साथ वृक्षों की अनधिकृत कटाई

389. **श्री बालचन्द्र आर्यवीर** (डग) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) झालावाड़ जिले में वृक्षारोपण योजना के अन्तर्गत कहां कहां कितने पेड़ किस-किस जाति के लगाये गये ?

(2) उनमें से कितने पेड़ वर्तमान में समाप्त हो चुके हैं ?

(3) क्या यह सही है कि जहां एक ओर वृक्षारोपण अभियान चलाया जाता है वहीं दूसरी ओर अधिकारियों की लापरवाही तथा प्रोत्साहन से वृक्षों को भारी संख्या में अनधिकृत रूप से काटने दिया जा रहा है ? यदि ऐसा है तो क्या राज्य सरकार ऐसे दोषी अधिकारियों को दण्डित करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) झालावाड़ जिले में विभिन्न वृक्षारोपण योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 1981–82 में 1·251 लाख पौधे लगाये गये हैं। इनमें मुख्यत: शीशम, चुरैल, कुरंज, यूकेलिप्टस, लंर, कूमट, नीम, धौक आदि के पौधे लगाये गये हैं। कार्य स्थलों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) इनमें से जीवित पौधों की गणना ग्रीष्म ऋतु के पश्चात् कराई जावेगी।

(3) वृक्षारोपण के साथ साथ वनों की सुरक्षा पर भी पूर्ण ध्यान दिया जाता है। अवैध कटान पाये जाने पर नियमानुसार राजस्थान वन अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाती है। किसी कर्मचारी के दोषी पाये जाने पर उसके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है।

झालावाड़ जिले में वर्ष 1981–82 में किये गये वृक्षारोपण के कार्य स्थलों की सूची :—

क्रम संख्या	नाम प्लान्टेशन
1.	प्लान्टेशन फील्ड टायल बी
2.	,, मोलक्या
3.	,, घाटोली
4.	,, गेलानी
5.	,, सालरिया
6.	,, बिलासरा
7.	,, सोजपुर
8.	,, पिपलाज
9.	,, मोडाबरी
10.	,, बिशनखेंडा
11.	,. बांसखेड
12.	,,रो ड साइड प्लान्टेशन्स भवानी मंडी

बीकानेर जिले में रेफरल हॉस्पिटल

390. **श्री सुरजाराम टांक** (नोखा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार की योजना के अनुसार प्रति वर्ष घनी आबादी के ग्रामीण क्षेत्र में एक-एक रेफरल हॉस्पिटल खोला जायेगा ?

(2) यदि हां, तो बीकानेर जिले में अभी तक कितने और कहां-कहां रेफरल हॉस्पिटल्स खुल चुके हैं ?

(3) नोखा प्राथमिक स्वास्थ्य चिकित्सा केन्द्र को कब तक रेफरल हॉस्पिटल में क्रमोन्त कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) बीकानेर जिले में वर्ष 1976–77 में नापासर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को रेफरल अस्पताल में क्रमोन्नत किया गया था ।

(3) छठी पंचवर्षीय योजना में ऐसा प्रस्ताव सम्मिलित नहीं है ।

कानूनी सहायता सम्बन्धी नियमों का सरलीकरण

391. **श्रीमती भगवती देवी** (भिनाय) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) इस वर्ष लीगल ऐड हेतु कितनी राशि बजट में रखी गई थी उसमें से कितनी राशि अब तक व्यय हुई ?

(2) क्या सरकार यह अनुभव करती है कि लीगल ऐड के नियमों में सरलीकरण आवश्यक है ? यदि हां, तो सरकार इसके लिये क्या कर रही है ?

उत्तर

(1) वर्ष 1981–82 के बजट में लीगल ऐड हेतु 2 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है। इस राशि में से 28–2–82 तक 2005–30 पैसे व्यय हुये हैं।

(2) राज्य सरकार ने सन् 1976 से प्रचलित लीगल ऐड नियमों में आवश्यक सरलीकरण कर अभी हाल ही में संशोधित लीगल ऐड नियम 1981 जारी किये हैं। संशोधित नियम अभी गजट में प्रकाशित नहीं हुये हैं।

कोटा जिले के देवस्थान मन्दिरों के वस्त्राभूषणों एवं बर्तनों आदि का सत्यापन

392. **श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद) व **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कोटा जिले में स्थित किन-किन सरकारी (डाइरेक्ट चार्ज) मन्दिरों में कितनी-कितनी धनराशि के हीरे, जवाहरात, सोने व चांदी के वस्त्राभूषण व बर्तन हैं ?

(2) क्या उन सभी वस्तुओं का उपयोग मन्दिरों में नियमित या समय-समय पर होता है ? इन वस्तुओं का प्रभार किस स्तर के अधिकारी के पास है और क्या उन व्यक्तियों की जमानत ली हुई है ?

(3) क्या इन वस्त्राभूषणों एवं बर्तनों का सत्यापन व जांच गत दो वर्षों में हुई है ? यदि हां, तो कब-कब व किस-किस के द्वारा ? कृपया विस्तृत विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कोटा जिले में देवस्थान विभाग द्वारा प्रबन्धित एवं नियंत्रित राजकीय प्रत्यक्ष प्रसार मन्दिरों की कुल संख्या 27 है। इन मन्दिरों में से 19 मन्दिरों में ही सोने चांदी के आभूषण, बर्तन इत्यादि हैं जिनका मूल्य पुरानी दर से 1,58,440-12 रुपया है। मन्दिरवार आभूषणों की सूची सदन के पटल पर रखदी गई है।

(2) जी नहीं। नित्य प्रतिदिन धारण के जेवरात तथा केवल कुछ आवश्यक आभूषणों का उपयोग ही मन्दिरों के उत्सवों के अवसर पर होता है। प्रतिदिन धारण के जेवरात पुजारी / मुखिया के चार्ज में और उत्सवों विशेष पर धारण के जेवरात प्रबन्धक या निरीक्षक के चार्ज में रहते हैं। 9 मन्दिरों के अलावा अन्य मन्दिरों के जेवरातों के लिए जमानतें कर्मचारियों से ली हुई हैं।

(3) जी हां। कुछ मन्दिरों के आभूषणों का भौतिक सत्यापन विगत दो वर्षों में हुआ है। विस्तृत जानकारी सूची में दर्शाई गई है।

(मूल्य इन्वेन्टरी रजिस्टर 1957 के आधार पर अंकित है)

क्र०सं०	मन्दिर का नाम	सोना, चांदी, रत्न मौतिक आभूषण, बर्तन आदि का मूल्य	सत्यापन कब और किस द्वारा किया गया
1	2	3	4
1.	मं० श्री बृजनाथजी गढ़ कोटा	76907–75	1979 में विशेषाधिकारी एवं लेखाधिकारी, उदयपुर ।
2.	मं० श्री बृजरायजी गढ़ कोटा	12443–50	1980 में निरीक्षक देवस्थान कोटा
3.	मं० श्री नवीनीयप्रियाजी गढ़	4990–00	,, ,,
4.	मं० श्री घरूमथुरशजी गढ़	17003–50	,, ,,
5.	मं० श्री बालाजी रंगबाड़ी	806–75	,, ,,
6.	मं० श्री करणेश्वरजी महा०	37–00	,, ,,
7.	मं० श्री करणीमाताजी अमेडा	136–50	,, ,,
8.	मं० श्रीमाताजी रामगढ़	33–50	सत्यापन नहीं हुआ
9.	मं० श्री रामचन्द्रजी लाड़पुरा	165–25	,,
10.	मं० श्री दाऊजी नान्ता	266–75	1980 निरीक्षक देव स्थान कोटा
11.	मं० श्री सूर्यनारायणजी	42–00	,, ,,
12.	मं० श्री दाऊजी सूरजपोल	6943–00	सत्यापन नहीं हुआ
13.	मं० श्री कृष्णाईमाताजी राम	10019–25	,,
14.	मं० श्री नित्यनियम जी	806–75	,,
15.	मं० श्री फूलबिहारी जी कोटा	8985–62	1980 निरीक्षक देवस्थान कोटा
16.	मं० श्री डाढ़देवीमाताजी	3083–25	सत्यापन नहीं हुआ
17.	मं० श्री नीलकण्ठ जी महादेव	1258–25	,,
18.	मं० श्री गोवर्धननाथ जी अनता	1299–75	,,
19.	मं० श्री बाबा जी राजपृथ्वीसिंह जी	13212–00	,,
	योग	158440–12	

सांगानेर नगरपालिका क्षेत्र में पोस्ट ऑफिस व दूरभाष केन्द्र निर्माण हेतु भूमि

393. **श्रीमती विद्या पाठक** (सांगानेर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि डाक एवं तार एवं टेलीफोन विभागों ने नगरपालिका क्षेत्र सांगानेर में पोस्ट आफिस व दूरभाष केन्द्र निर्माण के लिये राज्य सरकार से जमीन मांगी थी ?

(2) यदि हां, तो क्या इन विभागों को भूमि उपलब्ध करवा दी गयी है ?

(3) यदि नहीं, तो क्यों ? अब कब तक भूमि उपलब्ध करवा दी जायेगी ?

उत्तर

(1) केवल पोस्ट आफिस निर्माण हेतु भूमि मांगी गई थी।

(2) जी नहीं।

(3) संबंधित विभाग द्वारा भूमि की पूरी कीमत जमा कराने पर भूमि उपलब्ध करवा दी जावेगी।

भरतपुर नगर के चहुं ओर कच्चे गढ़ की दीवारों पर अतिक्रमण

394. **श्री हरिसिंह** (कुम्हेर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भरतपुर शहर के चारों तरफ स्थित कच्चे गढ़ की दीवारों की तोड़-फोड़ कर जो मकानत गढ़ पर बनाये गये हैं, क्या उनकी स्वीकृति नगर परिषद् द्वारा दी गई है ?

(2) यदि नहीं, तो क्या निर्माण कार्य अनधिकृत हैं ? यदि हां, तो अनधिकृत रूप से बनाये गये मकानात की सूची कृपया सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त मकानों के सम्बन्ध में राज्य सरकार की नीति एवं निर्णय क्या है ?

उत्तर

(1) पुरात्व विभाग द्वारा किये गये सर्वे के अनुसार भरतपुर शहर के चारों तरफ स्थित कच्चे गढ़ की दीवारों को तोड़ कर तारीख 20–10–81 तक कुल 590 मकानात बनाए गए हैं। इनमें से केवल 62 मकानों की नगर परिषद् व नगर विकास न्यास से स्वीकृति ली गई है।

(2) अनधिकृत रूप से बनाए गए मकानों की सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(2) पुरातत्व विभाग ने इन मकानों को हटाने का निर्णय लिया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

सीकर में एकीकृत बस स्टेण्ड

395. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

(1) क्या यह सही है कि पिछले विधान सभा सत्र में दिनांक 21 सितम्बर, 1981 को यातायात मंत्री ने शीघ्र ही सीकर में एकीकृत बस स्टेंड बनाने का और यात्रियों के लिये शौचालय, शेड, पीने के पानी की व्यवस्था करने का आश्वासन दिया था? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हुई है और बस स्टेंड बनाने में कितने धन की व्यवस्था की गई है?

(2) सीकर से प्रतिदिन कितने यात्री औसतन निगम की बसों में यात्रा करते हैं तथा कितनी बसें औसतन सीकर से निकलती हैं और कितना राजस्व निगम को वहां से प्राप्त होता है? इतना राजस्व प्राप्त होने वाले अन्य किस स्थान पर एकीकृत बस स्टेण्ड नहीं है?

उत्तर

(1) जी हां। निगम की सीकर आगार स्थित कार्यशाला के सामने निगम की खाली भूमि पर एकीकृत बस स्टेंड के निर्माण की योजना है। निगम की वित्तीय स्थिति ठीक न होने के कारण निर्माण हेतु धनराशि की व्यवस्था किया जाना सम्भव नहीं हुआ है। इस बस स्टेंड के निर्माण हेतु निगम द्वारा प्रशासक, नगर परिषद् सीकर को प्रसंग किया हुआ है।

(2) सीकर में निगम की बसों से प्रतिदिन औसतन 3348 यात्री यात्रा करते हैं। सीकर से विभिन्न स्थानों के लिये औसतन 182 बसें प्रस्थान करती हैं, सीकर शहर में स्थापित बुकिंग कार्यालयों से प्रतिदिन निगम को औसतन 18,217 रु. राजस्व आय प्राप्त होती है। इतना राजस्व प्राप्त होने वाला शहर डूंगरपुर है जहां पर एकीकृत बस स्टेण्ड नहीं है।

झुन्झुनू जिले की गांगियासर क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना

396. **श्री लच्छूराम** (मण्डावा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि झुन्झुनू जिले की गांगियासर क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना विश्व बैंक द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है?

(2) क्या यह भी सही है कि अभी तक उक्त योजना का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है?

(3) यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) गांग्यासर स्रोत से खिरदसर-कोदेसर क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना का एस्टीमेट बना लिया गया है एवं उसकी तकनीकी जांच की जा रही है। तकनीकी जांच हो जाने के बाद योजना पर कार्य आरम्भ होना सम्भव हो सकेगा।

चाकसू-कोटखावदा सड़क पर ढूंढ नदी पर पुल

397. **श्री रामकंवार बैरवा** (फागी) :

(श्री रामकंवार बैरवा)
क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार चाकसू-कोटखावदा रोड पर ढूंढ नदी पर पुल बनाने का विचार रखती है ?

(2) यदि हां, तो कब तक कार्य शुरू कर दिया जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) विगत कितने समय से जनता व जनप्रतिनिधियों की ओर से इस पुल को निर्माण करने की मांग की जाती रही है ?

उत्तर

(1) चाकसू-कोटखावदा सड़क पर ढूंढ नदी पर पुल बनाने की कोई योजना अभी विचाराधीन नहीं है ।

(2) धनाभाव के कारण इस कार्य को शुरू करना अभी सम्भव नहीं है ।

(3) उक्त पुल के निर्माण हेतु जन-प्रतिनिधियों की कोई मांग विचाराधीन नहीं है ।

बढ़िया शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में छात्रावास व्यवस्था

398. **श्री माधवसिंह दीवान** (सोजत) : क्या शिक्षा मंत्री यह यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा "पिछड़े को पहले" बीस संकल्प योजना के तहत बढ़िया शिक्षा के अन्तर्गत 30 माध्यमिक विद्यालयों के साथ ग्रामीण क्षेत्र में छात्रावास बनाने का प्रावधान था ? यदि हां, तो किस-किस जगह छात्रावास बनाये जा रहे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) क्या यह सही है कि पाली जिले में छात्रावास, शहरी क्षेत्र में बनाये जाने बाबत एतराज किया गया था ? यदि हां, तो इस बाबत क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हाँ, सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है ।

(2) जी नहीं ।

क्र.स.	जिला	स्वीकृत माध्यमिक छात्रावास संख्या	चयनित छात्रावास का नाम	विशेष विवरण
1	2	3	4	5
1.	अजमेर	1	1. रा. मा. वि. गोविन्दगढ़	
2.	जयपुर	2	2. रा. मा. वि. फुलेरा	
			3. रा. मा. वि. दौसा	

158

1 2	3	4	5
3. भरतपुर	2	4. रा. मा. वि. सरमथुरा	
		5. रा. मा. वि. जूरहरा	
4. अलवर	2	6. रा. उ. मा. वि. बहरोड	राज्य सरकार के आदेश संख्या एफ 19 (47) शि. 5/8 दिनांक 22·12·81 के अनुसार मा. वि. के स्थान पर उ. मा. वि. चयन
		7. रा. उ. मा. वि. गोविन्दगढ़	
5. बीकानेर	1	8. रा. मा. वि. लूणकरणसर	
6. चूरू	1	9. रा. मा. वि. पड़िहारा	
7. श्री गंगानगर	1	10. रा. मा. वि. हनुमानगढ	
8. झुन्झूनू	1	11. रा. मा. वि. गिडानिया	
9. सीकर	1	12. रा. मा. वि. लोसल	
10. जोधपुर	1	13. रा. मा. वि. शेरगढ	
11. पाली	1	14. रा. मा. वि. सुमेरपुर	
12. नागौर	1	15. रा. मा. वि. डीडवाना	
13. बाड़मेर	1	16. रा. मा. वि. धोरीमना	
14. जैसलमेर	1	17. रा. मा. वि. रामगढ़	
15. जालौर	1	18. रा. मा. वि. आहौर	
16. सिरोही	1	19. रा. मा. वि. पालड़ी	
17. कोटा	1	20. रा. मा. वि. कस्बाथाना	
18. बून्दी	1	21. रा. मा. वि. नैनवा	
19. झालावाड़	1	22. रा. मा. वि. डग	
20. स. माधोपुर	1	23. रा. मा. वि. बडगांव खेडला	
21. टौंक	1	24. रा. मा. वि. अलीगढ़	
22. उदयपुर	2	25. रा. मा. वि. दिवेर	
		26. रा. मा. वि. आडीवली	
23. भीलवाड़ा	1	27. रा. मा. वि. दिगोद	
24. डूंगरपुर	1	28. रा. मा. वि. पुनाली	
25. चितौड़गढ़	1	29. रा. मा. वि. बस्सी	
26. बांसवाडा	1	30. रा. मा. वि. मोटागांव	
	30		

पंचायत राज संस्थाओं को सशक्त बनाना

399. **श्री उम्मेदसिंह** (डीडवाना) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

जिला परिषदों, पंचायत समितियों व ग्राम पंचायतों को सरकार और क्या-क्या अधिकार दे रही है ?

उत्तर

यह मामला राज्य सरकार के विचाराधीन हैं ।

कुशलगढ़ क्षेत्र के ग्राम रामगढ़ में चूनों के भट्टों हेतु जलाऊ लकड़ी

400. **श्री फतेसिंह** (कुशलगढ़) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बांसवाड़ा ज़िला के कुशलगढ़ क्षेत्र के रामगढ़ ग्राम में चूने की कितनी भट्टियां चल रही है व किन किन व्यक्तियों के नाम ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या राज्य सरकार ने चूने के भट्टों की स्वीकृति दी है ? यदि हां, तो कब ?

(3) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने जलाऊ लकड़ी का पास बन्द कर रखा है ? यदि हां, तो क्या चूने के भट्टों के लिए जलाऊ लकड़ी व्यापार मण्डल के डिपो से दी जाती है ?

(4) क्या रामगढ़ में चूने के भट्टों के लिए डिपो से लकड़ी ली गई है ? यदि हां, तो कब-कब व कहां से व कितनी लकड़ी ली गई है ?

(5) क्या यह सही है कि रामगढ़ में चूने के भट्टों के लिये वन विभाग से बिना पास व बिना महसूल वसूल किये जंगल से लकड़ी दी जाती है ? यदि हां, तो राज्य सरकार इसकी जांच कब तक करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ क्षेत्र में रामगढ ग्राम में चूने की तीन भट्टियां चल रही है । जिन व्यक्तियों के द्वारा यह भट्टियां चलाई जा रही है, उनके नाम निम्न हैं :—

1. श्री दूर मोहम्मद पिता पीरमोहम्मद मकरानी, रामगढ

2. श्री नजर मोहम्मद पिता पीरमोहम्मद मकरानी, रामगढ़ ।

3. श्री रजाक पिता मुसफिर खां मकरानी ।

(2) जी नहीं । इन भट्टियों का लधु उद्योग इकाई के तहत पंजीकरण नहीं किया गया है ।

(3) चूने के भट्टों के लिए पृथक से जलाऊ लकडी के पास जारी नहीं किए जाते है । विभागीय कार्य मण्डल के विक्रय केन्द्रों से जलाउ लकड़ी का विक्रय निर्धारित दर पर फुटकर बिक्री द्वारा जन साधारण को किया जाता है । भट्टों के लिए पृथक से जलाऊ लकड़ी दिए जाने का कोई प्रावधान नहीं है ।

(श्री वन मंत्री)

(4) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता उठता है।

(5) जी नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता है।

चित्तौड़गढ़ जिले की चिकित्सा संस्थायें

401. **श्री नन्द लाल मीणा** (प्रतापगढ़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के अधीन कितनी चिकित्सा संस्थाएं राजकीय एवं अनुदानित चल रही हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि चित्तौड़गढ़ जिले की चिकित्सा संस्थाओं में काफी स्वीकृत पद विभिन्न श्रेणियों में रिक्त पड़े हैं ? रिक्त पदों को न भरे जने के क्या कारण हैं तथा इन पदों को कब तक भरा जा सकेगा ?

उत्तर

(1) 167 राजकीय चिकित्सा संस्थाऐं चल रही है। कोई संस्था अनुदानित नहीं है। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) पदस्थापित अधिकांश डाक्टरों द्वारा कार्यग्रहण न करना और ग्रामीण क्षेत्रों में जाने से इन्कार कर देने के कारण पद रिक्त हैं। योग्य प्रशिक्षित स्टाफ के उपलब्ध न होने के कारण भी पद रिक्त हैं। डाक्टरों के रिक्त पदों को तदर्थ रूप से भरने की कार्यवाही पूर्व में भी की गई और अब भी की जा रही है। योग्य प्रशिक्षित स्टाफ उपलब्ध होने पर रिक्त पदों को भरना सम्भव होगा।

जिला चित्तौड़गढ़ में स्वीकृत राजकीय चिकित्सा संस्थानों की सूची :—

1. चिकित्सालय	6
2. उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	1
3. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	12
4. डिस्पेन्सरी	28
5. सहायता चोकिया (एडपोस्ट)	11
6. शहरी परिवार कल्याण केन्द्र	55
7. ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र	13
8. मातृ शिशु कल्याण केन्द्र	2
9. उपकेन्द्र	87
10. मिनी हैल्थ सेन्टर	2
योग	167

भीलवाड़ा लेबर कॉलोनी के क्वार्टर्स

402. **श्री बंशीलाल पटवा** (भीलवाड़ा) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

भीलवाड़ा लेबर कॉलोनी के क्वार्टर्स जिन श्रमिकों के नाम पर हैं, क्या उन्हें सरकार बापी या लीज पर देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

भीलवाड़ा स्थित औद्योगिक संस्थानों के जिन कर्मचारियों ने प्रोविडेन्ट फण्ड की वापसी के लिए दावे दाखिल किये थे, 31-1-82 को उनमें से केवल 27 कर्मचारियों के क्लेम विचाराधीन थे और अब तक ये सब निपटाये जा चुके हैं ।

पंचायत समिति मूण्डवा एवं नागौर ग्रामीण क्षेत्र में अनिवार्य वस्तुओं की दुकानें

403. **श्री महाराम चौधरी** (नागौर) : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति मूण्डवा एव नागौर ग्रामीण क्षेत्र में राजस्थान की कुल कितनी दुकानें हैं तथा उनमें प्राइवेट डीलर्स कितने हैं तथा सहकारी समितियों द्वारा कितनी दुकानें संचालित हैं ? क्या यह सही है कि सहकारी समितियों को डीलरशिप नहीं दी जाकर प्राइवेट डीलर्स को दी गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि पंचायत समिति मूण्डवा एवं नागौर की ग्रामीण जनता को राशन की चीनी समय पर नहीं मिल पाती है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? पिछले तीन माह से जनता को चीनी वितरण किस कारण से नहीं किया गया ? किस-किस पंचायत क्षेत्र को माह सितम्बर से जनवरी तक चीनी नहीं दी गई है ? ब्यौरा सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(1) पंचायत समिति मूण्डवा में 33 राशन की दुकानें हैं जिनमें 23 सहकारी एवं 10 निजी हैं । नागौर पंचायत समिति में 38 राशन की दुकानें हैं जिनमें 30 सहकारी व 18 निजी हैं । यह सही नहीं है कि सहकारी समितियों को डीलरशिप नहीं दी जाकर प्राइवेट डीलर्स को दी गई है । प्राइवेट डीलर वहीं है जहां सहकारी समितियां नहीं हैं अथवा सहकारी समितियां कार्य करना नहीं चाहती या सक्षम नहीं हैं ।

(2) यह सही नहीं है कि पंचायत समिति मूण्डवा एवं नागौर की ग्रामीण जनता को राशन की चीनी समय पर नहीं मिल पाती है । चीनी, राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है । मिलों से चीनी का लदान देरी से होने एवं परिवहन सम्बन्धी समस्याओं से चीनी विलम्ब से प्राप्त होने पर ही चीनी के वितरण में विलम्ब होता है । माह नवम्बर एवं दिसम्बर की चीनी का वितरण दिनांक 23-1-82 को कराया गया है । जनवरी एवं फरवरी, 82 की चीनी का वितरण दिनांक 10-2-82 से प्रारम्भ कराया गया है । ग्राम पंचायत सिणोद में सितम्बर व अक्टूबर की चीनी वितरण

(खाद्य मन्त्री)

स्थल के विवाद के कारण अभी तक वितरित नहीं हुई है। नवम्बर व दिसम्बर, 81 की चीनी का वितरण 15 फरवरी से प्रारम्भ किया गया है। जनवरी व फरवरी, 82 की चीनी का वितरण 6 मार्च से प्रारम्भ हुआ है। इसके बाद सितम्बर व अक्टूबर, 81 की चीनी का वितरण कराया जायेगा। वरण गांव की चीनी अक्टूबर से वितरण स्थल के विवाद के कारण वितरित नहीं की जा सकी है। भावण्डा गांव में पहले सहकारी समिति कार्यरत थी, उसके विरुद्ध अनियमितता के कारण पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज करने पर श्री कानाराम को प्राइवेट डीलर नियुक्त किया गया। इसके विरुद्ध भी अनियमितता करने के कारण कार्यवाही चल रही है। अस्थाई व्यवस्था के लिए अन्य कोई डीलर तैयार नहीं है। अत: यहां भी सितम्बर से चीनी विररण नहीं हो सकी है।

नगरपालिका सांचौर द्वारा ट्यूब-लाइट्स की खरीद

404. **श्री कनकराज मेहता** (सांचौर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका सांचौर द्वारा भारी तादाद में वर्ष 1981-82 में ट्यूब लाइट्स खरीदी गई थीं ? यदि हां, तो कितनी व इस पर कितना धन खर्च हुआ ?

(2) खरीद की हुई ट्यूब लाइट्स कहां-कहां व कब-कब लगाई गई व स्टॉक में कितनी बचीं ? कृपया पूर्ण ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1981-82 में 100 ट्यूबलाइट खरीदी गई तथा इन पर 2695.00 रु. व्यय किये गये।

(2) उक्त क्रय की गई ट्यूब लाइट कहीं पर भी नहीं लगाई गई हैं। स्टॉक में अब कुल 156 ट्यूब लाइटें शेष हैं।

नदबई (भरतपुर) में सहायक जिलाधीश एवं मजिस्ट्रेट के न्यायालय की स्थापना

405. **श्री यदुनाथ सिंह** (नदबई) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला भरतपुर में कितने और कहां-कहां ए. सी. एम. कोर्ट्स हैं ? इन कोर्ट्स में पृथक्-पृथक् मुकदमों की क्या-क्या वार्षिक संख्या है ?

(2) क्या सरकार संख्या को दृष्टिगत रखते हुए नदबई में ए. सी. एम. कोर्ट खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिला भरतपुर में भरतपुर मुख्यालय पर 2, धौलपुर मुख्यालय पर 2 व बयाना मुख्यालय पर एक कुल 5 सहायक जिलाधीश एवं दण्डनायकों के न्यायालय हैं। पिछले दो वर्ष से विभिन्न सहायक जिलाधीशों के अदालतों में मुकदमों की संख्या की सूची सदन की पटल पर रख दी गई है।

(2) नदबई में सहायक जिलाधीश एवं दण्डनायक का न्यायालय स्थापित करने का कोई मामला वर्तमान में राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

भरतपुर जिले के सहायक जिलाधीशों के न्यायालय में सन् 1980–81 एवं माह फरवरी, 82 तक के विचाराधीन राजस्व मुकदमात की सूची ।

क्र. सं.	नाम कोर्ट	वर्ष 1980				वर्ष 1981				जनवरी, वर्ष 1982 फरवरी			
		गत अवशेष	निष्पादन	निस्तारण	शेष	गत अवशेष	निष्पादन	निस्तारण	शेष	गत अवशेष	निष्पादन	निस्तारण	शेष
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	भरतपुर-प्रथम	558	767	359	966	966	665	463	1168	1168	41	18	1191
2.	भरतपुर-द्वितीय	545	400	276	669	669	252	289	632	632	27	39	620
3.	धौलपुर-प्रथम	1227	645	356	1516	1516	436	217	1755	1755	29	39	1745
4.	धौलपुर-द्वितीय	812	246	177	891	891	259	370	780	780	11	24	767
5.	बयाना	1266	276	113	1329	1329	534	676	1188	1188	54	40	1202

सिकराय निर्वाचन क्षेत्र में सड़कों का निर्माण

406. श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सिकराय से कड़ी की कोठी तक सड़क के निर्माण का प्रारम्भिक कार्य कब शुरू हुआ था ? अब तक इस पर कितनी राशि व्यय हो चुकी है ? इस पर डामर कब तक बिछा दी जायेगी ?

(2) निर्वाचन क्षेत्र सिकराय में कौन-कौनसी सड़कें निर्माण कराना सरकार के पास प्रस्तावित है ? क्या इस वर्ष कोई सड़क निर्माण कराने का विभाग का इरादा है ?

उत्तर

(1) सिकराय से कड़ी की कोठी सड़क निर्माण का कार्य सर्व प्रथम 1976 में शुरू किया गया था। अब तक एक कार्य पर दो लाख सोलह हजार सात सौ तेहतर रुपये की राशि व्यय की जा चुकी है । इस पर डामर बिछाने का कार्य मार्च (1983) तक पूर्ण कराने की संभावना है ।

(2) सिकराय निर्वाचन क्षेत्र में इस वर्ष धनाभाव के कारण किसी अन्य सड़क का निर्माण कराना संभव नहीं है ।

ग्राम तलवाना और बिरनवास (अलवर) में उच्च प्राथमिक विद्यालय

407. श्री सुजानसिंह यादव (बहरोड़) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि राज्य सरकार का आगामी शिक्षा सत्र में ग्राम तलवाना और बिरनवास में उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने का विचार है ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

राज्य सरकार वर्ष 1982-83 में वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर ग्राम तलवाना और बिरनवास प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने हेतु छात्र संख्या, भवन व्यवस्था आदि तथा विभिन्न क्षेत्रों की तुलनात्मक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए गुणावगुण के आधार पर विचार करेगी ।

मनोहरथाना वन क्षेत्र के ग्रामों में मवेशियों की चराई की व्यवस्था

408. श्री भैरूंलाल (मनोहरथाना) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला झालावाड़ क्षेत्रान्तर्गत मनोहरथाना वन क्षेत्र के ग्राम बड़गांव, बलास, टोडरी मीरां आदि ग्रामों की पहाड़ियों पर वन विभाग द्वारा लगभग 15 वर्ष पूर्व क्लोजर एवं बनेठ, गरबोल्या आदि की पहाड़ियों पर प्लान्टेशन की स्थापना की जाकर 10 साल अवधि समाप्त होने पर इन्हें कुशादा कर सदैव की भांति इन स्थानों पर मवेशियों के चरने की छूट थी ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त प्लान्टेशन्स एवं क्लोजरों की अवधि समाप्त हो चुकी है किन्तु इन स्थानों पर वन विभाग ने ठेका घास देना प्रारम्भ करके अब मवेशी चराने पर रोक लगा रखी है ?

Page No 165

(श्री भैरूंलाल)

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त स्थानों पर मवेशी चरने पर लगाई गई रोक से समीपवर्ती ग्रामों के पशुपालकों के मवेशियों के भूखों मरने की नौबत आ गई है? यदि हां, तो क्या सरकार घास का ठेका देने की प्रथा को समाप्त कर इन स्थानों पर मवेशी चरने की छूट देने का वन विभाग को आदेश देने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो सरकार के अपने मुहायदे से मुकरने का क्या कारण है और समीपवर्ती ग्रामों के पशुपालकों की मवेशियों के चराई की क्या सुविधा प्रदान करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जिन प्लान्टेशनों अथवा क्लोजरों की अवधि 10 वर्ष से अधिक हो गई है, उनमें उत्पन्न घास की चराई की इजाजत पंचायत के माध्यम से या विभागीय तौर पर दी जाती है ।

(3) जी नहीं । इन क्षेत्रों में मवेशी चराई पर कोई रोक नहीं है ।

जयपुर नगर, जमवारामगढ़ तहसील व झोटवाड़ा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र मे पीड़ितों को मदद

410. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(2) क्या जयपुर नगर, तहसील जमवारामगढ़ व झोटवाड़ा के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में आंशिक व पूर्ण क्षतिग्रस्त क्षेत्र का सर्वे किया गया है ? यदि हां, तो कितनी बार ? कृपया प्रभावितों की वर्गश: सूची ग्रामवार सदन को मेज पर रखें ।

(2) उक्त क्षेत्रों में कितनी कितनी धनराशि वितरण हेतु स्वीकृत की गई है, कितनी वितरित की गई तथा कहां कहां ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) आवंटित राशि नहीं बांटने का क्या कारण रहा है ? अब उक्त राशि को कब तक बांट दिया जावेगा ? यदि नहीं, वांटी जाती हैं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां । जयपुर नगर में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में सर्वे 2 बार एवं तहसील जमवारामगढ़ व झोटवाड़ा के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में सर्वे 1 बार किया गया है । सूची परिशिष्ट "क" व "ख" सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(2) उक्त क्षत्रों में 16, 94, 433 रुपये की धनराशि वितरण हेतु स्वीकृत की गई है । इस स्वीकृत राशि में से जयपुर नगर एवं झोटवाड़ा क्षेत्र सहित 11,22,000 रुपयों की राशि तथा जमवारामगढ़ तहसील क्षेत्र में 3,37,300 रुपयों की राशि का वितरण किया जा चुका है । जयपुर नगर एवं झोटवाड़ा क्षेत्र में 2,35,133 रुपयों की शेष राशि के वितरण के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है । जमवारामगढ़ तहसील क्षेत्र में वितरण कार्य पूर्ण हो चुका है ।

(3) अवशेष रही स्वीकृत राशि प्रभावित परिवारों को नकद के रूप में न दी

(सहायता मंत्री)

जाकर यह राशि प्रभावित परिवारों को भू खण्ड आवटंन अथवा नियमन एवं निर्मित भवनों के मूल्य के पेटे समायोजन की कार्यवाही की जा रही है।

(सूची "ख" विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

परिशिष्ट "क"

जयपुर नगर झोटवाडा क्षेत्र सहित :—

कच्ची बस्तियां जिनमें आंशिक व पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त मकान हुये हैं 80

1. आंशिक रूप से प्रभावित परिवार की संख्या		5557
2. पूर्ण रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या		4400
	योग	9957

राजमहल-दौलता (देवली) सड़क का निर्माण

411. **श्री चतुर्भुज** (टोडारायसिंह) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या राजमहल से दौलता (देवली) तक सड़क बनाने की योजना राज्य सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो यह सड़क कब तक पूरी बनादी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

राजमहल से दौलता (देवली) तक रोड बनाने की कोई योजना अभी सरकार के विचाराधीन नहीं है। धनाभाव के कारण निकट भविष्य में इस सड़क को पूरी बनाने की सम्भावना नहीं है।

नगर सुधार न्यास जोधपुर द्वारा गृह निर्माण समितियों की भूमि का विभाजन

412. **श्री नरपतराम बरबड़** (सूरसागर) : क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगर सुधार न्यास, जोधपुर की भू-विभाजन समिति ने प्रजापत गृह निर्माण समिति तथा आदर्श गृह निर्माण समिति की भूमि का विभाजन कर दिया है ? यदि हां, तो यह निर्णय किस तारीख को किया गया तथा लम्बे समय तक

(श्री नरपतराम बरवड़)
उस निर्णय की पालना नहीं किये जाने के क्या कारण रहे ?

(2) क्या सरकार भू-विभाजन समिति के सम्बन्ध में भूमि विभाजन के बारे में प्रजापत तथा आदर्श गृह निर्माण समिति, जोधपुर के सम्बन्ध में लिए गये निर्णय के अनुसार नगर विकास न्यास, जोधपुर को पालना करने हेतु निर्देश देगी ? यदि हां, तो निर्णय की पालना कब तक होगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) भू-विभाजन का मामला न्यास की भू विभाजन समिति के समक्ष दिनांक 26–8–81 को रखा गया, जिसमें बहुमत से यह सिफारिश की गई थी कि प्रजापत गृह निर्माण समिति तथा आधुनिक गृह निर्माण समिति की भूमि का विभाजन कर दिया जावे परन्तु इस भूमि के बारे में राज्य सरकार ने माननीय उच्च न्यायालय में स्पेशल अपील दायर कर रखी है और उसमें निर्णय होने तक दिनांक 29/1/81 को स्टेटस को रखे जाने के आदेश हैं अतः विभाजन स्वीकृत नहीं किया गया।

(2) यह मामला माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है अतः राज्य सरकार की ओर से कोई आदेश नहीं दिये जा सकते।

नगर परिषदों/पालिकाओं के सफाई मजदूर कर्मचारियों की सेवाओं में सुधार

413. श्री मांगीलाल आर्य (जालोर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विभिन्न नगरपालिकाओं और नगर परिषदों में कार्यरत सफाई मजदूर कर्मचारियों की सेवायें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के समकक्ष मानी गई हैं ? यदि हां, तो किन आधारों पर ?

(2) क्या यह सही कि सफाई मजदूर कर्मचारियों की सेवाएं (गन्दगी उठाने) अन्य चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की सेवाओं से अधिक कठिन और श्रम की हैं ?

(3) यदि हां, तो क्या सरकार सफाई मजदूर को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से अधिक सुविधायें देना चाहती है ? यदि हां, तो इस मुद्दे पर सरकार क्या और कब तक निर्णय लेने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। दोनों ही प्रकार के कर्मचारी राजस्थान नगरपालिका चतुर्थ श्रेणी सेवा नियमों के अधीन हैं। वेतनमान, महंगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता, वर्दी, आदि समान हैं।

(2) यह सही है कि सफाई कर्मचारी पालिका क्षेत्र में सफाई एवं गन्दगी उठाने का कार्य करते हैं तथा दूसरे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यह काम नहीं करते। सभी कर्मचारियों को आठ घंटे काम करना पड़ता है। परन्तु सभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का काम एक जैसा नहीं है अतः तुलना संभव नहीं है।

(3) सफाई मजदूरों के कार्य की आव-

168

(स्वायत शासन मंत्री)
श्यकता, कठिनाई एवं जोखिम को देखते हुए सरकार द्वारा पाड़ा भत्ता, झाड़ू भत्ता, साबुन, सामुहिक बीमा, सिवरेज भत्ता इत्यादि विशेष सुविधाएं स्वीकृत हैं।

अलवर जिले में बंजड़ भूमि का चरागाहों के रूप में विकास

414. **श्री समर्थ लाल** (राजगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील बानसूर, बहरोड़, मुण्डावर एवं तिजारा (जिला अलवर) के किस-किस ग्राम में कितनी-कितनी भूमि बंजड़ सिवाय चक एवं गोचर के रूप में पड़ी है? कृपया सूची मय किस्म, रकबा एवं खसरा नम्बर के सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या राज्य सरकार का उपरोक्त भूमि को चरागाहों के रूप में विकसित कराने का विचार है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) तहसील किस्मावार भूमि की सूचना निम्नानुसार है :—

नाम	गोचर	सिवाय चक	ग्रे० मु०
तहसील			
1. बानसूर	15569-9	887-10	44838-2
2. बहरोड़	12341-7	9404-27	
3. मुण्डावर	8127-06	169-1	
4. तिजारा	1400-07	6215-11	

ग्रामवार सूची मय संशोधन सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) वर्तमान में ग्राम पंचायत सिहाला खुर्द के सरपंच द्वारा सिवाय चक भूमि को चरागाह में परिवर्तन करने का एक ही प्रस्ताव आया है उसका परीक्षण किया जा रहा है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

कागदी अरदन बांध, माही प्रोजेक्ट बांसवाड़ा

415. **श्री रंगजी मीणा** (सपोटरा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कांगदी अरदन डेम, माही प्रोजेक्ट बांसवाड़ा के निर्माण मई, में 1977 में कट आफ ट्रेंच (सी.ओ.टी.) का कार्य करवाया गया था?

(2) यदि हां, तो इस कार्य का एस्टीमेट कितने का था, यह कार्य किसके द्वारा सम्पन्न कराया गया और उस समय कुल लागत कितनी आई?

(3) क्या यह भी सही है कि सन् 1977 में कराया गया कार्य तकनीकी एवं निर्माण की दृष्टि से गलत था और इस कारण सन् 1978-79 में कट आफ ट्रेन्च (सी.ओ.टी.) का कार्य पुनः कराना पड़ा?

(4) यदि हां, तो पुनः कराये गये कार्य की कितनी लागत आई एवं किसके द्वारा कराया गया?

(श्री रंगजी मीणा)

(5) गलत कार्य कराने के लिए कौन उत्तरदायी ठहराये गये हैं व राजकोष को पहुंची हानि की पूर्ति किससे कराई जायेगी ?

उत्तर

(1) कागदी अरदन डेम माही प्रोजेक्ट बांसवाड़ा के निर्माण में कट आफ ट्रेंच (सी०ओ०टी) आर०डी० 0 से 76 मीटर और 82 मीटर से 445 मीटर तक बनायी जानी थी। उपरोक्त लम्बाई में से केवल आर०डी० 190 से 445 मीटर तक की सी०ओ०टी० का कार्य माह मई, 1977 में करवाया गया था।

(2) पूरी कट आफ ट्रेन्च का कार्य का एस्टीमेट रु० 6,83,155/– का था। यह कार्य मैसर्स गुजरात स्टेट कन्सट्रक्सन कार्पोरेशन के द्वारा आ.डी. 190 मीटर से आर.डी. 445 मीटर तक कराया गया था। उसके निर्माण कार्य कराने में रु० 2,06,231·60 पैसे लागत आयी थी।

(3) यह सही नहीं है। कट आफ ट्रेंच में दबाई गई मिट्टी की डेन्सिटी कहीं कम पाई गई तथा बांसवाड़ा शहर की सुरक्षा की दृष्टि से यह उचित समझा गया कि किसी प्रकार का जोखिम न उठाते हुए तथा अतिरिक्त सुरक्षा उपाय अपनाकर इसे दुबारा भरा जावे। दुबारा कार्य सन् 1978–79 तथा 1979–80 में कराया गया।

(4) पुन: कराये गये कार्य पर लागत रुपये 8,63,428–52 आई। पुन: कार्य विभागीय तौर पर कराया गया।

(5) इस प्रकरण की जांच मुख्य अभियंता द्वारा कराई जा रही है।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 1 मार्च, 1982)

अलवर नगर स्थित त्रिपोलिया भवन का संधारण

166. **श्री जीतमल जैन** (अलवर) : क्या पुरातत्व विभाग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या अलवर नगर में सर्राफा बाजार एवं बजाजा बाजार के बीच स्थित "त्रिपोलिया" राज्य सरकार की सम्पत्ति है ? यदि हां, तो इस भवन के रख रखाव कि जिम्मेदारी किस विभाग की है ?

(2) गत पांच वर्षों में उक्त भवन के रख रखाव पर किन-किन विभागों द्वारा कितनी राशि खर्च की गई है ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या उक्त भवन के आवश्यक रख रखाव के अभाव में कुछ पत्थर गत दो माह में टूट कर सडक पर गिर गये थे एवं कुछ गिरने की स्थिति में हैं ?

(4) राज्य सरकार द्वारा उक्त भवन की मरम्मत के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(1) "त्रिपोलिया" राजस्थान स्मारक पुरावशेष स्थान तथा प्राचीन वस्तु अधिनियम, 1961 की धारा 3 की उप धारा (4) के अन्तर्गत संरक्षित स्मारक है। इसके

Page No 170

(170)

(पुरातत्व मंत्री)

रखा रखाव की जिम्मेदारी स्वायत्त शासन विभाग की है ।

(2) किसी भी विभाग द्वारा कोई राशि खर्च होने की सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

(3) जनवरी, 1982 के प्रारम्भ में तेज वर्षा होने के कारण त्रिपोलिया के छज्जे के कुछ भाग की रेलिंग गिर गयी और कुछ हिस्सा ढीला पड़ गया ।

(4) उक्त स्थिति ध्यान में आने के बाद स्वायत्त शासन विभाग को मरम्मत के लिए अनुरोध किया जा चुका है ।

171

परिशिष्ट 4

अतारांकित प्रश्न 315 की सूची

सूची 'व'

कठूमर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के शेष स्वीकृत ग्रामों की सूची जिनका विद्युतीकरण किया जाना है

क्र. सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.
1	2	3
1.	मुन्ड जोडी	5–9–240
2.	तिलकपुर	257
3.	बसेडी	293
4.	इछर	294
5.	मूर पहाडी	295
6.	सेहरा	296
7.	भगवतपुरा	297
8.	काली पहाडी	298
9.	सुनारी	299
10.	मुकुन्दपुरा	300
11.	झालाटाला	301
12.	नारनोल खुर्द	292
13.	नारनोल कलां	302
14.	कोठडा	303
15.	बिदरका	304
16.	अन्तापाडा	305
17.	खेड़ा सारंगपुरी	236
18.	टोडा	154
19.	रानोली	114
20.	सलेमपुर	160
21.	पावटा	161
22.	गजपुर नूरपुर	159
23.	खेड़ा कल्याणपुरा	319
24.	भांवर	316
25.	जंगरु	235

Page No 172

1	2	3
26.	धोवडी	169
27.	जैंतपुर	310
28.	मीखाहेडी	309
29.	ग्रमरपुर	307
30.	पहरबती	308
31.	खेडा मंगलसिंह	206

सूची 'म्र'

कठूमर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के ग्रामों की सूची
विद्युतीकृत ग्रामों की सूची।

क्र. सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.	क्र. सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.
1	2	3	1	2	3
1.	हरसाना	5/9/241	18.	सामोली	104
2.	बिचगांव	256	19.	मैथना	102
3.	साईपुर	312	20.	ढांकारोली	103
4.	नाहर खोहरा	239	21.	कठुमर	165
5.	बांडला	157	22.	हनीपुर	166
6.	जाडला	158	23.	मानखेडा	106
7.	बहतू कंला	181	24.	रेला	172
8.	बडोदाकान	117	25.	ग्रडुवा	221
9.	बलदेवपुरा	118	26.	मसारी	222
10.	जहाडू	264	27.	गारु	225
11.	धोसराना	284	28.	बसेठ	215
12.	रोनीज़ा थाना	285	29.	दारोदा	226
13.	बादसु	287	30.	संमूची	278
14.	साजनपाडा	288	31.	नंगला माधोपुर	269
15.	तसई	92	32.	सोंखरी	267
16.	तुसारी	93	33.	नाटोज	228
17.	हुल्याना	94	34.	खेडली उर्फ नूनिया	229

Page No 173

173

1	2	3	1	2	3
35.	रामपुरा पाटन	315	43.	डोरोली	273
36.	दांतिया	283	44	बहरामपुर	275
37.	खेखर	321	45.	कस्बा खेडलीगंज	(एमबी)
38.	सालवाडी	282	46.	कालवाडी	265
39.	सोखर	271	47.	खोलखोह	237
40.	गहलावता	276	48.	मनोखर	264
41.	खेडली रेल	277	49.	पोखर	311
42.	सहजपुर	272			

परिशिष्ट 5

अतारांकित प्रश्न संख्या 318 की सूची

जनवरी 1980 से जनवरी 1982 के दौरान कृषि भूमि के भूखण्ड हस्तान्तरण पंजीयन हुए जिसकी सूचना

क्र. सं.	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	स्थान	क्षेत्रफल	विक्रेता	क्रेता	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7
1.	2 5-1-80	भीलवाड़ा	आ. नं. 753 में से 35/40	श्री पीरबक्ष पिता गुलाब पिनारा नि. भीलवाड़ा।	श्री अब्दुल अजी पिता गुलाब खां मुसलमान नि. भीलवाड़ा	1000 रुपया
2.	68 16-1-80	,,	आ. नं. 490 र. 1)2 में से 25/65	श्री श्यामलाल पिता गीला राम मण्डारी भीलवाड़ा	श्रीमती कान्ता देवी पत्नी शोभागमल ककरेचा भीलवाड़ा।	2000 रुपया
3.	69 16-1-80	,,	,,	,,	श्री पारसमल पिता भैरूं लाल बापना भीलवाड़ा	2000 रुपया
4.	250 दिनांक 21-2-80	,,	आ. नं. 489 र. 1)3 30/55	श्री चुन्नी ला पिता लाल कुम्हार नि. भीलवाड़ा।	श्री बहादुर पिता मूलचन्द मांछा नि. भीलवाड़ा।	2000 रुपया
5.	251 21-2-80	,,	,,	,,	श्री भैरूं लाल पिता सुवा लाल मांछा भीलवाड़ा	2000 रुपया
6.	689 3-3-80	,,	आ. नं. 165 र. 3 20/55	श्री किशनलाल पिता रुण्डा रामकुमावत भीलवाड़ा	श्री कन्हैयालाल पिता रामबक्ष कोली भीलवाड़ा	1375 रुपया

1	2	3	4	5	6	7
7.	903	15-3-80	जवाहर नगर	आ. नं. 4099 31/55	श्री तुलसी पिता गोविन्द राम बैरवा भीलवाड़ा।	श्री भंवर लाल पिता छोटू 1000 रुपया भाम्बी भीलवाड़ा।
8.	904	15-3-80	,,	,,	,,	श्रीमती मेला देव पत्नी चांद 1000 रुपया मल भाम्बी
9.	905	15-3-80	,,	,,	,,	श्री पूरण मल पिता मोहन लाल 1000 रुपया लाल भाम्बी भीलवाड़ा
10.	103	2-4-80	,,	,,	,,	श्री देवीलाल पिता पनख 1000 रुपया भाम्बी भीलवाड़ा।
11.	1223	7-5-80	भीलवाड़ा	आ. नं. 719 में से 50/40	श्री लक्ष्मीनारायण पिता जानकीलाल उपाध्याय भीलवाड़ा।	श्रीमती जतन देवी पिता 1000 रुपया नाथूलाल मुवाल निवासी भीलवाड़ा।
12.	1154	19-4-80	जवाहरनगर	आ. नं. 1628 50/40	श्री छीतर मल पिता श्री गूजर भीलवाड़ा।	श्री अब्दुल सत्तार पिता 2000 रुपया मौलावक्ष भीलवाड़ा।
13.		,,	,,	,,	,,	श्री जान मोहम्मद पिता 1000 रुपया मोहम्मद अली भीलवाड़ा।
14.	1279	12-5-80	भीलवाड़ा	आ. नं. 501 24/50	श्री कैलाश चन्द्र पिता भंवर लाल पालिया भीलवाड़ा	श्रीमती कान्ता देवी पत्नी 1500 रुपया कृष्ण गोपाल खटा भीलवाड़ा।
15.	1920	दिनांक 12-5-80	जवाहरनगर	आ. नं. 1628 25/60	श्री मोहनलाल पिता घीसा लाल विश्नोई नि. फुर।	श्री मंगनी राम पिता जीवन 500 रुपया सुथार नि. भीलवाड़ा।

1	2	3	4	5	6	7
16.	1943	20-6-80	जवाहरनगर	श्रा. नं. 1628 75/50	श्री ग्रब्दुल सत्तार पिता मोला बक्श भीलवाड़ा।	श्री छीतर मम पिता धन्ना गूजर नि. भीलवाड़ा। 2000 रुपया
17.	1971	23-6-81	भीलवाड़ा	श्रा. नं. 1972 20/24	श्री भूरा पिता रुपा माली भीलवाड़ा।	श्री लादूलाल पिता मोडी राम टेलर भीलवाड़ा। 3000 रुपया
18.	2508	16-9-80	,,	श्रा. नं. 846 35/35	श्री गोपाल लाल पिता चुन्नी लाल कुम्हार भीलवाड़ा।	श्री भारत सिंह पिता मनोहर सिंह राजपूत भीलवाड़ा। 2000 रुपया
19.	2582	22-9-80	,,	श्रा. नं. 723 40/35	श्री जानकीलाल पिता प्रभुलाल ब्राह्मण भीलवाड़ा।	श्रीमती मंजुबाई पत्नी राधे-श्याम तम्बोली भीलवाड़ा 2000 रुपया

परिशिष्ट 6

अतारांकित प्रश्न संख्या 321 की सूची

वर्ष 1980–81 में स्वीकृत ग्रामों की सूची

पंचायत समिति नागौर **पंचायत समिति मूण्डवा**

क्र०सं०	गांव का नाम	कोड सं०	क्र०सं०	गांव का नाम	कोड सं०
1	2	3	1	2	3
1.	मुन्डेह	17	1.	सेनाडी	203
2.	दांतीना	4	2.	शालीगांव	156
3.	श्यामसर	35	3.	बडायल कलां	58
4.	सेवारी	30	4.	बर्करोड़	143
5.	जूभान्डा	186	5.	मिडीयार	173
6.	गगर्वाना	123	6.	भागरी	69
7.	गोरेरा	38	7.	धारणावास	51
8.	कालड़ी	23	8.	बड़ायल खुर्द	59
9.	मांडेली	101	9.	भाटनोखा	199
10.	सांडाकन	125	10.	कुंनरावता	196
11.	संरासनी	120	11.	ढूंढियारा	178
12.	जंजोलाई	108	12.	गोर्दरा	191
13.	अमरपुरा	127	13.	ईशरहावला	12
14.	जोधियासी	102	14.	खुड खुड खुर्द	185
15.	कुमारी	79	15.	खुडाला	68
16.	बरांग गांव	141	16.	लालावास	70
			17.	मेहेकपूर	177
			18.	मारवा कलां	62
			19.	मारवा खुर्द	63
			20.	पालडी जोवा	192
			21.	टाडेास	150
			22.	घिरोद	170
			23.	भाधेरिया खुर्द	211
			24.	धर्वा	206
			25.	वेरावास	149
			26.	साटीका खुर्द	9
			27.	पाडासरा	160
			28.	पालड़ी पिचकिया	188
			29.	बलाया	159

Page No 178

1	2	3
30.	असवारी	204
31.	रुण	208
32.	ईन्दोकली	209
33.	खजवाना	210
34.	लखवास	183
35.	काडलू	172
36.	बिरलोका	11
37.	कुरची	66
38.	मोडपुर	15
39.	फिरोद	161
40.	रणसिया	165

वर्ष 1981-82 में स्वीकृत ग्रामों की सूची

पंचायत समिति नागौर / **पंचायत समित मूण्डवा**

क्र०सं०	गांव का नाम	कोड सं०	क्र०सं०	गांव का नाम	कोड सं०
1	2	3	4	5	6
1.	सिनोद	142	1.	अचूण्ड	14
2.	बापार	140	2.	गोवान खुर्द	137
3.	गीडला	191	3.	चिमरानी	138
4.	हिंगोनियां	103	4.	खारमाल	158
5.	कादरपुरा	139	5.	जोरावरपुरा	147
6.	सुरजनिया वास	122	6.	खतोड़ा	9
7.	खेतोसाव	121	7.	साटीका कलां	10
8.	भिनियाला	6	8.	गवालू	197
9.	पेरावर	104	9.	मेरु	146
10.	अहमदपुरा	144	10.	भांवड़ा	154
11.	दाऊ	5	11.	गुडिया	72
12.	हलप	155	12.	महेशपुरा	60
13.	निम्बोला	16	13.	कटिया	61
14.	नेनाऊ	18	14.	बीठवाल	171
15.	गलनी	19	15.	मिंडीयार	173
16.	सीकवासी	50	16.	हिलोडी	200
17.	खारी करमसोटा	51	17.	कांकडाई	201
18.	रायधनु	52	18.	दुयावड़ी	202
19.	बुनकर मसौता	28	19.	असवारी	204
20.	छीलो	29	20.	अकला हमेराना	73
21.	पीपासर	31	21.	जनाना	195

(179)

1	2	3	4	5	6
22.	बुरमसर	32			
23.	लाडियां	33			
24.	मंगवानी	53			
25.	पोलटिया-मेलजरा	54			
26.	गोधन	55			
27.	घीनसरा	75			
28.	बूढी	76			
29.	खेतास	99			
30.	मालगांव	115			
31.	हरीमा	118			
32.	जिंदास	117			
33.	देरवा	21			
34.	थलाज	22			
35.	चूटीसरा	94			
36.	जाहदीसरा	110			
37.	बानसरा	130			
38.	अठियासन	131			
39.	टांकला	74			
40.	छान	37			
41.	मेढ़	57			

(180)

परिशिष्ट 7

अतारांकित प्रश्न संख्या 322 की सूची

हैण्ड पम्पों की सूची

तहसील सांचौर

क्र.सं.	गांव का नाम	लगाये गये हैण्ड पम्पों की संख्या	क्र.सं.	गांव का नाम	लगाये गये हैण्ड पम्पों की संख्या
1.	तेतरोल	2	25.	पांचला	3
2.	बिजरोल	2	26.	डूठवा	3
3.	रीडका	2	27.	प्रतापपुरा	3
4.	डूगरी	4	28.	निनोल	2
5.	होती गांव	4	29.	चितलवाना	1
6.	कोलियों का बास	2	30.	लाछवी	2
7.	गोलासन	2	31.	गठूडाली	2
8.	पावटा	2	32.	जजूसन	2
9.	रामपुरा	2	33.	पहाडपुरा	3
10.	बामल	2	34.	धानता	3
11.	निम्बाऊ	2	35.	चौरा	5
12.	मरतबा	2	36.	खिरोली	3
13.	पलादर	3	37.	करावडी	3
14.	लूणीयासर	3	38.	ईटाडा	2
15.	चारमीन	2	39.	कारोला	2
16.	बिरोल	4	40.	घमाना	2
17.	अगरवा	2	41.	डांगरा	2
18.	काटोल	2	42.	मांदरूणा	4
19.	रणोदर	4	43.	मालवाडा	2
20.	लालपुर	2	44.	लियादरा	2
21.	रातोडा	3	45.	लाछीवाड़ा का गोलिया	2
22.	खाचरवी	1	46.	पीर की जाल	2
23.	निम्बाज	3	47.	अरनाई	6
24.	टापी	2			
				कुल योग	120

Page No 181

(181)

परिशिष्ट 8

अतारांकित प्रश्न संख्या 324 की सूची

सादु लपुर विधान सभा क्षेत्र के स्वीकृत गांवों की सूची जिनमें पेयजल योजना चालू है अथवा कार्य प्रारम्भ किया जाना है।

क्र.सं.	गांव का नाम	कोड सं.
1.	बाजवा	130
2.	मींजिनि	140
3.	बीरम	143
4.	भूदवास	181
5.	चारुवाला	34
6.	गांगोर	104
7.	कालोरी	116
8.	कामा	141
9.	केरु बड़ी	142
10.	केरु छोटी	91
11.	खेमाना	105
12.	मघीऊ	128
13.	राहूरी	176
14.	पहाड़सर	52
15.	राऊतले	126
16.	बीस भमरीद	146
17.	बांगरवा	151
18.	भावरीद	150
19.	बूंगी	59
20.	सांखाने तूमड़ी	177
21.	बीरी खालसा	32
22.	बिरमी पुतली	1
23.	दांतेली	33
24.	दायावील	2
25.	मालवास	3
26.	कंजन	31

परिशिष्ट 9

अतारांकित प्रश्न संख्या 326 का परिशिष्ट

क. सं.	प्रकाशक एवं पुस्तक का नाम	टेण्डर के अनुसार मूल्य	1979 संस्करण पर उसी प्रकाशक को दिया गया मूल्य	मूल्य वृद्धि	1980 संस्करण पर उसी प्रकाशक को दिया गया मूल्य	मूल्य वृद्धि	1981 संस्करण पर उसी प्रकाशक को दिया गया मूल्य	मूल्य वृद्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	मै. प्रकाशनालय, अजमेर							
	माध्यमिक गद्य-पद्य संकलन	2–45	2–55	10 पै.	2–90	35 पै.	3–20	30 पै.
2.	मै. हिन्दी साहित्य मन्दिर, अजमेर							
	एकांकी संग्रह	–90	–95	05 पै.	1–10	15 पै.	—	—
	उ. मा. नागरिक शास्त्र भाग– 1	1–55	1–80	25 पै.	2–25	45 पै.	—	—
	नागरिक शास्त्र भाग– 2	2–05	2–05	—	2–55	50 पै.	—	—
3.	मै. प्रभात प्रकाशनालय, अजमेर							
	सरल मा. गणित	2–95	3–00	05 पै.	3–65	65 पै.	—	—
	संस्कृत गद्य कुसुमांजली	2–10	2–20	10 पै.	2–45	25 पै.	—	—
	मा. प्रायोगिक रसायन	2–80	2–80	—	3–50	70 पै.	—	—
	इंग्लिश रेपीड रीडर कक्षा–9	–75	—	—	1–30	55 पै.	—	—
	इंग्लिश कोर्ष रीडर कक्षा–9	1–20	—	—	1–45	25 पै.	—	—
	जीव विज्ञान उ. मा. स्तर	7–40	8–95	1–55 पै.	—	—	—	—

1	2	3	4	6	6	7	8	9
	नागरिक शास्त्र परिचय भाग-1	1-70	—	—	2-20	50 पै.	—	—
4.	मै. माडर्न पब्लिशर्स, अजमेर							
	नूतन संस्कृत पीयूषम	1-15	1-55	40 पै.	1-80	25 पै.	—	—
5.	मै. अनुराग प्रकाशन, अजमेर							
	आधुनिक भौतिकी	8-00	7-95	—	9-45	1-50 पै.	10-15	70 पै.
6.	मै. कृष्णा ब्रदर्स, अजमेर							
	सामान्य विज्ञान परिचय भाग-1	2-90	2-90	—	3-35	45 पै.	3-75	40 पै.
	सामान्य विज्ञान परिचय भाग-2	2-70	2-05	25 पै.	3-25	30 पै.	3-70	45 पै.
7.	मै. विजय ब्रदर्स, अजमेर							
	न्यू इंग्लिश कोर्स रीडर कक्षा-10	1-50	—	—	1-75	25 पै.	2-00	25 पै.
	न्यू इंग्लिश कोर्स रीडर वर्क बुक कक्षा-10	3-05	—	—	3-50	45 पै.	—	—
8.	मै. अजमेर पब्लिशिंग हाउस, अजमेर							
	पद्य संग्रह	1-30	—	—	1-65	35 पै.	1-75	10 पै.
9.	मै. यंगमैन एण्ड को., अजमेर							
	आधुनिक नागरिक शास्त्र भाग-1	2-75	—	—	3-30	—	3-85	55 पै.
	नवीन हा. सै. अर्थशास्त्र भाग-2	—	1-50	—	1-55	05 पै.	1-80	25 पै.
	ए बुक आफ शोर्ट स्टोरीज	0-65	—	—	—	—	0-90	25 पै.
10.	मै. श्रीराम मेहरा एण्ड को., आगरा							
	भूगोल वर्क बुक भाग 1	6-55	7-25	70 पै.	7-25	—	8-15	90 पै.
	भूगोल वर्क बुक भाग 2	5-55	7-65	2-10 पै.	9-10	1-45 पै.	10-10	1-00

Page No 184

(184)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	मै. गाडोदिया पुस्तक भण्डार, बीकानेर							
	हिन्दी व्याकरण और रचना	4-25	4-50	25 पै.	5-35	85 पै.	0-05	70 पै.
	विविधा	1-25	1-30	05 पै.	1-50	20 पै.	1-70	20 पै.
	कहानी कुंज	0-95	0-95	–	1-10	15 पै.	1-25	15 पै.
	छन्द अलंकार प्रवेशिका	0-50	0-55	05 पै.	0-65	10 पै.	0-70	05 पै.
	नूतन काव्य संग्रह	1-10	–	–	1-35	25 पै.	1-50	15 पै.
	न्यू इंग्लिश कोर्स रीडर कक्षा-9	2-35	–	–	2-95	60 पै.	3-35	40 पै.
12.	मै. महेश बुक हाउस, जोधपुर							
	गद्य संग्रह	1-40	–	–	1-65	25 पै.	–	–
13.	मै. राजस्थान प्रकाशन, जयपुर							
	माध्यमिक रसायन	5-75	6-45	70 पै.	7-40	95 पै.	8-75	1-35 पै.
	आधुनिक नागरिक शास्त्र भाग-2	3-60	–	–	4-20	60 पै.	4-35	15 पै.
	संस्कृत गद्य भारती	1-75	1-75	–	2-20	45 पै.	2-50	30 पै.
	संस्कृत पद्य भारती	1-20	1-20	–	1-55	35 पै.	1-65	10 पै.
	नवीन हा. सै. अर्थशास्त्र भाग-1	1-80	–	–	2-30	50 पै.	2-50	20 पै.
14.	मै. गर्ग बुक कम्पनी, जयपुर							
	माध्यमिक प्रायोगिक भौतिकी	2-95	3-05	10 पै.	3-70	65 पै.	4-15	45 पै.
15.	मै. विद्या भवन, जयपुर							
	कथाप्रसून	0-85	0-85	–	1-10	25 पै.	1-25	15 पै.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.	मै. रमेश बुक डिपो, जयपुर –							
	गद्यावली	1-20	1-20	–	1-55	35 पै.	1-65	10 पै.
	उ. मा. रसायन	5-90	8-75	2-85	8-75	–	10-15	1-40 पै.
17–	मै. हिन्दी प्रकान, सीकर							
	इंग्लिश रेपीड रीडर कक्षा – 10	0-95	–	–	1-20	25 पै	1-30	10 पै
18–	मै. नेशनल पब्लिशिंग हाउस, न्यू दिल्ली							
	सै. नागरिक शास्त्र भाग-2	2-05	–	–	2-30	25 पैं	2-80	50 पै
19–	मै. स्टूडेन्ट बुक कम्पनी, जयपुर							
	हमारे रत्न दीप	0-80	0-85	05 पै	1-00	15 पै	1-15	15 पै
	उ. मा. गद्य पद्य संग्रह	1-50	1-50	–	1-95	45 पै	2-55	30 पै

परिशिष्ट "अ"

क्र. सं.	पुस्तक का नाम	प्रकाशक जिससे अनुबन्ध किया गया।	अनुबन्ध की कालावधि	विशेष विवरण
1	2	3	4	5
1–	माध्यमिक गद्य पद्य संकलन	मै. मिश्रा ब्रदर्स, अजमेर	1976–77	1978–78 के लिये अवधि बढ़ाई गई।
		मै. प्रकाशनालय, अजमेर	1978–79	1979–80 से लगातार अवधि बाढ़ाई गई।

1	2	3	4	5
2–	इंग्लिश प्रोज सलेक्शन	मै. गुप्ता ब्रादर्स, अजमेर	1978–79	1979–80 से 1981–82 तक अवधि बढ़ाई गई ।
3–	सलेक्टेड पोयम्स	,, ,,	,, ,,	,, ,, ,,
4–	बायेग्राफिज एण्ड स्टोरीज	,, ,,	,, ,,	,, ,, ,,
5–	नवीन हायर सैकण्डरी भूगोल भाग I ...	मै. विजय ब्रादर्स, अजमेर	1977–78	(केवल एक वर्ष)
		मै. माडर्न पब्लिशर्स, अजमेर	1978–79	1979–80 से लगातार अवधि बढ़ाई गई ।
6–	नवीन हायर सैकण्डरी भूगोल भाग II	मै. विजय ब्रदर्स, अजमेर	1977–78	(केवल एक वर्ष)
		मै. माडर्न पब्लिशर्स, अजमेर	1978–79	1979–80 से लगातार अवधि बढ़ाई गई ।
7–	नूतन संस्कृत पीयूषम	मै. रायल बुक एजेन्सी, अजमेर	1978–79	(केवल एक वर्ष)
		मै. आर. जे. फ्रेन्ड्स, ब्यावर ,, विजय ब्रदर्स, अजमेर ,, माडर्न पब्लिशर्स, अजमेर	1979–80	1980–81 से लगातार अवधि बढ़ाई गई ,
8–	इंग्लिश रेपीड़ रीड़र कक्षा–9	मै. एस. चान्द एण्ड कम्पनी, दिल्ली	1978–79	(केवल एक वर्ष)
		मै. प्रभात प्रकाशनालय, अजमेर	1979–80	1980–81 के लिये अवधि बढ़ाई गई
		,, विजय ब्रादर्स, अजमेर	1979–80	1980–81 से लगातार अवधि बढ़ाई गई ।

Page No 187

1	2	3	4	5
		मै. माडर्न पब्लिशर्स, अजमेर	1979–80	1980–81 के लिये अवधि बढ़ाई गई।
		,, अनुराग प्रकाशन, अजमेर	1981–82	— —
9–	आधुनिक भौतिकी	मै. श्रीराम मेहरा एण्ड को. आगरा	1972–73 से 1974–75 तक	1975–76 के लिये अवधि बढ़ाई गई।
		मै. विजय ब्रदर्स, अजमेर	1976–77	1978–78 के लिये अवधि बढ़ाई गई।
		मै. अनुराग प्रकाशन, अजमेर	1978–79	1979–80 से लगातार अवधि बढ़ाई गई।
10–	सरल माध्यमिक गणित	मै. स्टूडेन्ट ब्रदर्स, भरतपुर	1973–74 से 1974–75 तक	1975–76 से 1977 78 तक अवधि बढ़ाई गई।
		मै. प्रभात प्रकाशनालय, अजमेर	1978–79	1979–80 से 1980–81 तक
		मै. अनुराग प्रकाशन, अजमेर	1981–82	— —
11–	इंग्लिश प्रोज सलेक्शन	मै. अनुराग प्रकाशन, अजमेर	1979–80	1980–81 से लगातार अवधि बढ़ाई गई।
12–	सामान्य विज्ञान परिचय भाग I	मै. कृष्णा ब्रादर्स, अजमेर	1976–77	1977–78 से लगातार अवधि बढ़ाई गई।
13–	सामान्य विज्ञान परिचय भाग II	मै. रावत पुस्तक भण्डार, अजमेर	1976–77	1977–78 के लिये अवधि बढ़ाई गई।
		मै. एस. चान्द एण्ड को, दिल्ली	1978–79	(केलल एक वर्ष)
		मै. विजय बुक डिपो, अलवर	1979–80	,, ,,
		मै. कृष्णा ब्रदर्स, अजमेर	1980–81	1981–82 के लिये अवधि बढ़ाई।
14–	न्यू इंग्लिश कोर्स रीडर कक्षा–10	मै. विजय ब्रदर्स, अजमेर	1979–80	1980–81 से लगातार
15–	न्यू इंग्लिश कोर्स रीडर व बुकर्क कक्षा–10	,, ,,	1979–80	,, ,,

187

1	2	3	4	5
16–	पद्य संग्रह	मै. लक्ष्मी पुस्तक भण्डार जोधपुर	73–74 से 74–75 तक	1975–76 से 1976–77 तक अवधि बढ़ाई ।
		मै. स्टूडेन्ट बुक को., जयपुर	77–78	(केवल एक वर्ष)
		मै. गुप्ता ब्रदर्स, अजमेर	1978–79	,, ,,
		मै. मिश्रा ब्रदर्स, अजमेर	1979–80	,, ,,
		मै अजमेर पब्लिशिंग हाउस, अजमेर	1980–81	से लगातार
17–	ए बुक आफ शोर्ट स्टोरीज	मै. जनरल एजेन्सीज, अजमेर	1974–75	1977–78 तक
		मै. यंग मैन एण्ड को. अजमेर	1978–79	1979–80 से 1981–82 तक
18–	आधुनिक नागरीक शास्त्र भाग I	मै. स्टूडेन्ट बुक को. जयपुर	1973–74 से 1974–75	1977–78 तक अवधि बढ़ाई गई
		मै. गर्ग बुक को. जयपुर	1978–79	(एक वर्ष)
		मै. यंगमैन एण्ड को. अजमेर	1980–81	से लगातार

Page No 189

1	2	3	4	5
19–	नवीन हा. सै. अर्थशास्त्र भाग–2	मै. विजय बुक डिपो, अलवर	1979–80	(एक वर्ष)
		मै. यंगमैन एण्ड को., अजमेर	1980–81	से लगातार
20–	सुबोध अलाप तान		1968–69 से	से लगातार अवधि बढ़ाई गई।
21–	गीत संग्रह	मै. श्रीराम मेहर एण्ड को., आगरा	1970–71	
22–	ताल प्रवेशिका			
23–	सितार प्रदेश			
24–	भूगोल वर्क बुक भाग-I	,, ,,	1972–73 से 1974–75	,, ,, ,,
25–	भूगोल वर्क बुक भाग II			
26–	राजस्थानी गद्य संग्रह	,, ,,	1972–73 से 1974–75	,, ,, ,,
27–	राजस्थानी पद्य संग्रह	मै. स्टूडेन्ट ब्रदर्स भरतपुर	1975–76 से 1977–78	,, ,, ,,
28–	राजस्थानी कहानी संग्रह			
29–	हिन्दी व्याकरण और रचना	मै. राजस्थान प्रकाशन, जयपुर	1973–74 से 1974–75	1977–78 तक अवधि बढ़ाई गई।
		मै. गाड़ोदिया पुस्तक भण्डार बीकानेर	1978–79	लगातार अवधि बढ़ाई गई।
30–	विविधा	मै. राजस्थान प्रकाशन, जयपुर	1973–74 से 1974–75	1977–78 तक अवधि बढ़ाई गई।
		मै. गाडोदिया पुस्तक भण्डार, बीकानेर	1978–79	लगातार अवधि बढ़ाई गई।

189

1	2	3	4	5
31.	कहानी कुंज	मै० अनिल प्रकाशन, भरतपुर	1976-77	1977-78 अवधि बढ़ाई
		मै. एस. चान्द एण्ड को, दिल्ली	1978-79	(एक वर्ष)
		मै. गाड़ोदिया पुस्तक भण्डार, बीकानेर	1979-80	लगातार अवधि बढ़ाई।
32.	छंद अलंकार प्रवेशिका	,, ,,	1979-80	,, ,,
33.	नूतन काव्य सग्रह	मै. गाडोदिया पुस्तक भण्डार, बीकानेर	1978-79	लगातार अवधि बढ़ाई गई।
34.	न्यू इंगलिश कोर्स रीडर वर्क बुक कक्षा–9	मै. एस. चान्द एण्ड को, दिल्ली	1978-79	(एक वर्ष)
		मै. गाडोदिया पुस्तक भण्डार, बीकानेर	1979-80	लगातार अवधि बढ़ाई गई।
35.	न्यू इंगलिश कोर्स रीडर वर्क बुक कक्षा–11	मै. प्रभात प्रकाशनालय, अजमेर	1979-80	1980-81 से अवधि बढ़ाई गई।
		मैं. सूर्य प्रकाशन मन्दिर, बीकानेर	1981-82	–– ––
36.	स्वा. विज्ञान स्वा. शरीर विज्ञान गृह परिचर्या	मै. जी. आर. भार्गव, चन्दौसी	1968-69	1980-81 तक
		से. सूर्य प्रकाशन मन्दिर, बीकानेर	1981-82	– –
37.	मातृकला शिशु पालन	मै. जी. आर. भार्गव, चन्दौसी	1969-70	1980-81 तक
		मै. कृष्ण जनसेवी एण्ड को. बीकानेर	1981-82	– –
38.	स्वास्थ्य विज्ञान एवं शरीर विज्ञान	मै. जी. आर. भार्गव एण्ड सन्स, चन्दौसी	1969-70	1980-81 तक
		मै. कृष्ण जनसेवी एण्ड को., बीकानेर	1981-81	– –
39.	गद्य संग्रह	मै. लक्ष्मी पुस्तक भंडार, जोधपुर	1973-74 से 1974-75	1976-77 तक अवधि बढ़ाई।
		मै. स्टूडेन्ट बुक कम्पनी, जयपुर	1977-78	
		मै. एस. चान्द एण्ड को. दिल्ली	1978-79	

1	2	3	4	5
		मै. महेश बुक हाउस, जोधपुर	1979-80	1980-81 के लिये अवधि बढ़ाई
		मै. कृष्ण जनसेवी, बीकानेर	1981-82	— —
40.	नवीन प्रायोगिक रसायन	मै. जी. आर. भार्गव, चन्दैसी	1973-74 से 1975-76	1980-81 तक अवधि बढ़ाई।
		मै. कृष्ण जनसेवी, बीकानेर	1981-82	— —
41.	कथावली	मै. रंजन प्रकाशन, आगरा	1973-74 से 1974-75	— —
		मै. राजस्थान प्रकाशन, जयपुर	1976-77 से 1977-78	— —
		मै. अजमेरा बुक कम्पनी, जयपुर	1978-79	— —
		मै. महेश बुक हाउस, जोधपुर	1981-82	— —
42.	नागरिक शास्त्र परिचय भाग–I	मै. लक्ष्मी पुस्तक भण्डार, जोधपुर	1973-74 से 1974-75	1976-77 तक अवधि बढ़ाई।
		मै. प्रभात प्रकाशनालय, अजमेर	1978-79	1980-81 तक ,, ,,
		मै. महेश बुक हाउस, जोधपुर	1981-82	— —
43.	माध्यमिक रसायन	मै. श्रीराम मेहरा एण्ड को. आगरा	1972-73 से 1973-74	1975-76 तक अवधि बढ़ाई
		मै. जनरल एजेन्सीज, अजमेर	1976-77	1977-78 ,, ,,
		मै. राजस्थान प्रकाशन, जयपुर	1979-80	से लगातार
44.	आधुनिक नागरिक शास्त्र भाग–II	मै. स्टूडेन्ट बुक कम्पनी. जयपुर	1973-74	
		मै. एस. चान्द एण्ड को., दिल्ली	1978-79	
		मै. राजस्थान प्रकाशन, जयपुर	1979-80	से लगातार
45.	न्यू इंग्लिश कोर्स रीडर कक्षा 10	मै. प्रभात प्रकाशनालय, अजमेर	1979-80	1980-81 तक
		मै. राजस्थान प्रकाशन, जयपुर	1981-82	— —

1	2	3	4	5
46.	उच्च माध्यमिक नागरिक शास्त्र भाग–I	मै. रतन प्रकाशन मन्दिर, आगरा	1973-74 से 1975-76	
		मै. हिन्दी साहित्य मन्दिर, अजमेर	1978-79	
47.	उच्च माध्यमिक नागरिक शास्त्र भाग–II	मै. राजस्थान प्रकाशन, जयपुर	1981-82	— —
48. 49.	संस्कृत पद्य भारती संस्कृत गद्य भारती	मै. राजस्थान प्रकाशन, जयपुर	1973-74 से 1975-76	लगातार अवधि बढ़ाई गई।
50.	नवीन हा.सै. अर्थशास्त्र भाग–I	मै. राजस्थान प्रकाशन, जयपुर	1979-80	से लगातार
51.	मा. प्रायोगिक भौतिकी	मै. रतन प्रकाशन मन्दिर, आगरा	1972-73 से 1974-75	
		मै. गर्ग बुक कम्पनी, जयपुर	1979-80	,, ,,
52.	कथा प्रसून	मै. रतन प्रकाशन मन्दिर, आगरा	1973-74 से 1975-76	
		मै. विद्या भवन, जयपुर	1978-79	,, ,,
53.	माध्यमिक प्रायोगिक रसायन	मै. रतन प्रकाशन मन्दिर, आगरा	1972-73 से 1973-74	
		मै. स्टूडेन्ट ब्रदर्स, भरतपुर	1974-75	
		मै. प्रभात प्रकाशनालय, अजमेर	1978-79	
		मै. रमेश बुक डिपो, जयपुर	1981-82	— —
54.	गद्यावली	मै. स्टूडेन्ट ब्रदर्स, भरतपुर	1976-77	
		मै. रमेश बुक डिपो, जयपुर	1978-79	से लगातार
55.	उच्च माध्यमिक रसायन	मै. रतन प्रकाशन मन्दिर, आगरा	1973-74	

1	2	3	4	5
		मै. गुप्ता ब्रदर्स, अजमेर	1978-79	
		मै. रमेश बुक डिपो, जयपुर	1979-80	से लगातार
56.	संस्कृत गद्य कुसुमांजली	मै. राजस्थान प्रकाशन, जयपुर	1975-76 से 1977-78	
		मै. अजमेरा बुक कम्पनी, जयपुर	1981-82	
57.	नवीन संस्कृत तथा संग्रह	मै. रायल बुक एजेन्सी, अजमेर	1975-76 से 1977-78	,, ,,
		मै. अजमेरा बुक कम्पनी, जयपुर	1979-80	
58.	हमारे रत्न दीप	मै. इन्द्रा प्रकाशगृह, जयपुर	1977-77	,, ,,
		मै. स्टूडेन्ट बुक कम्पनी, जयपुर	1980-81	
		मै. जी.आर. भार्गव, चन्दौसी	1973-74 से 1974-75	
59.	एकांकी संग्रह	मै. हिन्दी साहित्य मन्दिर, अजमेर	1978-79	
		मै. स्टूडेन्ट बुक कम्पनी, जयपुर	1981-82	— —
60.	न्यू इंगलिस कोर्स रीडर कक्षा–9	मै. राज प्रकाशन, अजमेर	1978-79	
		मै. प्रभात प्रकाशनालय, अजमेर		
		मै. गाडोदिया पुस्तक भण्डार, बीकानेर	1979-80	
		मै. विजय बुक डिपो, अलवर		
		मै. प्रभात प्रकाशनालय, अजमेर	1980-81	
		मै. स्टूडेन्ट बुक कम्पनी, जयपुर	1981-82	— —
61.	उच्च माध्यमिक पद्य संग्रह	मै. राजस्थान प्रकाशन, जयपुर	1974-75 से 1976-77	
		मै. रमेश बुक डिपो, जयपुर	1978-79	
		मै. स्टूडेन्ट बुक कम्पनी, जयपुर	1980-81	से लगातार

1	2	3	4	5
62.	इंगलिश रेपीड रीडर कक्षा 10	मै. हिन्दी प्रकाशन मन्दिर, सीकर	1979-80	से लगातार
63.	सै. नागरिक शास्त्र भाग-2	राजस्थान प्रकाशन, जयपुर	1973-74 से 1974-75	
		मै. एस. चान्द एण्ड को., दिल्ली	1978-79	
		मै. नेशनल पब्लिशिंग हाऊस, दिल्ली	1980-81	से लगातार
64.	जीव विज्ञान उ. मा. स्तर	मै. श्रीराम मेहरा एण्ड को., आगरा	1972-73 से 1974-75	
		मै. विजय ब्रदर्स, अजमेर	1976-77	
		मै. गुप्ता ब्रदर्स, अजमेर	1978-79	
		मै. प्रभात प्रकाशनालय, अजमेर	1979-80	—
65.	अभिनव कथा संग्रह	मै. अजमेरा बुक कम्पनी, जयपुर	1972-73 से 1974-75	
		मै. प्रभात प्रकाशनालय, अजमेर	1980-81	
66.	अभिनव काव्य संग्रह	मै. अजमेरा बुक कम्पनी, जयपुर	1972-73 से 1974-75	
67.	आधुनिक जीव विज्ञान	मै. श्रीराम मेहरा एण्ड को., आगरा	1972-73 से 1974-75	
		मै. प्रभात प्रकाशनालय, अजमेर	1976-77	
		मै. अनुराग प्रकाशन, अजमेर	1981-82	— —
68.	सुबोध संगीत शास्त्र	मै. जी. आर. भार्गव, चन्दौसी	1968-69 से 1970-71	

———

परिशिष्ट 10

अतारांकित प्रश्न संख्या 329 की सूची

परिशिष्ट—क

क्र. सं.	मार्ग संख्या एवं नाम	वाहन संख्या	वाहन स्वामी एवं ऋण लेने वाले का नाम एवं पता	परमिट जारी का दिनांक	बैंकों से ऋण लिए गया को नाम	वाहन के पंजीयन का दिनांक
1	2	3	4	5	6	7
1.	रेल्वे स्टेशन से जवाहर नगर पुलिया नं. 1 वीयी निगम कार्यालय	आर आर बी 8261	श्री निर्भयकुमार माथुर पुत्र श्री सी. एल. माथुर, मकान न. 3508 मोतीकटला, बांदरी का नासिक, जयपुर ।	2-2-81	यू. को. बैंक, जोहरी बाजार जयपुर	1-8-81
2.	मार्ग सं. 2 रेल्वे स्टेशन से जवाहर नगर वाया खासा कोठी	आर एस बी 371	श्री रामअवतार पुत्र श्री जगदीश प्रसाद कच्चा बंधा आमेर रोड़, जयपुर	9-12-81	बैंक ऑफ राजस्थान लि.	16-4-79
3.	,,	आर आर बी 9271	श्री ग्यारसी लाल पुत्र श्री गोविन्द नारायण शर्मा मकान नं. 2210 गणगोरी बाजार, जयपुर	31-12-81	आर. एफ. सी.	21-9-81
4.	मार्ग सं. 3 रेल्वे स्टेशन	आर आर बी 8348	श्री अम्बिका प्रसाद पारीक पुत्र श्री एम. एल. पारीक, गोविन्द राजीयों का रास्ता जयपुर ।	19-8-81	,,	14-8-81

Page No 196

(१९६)

1	2	3	4	5	6	7
5.	मार्ग सं. 3 रेल्वे स्टेशन	आर एन बी 1862	श्री जगमोहनसिंह पुत्र श्री रघुवीर सिंह ए-195, नगेन्द्र बिला, नेहरूनगर जयपुर।	12-1-82	आर. एफ. सी.	7-1-82
6.	मार्ग संख्या 3, रेल्वे स्टेशन से चान्दपोल	आर आर बी 2951	श्री राजेन्द्रप्रसाद हरियाणा पुत्र श्री जी. एल. हरियाणा मकान नं. 2823. पुरानी बस्ती हरिजेठी का चौक, जयपुर	20-2-82	आर. एफ. सी.	14-11-80
7.	मार्ग संख्या 5, जोरावरसिंह गेट से 22 गोदाम डूँडलोद हाउस वाया सुभाष चौक	आर आर बी 1744	श्री हेमसिंह पुत्र श्री दलीपकु.सिंह नायला हाउस मोती डूँगरी रोड, जयपुर	14-11-80	ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स	14-11-81
8.	,,	आर एस बी 8593	मोहम्मद अजीज पुत्र श्री मोहम्मद रफीक मोहल्ला फरासियान चोकडी रामचन्द्रजी, जयपुर	25-10-80	–	28-6-80
9.	,,	,, 8289	श्री के. बी. सिंह पुत्र श्री अमृतसिंह 2191, राजापार्क जयपुर	20-10-80	बैंक ऑफ राजस्थान	12-6-80
10.	,,	आर एस एम 2010	श्री बाबूलाल पुत्र श्री श्यामलाल तहसील जमवारामगढ़	16-10-80	संतोकबा दुर्लभजी ट्रस्ट	1-12-72
11.	,,	आर एस बी 9863	श्री अब्दुल अजीज पुत्र श्री मोहम्मद हुसेन मकाननम्बर 1160 मोती डूँगरी रोड, जयपुर	,,	बैंक ऑफ राजस्थान	30-8-80
12.	,,	आर एस बी 8337	श्री उगलीचन्द श्री कपूरचन्द धौसिया का रास्ता रामगंज बाजार, जयपुर	,,	–	16-10-80
13.	,,	आर एस एल 1974	श्री किशनचन्द पुत्र श्री नारायण खवासजी का रास्ता जयपुर	14-10-80	–	–

1	2	3	4	5	6	7
14.	मार्ग सं. 5, जोरावरसिंह गेट से डूंडलोद हाउस वाया सुभाष चौक	आर एस वी 9563	श्री अमरजीत सिंह पुत्र श्री जैयपालसिंह 571-क राजापार्क, जयपुर	14-10-80	बैंक आॅफ राजस्थान लिमिटेड	18-8-80
15.	,,	आर एस बी 3282	श्री मोहम्मद रफीक पुत्र श्री कयामुदीन मोहल्ला फरासियान चौ. रामचन्द्रजी, जयपुर	,,	सरदार हरजीतसिंह	7-9-79
16.	,,	आर एस बी 9561	श्री अब्दुल लतीफ पुत्र श्री अलानूर खेतड़ी हाउस के पीछे चांदपोल के बाहर, जयपुर	,,	परमेश्वर प्रसाद चौधरी	18-8-80
17.	,,	आर आर बी 2222	मैं. कालरा बस सर्विस, यादगार के पास अजमेरी गेट, जयपुर	16-5-81	एस. बी. पटियाला	27-11-80
18.	,,	आर आर बी 9507	मारुतिवल्लभ पारीक पुत्र श्री हनुमान वल्लभ 103 गेटोर रोड ब्रह्मपुरी, जयपुर	26-11-81	आर. एफ. सी.	1-10-81
19.	,,	आर आर बी 4491	श्री प्रमोदकुमार पुत्र श्री रामरतन 4-बी-एच 24 जवाहर नगर, जयपुर	9-12-81	,,	4-3-81
20.	,,	आर आर बी 8647	श्री गोविन्दशरण गुप्ता पुत्र श्री जगदीश प्रसाद बी-27 ख जनता कालोनी, जयपुर ।	27-11-81	बैंक आॅफ इंडिया	28-8-81
21.	,,	आर आर बी 8529	श्री गोविन्दराम पुत्र श्री श्यामलाल मकान नं. 1268 किशनपोल बाजार, जयपुर	,,	,,	28-8-81
22.	,,	आर आर बी 1727	श्री श्यामलाल राजकुमार 17 विजयपथ आदर्श नगर, जयपुर	27-11-81	सेन्ट्रल बैंक आॅफ इंडिया	14-11-81

197

1	2	3	4	5	6	7
23.	मार्ग सं 5, जोरावरसिंह गेट से डूँडलोद हाउस वाया सुभाष चौक	आर आर बी 9831	श्री मोहम्मद हनीफ पुत्र श्री शेख छोटू 1639 मोती डूँगरी रोड़ जयपुर	27-11-81	बैंक आॅफ इंडिया	20-10-81
24.	,,	आर आर बी 6321	श्री बाके बिहारी शर्मा पुत्र श्री पी. एन. शर्मा 167 रामगली म. नं. 3 आदर्शनगर जयपुर	27-11-81	,,	16-5-81
25.	,,	आर आर बी 8526	श्री रामशरण पारीक पुत्र श्री सुगनचन्द 33 इन्दिरा कालोनी, बनीपार्क जयपुर	26-11-81	बैंक आॅफ राजस्थान बनीपार्क जयपुर	22-8-81
26.	,,	आर आर बी 8022	श्री ओमप्रकाश ग्रोवर पुत्र श्री चिमनलाल ग्रोवर 1 एच-22 जवाहर नगर, जयपुर	1-12-81	एस. बी आई.	27-9-81
27.	,,	आर आर बी 7095	श्री देश बन्धु पुत्र श्री सुन्दरदास बी-1 शक्ति कालोनी, जयपुर	3-12-81	,,	16-9-81
28.	,,	आर एन बी 2115	श्री किशनचन्द मीना पुत्र श्री मैंहमल मीणा गांव पो. आफिस निवाणा जिला जयपुर	18-1-82	राजस्थान वित्त निगम	16-1-82
29.	मार्ग सं. 6, बड़ी चौपड़ से ट्रान्सपोर्ट नगर	आर एन बी 881	श्री देवानन्द पुत्र श्री काचमल मकान नम्बर 86 कंवर नगर, जयपुर	9-12-81	,,	4-12-81
30.	,,	आर एन बी 1202	श्री सत्तार खां पुत्र श्री मोहम्मद खां म. न. 72 शांती कालोनी, जयपुर	11-12-81	,,	23-10-80
31.	,,	आर एन बी 2664	श्री सुभाष गुलाटी पुत्र श्री एच. एल. गुलाटी 381 आदर्शनगर, जयपुर	1-1-82	सेन्ट्रल बैंक आॅफ इण्डिया	23-12-80
32.	,,	आर एन बी 3911	श्री सुभाष चन्द टाक पुत्र श्री धन्नालाल टाक कश्यप मार्ग आमेर रोड़, जयपुर	12-2-81	स्टेट बैंक पटियाला	12-2-81

1	2	3	4	5	6	7
	मार्ग सं 6					
33.	बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर	आर एन बी 1369	श्रीमती सम्पत्त देवी, मुकेशकुमार कच्चा बस्ता आमेर रोड, जयपुर	3-2-81	बैंक ऑफ बड़ोदा	29-10-80
34.	,,	आर एन बी 4566	श्री अब्दुल हक खां पुत्र श्री अब्दुल शकूर खां सांगानेरी गेट मोती डूंगरी रोड, जयपुर।	18-4-81	जस भाग ट्रान्सपोर्ट कम्पनी	6-3-81
35.	मार्ग संख्या 6 अजमेरी गेट से जवाहर नगर सेक्टर नं. 5	आर एन बी 8557	श्री चन्द्र प्रकाश राजामल का तालाब, जयपुर	5-3-81	—	25-8-81
36.	,,	आर आर बी 7337	श्री रियाज अहमद पुत्र श्री मूरे खां चान्दपोल बाजार, जयपुर	8-3-81	—	—
37.	मार्ग सं. 9 विश्व विद्यालय से शास्त्री नगर	आर एस सी 4353	श्री सन्तोष कुमार पुत्र श्री भगत राम, जयपुर	—	—	—
38.	मार्ग सं. 10 सागानेरी गेट से सांगानेर टाउन	आर आर बी 3792	श्री प्रहलाद दास पुत्र श्री देवमल दुर्गापुरा, जयपुर	1-8-82	जनता सोनेमाज प्रोपर्टी एण्ड फाइनेन्स लि. नई दिल्ली	7-2-81
39.	सांगानेरी गेट से सांगानेर टाउन, मार्ग संख्या 10	आरएनबी 2469	श्री शकूर खां पुत्र श्री कल्लू खां राम का मोहल्ला चो. रामचन्द्रजी, जयपुर	30-1-82	बैंक आफ इंडिया	29-1-82

199

Page No 200

1	2	3	4	5	6	7
40.	मार्ग सं. 10 सांगानेरी गेट से सांगानेर टाउन	आरएनबी 3288	अशिष कुमार मित्रा पुत्र डा. बी. के. मित्रा 1–जी एच ए–12 जवाहर नगर, जयपुर	4-3-82	आर. एफ. सी.	25-2-82
41.	,,	आरएनबी 3419	श्री राधेश्याम गुप्ता व औमप्रकाश पुत्र श्री मुखालाल म. नं. 247, ब्रह्मपुरी गेटोर रोड़, जयपुर	,,	बैंक आफ राज.	1-3-82
42.	मार्ग सं. 11 ब्रह्मपुरी से जवाहर नगर	आरआरबी 3434	श्री प्रमोद गुलाटी पुव श्री आर. एन. गुलाटी 1-ख-35 जवाहर नगर, जयपुर	30-10-81	एस. बी. आई.	23-2-81
43.	,,	आरआरबी 2809	श्री कुलदीप सिंह पुत्र श्री बी. आर. सोढ़ी 170, राजापार्क, जयपुर	1-3-82	आर. एफ. सी.	3-12-80
44.	,,	आरआरबी 641	श्री रहीश अहमद पुत्र श्री मो. सराफ 87 आदर्श नगर, जयपुर	30-10-81	एस. बी. आई.	3-10-80
45.	,,	आरआरबी 3574	श्री रसीद खां पुत्र श्री कालू खां 52-ट जवाहर, नगर	30-10-81	आर.एफ. सी.	29-1-81
46.	,,	आरआरबी 2082	श्री विनोद कुमार मेहता पुत्र श्री पी. एन. मेहता 1-ग-26 जवाहर नगर, जयपुर	4-3-82	बैंक आफ राजस्थान	28-11-80

1	2	3	4	5	6	7
47.	मार्ग सं. 11 ब्रह्मपुरी से जवाहर नगर।	आरआरबी 231	श्री चिरागुद्दीन पुत्र श्री शेख छोटू मोतीडूंगरी रोड़, जयपुर	30-10-81	एस. बी. आई.	17-9-80
48.	,,	आरएसबी 1611	श्री रामप्रताप सिंह पुत्र श्री रामचन्द्र सिंह, सी-110, सेठी कालोनी, जयपुर।	30-10-81	गंडविल इण्डिया नई दिल्ली।	11-6-79
49.	,,	आरआरबी 1659	श्रीमती विमला गुप्ता पत्नी श्री आर. के. गुप्ता 7 क। जवाहर नगर, जयपुर।		स्टेट बैंक आफ पटियाला	11-11-80
50.	,,	,, 1572	श्री सुनिल कुमार, शिवराम पुत्र श्री देश बन्दू खेड़ा बी-1 प्रभू मार्ग, आदर्श नगर, जयपु।	30-10-81	स्टेट बैंक आफ राज.	6-11-80
51.	,,	,, 4985	श्रीमती कृष्णा रूंगटा पत्नी श्री ए. एल. रूंगटा 55 संग्राम कालोनी, जयपुर।	6-3-82	बैंक आफ बड़ोदा	26-3-81
52.	,,	,, 2357	श्री अब्दुल जब्बार	30-10-81	स्टेट बैंक आफ पटियाला	9-12-80
53.	,,	,, 7241	श्री हरिमोहन शरण पुत्र श्री जगमोहन शरण बी-100 सूर्य मार्ग, तिलकनगर जयपुर	8-3-82	यू. को. बैंक	25-6-81
54.	,,	आरएनबी 3291	श्री विजय सिंह पुत्र श्री गोकुल	27-2-81	आर.एफ.सी.	25-2-82

1	2	3	4	5	6	7
			सिंह ए-31, जेपी कालोनी जयपुर			
55.	मार्ग सं. 11 ब्रहमपुरी से जवाहर नगर	आरआरबी 3495	श्री आनन्द सिंह, 294, आदर्श नगर, जयपुर ।	1-3-82	यू. को. बैंक	24-1-81
56.		आरआरबी 6311	श्री राजकुमार भाटिया पुत्र श्री एन. एल. भाटिया, 224/1 राजापार्क, जयपुर	4-1-82	एसबीआई	15-5-81
57.	,,	आरआरबी 8681	श्री बाबूलाल बुनकर पुत्र श्री नथु राम ग्राम व पोस्ट आफिस जोहर, तह. जयपुर ।	30-12-81	आर.एफ.सी.	30-8-81
58.	,,	,, 6676	श्री सुनिल कुमार सोडी पुत्र श्री बी. आर. सोडी, 170 राजापार्क, जयपुर	29-12-81	बैंक आफ राजस्थान	12-8-81
59.	,,	आरआरबी 9581	मोहनलाल पुत्र श्री कल्याण सरण मसजी खांने के सामने गणगौरी बाजार, जयपुर ।	31-12-81	एस. बी. बी. जे.	5-10-81
60.	,,	आरएनबी 885	श्री जगदीश प्रसाद पुत्र श्री सूरजमल वी-62 जनता कालोनी, जयपुर	1-1-82	सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया	1-12-81

1	2	3	4	5	6	7
61.	मार्ग सं. 11 ब्रह्मपुरी से जवाहरनगर	आर एन बी 930	श्री मालचन्द बी-66 जनता कालोनी, जयपुर	31-12-81	बैंक आफ इन्डिया	15-12-81
62.	,,	आर आर बी 7967	श्री जीतेन्द्र सिंह पुत्र श्री बलवन्त सिंह सी-74 सी स्कीम, जयपुर ।	28-12-81	ओरियन्ट बैंक आफ कार्मशियल	27-7-81
63.	,,	आर एन बी 1556	श्रीमती द्रोपती शर्मा पत्नी श्री एस. एस. वाले बी- 100 सूर्या मार्ग तीलक नगर, जयपुर ।	31-12-81	यू. को. बैंक	29-12-81
64.	,,	आर एन बी 1907	श्री मोदनदास पुत्र श्री घनश्याम दास 7 जी 16 जवाहर नगर, जयपुर	12-1-82	,,	11-1-81
65.	,,	आर एन बी 2616	श्री रामभरोसे लाल पुत्र श्री हीरालाल ढेर के बालाजी, जयपुर ,	5-2-82	आर. एफ. सी,	2-2-82
66.	,,	आर एन बी 3298	श्री छोटूराम मीणा पुत्र श्री चन्दुराम जामडेपी आगरा रोड, जयपुर ।	27-2-82	,,	25-2-82
67.	विश्वविद्यालय से शास्त्री नगर मार्ग सं: 12	आर आर बी 4161	श्री गोविन्द सिंह पुत्र श्री वन्नेसिंह पोलोविक्ट्री के सामने, जयपुर	3-12-81	यू. को. बैंक जयपुर	23-2-81
68.	,,	आर आर बी 6609	श्री लालाराम-पुत्र श्री नवलराम ट्रान्सपोर्ट नगर, जयपुर ।	6-11-81	आर. एफ. सी.	23-2-81

203

1	2	3	4	5	6	7
69.	विश्वविद्यालय से शास्त्री नगर मार्ग सं. 12	ग्रार ग्रार बी 7926	श्री प्रकाश कुमार एन. बी. विश्वविद्यालय के पास जयपुर	24-11-81	–	23-7-81
70.	,,	ग्रार ग्रार बी 7375	श्री बृज मोहन सिंह पुत्र श्री गजानन्द चौधरी मानसिंह पुरा टौंक रोड, जयपुर।	1-12-81	स्टेट बैंक ग्राफ इन्डिया जयपुर	1-7-81
71.	,,	ग्रार यार बी 1862	श्री ग्रब्दूल मजीद खां मुत्र श्री हाजी बन्दु खां मजीद बिल्डगं सिरह ड्योडी बाजार, जयपुर	6-11-81	बैंक ग्राफ राज.	20-11-80
72.	,,	ग्रार एन बी 2271	श्री सूरज भान बरोलिदा पुत्र श्री बोदूराम म. नं. 50 घाटगेट, जयपुर	1-3-82	ग्रार एफ सी	21-1-81
73.	,,	ग्रार. एन. बी 1118	श्री कजोड सिंह पुत्र श्री भैरू सिंह सूरजपोल, जयपुर।	1-3-81	ग्रार एफ सी	15-12-81
74.	,,	ग्रार एस बी 8485	श्रीमती रतन कुमारी बृजवासी बी-41 जे. पी. कालोनी, जयपुर	2-3-82	,,	20-8-81
75.	,,	ग्रार एन बी 3189	श्री ग्ररुण गुप्ता श्री मनमोहन गुप्ता 7-क 1 जवाहर नगर, जयपुर	27-2-82	स्टेट बैंक ग्राफ पटियाला	20-2-82
76.	,,	ग्रार ग्रार बी 8170	श्री कुलदीप सिंह चौधरी पुत्र श्री बिरधी प्रसाद बी-24 गोविन्द मार्ग ग्रादर्श नगर, जयपुर।	1-3-81	स्टेट बैंक ग्राफ बीकानेर एण्ड जयपुर	6-8-81

1	2	3	4	5	6	7
77.	विश्वविद्यालय से शास्त्री नगर मार्ग संख्या 12	आर आर बी 9988	श्री बाबूलाल पुत्र श्री रामचन्द्र जनता कालोनी, जयपुर	2-12-81	आर एफ सी जयपुर	26-10-81
78.	,,	आर आर बी 9729	श्री अशोककुमार पुत्र श्री बनवारीलाल 24-क-3 ज्योति नगर, जयपुर	1-12-81	यूनियन बैंक ऑफ इन्डिया	14-10-81
79.	,,	आर एन बी 2717	श्री श्यामलाल अजवानी 317 विजय पथ आदर्श नगर, जयपुर	6-2-82	एस. बी. आई.	6-2-82
80.	,,	आर एन बी 1754	श्री इन्द्रसिंह शेखावत बी-77 रमण मार्ग जयपुर	7-1-82	आन्ध्रा बैंक	6-1-82
81.	,,	आर एन बी 242	श्री मुमताजूदीन 5-ख-15 हाउसींग कालोनी शास्त्री नगर, जयपुर	8-12-81	—	6-11-81
82	,,	आर आर बी 8922	श्री बिहारी लाल माथुर पुत्र बालचन्द 130 हथरोई, जयपुर	2-12-81	स्टेट बैंक आफ इन्डिया जयपुर	9-9-81
83.	मार्ग संख्या 13 सांगानेरी गेट से सांगानेर टाउन	आर आर बी 2731	श्री दिनेश चन्द पालीवाल पुत्र श्री बद्रीलाल मानसिंह पुरा टौंक राज. जयपुर	11-12-81	आरएफसी	26-12-81
84.	,,	आर आर बी 5641	श्री कैलाश प्रसाद भूखमारिया पुत्र श्री स्वरुप नारायण खातीपुरा पश्चिमी जयपुर	9-11-81	आरएफसी जयपुर	20-4-81
85.	,,	,, 7392	श्री उत्तमसिंह पुत्र श्री जसुमल सिंह 2ग-25 हाऊसिंग बोर्ड शास्त्री नगर, जयपुर	6-3-82	एसबीआई जयपुर	1-7-81

205

1	2	3	4	5	6	7
86.	मार्ग संख्या 13 सांगानेरी गेट से सांगानेर टाउन	आरआरबी 7505	श्री पुष्पेन्द्र सिंह पुत्र श्री इन्द्र सिंह बी-17 रमन मार्ग तिलोक नगर, जयपुर	7-11-81	दी आन्ध्र बैंक जयपुर	4-7-81
87.	,,	आरआरबी 195	श्री जसवन्त सिंह पुत्र श्री सोहन सिंह बी-136 जनता कालोनी, जयपुर	9-11-81	एसबीआई	16-9-80
88.	,,	आरआरबी 5835	श्री मदनलाल मकान नं 688 लोहारों का रास्ता घाटगेट, जयपुर	6-11-81	आरएफसी जयपुर	27-4-81
89.	,,	आरआरबी 5200	श्री बलजीत सिंह पुत्र श्री सन्तोष सिंह 294 आदर्श नगर, जयपुर	7-11-81	एसबीआई	13-1-81
90.	,,	आरएनबी 1662	श्री बाबूलाल पुत्र श्री हुकुम चन्द 55 शास्त्री नगर, जयपुर	26-12-81	आरएफसी	4-1-82
91.	,,	आरएनबी 2524	श्री कामेश्वर सोलंकी पुत्र श्री गोविन्द सिंह सोलंकी डिग्गी हाउस राम बाग रोड, जयपुर	1-3-82	यू.को. बैंक जयपुर	30-1-82
92.	,,	आरएनबी 3236	श्री वीरबला मीणा पुत्र श्री नारायण मीणा सी-126 मोतीमार्ग बापूनगर, जयपुर	27-2-81	एसबीआई	23-2-82
93.	,,	आरआरबी 8294	श्री सुरेशचन्द्र गोयल पुत्र श्री लडडूलाल गोयल 2060 सेठी कालोनी, जयपुर	13-12-81	–	16-8-81
94.	,,	आरआरबी 8616	श्री राजेन्द्रसिंह चौधरी पुत्र श्री ओंकार सिंह चौधरी सी-22 राजापार्क, जयपुर	28-12-81	आरएफसी	27-8-81

1	2	3	4	5	6	7
	मार्ग सं. 13					
95.	सांगानेरी गेट से सांगानेर टाउन	आरआरबी 8380	श्री जोतराम पुत्र श्रीलक्ष्मणराम बी-24, राजापार्क, गोविन्द मार्ग, जयपुर	21-12-81	स्टेट बैंक आफ बीकानेर जयपुर	18-8-81
96.	,,	आरआरबी 8117	सांगानेर ट्रान्सपोर्ट कोआपरेटिस सोसायटी, सांगानेर टाउन, जयपुर	6-12-81	यू. को बैंक	3-8-81
97.	,,	आर एन बी 162	श्री चन्द्र चूड पारीक म. नं. 341 तुलसी टेम्पल ब्रह्मपुरी, जयपुर	30-10-81	यू. को. बैंक	4-11-81
98.	,,	आर आर बी 9341	श्री छोटूसिंह शेखावत पुत्र श्री खान सिंह, साधी गार्डन दुर्गापुरा रोड, जयपुर	1-12-81	,,	3-10-81
99.	,,	आर एन बी 243	श्री कुवरसिंह पुत्र श्री हीरसिंह बी-8/3 आदर्श नगर, जयपुर	3-11-81	एस बी आई बैंक आॅफ राजस्थान लिमिटेट	6-11-81
100.	,,	आर आर बी 8643	श्री राजेन्द्रकुमार अग्रवाल पुत्र श्री बाबूलाल मानसिंह, टोंक रोड, जयपुर	30-11-81		28-8-81
101.	,,	आर आर बी 9825	श्री नईमुद्दीन पुत्र श्री मोईनुद्दीन म. नं 1635 मोती डूंगरी रोड, जयपुर	30-11-81	स्टेट बैंक बीकानेर जयपुर	20-10-81
102.	,,	आर आर बी 8500	श्री विद्याधर सिंह पुत्र श्री हरि सिंह बी-8 एम. एल. ए. क्वाटर्स, जयपुर	2-12-81	यू. को. बैंक	21-8-81

207

1	2	3	4	5	6	7
	मार्ग नं. 13.					
103.	सांगानेरी गेट से सांगानेर टाउन	आर एन बी 84	श्री यशपाल पुत्र श्री पूरण चन्द्र हल्दियों का रास्ता, जयपुर	30-11-81	एस बी आई	2-11-81
104.	,,	आर आर बी 9999	श्री लल्लूलाल राजस्थान बीडी बिल्डर्स, जयपुर	30-11-81	,,	3-10-81
105.	,,	आर आर बी 9512	श्री नूर मोहम्मद सांगानेरी गेट कोपरेटीव सोसायटी प्राईवेट लिमिटेड, सांगानेर	30-10-81	यू. को. बैंक	1-10-81
106.	,,	आर एन बी 257	श्री पूरण चन्द्र पुत्र श्री पीरू राम बी-62 जनता कालोनी, जयपुर	1-12-81	आर एफ सी	7-11-81

———

परिशिष्ट–11

अतारांकित प्रश्न संख्या 343 की सूची

आयुर्वेद विभाग राजस्थान अजमेर में जनरल टेण्डर वर्ष 1981-82 (आयुर्वेद/यूनानी औषधियां, गुड़ व तेल तथा पैकिंग सामान) के संबन्ध में प्राप्त निविदा, व्यापारियों की निजी शर्तें तथा दिये गये क्रय आदेशों का विवरण

क्र. सं.	नाम व्यापारी/फर्म जिसका टेण्डर प्राप्त हुआ	टेण्डर में फर्म द्वारा दी गई निजि शर्तें	टेण्डर में दर स्वीकृत करने के उपरान्त दिये गये क्रय आदेश का दिनांक
1	2	3	4
1.	आयुर्वेदिक/यूनानी औषधियां :—		
1.	मैसर्स शंकर ट्रेडर्स, आगरा गेट, अजमेर	1. कूड़ा छाल का माल 45 दिन में, हिंगुल हंसपाद 40 दिन में तथा ऊपले (छाणे) बिना मिट्टी के 30 दिन में 400 क्विण्टल माल देंगे। 2. आई. पी. बी. पी. का समस्त माल 20 दिन के स्थान पर 35 दिन में सप्लाई करेंगे। 3. आई. पी. बी. पी. माल जैसे कुटकी, गंधक, आंवलासार, नौसादर, पीपरमेंट, शहद आदि बिना ड्रग्स लाईसेन्स वाला भी सप्लाई कर सकता है जिसकी सारी जिम्मेदारी हमारी होगी। ड्रग्स लाईसेन्स के अभाव में यदि रेट पर विचार नहीं किया गया तो जवाबदारी विभाग की होगी। 4. शहद केवल 500 किलो माल देंगे।	28-2-82
2.	रामगोपाल शर्मा एण्ड कं. जयपुर	1. निविदा का सारा माल 20 दिन के स्थान पर 30 दिन में सप्लाई करेंगे। 2. गंधक, आंवलासार तथा बत्सनाभ के लिये लिखा कि हमारे माल के साथ-साथ विभागीय नमूना भी टेस्ट कराना होगा। 3. वैसलीन की डीलिवरी एफ. ओ. आर. स्टेशन अंकित किया।	28-2-82

1	2	3	4
3.	मसर्स रंगवाला ट्रेडिंग कं. जयपुर	1. टेण्डर में अंकित आईटमों के भाव मूल टेण्डर में दिये गये हैं उनकी अवधि यदि 31-3-82 तक मान लेंगे तो हमारे द्वारा पूर्व में दिये गये भावों में 3 प्रतिशत की कटौती करके भाव मानने का कष्ट करें, क्योंकि नियमानुसार हम भाव में बन्धे हुए हैं।	28-2-82
4.	मैसर्स मालपाणी ट्रेडर्स, जयपुर	कोई निजी शर्त नहीं रखी गई है।	28-2-82
5.	मैसर्स जय केमिकल एण्ड फार्मस्युटिकल्स, जयपुर	1. लघु उद्योग के अन्तर्गत रजिस्टर्ड होने से 15 प्रतिशत प्राईज प्रिपरेन्स देने हेतु निवेदन किया है।	28-2-82
2.	**गुड़ तथा तेल की निविदा :—**		
1.	मैसर्स शंकर ट्रेडर्स, अजमेर	1. माल 30 दिन में देने की निजि शर्त दी।	क्रय आदेश नहीं दिया गया।
2.	मैसर्स जय केमिकल्स एण्ड फार्मस्युटिकल्स, जयपुर	1. लघु उद्योग विभाग के अन्तर्गत रजिस्टर्ड होने से 15 प्रतिशत प्राईज प्रिपरेन्स दिया जाने हेतु निवेदन किया।	क्रय आदेश नहीं दिया गया।
3.	**पैकिंग सामान**		
1.	मैसर्स शंकर ट्रेडर्स, अजमेर	1. सुरक्षा राशि जमा कराने पर टेण्डर मनी दो दिन में लौटानी होगी। 2. प्लास्टिक डिब्बे, शीशियां व पत्ति 45 दिन में केरोगेटेड कार्ड शीट डिब्बे 60 दिन में, टीन क्लिप 30 दिन मे सप्लाई करेंगे। 3. टिन क्लिप केवल अजमेर रसायनशाला में ही देंगे। कोई आईटम केन्सिल करने से पूर्व पूछ लें।	28-2-82
2.	मैसर्स पैकवेल प्रोडक्टस, जयपुर	1. कोई निजि शर्त अंकित नहीं की है।	दर स्वीकृत न होने से क्रय आदेश नहीं दिये गये।
3.	मं. रंगवाला ट्रेडिंग कं. जयपुर	1. प्लास्टिक डिब्बे, शीशियां तथा लोहे की कीलों का भाव हमारे द्वारा पूर्व में दिये गये भावों में से 3 प्रतिशत कटोति कर पढ़ने का श्रम करें लेकिन समय अवधि 31-3-82 तक होगी।	दर स्वीकृत न होने से क्रय आदेश नहीं दिये गये।

(211)

परिशिष्ट 12

अतारांकित प्रश्न संख्या 348 की सूची

प्रपत्र (क)

सहायता अभियन्ता की जांच रिपोर्ट

उपरोक्त कार्य का निरीक्षण कर लिया गया। ईंट टेस्ट करा दी गई, ठीक है। सीमेन्ट की चिनाई में उचित तरायी नहीं की गयी प्रतीत होती है। उसके लिये मसाले का 1 : 8 का घाटा भुगतान प्रस्तावित कर दिया गया है।

परिशिष्ट 13

अतारांकित प्रश्न संख्या 350 की सूची

वर्ष 1979-80 से 1981-82 तक पंचायतों को दी गई अनुदान की सूची

क्र. सं. ग्राम पंचायत का नाम	वर्ष	
	1979-80	1980-81
पंचायत समिति मुण्डवा जिला नागौर		
1. इन्नाणा	6,761-25	3,365-60
2. धिरोद	7,211-25	3,589-60
3. फिडोद	5,215-00	2,540-16
4. मावण्डा	6,079-50	3,026-24
5. नागड़ी	7,868-25	3,916-64
6. डाहरू	7,917-75	3,941-28
7. खीवेसर	8,115-75	4,039-84
8. काटिया	12,312-00	6,128-64
9. बिरलोका	6,444-00	3,207-68
10. पांचलासिद्धा	8,691-75	4,326-56
11. कुड़छी	7,366-50	3,666-88
12. पाचौड़ी	5,361-75	2,668-66
13. खटोड़ा	4,250-25	2,115-68
14. माडपुरा	9,297-00	4,627-84
15. असावरी	4,839-75	2,409-12
16. सैनणी	8,046-00	4,005-12
17. माणकपुर	6,275-25	3,123-68
18. शंखवास	7,359-75	3,663-52
19. कडलू	6,777-00	3,373-44
20. गवालू	6,826-50	3,398-08
21. खजवाना	6,617-25	3,293-92

1 2	3	4
22. रूणा	7,825-50	3,895-36
23. जंनाणा	6,504-75	3,237-92
24. खरनाल	5,224-50	2,600-64
25. मूंदियाड़	6,176-25	3,074-40
26. शिलगांव	6,045-75	3,009-44
27. पालड़ी जोधा	7,337-25	3,652-32
28. गोठड़ा	6,189-75	3,081-12
29. बेराथल कल्ला	7,789-50	3,877-44
30 ग्रामदानी गांव पीथोलाव	113-00	112-00
योग	2,02,839-75	1,00,969-12

पंचायत समिति, नागौर

1. चूटीसरा	7,450-00	46,697-81
2. गोगोलाव	7,930-00	17,573-34
3. श्री बालाजी	9,850-00	58,346-24
4. रायधनू	5,990-00	14,453-33
5. गठिलासर	5,630-00	10,144-52
6. चाऊ	5,420-00	13,781-46
7. छीला	6,050-00	25,493-78
8. भाडीसरा	5,630-00	20,103-61
9. भदारणा	6,030-00	4,935-78
10. सिगड़	5,830-00	23,069-24
11. गुड़ा भगवानदास	7,425-00	18,881-48
12. रोहिणी	5,840-00	18,411-23
13. श्यामसर	5,640-00	7,718-52
14. चेनोर	10,030-00	12,142-39
15. देऊ	7,900-00	44,684-80
16. कालड़ी	7,025-00	4,673-41
17. अलाय	11,450-00	19,835-29
18. भड़े	6,530-00	3,250-00

1	2	3	4
19.	जोधियासी	7,420-00	3,700-00
20.	सुखवासी	1,200-00	600-00
21.	अठवालिया	5,425-00	2,700-00
22.	ताऊसर	9,750-00	4,900-00
23.	सथेरन	6,530-00	3,250-00
24.	तातवास	5,450-00	2,700-00
25.	भून्डेल	8,325-00	4,150-00
26.	करनू	11,450-00	5,700-00
27.	सिनोद	7,670-00	3,820-00
28.	बररग गांव	4,730-00	2,350-00
29.	गगवाना	4,870-00	2 460-00
30.	कुमारी	6,030-00	3,020-00
31.	बासनी	18,200-00	9,070-00
	योग	4,12,616-33	2,24,700-00

215

परिशिष्ट 14

अतारांकित प्रश्न संख्या 352 की सूची

क्र.सं.	नाम पंचायत समिति	प्राथमिक विद्यालयों के नाम	बन्द विद्यालयों का वर्ष
1.	सम	1. समुलियाई	वर्ष 1981–82
		2. काठा	
		3. कोरिया	
		4. गुंजनगढ़	
		5. कोठा	
		6. वीदा	
		7. बीजराजकातला	
		8. छतांगढ़	
		9. सगरी की बस्ती	
		10. फलेड़ी	
		11. धनंनिा	
		12. सांवता	
		13. वीजोता	
		14. हटार	
		15 तेर्जरावा	
		16. मभारा	
		17. हरमा	
		18. सांवता (भीमसिंह की ढाणी)	
		19. नगराजा	
		20. केशुवां की बस्ती	
		21. सोड़ा	
		22. मेहरी की ढाणी	
2.	जैसलमेर	—	—
3.	साकड़ा	—	—

216

परिशिष्ट 15

अतारांकित प्रश्न संख्या 354 की सूची

राजस्थान मुख्य नहर की पुर्जी 600 से पुर्जा 1060 के बीच सीधे पोधे व माईनर जहां जहां प्रदर्शित है, की सूची

क्र. सं.	मोघा/माइनर	पुर्जी
1.	मोधा	पुर्जी 850)
2.	मोधा	,, 875) सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है
3.	मोधा	,, 878)
4.	मोधा	पुर्जी 890 बार्यां
5.	मोधा	,, 910·500 बायां
6.	मोधा	,, 921·45 बायां
7.	माईनर	,, 933 दार्यां
8.	माईनर	,, 900 बार्यां
9.	मोधा	,, 990 दार्यां
10.	धोकमपुर माईनर	,, 10·45 दार्यां

भुट्टोवानी विज्ञान प्रणाली

क्र. सं.	मोघे की स्थिति (पुर्जी)
1.	12·00 बांया
2.	15·95 दांया
3.	12·950 दांया
4.	24·250 दांया
5.	25·900 बांया
6.	28·00 बांया
7.	29·950 दांया
8.	33·80 टेल
कटक माइनर	
1.	9·800 दांया
2.	7·500 दांया
3.	11·00 टेल
रायल माइनर	
1.	6·200 बांया

Page No 217

217

क्र.सं	मोघे की स्थिति
2.	5·200 दायां
3.	7·300 दांया
4.	9·100 दांया
5.	18·600 दांया
6.	18·600 दांया
	भुट्टोवाली माइनर
1.	2·500 दांया
2.	7·700 दांया
3.	9·00 दांया
4.	9·600 दांया
5.	11·200 दांया
6.	13·600 बांया
7.	17·300 दांया
8.	19·00 बांया
9.	21·00 दांया
10.	28.250 दांया
11.	28·00 बांया
12.	29·800 दांया
13.	32·600 बांया
14.	35·00 दांया
15.	36·00 टेल

विशालपुर शाखा प्रणाली

विशालपुर ब्रांच

क्र. सं.		मोघे की स्थिति (पूर्जा)
1.	1 बी. वी.	1·0 दांया
2.	2 ,,	4·0 बांया
3.	3 ,,	6·5 दांया
4.	5 ,,	15·9 बांया
5.	5 ,,	19·108 दांया
6.	6 ,,	22·500 बांया

Page No 218

218

क्र. सं.		मोघे की स्थिति
7.	7 (ए) ,,	22·500 दांया
8.	7 (बी) ,,	—
9.	8 बी. बी.	26·9 दांया
10.	9 ,,	31·60 दांया
11.	10 ,,	32·600 बांया
12.	11 ,,	37·860 बांया
13.	12 ,,	44·750 दांया
14.	13 ,,	47·000 दांया
15.	14 ,,	54·900 बांया
16.	15 ,,	61·100 दांया
17.	16 ,,	67·100 दांया
18.	17 ,,	97·500 बांया
19.	18 ,,	106·250 बांया
20.	19 ,,	115·000 बाँया
21.	20 ,,	116·750 बांया
22.	21 ,,	117·250 बांया
23.	22 ,,	122·400 दांया
24.	23 ,,	130·700 बांया
25.	24 ,,	137·800 बांया
26.	25 ,,	149·800 बांया
27.	26 ,,	149·800 दांया
28.	27 ,,	156·200 बांया
	चौलेवाली डिस्ट्रीब्यूट्री	
1.		5·00 बांया
2.		2·900 बांया
3.		14·600 बांया
4.		17·00 बांया
5.		23,100 बांया
6.		28·0 दांया
7.		30·700 बांया
8.		30·700 दांया

क्र. सं.	मोघे की स्थिति
9.	33·00 बांया
10	34·188 टेल
ब्रिहेमदवाली माइनर	
1.	5·300 बांया
2.	8·500 दांया
3.	11·100 दांया
4.	12·900 बांया
5.	15·600 बांया
6.	15.300 दांया
7.	17·900 बांया
8.	21·100 दांया
9.	23·750 बांया
10.	23·750 दांया
मोहम्मद याश्रा माइनर	
1.	9·100 बांया
2.	9·100 दांया
3.	9·923 बांया
4.	15·50 बांया
5.	16·400 दांया
6.	16·400 बांया
खानकासर डिस्ट्रीब्यूट्री	
1.	13·500 बांया
2.	20·500 बांया
3.	33·500 बांया
4.	38·400 दांया
5.	41·00 बांया
6.	44·300 बांया
7.	46·100 दांया
8.	50·300 बांया
9.	55·500 बांया
10.	56·00 टेल

क्र. सं.	मोघे की स्थिति
	बदली माइनर
1.	3·000 बांया
2.	4·250 टेल
	गोकुल माइनर
1.	6·500 दांया
2.	6·500 बांया
3.	8·500 दांया
4.	16·800 बांया
5.	16·800 दांया
6.	20·300 बांया
7.	27·750 बांया
8.	27·750 दांया
	गोकुल सब माइनर
1.	5·000 बांया
2.	8·200 टेल
3.	7·100 दांया
	भालेरी माइनर
1.	7·300 दांया
2.	9·200 दांया
3.	12·250 बांया
4.	12·250 दायां
	खारावाली माइनर
1.	7·500 बांया
2.	7·500 दांया
3.	10·000 बांया
4.	14.00 टेल
	रूपसिंह माइनर
1.	3,900 बांया
2.	6,300 दांया
3.	8,600 दांया
4.	12,00 बांया

(221)

क्र. सं.	मोघे की स्थिति
5.	12·00 बांया
6.	20·400 बांया
7.	20·500 बांया
	घेरा माइनर
1.	2·0 दायां
2.	12·600 बांया
3.	14·400 बांया
4.	15·400 दांया
5.	25·500 बांया
6.	20·050 बांया
7.	21·500 टेल
	बिलम भग डिस्ट्रीब्यूट्री
1.	6·900 बायां
2.	8·400 दायां
3.	15·800 दांया
4.	20·500 बांया
5.	20·500 दांया
6.	24·800 दांया
7.	30·500 बांया
8.	35·800 बांया
9.	38·605 टेल
	मोहिन्द्र गोरी माइनर
1.	3·000 बांया
2.	8·000 दांया
3.	10·000 दांया
4.	10·000 बायां
	बिरतलपुर वितरिका
1.	2·500 बांया
2.	6·000 बांया
3.	20·000 बांया

Page No 222

(222)

क्र. सं.	मोघे की स्थिति
4.	20·000 बांया
5.	23·800 बांया
6.	24·000 बायां
7.	34·900 दायां
8.	37·000 बायां
9.	45·000 बायां
10.	57·900 दायां
11.	52·300 बायां
12.	56·400 बांयां
13.	56·400 दायां
	राबला माइनर
1.	2·500 बांया
2.	8·000 दायां
3.	10·000 बांया
4.	10·000 दायां
	बिरतलपुर माइनर
1.	5·000 दांया
2.	14·000 दांया
3.	14·000 बायां
4.	14·000 दांया
5.	31·000 दांया
6.	32·000 दांया
7.	32·000 बांया
	बिरतलपुर सब माइनर
1.	6·000 बायां
2.	6·000 दायां

क्र.सं.	नहर का नाम	क्रम का नाम	मोघे की स्थिति
1.	रंजीतपुरा वितरिका	1	4·000 दांया
		2	4·000 बांया
		3	6·600 बांया

क्र. सं.	नहर का नाम	क्रम का नाम	मोघे की स्थिति
		4	7·700 दायां
		5	9·300 दायां
		6	10·300 दायां
		7	23·300 बायां
		8	26·300 बायां
		9	36·000 बायां
		10	42·500 बांया
		11	44·200 दांयां
		12	45·500 ,,
		13	49·500 ,,
		14	50·000 ,,
		15	65·400 बांया
		16	69·600 ,,
		17	71·800 बांया
		18	71·800 दांया
	कुल	18	–
2.	रंजीतपुरा माइनर	1	1·300 बांया
		2	1·200 दांया
		3	9·700 दांया
		4	11·000 बांया
		5	11·700 ,,
		6	18·200 दांया
		7	20·000 दांया
		8	20·000 बांया
	कुल	8	–
3.	जासूर माइनर आर.सी. 47·700	1	5·000 बांया
		2	7·500 ,,
		3	11·200 ,,
		4	14·200 ,,
		5	20·000 ,,
		6	29·000 ,,
		7	35·900 ,,

Page No 224

क्र. स.	नहर का नाम	चक का नाम	मोघे की स्थिति
		8	47.700 बांया
		9	47.700 बांया
		10	सर्वेक्षण कार्य चल रहा है मोघों की स्थिति
		11	सर्वे कार्य पूर्ण होने के बाद ही निश्चित होगी
		12	
4.	जसूसर माइनर–प्रथम	13	सर्वे कार्य चल रहा है मोघों की स्थिति
5.	,, ,, –द्वितीय	14	सर्वे कार्य पूर्ण होने के बाद ही निश्चित होगी।

चारणवाला खाला (पुर्जा० से पुर्जा० 175) में इन पुर्जियों के बीच से निकलने वाली वितरिकाओं पर प्रस्तावित मोघों की सूची :—

चारणवाला शाखा

क्र. सं.	चक का नाम			मोघे की स्थिति (शाखा वितरिका की पुर्जी)	
1.	चक नं.	1	चारणवाला शाखा	पुर्जी	2.200 दांया
2.	,,	2	,,	,,	7.400 बांया
3.	,,	3	,,	,,	10.000 बांया
4.	,,	4	,,	,,	19.500 दांया
5.	,,	5	,,	,,	22.000 बांया
6.	,,	6	,,	,,	24.000 दांया
7.	,,	7	,,	,,	25.600 दांया
8.	,,	8	,,	,,	28.500 दांया
9.	,,	9	,,	,,	32.200 दांया
10.	,,	10	,,	,,	32.600 बांया
11.	,,	11	,,	,,	38.900 दांया
12.	,,	12	,,	,,	39.800 बांया
13.	,,	13	,,	,,	43.200 दांया
14.	,,	14	,,	,,	44.800 बांया
15.	,,	15	,,	,,	47.500 दांया
16.	,,	16	,,	,,	49.200 दांया
17.	,,	17	,,	,,	52.600 बांया
18.	,,	18	,,	,,	56.000 दांया
19.	,,	19	,,	,,	58.500 बांया
20.	,,	20	,,	,,	58.500 दांया
21.	,,	21	,,	,,	62.000 दांया
22.	,,	22	,,	,,	62.800 बांया
23.	,,	23	,,	,,	65.200 बांया
24.	,,	24	,,	,,	65.200 दांया

1	2	3	4	5
25. चक नं.	25	चारणवाला शाखा	पुर्जी	69.000 बांया
26. ,,	26	,,	,,	69.000 दांया
27. ,,	27	,,	,,	71.000 बांया
28. ,,	28	,,	,,	72.000 बांया
29. ,,	29	,,	,,	73.000 दांया
30. ,,	30	,,	,,	75.000 बांया
31. ,,	31	,,	,,	77.400 दया
32. ,,	32	,,	,,	77.400 दांया
33. ,,	33	,,	,,	81.600 बांया
34. ,,	34	,,	,,	82.000 दांया
35. ,,	35	,,	,,	84.900 बांया
36. ,,	36	,,	,,	91.900 दांया
37. ,,	37	,,	,,	96.100 दांया
38. ,,	38	,,	,,	91.000 दांया
39. ,,	39	,,	,,	102.400 बांया
40. ,,	40	,,	,,	102.400 दांया
41. ,,	41	,,	,,	105.400 दांया
42. ,,	42	,,	,,	110.200 बांया
43. ,,	43	,,	,,	110.200 दांया
44. ,,	44	,,	,,	113.800 बांया
45. ,,	45	,,	,,	116.200 दांया
46. ,,	46	,,	,,	119.000 बांया
47. ,,	47	,,	,,	119.000 बांया
48. ,,	48	,,	,,	119.000 दांया
49. ,,	49	,,	,,	122.200 दांया

खारा वितरिका (चारणवाला की पुर्जी 25.750 से निकलती है)

क्र. सं.	चक का नाम		नीचे की स्थिति
1.	1	के. एच. डी.	5250 दांया
2.	2	,,	11300 बांया
3.	3	,,	15500 दांया
4.	4	,,	15000 बांया
5.	5	,,	21500 दांया
6.	6	,,	24000 बांया
7.	7	,,	42200 बांया
8.	8	,,	42200 दांया
9.	9	,,	44300 बांया

226

1	2	3	4
10.	10	के. एच. डी.	48500 बांया
11.	11	,,	51000 दांया
12.	12	,,	54000 बांया
13.	13	,,	58200 बांया
14.	14	,,	60000 दांया
15.	15	,,	68000 बांया
16.	16	,,	72000 दांया
17.	17	,,	72000 बांया
नारायणसर माइनर (खारा वितरिका की बुर्जी 58 से निकलती है)			
1.	बी. डब्लू. एन.	1	2000 दांया
2.	,,	2	5250 बांया
3.	,,	3	5250 दांया
नारायणसर माइनर (खारा वितरिका की बुर्जी 32.50 से निकलती है)			
1.	1	एम. एस. एम.	1300 दांया
2.	2	,,	3500 बांया
3.	3	,,	5800 दांया
4.	4	,,	8000 दांया
5.	5	,,	12300 बांया
6.	6	,,	17000 बांया
7.	7	,,	16800 दांया
8.	8	,,	23300 दांया
9.	9	,,	25000 बांया
कूलासर वितरिका (चारणवाला शाखा की बुर्जी 14.650 से निकलती है)			
1.	1	पी. एस. डी. (अ)	7000 दांया
2.	2	,,	10000 दांया
3.	3	,,	13000 बांया
4.	4	,,	13000 दांया
5.	5	,,	19500 दांया
6.	9	,,	19500 बांया
7.	7	,,	24500 दांया
8.	8	,,	25500 बांया
9.	9	,,	29000 दांया
10.	10	,,	29000 बांया
11.	11	,,	32000 दांया
12.	12	,,	32000 बांया

1	2	3	4
13-	12 पी. एस. डी. (अ)		35800 दांया
14-	13	,,	35800 बांया
15-	14	,,	38500 दांया
16-	15	,,	38500 बांया
17-	16	,,	42000 दांया
18-	18	,,	42000 बांया
19-	18	,,	45000 दांया
20-	19	,,	45000 बांया
21-	20	,,	49000 बांया
गोडू माइनर (फुलासर वितरिका की बुर्जी 15 से निकलती है)			
1-	गोडू माइनर		6000 दांया
2-	2 गोडू माइनर		10500 दांया
3-	3	,,	10500 बांया
4-	4	,,	13500 दांया
5-	5	,,	15000 दांया
6-	6	,,	17000 दांया
7-	7	,,	20500 दांया
8-	8	,,	23000 दांया
9-	9	,,	25000 दांया
10-	10	,,	28500 दांया
11-	11	,,	34000 बांया
12-	12	,,	36500 दांया
13-	13	,,	4000 दांया
14-	14	,,	43000 बांया
15-	15	,,	46000 दांया
16-	16	,,	50000 बांया
17-	17	,,	53000 दांया
18-	18	,,	53000 बांया
19-	19	,,	58000 दांया
20-	20	,,	59000 बांया
21-	21	,,	59000 दांया

Page No 228

228

1	2	3	4
फुलावर माइनर (प्रथम)			
1-	1	बी. एस. एम.	7000 बांया
2-	2	,,	9000 दांया
3-	3	,,	12000 बाँया
4-	4	,,	14000 बांया
5-	5	,,	22000 दांया
6-	6	,,	26000 वांया
7-	7	,,	33500 बांया
8-	8	,,	40000 दांया
9-	9	,,	43000 बांया
10-	10	,,	47000 दांया
11-	11	,,	49500 बांया
12-	12	,,	53500 दांया
13-	13	,,	56000 दांया
14-	14	,,	56300 बांया
15-	15	,,	56300 दांया
सारा माइनर :			
1-	1	सारा माइनर	10000 दांया
2-	2	,,	10000 बांया
3-	3	,,	14500 दांया
4-	4	,,	20500 बांया
5-	5	,,	24000 दांया
6:	5	,,	27500 बांया
7-	7	,,	31500 दांया
8-	8	,,	37500 बांया
9-	9	,,	37500 दांया
वितरिका (बुर्जी० से 75 तक)			
1-	1	के. डब्लू. डी.	2.800 दांया
2-	2	,,	9.200 बांया
3-	3	,,	10 000 दांया
4-	4	,,	11.800 बांया
5-	5	,,	15.600 दांया
6-	6	,,	21.200 बांया
7-	7	,,	25.000 दांया

Page No 229

(229)

1	2	3	4
8-	8	के. डब्लू. डी.	25.000 बांया
9-	9	,,	28.600 बांया
10-	10	,,	37.200 बांया
11-	11	,,	43.200 दांया
12-	12	,,	47.000 बांया
13-	13	,,	53.200 बांया
14-	14	,,	53.200 दांया
15-	15	,,	56.400 दांया
16-	17	,,	57.200 बांया
17-	17	,,	59.600 बांया
18-	18	,,	59.600 दांया
19-	19	,,	63.200 बांया
20-	20	,,	63.700 दांया
21-	21	,,	65.600 दांया
22-	22	,,	65.600 बांया
23-	23	,,	69.600 बांया
24-	24	,,	69.600 दांया
25-	25	,,	72.000 बांया
26-	26	,,	75,000 बांया
27-	27	,,	75.000 दांया

नोट :—चारणवाला शाखा की बुर्जी 105 से आगे के क्षेत्र का सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है व उसके पश्चात् ही बाकी नई सूचना उपलब्ध हो सकी।

———

परिशिष्ट 16

अतारांकित प्रश्न संख्या 357 की सूची

के भाग–2 की सूची

क्र.सं.	नाम व्यक्ति/सरकारी विभाग	कोयला उठाये जाने की अवधि	मात्रा (वैगनों में)
1	2	3	4
			(सॉफ्ट कोक)
1.	राजस्थान लघु उद्योग निगम	अप्रेल, 80	71
2.	,, ,,	मई, 80	61
3.	,, ,,	अगस्त, 80	75
4.	,, ,,	सितम्बर, 80	69½
5.	,, ,,	अक्टूबर, 80	66
6.	,, ,,	नवम्बर, 80	64
		(बी० एच० हार्डकोक)	
1.	राजस्थान लघु उद्योग निगम	अप्रैल, 80	1
2.	,, ,,	जून, 80	2
3.	,, ,,	जुलाई, 80	5
4.	,, ,,	अगस्त, 80	1
			(सॉफट कोक)
1.	मै. राजस्थान कोल सप्लायर्स, जयपुर	जनवरी, 81	75
2.	राजस्थान लघु उद्योग निगम	फरवरी, 81	71
3.	,, ,,	मार्च, 81	64
4.	मै. अनुराग कोल सप्लायर, जयपुर	मई, 81	74
5.	,, ,,	जुलाई, 81	72½
6.	राजस्थान लघु उद्योग निगम	अगस्त, 81	57½
7.	,, ,,	नवम्बर, 81	70½
8.	मै. राजस्थान कोल सप्लायर्स	दिसम्बर, 81	72

1	2	3	4
9.	मै. प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्व विद्यालय, जयपुर ।	दिसम्बर, 81	6
10.	मै. राजस्थान कोल सप्लायर	जनवरी, 82	150
11.	राजस्थान लघु उद्योग निगम	जनवरी, 82	70

(बी० एच० हार्डकोक)

1.	मै. अनुराग कोल सप्लायर्स, जयपुर	जनवरी, 81	1
2.	मै. राजस्थान कोल सप्लायर्स, जयपुर	जनवरी, 81	3
3.	मै. अनुराग कोल सप्लायर्स, जयपुर	फरवरी, 81	2
4.	राजस्थान लघु उद्योग निगम	नवम्बर, 81	34½

परिशिष्ट 17

अतारांकित प्रश्न संख्या 124 की सूची विवरण

कोटा शाहबाद तथा अजमेर वन क्षेत्रों में जनवरी, 80 से जनवरी, 82 तक की अवधि में वन कर्मचारियों के विरुद्ध अवैध कटान से सम्बन्धित अनुशासनात्मक कार्यवाही का विवरण :—

क्र. सं. 1	नाम कर्मचारी मय पद 2	कार्यवाही जो की गई 3
1.	श्री बालचन्द शर्मा. सहा. वनपाल	राजस्थान असैनिक सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं पुनरावेदन) नियम 1958 की धारा 17 के अन्तर्गत कार्यवाही की गई। रु. 2718-26 पैसे की राजकीय क्षति की वसूली के आदेश दिये गये।
2.	श्री हरिशंकर सहा. वनपाल	राजस्थान असैनिक सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं पुनरावेदन) नियम 1958 की धारा 17 में कार्यवाही की जा रही है।
3.	श्री गोरधनलाल, वनरक्षक	राजस्थान असैनिक सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं पुनरावेदन) नियम 1958 की धारा 17 में कार्यवाही की जा रही है।
4.	श्री मदनलाल, वनपाल	राजस्थान असैनिक सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण एवं पुनरावेदन) नियम 1958 की धारा 17 में कार्यवाही की जा रही है।
5.	श्री नारायण सिंह, वनपाल	राजस्थान असैनिक सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं पुनरावेदन) नियम 1958 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रस्तावित है।
6.	श्री विजयसिंह, वनपाल	राजस्थान असैनिक सेवा वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं पुनरावेदन नियम 1958 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रस्तावित है।

(233)

1	2	4
7.	श्री सवाई राम, वनरक्षक	राजस्थान असैनिक सेवा (वर्गीकरण नियन्त्रण एवं पुनरावेदन) निमम 1958 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रस्तावित है।
8.	श्री हरिवल्लभ, सहा. वनपाल	राजस्थान असैनिक सेवा (वर्गीकरण नियन्त्रण एवं पुनरावेदन) नियम 1958 की धारा 17 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाकर वृक्षों के नुकसान की राशि 220/– वसूली के आदेश दिये गये हैं।
9.	श्री नुरुद्दीन, वनरक्षक	राजस्थान असैनिक सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं पुनरावेदन) नियम 1958 की धारा 17 के अंतंगत कार्यवाही की जाकर वृक्षों के नुकसान की राशि 220/– वसूली के आदेश दिये गये हैं।

Page No 234

(234)

परिशिष्ट 18

अतारांकित प्रश्न संख्या 381 की सूची

धर्मशालायें एवं दुकानों की सूची

क्र.सं.	नाम धर्मशाला	दुकानों की संख्या	वार्षिक आय	विशेष विवरण मय शर्तों के
1	2	3	4	5
1	गिरधरदास तेजमानेवाली धर्मशाला	7	1032–00	
2	पोरबन्दर वाली धर्मशाला वसनजीलाल जी धर्मशाला	5	420–00	शर्त के अनुसार केवल एक ही दुकान का किराया मन्दिर मण्डल में जमा हो रहा है। शेष चार का नहीं
3	चान्दावाली धर्मशाला	7	046–00	शर्त के अनुसार केवल दो ही दुकानों का किराया मन्दिर मण्डल में जमा हो रहा है शेष पांच का नहीं।
4	बम्बईवाली धर्मशाला	10	–	शर्त के अनुसार कोई राशि दुकान किराये की मन्दिर मण्डल में जमा नहीं हो रही है।
5	मणीबाई वाली धर्मशाला	10	–	शर्त के अनुसार कोई राशि दुकान किराये की मन्दिर मण्डल में जमा नहीं हो रही है।
6	छोटी धर्मशाला	14	4074–00	–
7	आसूमाई वाली धर्मशाला	24	7677–00	–

1	2	3	4	5
8	बिनानी कोटेज के नीचे की दुकान	9	3144–00	–
9	केशव भवन धर्मशाला	8	2580–00	–
10	देहली वाली धर्मशाला	23	9222–00	–
11	लक्ष्मीविलास धर्मशाला	14	7212–00	–
12	डाया भवन धर्मशाला	9	2544–00	–
13	विश्रान्तिगृह की धर्मशाला	4	9648–00	–
14	देववाड़ा धर्मशाला	1	840–00	–
15	राजमाताजी धर्मशाला	13	4614–00	–